



सत्यमेव जयते

**Annual Technical Inspection Report**  
**on**  
**Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies**  
**for the years ended 31 March 2018 and 31 March 2019**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



**Government of Himachal Pradesh**

**Office of the Principal Accountant General (Audit)**  
**Himachal Pradesh, Shimla**



**Annual Technical Inspection Report**

**on**

**Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies  
for the years ended 31 March 2018 and 31 March 2019**

**Government of Himachal Pradesh**

**Office of the Principal Accountant General (Audit)  
Himachal Pradesh, Shimla**



## TABLE OF CONTENTS

Particulars	Paragraph	Page No.
<i>Preface</i>	-	<i>v</i>
<i>Overview</i>	-	<i>vii-x</i>
<b>PART-A</b>		
<b>PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs)</b>		
<b>CHAPTER-1</b>		
<b>PROFILE OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS</b>		
Background	1.1	1
Audit mandate of the CAG	1.2	1
Organisational structure of Panchayati Raj Institutions	1.3	1-3
Financial profile	1.4	3-6
Accounting system in PRIs	1.5	6
Financial reporting and accountability framework of PRIs (Internal Control System)	1.6	7
Primary audit and Internal audit of PRIs	1.7	7
Technical Guidance and Support	1.8	7-8
Audit coverage	1.9	8
Inspection reports and audit paras pending compliance	1.10	8-9
<b>CHAPTER-2</b>		
<b>RESULTS OF AUDIT OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS</b>		
Accounting System	2.1	11-17
Revenue	2.2	17-19
Blocking of funds	2.3	19-22
Unutilised funds received under 14 <sup>th</sup> Finance Commission	2.4	22-23
Blocking of funds under National Rural Health Mission	2.5	23
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)	2.6	24-26
Doubtful expenditure	2.7	26
Non-adjustment of temporary advances	2.8	26-27
Non-preparation of budget estimates	2.9	27
Irregular purchase of materials	2.10	27
Irregular payment of Government money	2.11	28
Irregular payment	2.12	28
<b>PART-B</b>		
<b>URBAN LOCAL BODIES (ULBs)</b>		
<b>CHAPTER-3</b>		
<b>PROFILE OF URBAN LOCAL BODIES</b>		
Background	3.1	29
Audit mandate	3.2	29

Organisational structure of Urban Local Bodies	3.3	29-30
Financial profile	3.4	30-33
Financial reporting and accounting framework of ULBs (Internal Control System)	3.5	33
Primary audit and Internal audit of ULBs	3.6	33
Technical Guidance and Support	3.7	33-34
Audit coverage	3.8	34
Audit observations pending compliance	3.9	34-35
<b>CHAPTER-4</b>		
<b>RESULTS OF AUDIT OF URBAN LOCAL BODIES</b>		
Accounting System	4.1	37
Preparation of Budget	4.2	37-38
Purchase of material without inviting quotations	4.3	38-39
Non-maintenance of records	4.4	39-40
Revenue	4.5	40-46
Blocking of funds	4.6	46-52
Diversion of funds	4.7	52
Unfruitful expenditure and non-realisation of beneficiary share	4.8	52-53
Unfruitful expenditure	4.9	53
Unfruitful expenditure and lapse of GOI grant	4.10	53-54
Idle expenditure on salary	4.11	54
Liability for electricity bills along with surcharge	4.12	54-55
Violation of norms - Splitting up of works	4.13	55
Non-obtaining of Utilisation Certificates	4.14	55-56
Irregular expenditure incurred without obtaining technical sanction	4.15	56
Non-adjustment of advances	4.16	56-57
Undue Benefits to the firms	4.17	57-58
Non-accounting of material	4.18	58
Non-conducting of Physical Verification of stores/ stock	4.19	58-59
<b>APPENDICES</b>		
<b>Particulars</b>	<b>Appendix No.</b>	<b>Page No.</b>
Details of functions listed in 11 <sup>th</sup> and 12 <sup>th</sup> Schedules of the Constitution	1	61
Detail of 15-line departments assigned to PRIs	2	62
Audit coverage- Details of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies audited during 2017-18 and 2018-19	3	63-67
Non-preparation of cash book in PRIASoft, Non-maintenance of assets on National Assets Directory and non-maintenance of three Model Accounting System Registers	4	68

Difference between figures of balance in bank pass book and that of uploaded on PRIASoft during 2016-17 and difference between figures of receipt and expenditure furnished to audit by test-checked PRIs and that of uploaded on PRIASoft during 2017-18	5	69-72
Non-maintenance of important records	6	73-75
Non-reconciliation of difference between cash books with bank pass books	7	76-79
Non-depositing of liquor cess in Account 'A'	8	80
Details of non-accountal of material by the Gram Panchayats during 2017-18	9	81
Non-conducting of physical verification	10	82-83
Details of non-recovery of house tax by the Gram Panchayat concerned	11	84-86
Details of outstanding rent of shops	12	87
Details of non-recovery of duty for installation/ renewal of mobile tower within Gram Panchayat area	13	88-89
Non-deduction of TDS	14	90
Blocking of funds due to non-commencement of works under various schemes	15	91-92
Blocking of funds due to non-completion of works under various schemes	16	93-94
Details of blocking of funds under 13 <sup>th</sup> Finance Commission	17	95
Details of blocking of funds under 14 <sup>th</sup> Finance Commission due to incomplete work	18	96-98
Details of blocking of funds under 14 <sup>th</sup> Finance Commission due to non-start of work	19	99
Details of funds remained unutilized under NRHM	20	100
Details of delay in releasing payments under MGNREG Scheme	21	101
Irregular purchase of material	22	102-104
Irregular payment of Government money	23	105
Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs	24	106-109
Details of outstanding house tax in respect of ULBs	25	110
Details of non-realization of rent from shops/ booths/ stalls	26	111
Details of non-recovery of duty for installation/ renewal of mobile towers within Urban Local Bodies area	27	112
Statements showing the detail of outstanding advances given to officials/ departments but not adjusted or recouped as of December 2017 and 2018	28	113-114





## Preface

This Report for the years ended 31<sup>st</sup> March 2018 and 31<sup>st</sup> March 2019 has been prepared for submission to the Government of Himachal Pradesh in terms of Technical Guidance and Support to audit of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (CAG's) Duties, Powers and Conditions of Service (DPC) Act, 1971.

The Report contains significant results of the audit of the Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the State including the departments concerned.

The issues noticed in the course of test audit done for the period 2017-18 and 2018-19, as well as those issues which came to notice in earlier years but could not be dealt within the previous reports have also been included, wherever necessary.

The audit has been conducted in conformity with auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General of India.



# **OVERVIEW**



## OVERVIEW

This Report comprises of two parts containing four chapters. Chapters 1 and 2 pertain to Panchayati Raj Institutions and Chapters 3 and 4 pertain to Urban Local Bodies. A synopsis of important audit findings is presented in this overview.

### PART A: Panchayati Raj Institutions (PRIs)

In accordance with the provisions under the Constitution (Seventy Third Amendment) Act, 1992, a three tier Panchayati Raj System structure *viz.* Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level and Zila Parishad at district level was established under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. Functions relating to 15-line departments have been assigned by the State Government to PRIs.

#### Chapter 1: Profile of Panchayati Raj Institutions

- Primary audit of Panchayati Raj Institutions (PRIs) is being undertaken by the Director, HP State Audit Department (HP SAD). The State Government has entrusted (March 2011) audit of PRIs to the Comptroller and Auditor General (CAG) with the responsibility of providing technical guidance and support under section 20(1) of the CAG's (DPC) Act, 1971.  

*(Paragraph 1.2)*
- There are 12 Zila Parishads (ZPs), 78 Panchayat Samitis (PSs), and 3,226 Gram Panchayats (GPs) in the State as on 31 March 2019.  

*(Paragraph 1.3)*
- The Panchayati Raj Institutions (PRIs) have technical and non-technical staff in various cadres. There are 413 vacant posts in PRIs against total sanctioned posts of 9,465 as of March 2019.  

*(Paragraph 1.3.2)*
- The resource base of PRIs consists of (i) Central Finance Commission (CFC) grants, (ii) State Finance Commission (SFC) grants, (iii) Central Government grants and (iv) State Government grants for developmental activities and implementation of schemes. The funds of ₹ 1,457.99 crore and ₹ 1,757.57 crore were allotted to the PRIs for the years 2017-18 and 2018-19 respectively.  

*(Paragraph 1.4.1)*
- With regard to accounting system in PRIs, the State Government adopted (March 2011) PRIASoft, a software developed by MoPR, for maintaining the accounts of PRIs as per the Model Accounting Structure.  

*(Paragraph 1.5)*
- During 2017-19, 457 PRIs were audited by the HP SAD whereas the internal audits of 4,843 PRIs were conducted by the Audit Wing under Director, Panchayati Raj during the above period.  

*(Paragraph 1.7)*

## Chapter 2: Results of audit of Panchayati Raj Institutions

During the years 2017-18 and 2018-19, audit of three ZPs, nine PSs, 45 GPs and three ZPs, seven PSs, 103 GPs was conducted respectively. Audit of PRIs highlighted:

- Differences between figures of receipts and expenditure furnished to audit and those uploaded on PRIASoft.  
*(Paragraph 2.1.2)*
- Non-reconciliation of balances of cashbook with bank statements.  
*(Paragraph 2.1.4)*
- Non-depositing of liquor cess amounting to ₹ 12.26 lakh in Account-A.  
*(Paragraph 2.1.6(ii))*
- Funds of ₹ 1.37 crore remained unspent due to non-commencement of works.  
*(Paragraph 2.3.1)*
- Funds of ₹ 1.95 crore remained unspent due to non-completion of works.  
*(Paragraph 2.3.2)*
- Funds of ₹ 5.12 crore received under 13th Finance Commission remained unutilised on account of non-start of works, incomplete works and non-release of funds.  
*(Paragraph 2.3.3)*
- Funds of ₹ 8.16 crore under 14th FC remained unutilised owing to non-completion of works.  
*(Paragraph 2.4.1)*
- Delay in release of wages amounting to ₹ 57.11 lakh under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for period ranging between 15 and 518 days.  
*(Paragraph 2.6)*
- One hundred twenty-two PRIs purchased material costing to ₹ 8.74 crore without inviting quotations/ tenders.  
*(Paragraph 2.10)*
- Irregular payment of Government money amounting to ₹ 72.39 lakh was done in 35 Gram panchayats.  
*(Paragraph 2.11)*

## PART B: Urban Local Bodies (ULBs)

The 74<sup>th</sup> Constitutional (Amendment) Act, 1992 paved the way for decentralisation of power, transfer and devolution of more functions and funds to the ULBs. The objective was to make the ULBs self-reliant and to provide better civic facilities to the people of areas under their jurisdiction. To implement the provisions of the said Act, the Government of Himachal Pradesh enacted the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. In Himachal Pradesh, 17 functions stand transferred to ULBs.

### Chapter 3: Profile of Urban Local Bodies

- Primary audit of Urban Local Bodies (ULBs) is being undertaken by the Director, HP State Audit Department (HP SAD). The State Government has entrusted (March 2011) audit of ULBs to the Comptroller and Auditor General (CAG) with the responsibility of providing technical guidance and support under section 20(1) of the CAG's (DPC) Act, 1971.  
(Paragraph 3.2)
- There are two Municipal Corporations, 31 Municipal Councils (MCs) and 21 Nagar Panchayats (NPs) in the State as on 31 March 2019.  
(Paragraph 3.3)
- There are 1,230 vacant posts in Urban Local Bodies (ULBs) against total sanctioned posts of 3,749 in various cadres as of March 2019.  
(Paragraph 3.3.2)
- For execution of various development works, ULBs receive funds in the form of grants mainly from (a) Central Finance Commission (CFC) grants, (b) State Finance Commission (SFC) grants, (c) Central Government grants and (d) State Government grants. Besides, revenue is also mobilised by the ULBs in the form of taxes, rent, fees, etc. The funds of ₹ 433.52 crore and ₹ 794.91 crore were allotted to the ULBs for the years 2017-18 and 2018-19 respectively.  
(Paragraph 3.4.1)
- During 2017-18 and 2018-19, 25 and 26 ULBs respectively were audited by the HP SAD whereas there is no provision for a separate and independent internal audit agency under the control of the Director, Urban Development to conduct internal audit of ULBs.  
(Paragraph 3.6)

### Chapter 4: Results of audit of Urban Local Bodies

During the years 2017-18 and 2018-19, audit of two Municipal Corporations, six Municipal Councils, four Nagar Panchayats and two Municipal Corporation, seven Municipal Councils, five Nagar Panchayats was conducted respectively. Audit of ULBs *inter alia* highlighted:

- Due to ineffective monitoring, revenue of ₹ 11.80 crore on account of house tax in 17 ULBs remained unrealised.  
(Paragraph 4.5.1(a))
- Rent due from shops, booths and stalls amounting to ₹ 14.75 crore remained unrealised in 21 ULBs.  
(Paragraph 4.5.2)
- MC Shimla failed to realise lease money of ₹ 1.74 crore from shops and stalls.  
(Paragraph 4.5.5)
- Funds amounting to ₹ 8.97 crore under AMRUT, ₹ 2.67 crore under PMAY and ₹1.00 crore under NULM remained unutilized.  
(Paragraph 4.6)

- In three ULBs, funds amounting to ₹ 4.74 crore under 13<sup>th</sup> & 14<sup>th</sup> Finance Commission and 4<sup>th</sup> State Finance Commission remained unutilized.  
*(Paragraph 4.6.4)*
- Funds amounting to ₹ 14.52 crore remained unspent in twelve test checked ULBs due to non-completion/ commencement of works.  
*(Paragraph 4.6.5)*
- Funds amounting to ₹ 4.41 crore received for execution of sewerage schemes were lying unspent in two ULBs depriving public of the sewerage facilities.  
*(Paragraph 4.6.6)*
- Non-allotment of 73 houses in MC Nalagarh resulted in unfruitful expenditure of ₹ 3.12 crore and non-realisation of beneficiary share of ₹ 1.36 crore.  
*(Paragraph 4.8)*
- Utilisation Certificates of ₹ 3.97 crore were not obtained in two ULBs.  
*(Paragraph 4.14)*
- Six ULBs sanctioned advances of ₹ 32.21 crore during 2015-18 without adjustment of previous advances.  
*(Paragraph 4.16)*



**CHAPTER-1**  
**PROFILE OF PANCHAYATI RAJ**  
**INSTITUTIONS**



## PART-A PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs)

### CHAPTER-1 PROFILE OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

#### 1.1 Background

The Constitution (73<sup>rd</sup> Amendment) Act, 1992 accorded constitutional status to the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and established a structure of self-governing institutions at the rural level, with regular elections and flow of funds through Finance Commissions. The Act came into force in April, 1993. To implement the provisions of the said Act, the Government of Himachal Pradesh enacted the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and framed the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 and the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 to enable these institutions to work as the third tier of Government. States were expected to devolve funds, functions and functionaries to these bodies so as to enable them to function as institutions of Local Self Government. Twenty-nine functions (**Appendix-1**) listed in the Eleventh Schedule of the Constitution were to be devolved to PRIs, along with funds and functionaries. PRIs were required to prepare plans and implement schemes for socio-economic development, particularly for those functions listed in the Eleventh Schedule of the Constitution.

The activity map for devolving functions, funds and functionaries (3Fs) of 15-line departments was notified vide notification No. PCH-HA (3)/9/2006, dated 19 October, 2009. Although all 29 functions relating to these 15-line departments (**Appendix-2**) have been assigned to PRIs, matching funds and functionaries have not been provided to the PRIs<sup>1</sup>.

#### 1.2 Audit mandate of the CAG

In Himachal Pradesh, primary audit of Panchayati Raj Institutions (PRIs) is being undertaken by the Director, HP State Audit Department (HP SAD). The State Government has entrusted (March 2011) audit of PRIs to the Comptroller and Auditor General (CAG) with the responsibility of providing technical guidance and support under section 20(1) of the CAG's (DPC) Act, 1971. The results of audit are included in the Annual Technical Inspection Report (ATIR), which is to be placed before the State Legislature as per Section 118 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. The Annual Technical Inspection Report for the year ended 31 March 2017 has been placed in the State Legislature on 29 August 2019.


#### 1.3 Organisational structure of Panchayati Raj Institutions

There are 12 Zila Parishads (ZPs), 78 Panchayat Samitis (PSs) and 3,226 Gram Panchayats (GPs) in the State, as of March, 2019. The chart below depicts the organisational structure of the State Government, Panchayati Raj Department and the Panchayati Raj Institutions at the Zila Parishad (ZP), Panchayat Samiti (PS) and Gram Panchayat (GP) level.

---

<sup>1</sup> Stated by Director, Panchayati Raj (July 2019).

### Organisational set up



The chairpersons of ZPs and PSs, and the Pradhans of GPs are elected representatives and head the ZPs, PSs, and GPs respectively. District level officers are required to attend monthly meetings of the ZPs.

#### 1.3.1 Standing Committees

The various Standing Committees in PRIs and their roles and responsibilities are given in **Table-1** below:

**Table-1: Roles and responsibilities of the Standing Committees**

Level of PRIs	Standing Committee headed by	Name of Standing Committees	Role and responsibilities of the Standing Committee
Zila Parishad	Chairman	General Standing Committee	Performs functions relating to establishment matters, communications, etc.
		Finance, Audit and Planning	Performs functions relating to finances of Zila Parishad.
		Social Justice Committee	Performs functions like promotion of educational, economic, social, cultural and other interests of SCs/ STs/ OBCs.
		Education and Health Committee	Undertakes planning of education in the district within the framework of the national policy and National and State plans.
		Agriculture and Industries Committee	Performs functions relating to agriculture and promotion of industrial development of the district.

Level of PRIs	Standing Committee headed by	Name of Standing Committees	Role and responsibilities of the Standing Committee
Panchayat Samiti	Chairman	General standing committee	Performs functions relating to the establishment matters.
		Finance, Audit and Planning	Performs functions relating to finances of the Panchayat Samiti.
		Social Justice committee	Performs functions like promotion of educational, economic, social, cultural and other interests of SCs/ STs/ OBCs.
Gram Panchayat	Pradhan or Up-Pradhan	Works Committee	All development works of the Gram Panchayat are executed by this committee.
		Budget Committee	Prepares the annual budget of the Gram Panchayats and submits the same to the Secretary.

Source: The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

### 1.3.2 Institutional arrangements for the implementation of schemes

The Panchayati Raj Institutions (PRIs) have technical and non-technical staff in various cadres as per detail given in the table below:

**Table: Details of Technical and Non-technical staff of PRIs**

Technical and Non-technical staff		2018-19
Sanctioned Posts	<b>Total</b>	<b>9,465</b>
	Regular	2,755
	Contractual	6,710
In position	<b>Total</b>	<b>9,052</b>
	Regular	2,754
	Contractual	6,298
Vacant Posts	<b>Total</b>	<b>413 (as of March 2019)</b>
	Junior Engineer	30
	Assistant Engineer	01
	Panchayat Chowkidar	02
	Takniki Sahayak	86
	Panchayat Secretary	294

During 2017-19, 685 and 103 Panchayat Secretaries/ Sahayaks respectively were imparted basic computer training courses by the Panchayati Raj Department.

## 1.4 Financial profile

### 1.4.1 Fund flow to PRIs

#### Fund flow: Source and custody of funds in PRIs

The resource base of PRIs consists of (a) Central Finance Commission (CFC) grants, (b) State Finance Commission (SFC) grants, (c) Central Government grants and (d) State Government grants for developmental activities and implementation of schemes.

The funds allotted to the PRIs for the period from 2014-15 to 2018-19 are detailed in **Table-2:**

**Table-2: Time series data on resources of PRIs**

		(₹ in crore)					
Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	Own Revenue	73.08	107.21	119.26	152.43	137.52	
2.	Loan	10.59	3.23	4.33	2.17	1.86	
3.	Finance Commission (FC) grants from Central Government (CFC) & grants from Central Government	167.03	197.87	306.05	312.60	361.63	
4.	Finance Commission (FC) grants from State Government (SFC) & grants from State Government	77.70	109.70	133.33	179.83	239.38	
5.	Grants for Centrally Sponsored Schemes	Centre Share	511.86	403.36	659.99	720.72	829.09
		State Share	65.21	52.61	76.46	36.62	138.49
6.	State Government grants for State Schemes	17.99	23.64	48.18	53.22	49.07	
7.	Other receipts	0.46	0.42	0.48	0.40	0.53	
<b>Total</b>		<b>923.92</b>	<b>898.04</b>	<b>1,348.08</b>	<b>1,457.99</b>	<b>1,757.57</b>	

Source: Director, Panchayati Raj and Rural Development Department, and Economics & Statistics Department.

**Central Government grants:** There are nine Centrally Sponsored Schemes namely (i) National Rural Livelihood Mission (NRLM) (ii) Swarnjayanti Gramin Swarojgar Yojna (SGSY) (iii) Rural Self Employment Training Institute (RSETI) (iv) Indira Awas Yojna (IAY)/ Pradhan Mantri Awas Yojna-G (PMAY-G) (v) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) (vi) Swachh Bharat Mission-G (SBM-G) (vii) Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) (viii) Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojna (DDU-GKY) and (ix) Integrated Watershed Management Programme (IWMP). Non-release of funds under SBM during 2017-18 and 2018-19 was attributed (August 2021) by Rural Development Department to previous funds lying unspent in Districts/Blocks.

The position of funds allocated to PRIs under Centrally Sponsored Schemes is given in **Table-3** below:

**Table-3: Position of funds allotted to the PRIs for Major Centrally Sponsored Schemes**

		(₹ in crore)				
Name of scheme	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
IAY/PMAY(G)	19.10	34.10	30.47	58.16	20.53	<b>162.36</b>
NRLM/SGSY	--	1.08	4.79	12.04	18.91	<b>36.82</b>
MGNREGA	394.33	387.68	440.56	610.55	890.85	<b>2,723.97</b>
SBM	151.72	5.75	130.33	--	--	<b>287.80</b>
PMKSY	--	5.14	83.91	29.81	26.71	<b>145.57</b>
DDU-GKY	--	--	44.24	46.40	7.70	<b>98.34</b>
<b>Total</b>	<b>565.15</b>	<b>433.75</b>	<b>734.30</b>	<b>756.96</b>	<b>964.70</b>	<b>3,454.86</b>

Source: Director, Rural Development Department (RDD).

**State Government grants:** Four schemes namely (i) Rajiv Awas Yojna (RAY) (ii) Mukhya Mantri Awas Yojana (MMAY) (iii) Matri Shakti Bima Yojana (MSBY) and (iv) Mukhya Mantri Awas Repair Yojana (MMARY) are 100 *per cent* State Sponsored Schemes. No funds were released during 2018-19 under Rajiv Awas Yojana (RAY) because this scheme was merged with Mukhya Mantri Awas Yojana (MMAY) in 2018-19. The position of funds allotted to the PRIs under these schemes for the period from 2014-15 to 2018-19 is detailed in **Table-4** below:

**Table-4: Position of funds allotted to the PRIs for Major State Schemes**

						(₹ in crore)
Name of scheme	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
RAY/MMAY	10.00	17.50	36.00	41.00	42.19	<b>146.69</b>
MSBY	--	1.49	1.38	1.42	3.58	<b>7.87</b>
MMARY	--	--	--	3.00	3.30	<b>6.30</b>
<b>Total</b>	<b>10.00</b>	<b>18.99</b>	<b>37.38</b>	<b>45.42</b>	<b>49.07</b>	<b>160.86</b>

Source: Director, Rural Development Department (RDD).

While Central and State grants are utilised by the PRIs for execution of Central and State Sponsored schemes as per guidelines issued by the GOI<sup>2</sup> and State Government, the own receipts of PRIs are utilised for execution of schemes and works formulated by the PRIs. Central and State schemes are implemented by the Gram Panchayats which are under the control of Panchayati Raj Department, but the funds are released by the Rural Development Department to the Gram Panchayats directly or through District Rural Development Agencies (DRDAs). The District Rural Development Agencies release the funds to Block Development Officers who further distribute them to Gram Panchayats for various activities. The funds allotted to the PRIs through different sources are kept in banks.

#### 1.4.2 Application of resources: trends and composition

The application of resources (amounts released to PRIs by Department of Panchayati Raj, and amount of expenditure incurred by PRIs out of the funds released by Department of Rural Development) by PRIs for the period from 2014-15 to 2018-19 is detailed in **Table-5** below:

**Table-5: Sector-wise application of resources**

							(₹ in crore)
Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	Own Revenue	322.85*	313.51*	401.08*	470.31*	525.07*	
2.	Loan						
3.	Expenditure from Finance Commission (FC) grants from Central Government (CFC) & grants from Central Government	167.03	197.87	306.05	312.60	361.63	
4.	Expenditure from grants for Centrally Sponsored Schemes	562.85	516.11	711.73	702.73	961.17	
5.	Expenditure from Finance Commission (FC) grants from State Government (SFC) & grants from state govt	77.70	109.70	133.33	179.83	206.65	
6.	Expenditure from State Government grants for State Schemes	17.65	19.01	35.41	32.44	49.07	
7.	Expenditure from Other Receipts	0.46	0.42	0.48	0.40	0.53	
<b>Total</b>		<b>1,148.54</b>	<b>1,156.62</b>	<b>1,588.08</b>	<b>1,698.31</b>	<b>2,104.12</b>	

Source: Director, Panchayati Raj and RDD, Himachal Pradesh, and Economics & Statistics Department.

\* Disaggregated figures are not available with the Department. These figures also include closing balance.

<sup>2</sup> Government of India.

It may be noted that all the funds provided by the Panchayati Raj Department to the PRIs have been shown as expenditure, instead of actual expenditure at ground level. The exact figures of expenditure by the PRIs were not available with the Panchayati Raj Department. Further, it was noticed that the Department had not prescribed any periodic returns to review/control expenditure by the PRIs, which resulted in weak control mechanism and irregularities in functioning of PRIs as discussed in Chapter-2.

The actual utilisation of funds in 57 PRIs test-checked by Audit for the period 2014-15 to 2016-17 ranged between 64 and 72 *per cent* and in 113 PRIs test-checked by Audit for the period 2015-16 to 2017-18 ranged between 57 and 61 *per cent* as detailed in **Table-6 (i)** and **(ii)** below:

**Table-6 (i): Utilisation of funds in test-checked PRIs during 2017-18 for the period 2014-15 to 2016-17**

(₹ in crore)				
Year	Budget Estimates	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)	Percentage of expenditure
2014-15	55.23	38.26	16.97(-)	69
2015-16	89.40	64.33	25.07(-)	72
2016-17	88.74	56.77	31.97(-)	64

Source: Figures furnished by the test-checked PRIs.

**Table-6(ii): Utilisation of funds in test checked PRIs during 2018-19 for the period 2015-16 to 2017-18**

(₹ in crore)				
Year	Budget Estimates	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)	Percentage of expenditure
2015-16	129.40	73.19	56.21(-)	57
2016-17	131.94	74.85	57.09(-)	57
2017-18	161.44	99.15	62.29(-)	61

Source: Figures furnished by the test-checked PRIs.

## 1.5 Accounting system in PRIs

The PRIs maintain their accounts in the proforma prescribed under the Himachal Pradesh Panchayati Raj General Rules, 1997. Accounts of the Gram Panchayats are maintained by the Panchayat Secretary, appointed by the Director-cum-Special Secretary Panchayati Raj Department, and Panchayat Sahayak, appointed on contract basis by the Chief Executive Officer-cum-Block Development Officer. In case of Panchayat Samitis, the accounts are maintained by the accountants of development blocks. Accounts of ZPs are maintained by the District Panchayat Officer-cum-Secretary, ZP.

The Eleventh Finance Commission (EFC) had recommended that the CAG exercise control and supervision over maintenance of accounts of all the three tiers of PRIs. The CAG and Ministry of Panchayati Raj (MoPR), GOI had recommended a Model Accounting Structure for PRIs in 2009. The State Government adopted (March 2011) PRIASoft, a software developed by MoPR, for maintaining the accounts of PRIs as per the Model Accounting Structure. The Deputy Director (PR Department) stated (July 2019) that accounts are maintained on PRIASoft as recommended by the CAG and MoPR, GOI. Audit observations in respect of implementation of PRIASoft are mentioned in Chapter-2.



## 1.6 Financial reporting and accountability framework of PRIs (Internal Control System)

A sound internal control system contributes to efficient and effective governance. Compliance with financial rules, procedures and directives as well as timeliness and quality of reporting on the status of such compliance are attributes of good governance. The reports on compliance and controls, if effective and operational, assist the PRIs and the State Government in meeting its basic stewardship responsibilities, including strategic planning, decision making and accountability to the stakeholders. Himachal Pradesh Panchayati Raj (HPPR) Rules, 2002 provides that PRIs are required to maintain certain records, registers, forms and accounts. Discrepancies noticed in the internal control system of the PRIs resulting in irregular expenditure/ implementation of works, are discussed in Chapter -2.

## 1.7 Primary audit and Internal audit of PRIs

The Himachal Pradesh State Audit Department (HP SAD) has been empowered to conduct the primary audit of PRIs as per Section 118 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (HPPR) Act, 1994. During 2017-19, 457 PRIs were audited by the HP SAD.

Sub-section (1) of section 118 of the HPPR Act, 1994 also provides that there will be a separate and independent internal audit agency under the control of the Director, Panchayati Raj to audit the accounts of PRIs with a view to ensure proper control on income and expenditure. The position of internal audits conducted by the Audit Wing under Director, Panchayati Raj during the years 2017-18 and 2018-19 is given in **Table-7** below:

**Table-7: Position of Internal Audits during 2017-18 and 2018-19**

Name of Institution	Total units	No. of units planned for audit		No. of units audited		No. of units not audited		Percentage of shortfall (-)/ excess (+)	
		2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
Zila Parishad	12	0	08	0	04	0	04	0	(-) 50
Panchayat Samiti	78	39	62	36	44	03	18	(-) 8	(-) 29
Gram Panchayat	3,226	1,613	2,821	2,140	2,703	--	118	(+) 33	(-) 4

Source: Director, Panchayati Raj Department.

It was noticed that the audit wing under Director, Panchayati Raj had not planned internal audit of ZPs during 2017-18.

## 1.8 Technical Guidance and Support

The audit of PRIs has been entrusted to the CAG under Section 20 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971 with the responsibility of providing Technical Guidance and Support (TGS) to the Primary Auditors as per sections 152-154 of Regulations on Audit and Accounts, 2007 with regard to annual audit plans, audit methodology and procedures, training and capacity building, reporting and submission of returns.

Audit Plans for the years 2017-18 and 2018-19 were received from the Primary Auditor (Director, HP SAD) and noted for the process of audit planning in this office.

Primary Auditor (Director, HP SAD) adhered to the audit methodology and procedures for audit as prescribed in Section 80 of the HPPR (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowance) Rules, 2002.

During 2017-19, 45 inspection reports from the audit of the PRIs conducted by the Primary Auditor were reviewed by the Office of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh. Inspection Reports were evaluated and recommendations were made for improvement and subsequent follow-up. The following recommendations were made:

- i. Reference to rules may be mentioned clearly in separate paragraphs while raising objections.
- ii. Audit memos may be issued to the auditee unit.
- iii. The reply of the Secretary, Gram Panchayat may be incorporated in audit paras.

It may be noted that some similar recommendations for improvement had been made during previous years, but the shortcomings persisted indicating that HP SAD had not taken adequate steps to address the same.

Every year, two days training is imparted to the audit staff of HP State Audit Department (HP SAD) as per their requirement. During 2017-18, 24 participants from HP SAD were imparted training on 8<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> February 2018 on the topics: (i) Statutory provisions regarding finance, taxation and recovery of claims (ii) PRIs funds, their operation, application and investment (iii) Budget, expenditure and stores (iv) Audit and inspection (v) Panchayati Raj Public Works Rules and (vi) Introduction to MNREGA and its operational guidelines. During 2018-19, 25 participants from HP SAD were imparted training on 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> March 2019 on the topics: (i) PRIASoft (Accounting system in PRIs) (ii) Works Audit of ULBs and PRIs; and (iii) Drafting of audit requisitions, Key document and Audit Reports of ULBs and PRIs.

## **1.9 Audit coverage**

During the year 2017-18, test-check of accounts and records of 57 PRIs was conducted by this office and reports were issued to the respective PRIs. This included three ZPs (out of 12), nine PSs (out of 78) and 45 GPs (out of 3,226) (**Appendix-3(i)**) selected on the basis of periodicity and expenditure. During the year 2018-19, test-check of accounts and records of 113 PRIs was conducted by this office and reports were issued to the respective PRIs. These included three ZPs (out of 12), seven PSs (out of 78) and 103 GPs (out of 3,226) (**Appendix-3(ii)**) selected on the basis of periodicity and expenditure. Important audit findings are discussed in Chapter-2.

## **1.10 Inspection reports and audit paras pending compliance**

As a result of audit of PRIs under TGS, 2,454 inspection reports (IRs) containing 16,968 paras were issued by the Office of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh to the PRIs concerned as of March 2019.

Of these, one IR and 86 paras were settled/ deleted leaving 2,453 IRs and 16,882 paras pending compliance as of March 2019. The details are given in **Table-8** below:

**Table-8: Outstanding Inspection Reports and Audit Paras**

Sl. No.	Year of issue of Inspection Reports	IRs/ Paras Outstanding as on 31 March 2018		Addition during the year 2018-19		Total		No. of IRs/ paras settled/ deleted during 2018-19		No. of IRs/ Paras outstanding as on 31 March 2019	
		IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras
1.	Up to 2014-15	1,989	12,754	-	-	1,989	12,754	1	74	1,988	12,680
2.	2015-16	155	1,322	-	-	155	1,322	-	7	155	1,315
3.	2016-17	140	1,019	-	-	140	1,019	-	1	140	1,018
4.	2017-18	57	506	-	-	57	506	-	1	57	505
5.	2018-19	-	-	113	1,367	113	1,367	-	3	113	1,364
<b>Total</b>		<b>2,341</b>	<b>15,601</b>	<b>113</b>	<b>1,367</b>	<b>2,454</b>	<b>16,968</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>2,453</b>	<b>16,882</b>

Correspondence is being undertaken regularly with PRIs and Panchayati Raj Department to settle outstanding IRs/Paras, despite this the number of outstanding paras has increased. Increasing trend of outstanding inspection reports and paras is indicative of inadequate attention towards compliance to audit observations, and weak control mechanism. The Department should pay adequate attention towards compliance/ settlement and follow up of audit observations in order to minimise recurring nature of irregularities in the PRIs.



**CHAPTER-2**  
**RESULTS OF AUDIT OF**  
**PANCHAYATI RAJ**  
**INSTITUTIONS**



## CHAPTER-2

### RESULTS OF AUDIT OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

The deficiencies noticed during audit of Panchayati Raj Institutions conducted in 2017-18 and 2018-19 are discussed in the succeeding paragraphs.

The cases pointed out are based on the test check conducted by Audit. The Department may initiate action to examine similar cases and take necessary corrective action.

#### 2.1 Accounting System

##### 2.1.1 Implementation of PRIASoft and maintenance of National Asset Directory (NAD) during 2017-18

(i) The State Government adopted PRIASoft (March 2011), a software developed by Ministry of Panchayati Raj (MoPR), for maintaining the accounts of PRIs as per the Model Accounting System. The Director, Panchayati Raj Department had also directed (January 2012) all the Block Development Officers to implement the PRIASoft accounting system in the Gram Panchayats. Training on PRIASoft to officials of Gram Panchayats had also been provided.

In 18 out of 45 test-checked GPs (**Appendix-4**), Audit observed that maintenance of accounts on PRIASoft accounting system had started but accounts for the period April 2017 to January 2018 were not being maintained on PRIASoft.

In reply, the Secretaries of the GPs concerned stated (September 2017-January 2018) that the accounts could not be maintained on PRIASoft due to non-connectivity of broadband network in GPs.

It was also noticed that in 22 out of 45 test-checked GPs (**Appendix-4**), only three registers (register of annual receipt and payment account, consolidated abstract register, and monthly reconciliation statement) out of eight Model Accounting System registers were being maintained on PRIASoft while five registers (register of receivables and payables, register of immovable property, register of movable property, inventory (stock) register, and register of demand, collection and balance) were not being maintained. Books of accounts such as Journal Book, Ledger Book and Cheque receipts register were also not being maintained in these Gram Panchayats. Thus, PRIs were not fully adopting the PRIASoft defeating the purpose of transparent accounting.

In reply, the Secretaries of the GPs stated (September 2017-January 2018) that the accounts would be maintained shortly on PRIASoft.

(ii) National Asset Directory (NAD) aims to keep stock of all the assets created, controlled and maintained by the PRIs for their effective utilization. Joint Director-cum-Deputy Secretary, Panchayati Raj Department directed (June 2015) that National Asset Directory (NAD) is to be maintained by all PRIs in the State and that information of all assets created by PRIs may be uploaded on NAD application.

Audit noticed that in 40 out of 45 test checked GPs (except 5 GPs<sup>1</sup>), information of assets created by PRIs was not being uploaded on NAD application resulting in lack of effective monitoring of assets.

In reply, the Secretaries of GPs stated (September 2017-January 2018) that entries on NAD application would be started shortly.

### **2.1.2 Discrepancies noticed in Accounting System**

#### **Differences between figures of receipts and expenditure in bank pass book/ manual cashbook and that uploaded on PRIASoft.**

(i) During 2017-18, it was noticed that in 21 test-checked PRIs, the figures of balance in bank pass book for the year 2016-17 did not match with the figures uploaded on PRIASoft. There was a difference of ₹ 1.37 crore (Figures in PRIASoft were more in 09 PRIs by ₹1.08 crore and less in 12 PRIs by ₹0.29 crore.) in the figures of balance in bank pass book and that of uploaded on PRIASoft (**Appendix-5(i)**). Deviation in figures ranged between 0.08 and 219 *per cent*. The deviation was particularly high in GPs Jamni (219 *per cent*), Bandli (120 *per cent*) and Kotla Khanula (104 *per cent*). The deviations raise questions over the reliability of financial information being maintained.

(ii) During 2018-19, eleven out of 12 Zila Parishads, 73 out of 78 Panchayat Samitis and all Gram Panchayats (3,226) were maintaining their accounts on PRIASoft as per information supplied by Panchayati Raj Department.

It was noticed in 93 (82 *per cent* of test-checked PRIs) out of 113 test-checked PRIs (**Appendix-5(ii)**) that the figures of receipts and expenditure for the year 2017-18 furnished by these PRIs did not match with the figures uploaded on PRIASoft. There was a difference of ₹25.13 crore in the figures of receipt and ₹13.19 crore in the figures of expenditure. Deviation in figures of receipts ranged between 0.47 and 117.07 *per cent* and that of expenditure ranged between 0.13 and 335.69 *per cent*. The deviation was particularly high in GPs Kotlu (117.07 *per cent*), Khundiyan (115.52 *per cent*) and Hal (83.09 *per cent*) in figures of receipts and similarly in GPs Jhakled (335.69 *per cent*), Balol (329.31 *per cent*) and Salihar (265.18 *per cent*) in case of expenditure. The large deviations raise questions over the reliability of financial information being maintained on PRIASoft.

The Chief Executive Officers/the Panchayat Secretaries concerned stated (July 2018-February 2019) that differences would be sorted out and records would be maintained properly in future whereas the Secretaries of GP Gondhla and Gosal stated (August 2018) that the entry was not done smoothly in lack of proper internet connectivity and other technical services, but effort was being made to complete the entry.

### **2.1.3 Non-maintenance of registers**

Rule 31 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 stipulates that every PRI shall maintain important records, registers, forms, etc., as detailed in rule 34 of HP Panchayati Raj (General) Rules, 1997.

---

<sup>1</sup> GPs Sayari, Sakori, Chammo, Hinner and Pokhri.



(i) During 2017-18, it was observed that out of 57 test checked PRIs, in 35 GPs and three Panchayat Samitis (**Appendix-6**), important registers like stock register, immovable property register, muster roll register, temporary advance register, travelling allowance register, contingency expenditure register, grants-in-aid register, cheque issue and receipt register, etc., were not maintained during 2017-18.

(ii) During 2018-19, it was observed that out of 113 test checked PRIs, in 94 GPs (82 per cent of test-checked PRIs) (**Appendix-6**), important registers like stock register, immovable property register, muster roll register, temporary advance register, stationary register, honorarium register, travelling allowance register, contingency expenditure register, grants-in-aid register, cheques issue and receipt register, etc. were not maintained by these GPs. Due to non-maintenance of these records, correctness of the relevant financial transactions could not be ascertained by audit.

The CEOs/the Panchayat Secretaries concerned stated (September 2017-February 2019) that these records would be maintained in future.

#### **2.1.4 Non reconciliation of balances of cashbook with bank statements**

Rule 15 (10) (b) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 provides that reconciliation of balances of cash book and bank accounts is required to be conducted every month. Any difference shall be explained and accounted for in a footnote in the cashbook.

Audit noticed in 2017-18 and 2018-19 that difference between balances of cash books and bank pass books amounting to ₹2.87 crore in 22 PRIs (**Appendix-7**) at the close of the year 2016-17 and ₹26.61 crore in 73 PRIs (**Appendix-7**) at the close of the year 2017-18 was not reconciled. Significant differences of ₹41.52 lakh and ₹38.11 lakh were noticed in GPs Nalka and Goyla respectively in 2017-18 whereas differences of ₹131.74 lakh, ₹287.99 lakh and ₹967.62 lakh were noticed in ZPs Hamirpur, Shimla and Kangra respectively in 2018-19.

Also, it was noticed in 2018-19 that in ZP Hamirpur, General and Panchayat Nidhi cashbooks showed more balance and 13th FC cashbook showed less balance in comparison to bank pass book. Similarly, In GP Dhakgaon, General and Panchayat Nidhi cashbooks showed more balance and 14th FC cash book showed less balance in comparison to bank pass book. In view of the huge differences in balances, the authenticity of accounts of these PRIs could not be relied upon and there might be chances of money received and spent through cash transactions being misappropriated or embezzled.

The CEOs/the Secretaries of the 22 PRIs (audited in 2017-18) concerned stated (October-December 2017) that the differences would be reconciled shortly. The CEOs/the Secretaries of the 73 PRIs (audited in 2018-19) concerned stated (July 2018-February 2019) that the differences would be reconciled shortly whereas the Secretary, ZP Kangra stated (January 2019) that non-reconciliation of bank pass book and cash book was due to lack of staff.

#### **2.1.5 Irregularities in Cashbook and non-routing of transactions through cash book**

Under rule 7 of Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002, the Secretary of the Gram Panchayat shall maintain a Cash Book in Form-14 of the General Rules. Entries in the cash book shall be made simultaneously with each item of income and expenditure on the

date of transaction. For each item of expenditure, a receipt which will be called voucher shall be obtained setting forth full and clear particulars, duly attested by the Pradhan and maintained in the appropriate files. Over-writing and erasures shall be strictly prohibited. The vouchers shall be numbered, and serial number of vouchers shall be changed after close of the financial year and new serial number of vouchers for the current financial year shall be given. Every voucher should bear resolution number and date, vide which the expenditure was authorized by the Gram Panchayat.

(a) During 2017-18, it was noticed in GP Wakna (Solan district) that ₹ 1.00 lakh was withdrawn from bank account no. 100834001002430 of Jogindra Central Co-operative Bank in February 2013. Amount was neither entered in the cash book nor was any voucher of the transaction made available to Audit.

In reply, the Secretary stated (October 2017) that the matter would be taken up with the bank authorities and balance as per cash book and pass book would be reconciled. The reply is not acceptable as funds were withdrawn during 2012-13 and the Secretary was required to reconcile the bank balance with the balance as per cash book at the end of financial year.

(b) During 2017-18, it was noticed in GP Sayari (Solan district) that 0.59 lakh was transferred from general cash book in December 2012 to MGNREGS cash book. Amount was neither entered in the MGNREGS cash book nor was any voucher regarding expenditure of this amount shown to audit.

In reply, the Secretary stated (October 2017) that the matter would be scrutinized. The reply is not tenable as more than three years had elapsed, but the amount had not been accounted for in the cash book.

(c) During 2018-19, it was noticed that irregularities such as non-mentioning dates and numbers of vouchers, non-making the list of all income & expenditures at the year end, cuttings/ overwriting, use of erasers and fluids, non-attestation of vouchers, non-verification of closing balance of cashbooks, non-entering the payment made by cheques in chronological way, etc. were found in 35 GPs<sup>2</sup>.

The Panchayat Secretaries concerned stated (September 2018-January 2019) that Cash book would be maintained as per rules in future.

(d) During 2018-19, it was noticed in three GPs (Lalung, Fariyan and Deothi) that cash books and vouchers were not maintained for the years 2013-14 to 2015-16, 2015-16 and 2004-14 respectively.

The Secretary, GP Lalung stated (September 2018) that cash book for this period 2013-14 to 2015-16 was not present in the office as the previous Secretary had not handed over the same. In respect of non- maintenance of vouchers, it was stated that the online vouchers were maintained by Takniki Sahayak and the vouchers would be shown to audit later. The Secretary, GP Fariyan stated (December 2018) that cash book for that year would be got prepared by then Panchayat Secretary whereas the Secretary, GP Deothi stated

---

<sup>2</sup> GPs Kelong, Ghodna, Barwala, Barbog, Dadas, Ghoond, Dhalli, Bawat, Gosal, Muling, Junga, Gondhla, Kuthar, Badhal, Chopal, Pujarli (Beolia), Bagain, Khangsar, Baloh, Kiran, Kyar, Kyari, Khurik, Dhugyari, Pujarli-3, Bandi, Garoh, Tangnu Janglikh, Chebdi, Kotlu, Harsi, Sihal, Khangteri, Salihar and Kardang.

(September 2018) that these records were not in the office as vigilance enquiry was going on against then Panchayat Secretary.

### 2.1.6 (i) Improper maintenance of accounts of income from own resources, grants-in-aid and loans

Rule 4(1) of The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 provides that every GP, PS and ZP is required to maintain separate accounts of income from own resources such as rent, all taxes, duties, cesses, fees imposed and realised under the Act (Account 'A'), and income from grants-in-aid, funds allocated for development works or special purposes, loans, share of taxes, fees, cess allocated for specific purpose by the State Govt. and other income (Account 'B'). Also, the interest earned on funds deposited in Account-B shall be transferred to Account-A in the month of January and July every year.

It was noticed during 2017-18 and 2018-19 that 115 GPs<sup>3</sup> and 15 PSs<sup>4</sup> out of 170 test checked PRIs were not maintaining such accounts in the prescribed format and all transactions were carried out through a single account in contravention of the rule *ibid*. In absence of separate account 'A' and 'B', correctness of figures of income from own resources, grants-in-aid and loans received could not be verified. The Chief Executive Officers/ Panchayat Secretaries concerned assured (September 2017-January 2019) to maintain separate accounts in the prescribed format in future.

### 2.1.6 (ii) Non-depositing of liquor cess in Account 'A'

During 2018-19, it was observed that in 10 GPs, liquor cess amounting to ₹12.26 lakh (Appendix-8) collected was not deposited in Account 'A'. The liquor cess was the part of own revenue of GPs and could be utilised in other developmental activities. The Panchayat Secretaries concerned stated (August-November 2018) that the amount of liquor cess would be deposited in Account 'A' soon.

### 2.1.7 Non-depositing of receipts in bank account/ Gram Panchayat Fund

Rule 6(3) of HPPR Rules, 2002 provides that all moneys received and spent on behalf of the Gram Panchayat shall be credited into and withdrawn from the Gram Panchayat Fund.

It was noticed during 2017-18 in GP Sayari (Block Kandaghat, District Solan) that the GP received ₹0.24 lakh as own receipts during 2014-17. Secretary had not deposited the receipts in the bank/ Gram Panchayat Fund and rather incurred expenditure of ₹0.23 lakh from these

<sup>3</sup> **2017-18: 42 GPs** Nor, Goyla, Karadsu, Chammo, Bandli, Wakna, Mandalgarh, Kutahchi, Khilra, Sulpur Jaboth, Kalahod, Dhawal, Dhanalag, Darpa, Pipli, Bhawguri, Tunan, Pokhri, Nalka, Takrasi, Fanauti, Kot, Sakori, Galu, Utpur, Jugahan, Tandi, Tunna, Jadla, Aihju, Shirar, Sarahan, Pangan, Nirmand, Jamni, Kotla Khanula, Sayari, Barchwar, Basha, Santhal Padain, Karana and Noun.

**2018-19: 73 GPs** Karevthi, Kuddu, Chadoli, Deothi, Manjholi, Sawad, Malendi, Sihal, Sarpara, Ladoh, Dhugyari, Poling, Bandi, Gharoh, Khaira, Jaipidi Mata, Kadoa, Manjholi Tipper, Thana, Mogra, Badehar, Kanda Banah, Gangot, Goral Dhar, Kasba Jagir, Barwala, Kothi, Katlah, Khairiyar, Kardang, Barbog, Salihar, Khangteri, Ghodna, Upper Thehru, Balol, Kotlu, Bhapu, Harsi, Ghahad, Balor, Jhikli Ichhi, Ustehad, Khangsar, Dhalli, Kyar, Bagain, Bhaloh, Saddu Bargan, Pujarli(3), Gosal, Ghoond, Muling, Junga, Gondhala, Chebdi, Pujarli (Beolia), Kaloond, Ballah, Makdoli, Diyana, Jagothi, Milakh, Jangal, Nerna, Kuthar, Khundiyan, Hatwas, Mamu Gurchaal, Jhakled, Darcha, Kelong and Dadas.

<sup>4</sup> **2017-18:** Eight PSs Dharampur; Naggar; Gopalpur, Anni, Chauntra, Sundernagar, Gohar, and Nirmand.  
**2018-19:** Seven PSs Nankhari, Rohru, Nagrota Surian, Lambagaon, Indora, Fatehpur and Theog.

receipts on office expenses and refreshment of GP members. Expenditure from own receipts without crediting into Gram Panchayat Fund was contrary to the rule *ibid*.

In reply, the Secretary stated (October 2017) that receipts were utilised without crediting into GP Fund due to lack of awareness about rules.

### **2.1.8 Non-preparation of estimates for developmental works**

Rule 94 of the HP Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 stipulates that estimates for all works costing more than ₹25,000 but less than ₹50,000/- shall be prepared by the Takniki Sahayak and for works costing more than ₹50,000/- shall be prepared by Junior Engineer. Further the above rates have been revised in March 2017 that all works costing upto ₹3,00,000/- shall be prepared by the Takniki Sahayak and for works costing more than ₹3,00,000 /- and upto ₹5,00,000/- shall be prepared by Junior Engineer. All the works costing more than ₹50,000/- shall be taken by the Panchayat for execution only after the administrative approval and technical sanction on the estimates prepared by the Panchayats.

It was noticed during 2018-19 that estimates for different works such as construction/ repair of panchayat ghar, community hall, public toilet, protection wall, path, irrigation tank, kuhal, etc. worth ₹2.28 crore pertaining to the period from 2013 to 2018, were not prepared to obtain the administrative approval and technical sanction for execution of the same and copies of estimates were not found in eight GPs<sup>5</sup>.

The Panchayat Secretaries concerned stated (September 2018-January 2019) that copies of estimates were sent to Block Development Officers for sanction of first instalment and in future copies of the same would be kept in the records.

### **2.1.9 Non-accounting of material**

#### **Material of ₹0.44 crore was not accounted for in the stock register.**

Under rule 69 of HPPR Rules, 2002, all stores when received are required to be examined, counted, measured or weighed, as the case may be, at the time of taking delivery and should be entered in the stock register immediately. A certificate to the effect is also required to be given at the end of the entries for each single day by the official in charge of stores authorised by the Gram Panchayat or the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, stating that the stores have been received in proper condition and according to specifications. In the event of stores found surplus, the same should be indicated as additional receipt and shortages, if any, should be indicated in red ink. Further, rule 70 of the HPPR Rules, 2002 *ibid* stipulates that article of stores shall be issued against proper indents.

It was observed during 2017-18 that in 12 out of 45 test checked GPs, items of stores such as steel, timber, furniture, hardware items, solar lights, street lights, sports items, heaters, etc. purchased during 2011-17 at a cost of ₹0.44 crore were not accounted for in the stock registers (**Appendix-9**). This was indicative of poor record maintenance on the part of GPs and the possibility of pilferage or loss as a result of non-accounting of these stores cannot be ruled out.

---

<sup>5</sup> GPs Barbog: ₹27.88 lakh, Darcha: ₹64.14 lakh, Muling: ₹15.30 lakh, Gosal: ₹21.32 lakh, Khangsar: ₹7.84 lakh, Gondhla: ₹20.88 lakh, Kardang: ₹48.75 lakh and Bagain: ₹21.60 lakh.

In reply, the Secretaries of GPs concerned stated (October 2017-January 2018) that the items would be entered in the stock registers. The fact, however, remains that there was absence of proper check over maintenance of store records by the GPs concerned.

### 2.1.10 Non-conducting of Physical Verification

Under rule 73(1) of HP Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002, physical verification of all stores shall be conducted by the Pradhan in the case of Gram Panchayat and by the Secretary concerned in case of Panchayat Samiti or Zila Parishad, at least once in six months and invariably in April, every year. The results of the verification shall be recorded in writing. During the verification in April, the condition of each article shall be indicated against it in the stock register.

Scrutiny of records showed that in 59 (**Appendix-10**) out of the test checked 170 PRIs (audited during 2017-18 and 2018-19), physical verification of stores and stock had not been conducted. Due to non-conducting of physical verification actual position of stores/ stock was not verified by the concerned PRIs.

In reply, the Executive officer and the Secretaries of PRIs concerned stated (October 2017-March 2019) that the physical verification of stores and stock would be conducted shortly.

## 2.2 Revenue

### 2.2.1 Non-recovery of House Tax

**133 out of 148 test-checked GPs (audited during 2017-18 and 2018-19) did not realise house tax of ₹58.63 lakh.**

Rule 33 of The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 provides that the Secretary of the GP shall see that all revenues are correctly, promptly and regularly assessed, realised and credited to the accounts of the Panchayat concerned; and section 114 of HP Panchayati Raj Act, 1994 provides that any person evading the payment of any tax, fee, rate or amount due shall be punishable with fine.

Audit noticed that in 39 out of 45 test checked GPs in 2017-18, house tax amounting to ₹15.96 lakh (**Appendix-11**) upto 2016-17 was not recovered as of March 2018 and in 94 out of 103 GPs test checked in 2018-19, house tax amounting to ₹42.67 lakh (**Appendix-11**) up to the end of year 2017-18 was not recovered as of March 2019. Moreover, the GPs had not taken any action to levy penalty on the defaulters for non-payment of house tax in terms of Section 114 of HP Panchayati Raj Act, 1994. This had deprived the GPs concerned from their due share of revenue. The accumulation of arrears indicates ineffectiveness of GPs in collection of revenue.

The Secretaries concerned stated (September 2017-March 2019) that efforts would be made to recover the outstanding house tax.

### 2.2.2 Outstanding rent

#### **(i) Seventeen PRIs failed to realise rent due from shops amounting to ₹19.80 lakh.**

ZPs, PSs and GPs maintain shops in their jurisdiction, and these are rented out on monthly rental basis.

Scrutiny of records revealed that in seven PRIs (audited during 2017-18) (**Appendix-12**), an amount of ₹9.99 lakh on account of rent from 25 shops (for the period 2013-14 to 2016-17) was outstanding as of March 2018 and in 10 PRIs (audited during 2018-19) (**Appendix-12**), an amount of ₹9.81 lakh on account of rent from 45 shops (for the period 2006-07 to 2017-18) was outstanding as of March 2019. This indicated that timely collection of shop rent had not been given due attention by these PRIs, resulting in loss of revenue.

The CEOs/the Secretaries of PRIs concerned stated (September 2017-March 2019) that outstanding rent would be recovered from the defaulters.

#### **(ii) Loss of revenue due to non-revision of shop rent ₹1.16 lakh.**

During 2018-19, scrutiny of records revealed that ZP Kangra at Dharamshala had rented out nine shops during March-May 2014. As per clause no. 03 of the agreement made with tenants of shops, shop rent was not enhanced at the rate of 10 *per cent* by ZP. This resulted in loss of revenue of ₹1.16 lakh as of January 2019. The Secretary, ZP Kangra stated (January 2019) that recovery of rent would be made shortly.

### 2.2.3 Non-recovery of duty for installation of Mobile Towers

#### **Revenue of ₹13.51 lakh on account of installation and renewal fees of mobile towers remained unrealised in 48 test-checked GPs.**

The Government of Himachal Pradesh vide notification no. DIT. Dev-(IT) 2005(Misc.) dated 22<sup>nd</sup> August 2006 authorised GPs to levy duty on installation of mobile communication towers in their jurisdiction at the rate of ₹ 4,000 per tower and to collect annual renewal fee at the rate of ₹2,000 per tower. Further as per notification no. DIT. Dev-(IT) 2005 (Misc.) 96 dated 21 June 2017, the rate for installation and renewal fee was increased to ₹10000 and ₹5000 respectively.

Audit noticed during 2017-18 and 2018-19 that in 48 out of 148 test-checked GPs, 81 mobile towers were installed during 2001-18 but installation and renewal fees amounting to ₹13.51 lakh (**Appendix-13**) had not been recovered from the mobile companies (The same issue has been highlighted under para 2.1.3 in ATIR for the year ending March 2015, para 2.2.3 in ATIR for the year ending March 2016 and para 2.2.3 in ATIR for the year ending March 2017). This deprived the GPs of their due share of revenue. The Secretaries of the GPs stated (September 2017-March 2019) that action would be taken shortly to recover the dues.

## 2.2.4 Non deduction of TDS

**Eighteen PRIs made payment to contractors without deducting TDS amounting to ₹1.55 lakh.**

Section 194 (c) of the Income Tax Act, 1961 provides that any payment made to contractors exceeding ₹30,000/- as single time payment and aggregating ₹1,00,000/- during the financial year is liable to deduction of Tax Deduction at Source (TDS) @ one *per cent* from individuals and two *per cent* from firms/companies of the total payment.

During scrutiny of records in 18 PRIs audited during 2017-18 and 2018-19, it was noticed that payment amounting to ₹1.04 crore was made to contractors/firms for use of JCB and carriage of materials such as stone, sand etc. during the period 2012-18 without deducting TDS of ₹1.55 lakh (**Appendix-14**).

In reply, the Secretaries of eight PRIs<sup>6</sup> (audited in 2017-18) concerned stated (September-December 2017) that TDS could not be deducted due to lack of awareness of Income Tax Rules and the same would now be recovered from the concerned contractors and deposited with the Government. The Secretaries of eight GPs<sup>7</sup> (audited in 2018-19) concerned stated (July-November 2018) that TDS would be recovered from concerned contractors whereas the secretaries of GPs (Chadoli and Goral Madawag) stated (August 2018) that TDS would be deducted from bills of contractors in future.

## 2.3 Blocking of funds

### 2.3.1 Blocking of funds due to non-commencement of works

**Funds of ₹1.37 crore remained unspent due to non-commencement of works.**

(a) During 2017-18, it was noticed that in seven out of 45 test checked GPs (**Appendix-15(i)**), an amount of ₹26.02 lakh was received (2012-17) for execution of 19 development works under various schemes. However, no expenditure was incurred on execution of these works as of October 2017. Non-utilisation of funds for developmental activities resulted in blocking of funds in these Gram Panchayats besides depriving the beneficiaries of the intended benefits.

The Secretaries of the GPs concerned stated (September-October 2017) that works could not be started as the process of transfer of land was not completed.

(b) During 2018-19, it was noticed that in 38 out of 113 test checked PRIs, an amount of ₹1.11 crore (**Appendix-15(ii)**) was received during 2012-19 for execution of 112 developmental works such as playground, rain shelter, mahila mandal, road, ambulance road, community hall, public toilet, etc. under various schemes viz. 5th Rajya Vit Ayoge (Zila Parishad/Panchayat Samiti), Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLAD), Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojana (MMAGY), Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojna (VKVNY), State Disaster Response Fund (SDRF), etc. However, no expenditure was incurred on execution of these works as of September 2018 and the funds

<sup>6</sup> **2017-18:** ZP Solan, GPs Pokhri, Karana, Takrasi, Fanuati, Nor, Tunan and Kot.

<sup>7</sup> **2018-19:** GPs Naldehra, Deothi, Chalahal, Vaish (Piplidhar), Chebdi, Khamadi, Khabal and Diyana.

were lying with concerned PRIs. Thus, non-utilisation of funds for developmental activities resulted in blocking of funds, besides depriving the beneficiaries of the intended benefits of the schemes.

The Assistant Commissioner, PS Rohru and the Secretaries of the GPs<sup>8</sup> concerned stated (July-December 2018) that works could not be started due to land issues. The Secretaries of GPs<sup>9</sup> stated (July 2018-March 2019) that the works would be started soon, and the funds would be utilised shortly. The Secretary GP Balor stated (November 2018) that the work could not be started as there was no path to reach the site and it was not possible to send raw material to the site, but the path was near completion and the work would be started soon whereas the Secretary GP Ghodna stated (September 2018) that NOC from the forest department was not received, efforts were being made to obtain the same.

The replies are not tenable as codal formalities such as process for transfer/ availability of land should have been completed before getting the works sanctioned.

### **2.3.2 Unutilised funds due to non-completion of works**

#### **Funds of ₹1.95 crore remained unspent due to non-completion of works in 59 PRIs.**

(a) During 2017-18, it was noticed that in 15 out of 57 test-checked PRIs, against an amount of ₹1.90 crore received for execution of 118 works (scheduled for completion within three to 12 months) during 2011-17 under various schemes, expenditure of ₹0.93 crore was incurred, and the balance amount of ₹0.97 crore (51 *per cent*) was lying unutilised as of January 2018 (**Appendix-16(i)**). This had resulted in non-achievement of intended benefits to the public.

The Executive Officer/the Secretaries of PRIs concerned stated (September 2017 – January 2018) that works could not be completed due to land disputes and litigations. Some works were in progress and would be completed shortly. The replies are not acceptable as these works remained incomplete even after lapse of one to six years from the date of sanction.

(b) During 2018-19, it was noticed that in 44 out of 103 test-checked GPs audit noticed that against an amount of ₹2.34 crore (**Appendix-16(ii)**) received for execution of 121 works such as mahila mandal, playground, public toilet, community hall, pucca path, road, ambulance road, etc. during 2007-18 under various schemes viz Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS), Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLAD), Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojana (MMAGY), Satluj Jal Vidyut Nigam limited (SJVNL), Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojna (VKVNY), etc., expenditure of ₹1.36 crore was incurred and the balance amount of ₹0.98 crore (42 *per cent*) was lying unutilised till the date of audit (July 2018- March 2019).

The Secretaries of 39 GPs<sup>10</sup> stated (July 2018-February 2019) that works were in progress and would be completed shortly whereas the Secretary, GP Salihar stated (October 2018) that

---

<sup>8</sup> GPs Shingla, Khamadi, Jhakled, Nerna, Jangal, Vaish, Khabal, Mogda, Ramnagar, Majholi Tipper, Mandal, Chebdi, Pujarili-3, Saddu Bargan, Sarpara, Bhapu, Balol, Naldhera, Salihar, Diudi Mala and Karevathi.

<sup>9</sup> GPs Pujarli (Beolia), Japidi Mata, Khaira, Junga, Kakrain, Malendi, Bhaloh, Goral Madawag, Kyari, Chadoli, Kiran, Badhal and Gangot.

<sup>10</sup> GPs Daimlu, Hal, Langcha, Chebdi, Majholi Tipper, Kanda Banah, Khamadi, Chalahal, Shingla, Goral Madawag, Kyari, Deothi, Naldehra, Khangteri, Kiran, Neerath, Chadoli, Badhal, Gangot, Khaira, Poling, Chawada-2, Kakrain, Ballah, Makdoli, Diyana, Milakh, Nerna, Goral Dhar, Hatwas, Kothi, Kotlu, Kadoo, Rehan, Saddu Bargan, Ladoh, Ustehad, Jhikli Ichhi, Sawad.



the work could not be completed due to land dispute and litigation. The Secretary, GP Pujarli-3 stated (July 2018) that the works could not be completed due to shortage of workers whereas the Secretary GPs Dol, Sarpara and Datnagar stated (August-December 2018) that works were incomplete due to shortage of funds.

The replies are not acceptable as these works had remained incomplete even after lapse of one to three years from the date of sanction.

### 2.3.3 Unutilised funds received under 13<sup>th</sup> Finance Commission

**Funds of ₹5.12 crore received under 13<sup>th</sup> Finance Commission remained unutilised in 22 PRIs on account of non-start of works, incomplete works and non-release of funds.**

As per guidelines of the 13<sup>th</sup> Finance Commission (13<sup>th</sup> FC), grants released by GOI to the State Government were to be transferred to PRIs within 15 days from the date of their credit into the account of the State and the works approved thereof were to be completed within a period of three months from the date of their sanction. During 2017-18, audit noticed the following:

(i) In five out of nine test-checked Panchayat Samitis, against an amount of ₹1.07 crore received under 13<sup>th</sup> FC during 2012-16 for 128 developmental works, an amount of ₹0.57 crore was released to the executing agencies (Gram Panchayats) and the balance amount of ₹0.50 crore (47 per cent) was still lying unutilized with the Panchayat Samitis as of December 2017 (**Appendix-17**). The Executive Officers of PSs concerned stated (September-December 2017) that these works were in progress and balance amount would be released shortly for completion of works.

(ii) In four PRIs<sup>11</sup> ₹2.00 crore was received during 2013-16 under 13<sup>th</sup> FC for 146 development works which had not been taken up for execution as of January 2017. The entire amount remained blocked with the PRIs as of November 2017. The Executive Officers/ Secretaries of the PRIs concerned stated (September-November 2017) that the works could not be taken up for execution due to non-availability of land and court cases.

(iii) Out of ₹1.02 crore received during 2006-17 under 13<sup>th</sup> FC by six test-checked PRIs, ₹0.71 crore was further released to various executing agencies while ₹0.31 crore remained unutilized<sup>12</sup> with these PRIs. The Executive Officers/Secretaries of these PRIs concerned stated (September-December 2017) that directions would be issued to executing agencies to complete the pending works.

(iv) Panchayat Samiti Chauntra (District Mandi) was sanctioned ₹0.47 crore under 13<sup>th</sup> FC during 2013-16 for installation of Solar lights in various Gram Panchayats. Scrutiny revealed that the office had neither purchased any solar lights nor released any amount to the Gram Panchayats. The entire amount of ₹0.47 crore remained blocked, and the beneficiaries were deprived of the intended benefits of the scheme. In reply, the Executive Officer concerned stated (October 2017) that the matter of authorizing refund of the unutilized amount would be

<sup>11</sup> ZP Solan: ₹1.87 crore; PSs Dharampur: ₹0.07 crore; Gohar: ₹0.04 crore and GP Pipli: ₹0.02 crore.

<sup>12</sup> GPs Tandi: ₹0.87 lakh; Barchwar: ₹0.23 lakh; Jamni: ₹0.94 lakh; Santhal Padain: ₹0.83 lakh; PSs Sundernagar: ₹8.72 lakh and Dharampur: ₹19.14 lakh.

taken up with higher authorities. The reply is not tenable as the amount should have been utilized within the financial year as per the guidelines of the 13<sup>th</sup> Finance Commission.

(v) In six out of 57 test-checked PRIs funds amounting to ₹6.74 crore were received during 2013-17 under 13<sup>th</sup> Finance Commission. Funds amounting to ₹4.90 crore were released/utilised during above period while ₹1.84 crore remained un-utilised<sup>13</sup> with these PRIs. The Executive Officers/ Secretaries of the PRIs concerned stated (September-October 2018) that funds could not be utilised due to shortage of labour as multiple works were running simultaneously under MGNREGS. The reply is indicative of poor planning resulting in non-utilization of the funds within the stipulated time period.

The above instances of blockade and non-utilization of funds had resulted in non-completion of works in time and non-achievement of intended benefits to the public at large. This shows poor implementation and poor fund management by the PRIs.

### **2.3.4 Diversion of funds received under 13<sup>th</sup> Finance Commission**

#### **Three PSs diverted funds amounting to ₹0.15 crore during 2012-16.**

Scrutiny of records in 2017-18 revealed that in three<sup>14</sup> out of nine test-checked PSs, funds amounting to ₹14.79 lakh received under 13<sup>th</sup> Finance Commission were diverted during 2012-16 to works such as other construction works, washing of seat covers and curtains of vehicles, expenses for diesel for vehicle which were not permissible as per 13<sup>th</sup> Finance Commission guidelines.

The Executive Officers stated that (November-December 2017) works were sanctioned on the recommendation of Panchayat Samiti members and sanction had been accorded by the competent authority. The reply is not acceptable as expenditure was incurred on works not permissible as per 13<sup>th</sup> Finance Commission guidelines.

### **2.4 Unutilised funds received under 14<sup>th</sup> Finance Commission**

#### **2.4.1 Blocking of funds due to non-completion of works**

#### **Funds of ₹8.16 crore under 14<sup>th</sup> FC remained unutilised in 78 out of 170 test-checked PRIs during 2017-18 and 2018-19 owing to non-completion of works.**

As per guidelines of the 14<sup>th</sup> FC, grants released by the GOI to the State Government were to be transferred to the PRIs within 15 days from the date of their credit into the account of the State. Audit noticed the following:

(a) During 2017-18, it was noticed that in 28 out of 45 test-checked GPs funds amounting to ₹4.79 crore (**Appendix-18(i)**) were received during 2015-17 under 14<sup>th</sup> Finance Commission. Funds amounting to ₹1.43 crore were utilised during above period whereas ₹3.36 crore remained unutilised with these GPs due to non-receipt of approved shelf of works for the year 2015-16 from the District Panchayat Officer. The Secretaries of the GPs concerned stated (October 2017-January 2018) that the amount would be utilised shortly. The reply is

---

<sup>13</sup> PSs Chauntra: ₹40.34 lakh, Dharampur: ₹89.54 lakh; Kandaghat: ₹8.64 lakh and Gopalpur: ₹34.41 lakh; GPs Bhawguri: ₹8.36 lakh and Chammo: ₹3.35 lakh.

<sup>14</sup> PSs Nirmand: ₹5.84 lakh, Gohar ₹0.15 lakh and Naggar: ₹8.80 lakh.

indicative of poor planning resulting in non-utilization of the funds within the stipulated time period.

(b) During 2018-19, it was noticed that in 50 out of 103 test checked GPs, ₹10.24 crore (**Appendix-18(ii)**) were received during 2015-18 under 14<sup>th</sup> FC. Funds amounting to ₹5.44 crore were utilised during above period and a sum of ₹4.80 crore (47 per cent) remained unutilized with these GPs. Thus, it is the indicative of poor planning resulting in non-utilisation of the funds within the stipulated period. The Secretaries of the GPs concerned stated (September 2018-March 2019) that fund could not be utilised due to late passage of 14th Finance Commission's shelf, but remaining amount would be utilised shortly.

#### 2.4.2 Blocking of funds due to non-commencement of works

**Funds of ₹75.05 lakh under 14<sup>th</sup> FC remained unutilised in 10 out of 170 test-checked PRIs during 2017-18 and 2018-19 owing to non-commencement of works.**

(a) During 2017-18, it was noticed in three out of 45 test checked GPs (**Appendix-19(i)**) that funds amounting to ₹37.93 lakh were received during 2015-17 under 14<sup>th</sup> Finance Commission for various development works which had not been taken up for execution as of March 2017. The entire amount remained blocked with the PRIs as of January 2018.

The Secretaries of Gram Panchayats concerned stated (October-December 2017) that works could not be taken up for execution due to non-availability of labour and works would be started shortly.

(b) During 2018-19, it was noticed in seven (GPs Khundiyan, Badehar, Langcha, Hal, Daimul, Pujarli (Beolia) and Jangal) out of 103 test checked GPs that funds amounting to ₹37.12 lakh (**Appendix-19(ii)**) were received during 2015-18 under 14<sup>th</sup> Finance Commission for various development works but these fund had not been utilised as of March 2018. The entire amount remained blocked with the GPs till the date of audit.

The Secretaries concerned stated (August 2018-March 2019) that fund would be utilised shortly whereas the Secretary of GP Khundiyan stated (October 2018) that works could not be taken up for execution due to land issues. Thus, funds under 14<sup>th</sup> FC were not utilised within stipulated period resulting in non-achievement of intended facilities.

#### 2.5 Blocking of funds under National Rural Health Mission

**Funds of ₹3.99 lakh remained unutilised under National Rural Health Mission.**

During 2017-18, audit noticed in 27 GPs (13 GPs in Mandi and 14 GPs in Kullu) out of 45 test checked GPs that received funds amounting to ₹4.17 lakh during 2011-17 under National Rural Health Mission (**Appendix-20**). Expenditure of ₹0.18 lakh only was incurred during 2011-17 leaving balance amount of ₹3.99 lakh unutilised as of January 2018 with the concerned Gram Panchayats. 24 GPs did not utilise funds for a period of two to five years without any reasons on record, thereby hampering the intended purposes.

The Secretaries of GPs concerned stated (September 2017-January 2018) that the amount received under National Rural Health Mission would be utilised as per guidelines.

## 2.6 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

### 2.6.1 Delay in release of wages

**Payment of wages amounting to ₹57.11 lakh in 14 GPs to labourers was delayed for period ranging between 15 and 518 days.**

As per section 3 of MGNREGA Act 2005, referred in para 8.3.1 of MGNREGA Operational guidelines 2013, workers are required to be paid wages on a weekly basis and in any case not beyond a fortnight from the date on which work was done. In case of delay beyond a fortnight, workers were entitled for compensation as per the provisions of 'Payment of Wages Act, 1936'.

Audit noticed that during the years 2012-18, 14 GPs made payment of ₹57.11 lakh (**Appendix-21**) to workers under MGNREGS after a delay ranging between 15 and 518 days beyond the permissible period of a fortnight. However, no compensation was paid to the labourers for delayed payment. Thus, due to delay in payment, persons who sought employment under MGNREGS were subjected to undue hardship and were also deprived of the compensation which was legally entitled to receive.

The Secretaries of the GPs concerned stated (January-March 2019) that delay in payment of wages of workers was due to delay in getting funds from the development block office whereas the Secretaries of GPs Kakrain, Poling and Sawad stated (February-March 2019) that the payments would be timely made in future.

### 2.6.2 Doubtful/ double payment of wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

**Ten GPs showed deployment of same labourers on different works in same period indicating doubtful payment of ₹2.27 lakh.**

It was noticed in two GPs (in 2017-18) and in eight GPs (in 2018-19) that same labourers were shown as having been deployed on different works and different muster rolls in the same period during 2010-17 indicating doubtful deployment and double payment of wages of ₹0.59 lakh<sup>15</sup> and ₹1.68 lakh<sup>16</sup> respectively under MGNREGS. Deployment of same labourers on different works in the same period is indicative of inadequate and ineffective internal control mechanism and negligence on the part of the GPs.

The Secretaries of the GPs concerned stated (September 2017-September 2018) that the matter would be investigated.

### 2.6.3 Expenditure on wages of labourers without completing muster rolls/ Non-obtaining of muster rolls from District Panchayat Officer and other irregularities.

Rule 102 (1) and (2) of the HP Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 stipulates that when the works of Panchayat to be executed departmentally by daily labour, the Secretary or any other officer/ official under him shall maintain a muster-roll. These muster rolls shall be printed by

<sup>15</sup> GPs Goyla: ₹0.54 lakh and Sayari: ₹0.05 lakh.

<sup>16</sup> GPs Kardang: ₹0.05 lakh, Barbog: ₹0.13 lakh, Darcha: ₹1.05 lakh, Kuthar: ₹0.24 lakh, Ghodna: ₹0.05 lakh, Kyar: ₹0.06 lakh, Junga: ₹0.06 lakh and Pujarali: ₹0.04 lakh.

the District Panchayat Officer and the Panchayat shall obtain the muster-roll forms from the District Panchayat Officer by placing a requisition as per its requirement.

(a) During 2017-18, audit noticed that in GP Basha, Block Kandaghat, District Solan ten workers were deployed on construction of water harvesting tank during 2012-13 and expenditure of ₹0.15 lakh was incurred on their wages. Contrary to provision *ibid*, muster-roll issued for this work was incomplete. The name of work for which this muster-roll was issued, and attendance of workers was not found marked. In the absence of marking of attendance of workers, payment of wages to labourers cannot be admitted as genuine and the possibility of misappropriation cannot be ruled out.

The Secretary of GP stated (November 2017) that appropriate action would be taken.

(b) During 2018-19, audit noticed that in 15 GPs<sup>17</sup>, muster rolls were not being obtained from the District Panchayat Officer and were printed by Gram Panchayats. Moreover, neither serial number nor date and description of work had been mentioned on these muster rolls.

The Secretaries of the GPs (Langcha, Lalung, Daimul, Khurik and Hal) stated (August-September 2018) that muster rolls were brought from private vendors due to unawareness of the rule whereas the Secretaries of the GPs<sup>18</sup> stated (August-September 2018) that muster rolls would be collected and maintained as per rules in future.

#### **2.6.4 Excess payment against muster roll amounting to ₹0.38 lakh**

Audit noticed that in five GPs<sup>19</sup>, excess wages amounting to ₹0.38 lakh were paid to daily wage workers due to marking of their attendance on the 31st of months having 30 days only. Moreover, in case of GP Barbog, irregular payment of ₹0.03 lakh was made without entering the name of workers in the muster roll whereas in case of GP Keylong, ₹0.01 lakh was paid without obtaining signature of workers in the muster roll.

The Secretaries of the GPs concerned stated (August-September 2018) that appropriate action would be taken in this regard after investigating the matter whereas the Secretary, GP Daimul stated (August 2018) attendance on the 31st day on muster roll was made by mistake and the excess payment made would be recovered.

#### **2.6.5 Payment by 11 GPs to workers without documentary proof**

Rule 50 of HPPR Rules, 2002 stipulates that separate acknowledgment, stamped where necessary, shall be taken from the person receiving payment at the time of making payment and shall be attached to the voucher concerned.

(i) Audit noticed in 2017-18 that out of 45 test checked GPs, in nine GPs<sup>20</sup> wages amounting to ₹5.06 lakh were paid to 15 workers during 2011-15 without taking acknowledgement

<sup>17</sup> GPs Langcha, Lalung, Daimul, Khurik, Hal, Ghodna, Bagain, Pujarli, Darcha, Khangsar, Gosal, Muling, Gondhla, Barbog and Keylong.

<sup>18</sup> GPs Pujarli, Ghodna, Darcha, Bagain, Khangsar, Gosal, Muling, Gondhla, Barbog and Keylong.

<sup>19</sup> GPs Khangsar: ₹0.14 lakh, Daimlu: ₹0.02 lakh, Darcha: ₹0.02 lakh, Barbog: ₹0.18 lakh and Keylong: ₹0.02 lakh.

<sup>20</sup> GPs Noun: ₹0.55 lakh; Aihju: ₹0.03 lakh; Kotla Khanula: ₹0.99 lakh; Tunna: ₹0.69 lakh; Tandi: ₹0.17 lakh; Kalahod: ₹0.03 lakh; Khilra: ₹0.19 lakh; Kutahchi: ₹1.28 lakh and Bandli: ₹1.13 lakh.

receipt (signature) of the workers on the muster rolls. The payment of ₹5.06 lakh was therefore doubtful, and the possibility of misappropriation cannot be ruled out. The Secretaries of the GPs concerned stated (October 2017-January 2018) that appropriate action would be taken and intimated to audit.

(ii) Out of 45 test checked GPs audited during 2017-18, in two<sup>21</sup> GPs payment amounting to ₹0.50 lakh was made to elected members of the Gram Panchayats as honorarium during 2011-16 without taking acknowledgement receipt (signature). The Secretaries of the GPs concerned stated (September-November 2017) that the matter would be investigated, and action would be taken as per rules.

In the absence of acknowledgement receipts, it could not be ascertained that payment was made to the actual beneficiaries/ workers.

## **2.7 Doubtful expenditure of ₹2.89 lakh**

As per rule 47 of HPPR Act, 2002 every payment, including repayment of money previously lodged in the Panchayat Fund, for whatever purpose, shall be supported by a voucher setting forth full and clear particulars and proper classification in the accounts.

During 2017-18, scrutiny of records showed that out of 45 GPs, in four GPs<sup>22</sup> expenditure of ₹2.89 lakh was incurred during 2012-15 on works under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and for making various payments such as payment of electricity bills, renovation of Panchayat Ghar, repair of computer, payment of solar lights, etc., whereas bills and vouchers were not produced to Audit. In the absence of vouchers, the expenditure could not be verified, and the possibility of misappropriation cannot be ruled out.

The Secretaries of GPs concerned stated (September-November 2017) that vouchers would be traced and kept in the file. Reply is not acceptable as every payment is to be supported by a voucher.

## **2.8 Non-adjustment of temporary advances of ₹9.24 lakh**

As per rule 189 (1) to (4) of Himachal Pradesh Financial Rules 2009, Head of the Office is authorised to sanction advances to a Government servant for purchase of goods or for hiring services or for any other special purpose, as may be prescribed. Rule further provides that adjustment bills along with balances, if any, had to be submitted within 15 days of the withdrawal of advance. Second advance shall not be granted until the Government servant concerned has submitted adjustment account of the first advance.

Audit noticed that temporary advances of ₹9.46 lakh<sup>23</sup> were sanctioned between the period from 1998-99 to 2016-17 for different purpose to Pradhans of seven GPs. Out of these advances, amount of ₹9.24 lakh was pending for adjustment for a period ranging from two to 20 years. Thus, the possibility of misuse of these advances cannot be ruled out.

---

<sup>21</sup> GPs Galu: ₹0.24 lakh and Sulpur Jaboth: ₹ 0.26 lakh.

<sup>22</sup> GPs Basha: ₹1.66 lakh; Sulpur Jaboth: ₹0.14 lakh; Goyla: ₹0.42 lakh; and Sayari: ₹0.67 lakh.

<sup>23</sup> GPs Muling: ₹0.90 lakh (c/o FDA Bhawan), Gondhla: ₹4.50 lakh (c/o Mahila Mandal), Chadoli: ₹0.92 lakh (purchase of sports equipment and construction works), Bagain: ₹0.90 lakh (development work), Kuthar: ₹0.37 lakh (development work), Dadas: ₹0.57 lakh (c/o Panchayat Ghar) and Junga: ₹1.30 lakh (execution of different works).

The Secretaries of GPs stated (August-September 2018) that adjustment of advance would be settled after verification and the same would be intimated to audit.

## 2.9 Non-preparation of budget estimates

Rule 37 of HP Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 stipulates that every Gram Panchayat shall prepare budget estimates of its receipt and expenditure for each financial year in the format prescribed in Form-11. The budget estimates shall be prepared by the Secretary by 15th October of the previous year and submitted to the Gram Panchayat for scrutiny and the same shall be passed by the Gram Sabha by majority vote.

Audit noticed that 30 Gram Panchayats<sup>24</sup> did not prepare budget estimates for the period ranging from 2013-14 to 2017-18 whereas budget estimates for the year 2017-18 was not prepared in GP Barwala.

The Secretaries of the GPs stated (July 2018-January 2019) that budget would be prepared in future. The reply is not acceptable as non-preparation of budget was indicative of lack of financial planning by Panchayats.

## 2.10 Irregular purchase of materials

**122 out of 170 test-checked PRIs during 2017-18 and 2018-19 purchased material costing to ₹8.74 crore without inviting quotations/ tenders.**

Rule 67 (5)(a) and (b) of the HP Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 provides that stores above ₹50,000 may be purchased from the open market by inviting tenders through advertisement in at least two newspapers having wide circulation in the area, and stores above ₹1,000 but less than ₹50,000 by inviting quotations from at least three persons/firms. During 2017-18 and 2018-19, it was observed that in 122 out of 170 test checked PRIs, different materials for construction works, furniture, office equipment, etc. costing ₹8.74 crore (**Appendix-22**) was purchased during the period from 2013-14 to 2017-18 without inviting quotations/tenders. As such the purchases were made without observing the prescribed procedures, the possibility of payment of higher rates could not be ruled out.

The Secretaries/the CEOs<sup>25</sup> concerned of 38 PRIs (audited in 2017-18) stated (September 2017-January 2018) that purchases would be made as per rules in future. The Secretaries concerned of 81 PRIs (audited in 2018-19) stated (July 2018-February 2019) that due to urgency of material, quotation/ tender could not be invited, but purchases would be made as per rules in future whereas the Secretaries of GPs (Harsi, Upper Tehru and Jagothi) stated (June 2018-March 2019) that they were not aware about the rules due to which the materials were purchased without inviting quotation/tender, but in future, the rule would be followed.

<sup>24</sup> GPs Kadoa, Gangot, Thana, Ramnagar, Jaipidi Mata, Kotkayna, Kyari, Kuddu, Tangnu Janglikh, Kiran, Chadoli, Bawat, Goral Madawag, Khangteri, Pujarli-3, Jagothi, Katlah, Kanda Banah, Darcha, Kardang, Kelong, Barbog, Khurik, Daimlu, Lalung, Langcha, Gosal, Gondhala, Khangsar and Hal.

<sup>25</sup> ZP Mandi; PSs Gohar and Kandaghat; GPs Basha, Sakori, Wakna, Sayari, Hinner, Goyla, Chammo, Nalka, Bhawguri, Jadla, Kohila, Fanuati, Pokhri, Takrasi, Karana, Kot, Tunan, Sarahan, Nirmand, Karadsu, Tunna, Tandi, Kutahchi, Kotla Khanula, Noun, Jugahan, Kalahod, Khilra, Dawal, Santhal Padain, Utpur, Galu, Aihju, Pipli and Sulpur Jaboth.

### **2.11 Irregular payment of Government money amounting to ₹72.39 lakh**

Rule 74 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance) Rules, 2002 provides every officer/official of the Panchayat shall be responsible not only for any loss sustained by the Panchayat through fraud or negligence on his part but also for the loss arising out of fraud or negligence on the part of any other servant, to the extent to which it may be shown that he indirectly contributed to the loss by his own action or negligence.

It was observed that in 35 GPs, ₹72.39 lakh (**Appendix-23**) were paid in irregular manner such as payment to Panchayat members for work done as per muster roll and honorarium for attendance in Gram Sabha meeting on the same day, issue of cheques not in name of workers/contractors, payment to contractors without revenue tickets on bills above ₹5000/-, non-obtaining receipts for payment to workers, non-verification of vouchers, etc. Thus, this showed negligence on the part of GPs and resulted in irregular payment to that extent.

The Secretaries concerned stated (September 2018-January 2019) that the discrepancies would be looked into, and the loss would be reconciled shortly. The Secretary, GP Sihali stated (March 2019) that leave salary were allowed as per verbal instruction of higher authorities and compliance for the same would be shown to audit whereas the Secretary, GP Thana stated (July 2018) that due to non-availability of bank accounts of labourers, the cheque of their payment was issued to the Gram Panchayat member. The Secretary, GP Harsi stated (February 2019) that the irregularity was because they were not aware about the rule and non-availability of bank accounts of labourers whereas the Secretary, GP Ghadh stated (March 2019) that in future, all payment would be made in the accounts of labourers.

### **2.12 Irregular payment amounting to ₹5.55 lakh**

Rule 49 of HPPR Rules, 2002 provides that no payment shall be made by a Gram Panchayat either in cash or by means of cheque unless voucher bears a pay order signed or initialled jointly by the Pradhan of Gram Panchayat and the Secretary of the Panchayat concerned. Rule 50 further provides that separate acknowledgement, stamped where necessary, shall be taken from the person receiving payment, at the time of making payment and shall be attached to the voucher concerned and all paid vouchers shall be stamped 'paid', signed and dated by the Secretary to avoid their being used for a second time.

Scrutiny of records during 2017-18 revealed that bills amounting to ₹5.55 lakh produced to audit by six GPs<sup>26</sup> on account of material purchased were irregular in nature. The serial number of bills and dates mentioned therein were not in coherence and vouchers were not stamped 'paid', signed and dated by the Secretary. Separate acknowledgement had not been taken from the persons receiving payment and was not found attached to the voucher concerned. Thus, payment of ₹5.55 lakh was irregular, and reliability of these transactions could not be authenticated by audit.

The Secretaries of the GPs stated (September 2017) that the action would be taken as per rules and intimated to audit. Reply is not tenable as payment should have been made as per rules.

---

<sup>26</sup> GPs Darpa: ₹1.81 lakh, Kotla Khanula: ₹1.38 lakh, Aihju: ₹0.56 lakh, Barchwar: ₹0.82 lakh, Santhal Padain: ₹0.42 lakh, and Noun: ₹0.56 lakh.



**CHAPTER-3**  
**PROFILE OF URBAN LOCAL**  
**BODIES**



**PART-B**  
**URBAN LOCAL BODIES (ULBs)**

**CHAPTER-3**  
**PROFILE OF URBAN LOCAL BODIES**

**3.1 Background**

The Constitution (74<sup>th</sup> Amendment) Act, 1992 paved the way for decentralisation of power and transfer of 18 functions (**Appendix-1**) listed in the Twelfth Schedule of the Constitution along with funds and functionaries to the Urban Local Bodies (ULBs). The Act came into force in June 1993. To implement the provisions of the said Act, the Government of Himachal Pradesh enacted the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. In Himachal Pradesh, 17 functions stand transferred (August 1994) to ULBs (except fire services); however, the corresponding funds and functionaries were yet to be made available to the ULBs.


**3.2 Audit mandate**

In Himachal Pradesh, primary audit of ULBs is being conducted by the Director, HP State Audit Department. The State Government entrusted (March 2011) audit of ULBs to CAG with the responsibility of providing Technical Guidance and Support (TGS) under Section 20(1) of the CAG's DPC Act, 1971. The results of audit are included in Chapter-4.

**3.3 Organisational structure of Urban Local Bodies**

There are two Municipal Corporations, 31 Municipal Councils (MCs) and 21 Nagar Panchayats (NPs) in the State as on 31<sup>st</sup> March 2019.

The overall control of the ULBs rests with the Additional Chief Secretary/ Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through Director, Urban Development. The organisational set-up is as under:



### 3.3.1 Standing committees

Various standing committees involved in financial matters and implementation of schemes are detailed in **Table-9** below:

**Table-9: Roles and responsibilities of the Standing Committees**

Name of the standing committee	Standing committee headed by	Roles and responsibilities of the standing committee
General Standing Committee	Mayor in Municipal Corporation and President in Municipal Council and Nagar Panchayat	Performs functions relating to establishment matters, communications, buildings, urban housing and provision of relief against natural calamities, water supply and all residuary matters.
Finance, Audit and Planning Committee		Performs functions relating to the finances of municipality, framing of budget, scrutinising prospects of increase of revenue and examination of receipts and expenditure statements.
Social Justice Committee	Deputy Mayor in Municipal Corporation and President in Municipal Council and Nagar Panchayat	Performs functions relating to promotion of education and economic, social, cultural and other interests of SC, ST, other backward classes, women and other weaker sections of the society.

Source: The Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

### 3.3.2 Institutional arrangements for implementation of the schemes

In the Directorate of Urban Development, posts of one Project Officer and two Statistical Assistants have been sanctioned in the project section to oversee implementation of various schemes by the ULBs. During 2017-18, posts of Statistical Assistants were vacant.

**Table: Details of Position of staffs of various categories in ULBs**

Year	Sanctioned Posts	Vacant Posts	Percentage of vacancy
2017-18	3,754	1,194	(32 per cent)
2018-19	3,749	1,230	(33 per cent)

## 3.4 Financial profile

### 3.4.1 Fund flow to ULBs

For execution of various development works, ULBs receive funds in the form of grants mainly from (a) Central Finance Commission (CFC) grants, (b) State Finance Commission (SFC) grants, (c) Central Government grants and (d) State Government grants.

Besides, revenue is also mobilised by the ULBs in the form of taxes, rent, fees, etc. The resources of ULBs for the period from 2014-15 to 2018-19 are detailed in **Table-10**:

**Table-10: Time series data on resources of ULBs**

		(₹ in crore)					
Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	Own Revenue	118.04	128.60	173.20	161.18	288.68	
2.	Loan	0.03	0.43	0	0	0.01	
3.	Finance Commission (FC) grants from Central Government (CFC)	22.52	24.55	34.87	30.98	17.92	
4.	Finance Commission (FC) grants from State Government (SFC)	72.40	85.51	99.45	111.36	120.74	
5.	Grants for Centrally Sponsored Schemes	Centre share	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
		State share	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	State Government grant for state schemes	34.55	67.15	75.08	76.62	221.94	
<b>Total</b>		<b>339.02</b>	<b>465.87</b>	<b>755.58</b>	<b>433.52</b>	<b>794.91</b>	

Source: Director, Urban Development Department (UDD) and Economics & Statistics Department.

**Central Government grants:** There are seven Centrally Sponsored Schemes: (i) Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) (ii) Pradhan Mantri Awas Yojana – Housing for All (Urban) (PMAY-HFA Urban) (iii) National Urban Livelihood Mission (NULM) (iv) Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) (v) Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) (vi) Smart City Mission (SCM) and (vii) Swachh Bharat Mission-U (SBM-U).

The position of funds allotted to the ULBs under these schemes for the period from 2014-15 to 2018-19 is detailed in **Table-11** below:

**Table-11: Position of funds allotted to the ULBs for Major Centrally Sponsored Schemes**

		(₹ in crore)				
Name of scheme	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
JNNURM	90.93	92.07	--	3.97	--	<b>186.97</b>
UIDSSMT	0.13	27.75	105.83	--	--	<b>133.71</b>
NULM	--	6.71	6.58	6.86	2.66	<b>22.81</b>
AMRUT	--	22.48	24.06	23.33	36.00	<b>105.87</b>
SCM	--	2.00	208.89	--	78.00	<b>288.89</b>
PMAY-HFA (U)	--	0.73	16.57	19.22	22.06	<b>36.52</b>
SBM-U	--	7.69	11.06	--	6.89	<b>25.64</b>
<b>Total</b>	<b>91.06</b>	<b>159.43</b>	<b>372.99</b>	<b>53.38</b>	<b>145.61</b>	<b>822.47</b>

Source: Director, Urban Development Department (UDD).

**State Government grants:** The position of funds allotted to the ULBs under Major State Schemes for the period from 2014-15 to 2018-19 is detailed in **Table-12**:

**Table-12: Position of funds allotted to the ULBs for Major State Schemes**

(₹ in crore)

Name of scheme	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
World Bank Aided Greater Projects	--	--	--	--	143.53	<b>143.53</b>
Sewerage Schemes	23.00	24.00	32.50	23.42	25.00	<b>127.92</b>
Sewerage Maintenance	5.00	8.40	9.05	20.00	18.21	<b>60.66</b>
Merged area grant	--	3.00	3.00	3.00	3.00	<b>12.00</b>
Parking	--	15.00	9.38	10.00	10.00	<b>44.38</b>
Development of Parks	--	--	9.30	10.00	10.00	<b>29.30</b>
Lakshay Schemes	--	--	1.20	1.20	1.20	<b>3.60</b>
<b>Total</b>	<b>28.00</b>	<b>50.40</b>	<b>64.43</b>	<b>67.62</b>	<b>210.94</b>	<b>421.39</b>

Source: Director, Urban Development Department (UDD).

The funds allotted to the ULBs through various sources are kept in the banks. Central and State grants are utilised by the ULBs for execution of Central and State sponsored schemes as per guidelines issued by GOI and the State Government while the own receipts of ULBs are utilised for administrative expenses and execution of schemes/ works formulated by the ULBs.

### 3.4.2 Application of Resources: Trends and Composition

The application of resources of ULBs for the period from 2014-15 to 2018-19 is detailed in **Table-13** below:

**Table-13: Application of resources sector-wise**

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	Own Revenue	150.78*	167.20*	229.78*	268.17*	370.24*	
2.	Loan						
3.	Expenditure from Finance Commission (FC) grants from Central Government (CFC)	22.52	24.55	34.87	30.98	17.92	
4.	Expenditure from Grants for Centrally Sponsored Schemes	Expenditure from Centre share	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
5.		Expenditure from State share	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	Expenditure from Finance Commission (FC) grants from State Government (SFC)	72.40	85.51	99.45	111.36	120.74	
7.	Expenditure from State Government grant for State schemes	34.55	67.15	75.08	76.62	221.94	
<b>Total</b>		<b>371.73</b>	<b>504.04</b>	<b>812.16</b>	<b>540.51</b>	<b>876.46</b>	

Source: Director, Urban Development Department (UDD) and Economics & Statistics Department.

\* Disaggregated figures are not available with the Department. These figures also include closing balance.

It may be noted that all the funds released by the Urban Development Department to the ULBs have been shown as expenditure, instead of actual expenditure at ground level. The

exact figures of expenditure by the ULBs were not available with the Urban Development Department. Further, it was also noticed that the Department had not prescribed any periodic returns to review/ control expenditure by ULBs, which resulted in weak control mechanism and irregularities in functioning of ULBs as mentioned in Chapter-4.

However, the figures of actual expenditure for 12 ULBs (for the period 2014-15 to 2016-17) and 14 ULBs (for the period 2015-16 to 2018-19) test-checked by Audit have been included in **Table-15(i)** and **(ii)** of Chapter-4.

### **3.5 Financial reporting and accounting framework of ULBs (Internal Control System)**

A sound internal control system significantly contributes to efficient and effective governance. Compliance with financial rules, procedures and directives as well as the timeliness and quality of reporting on the status of such compliance is one of the attributes of good governance. The reports on compliance and controls, if effective and operational, assist the ULBs and the State Government in meeting their basic stewardship responsibilities including strategic planning, decision making and accountability towards stakeholders. The weaknesses and gaps noticed in the internal control system are mentioned in Chapter-4.

### **3.6 Primary audit and Internal audit of ULBs**

Under Section 161(3) of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Section 255(1) of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the accounts of the ULBs are to be audited by a separate and independent agency. Primary audit of ULBs is being conducted by the Director, HP State Audit Department (HP SAD). During the years 2017-18 and 2018-19, 25 and 26 ULBs were audited by the HP SAD respectively. The results of these audits are included in Annual Audit Report of the ULBs which is laid before the State Legislature by the State Government as per Section 255 (3) of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

There is no provision for a separate and independent internal audit agency under the control of the Director, Urban Development to conduct internal audit of ULBs with a view to ensure internal control on income and expenditure.

### **3.7 Technical Guidance and Support**

The audit of ULBs has been entrusted to the CAG under Section 20 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971 with the responsibility of providing suitable Technical Guidance and Support (TGS) to Primary Auditors as per sections 152-154 of Regulations on Audit and Accounts, 2007 regarding annual audit plans, audit methodology and procedures, training and capacity building, reporting and submission of returns.

Audit Plan for the years 2017-18 and 2018-19 was received from the Primary Auditor (Director, HP State Audit Department (HP SAD)) and noted for the process of audit planning in this office.

The Primary Auditor (Director, HP SAD) adhered to the audit methodology and procedures for audit as prescribed in Section 164 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

During the years 2017-18 and 2018-19, five Inspection Reports (in each year) from the audit of ULBs conducted by the primary auditors were reviewed by the office of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh. Inspection Reports were evaluated, and recommendations were made for improvement and subsequent follow-up. The following recommendations were made to the office of the Director, HP State Audit Department:

- (i) Reference to rules may be mentioned clearly in separate paragraphs while raising audit objections.
- (ii) Audit memos may be issued to the auditee unit.
- (iii) The reply of the Secretary and Executive Officer of the ULBs concerned may be incorporated in audit paras.
- (iv) The calculation may be shown clearly in table format.

It may be noticed that similar recommendations for improvement had been made during previous years, but the shortcomings persisted indicating that HP SAD had not taken adequate steps to address the same.

Every year, two days training is imparted to the audit staff of HP State Audit Department (HP SAD) as per their requirement and topics suggested by them. During 2017-18, 24 participants from HP SAD were imparted training on 8<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> February 2018 on the topics: (i) Statutory provisions regarding finance, taxation and recovery of claims (ii) PRIs funds, their operation, application and investment (iii) Budget, expenditure and stores (iv) Audit and inspection (v) Panchayati Raj Public Works Rules and (vi) Introduction to MNREGA and its operational guidelines. During 2018-19, 25 participants from HP SAD staff were imparted training on 11<sup>th</sup> - 12<sup>th</sup> March 2019 on the topics: (i) PRIASoft (Accounting system in PRIs) (ii) Works Audit of ULBs and PRIs; and (iii) Drafting of audit requisitions, Key document and Audit Reports of ULBs and PRIs.

### **3.8 Audit Coverage**

During 2017-18, 12 out of 54 ULBs were test-checked by the office of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh and reports were issued to the respective ULBs. Records of two Municipal Corporation, six Municipal Councils and four Nagar Panchayats were examined during 2017-18 (**Appendix-3(i)**). During 2018-19, records of 14 ULBs (two Municipal Corporations, seven Municipal Councils and five Nagar Panchayats) out of 54 ULBs were test-checked by the office of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh and reports were issued to the respective ULBs (**Appendix-3(ii)**). Important audit findings of those reports have been incorporated in Chapter-4 of this report. The cases pointed out in this report are based on the test check conducted by Audit. The Department may initiate action to examine similar cases and take necessary corrective action.

### **3.9 Audit observations pending compliance**

The ULBs are required to rectify the defects/ omissions highlighted in the observations contained in the Inspection Reports (IRs) issued by the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, and report their compliance to settle the observations.



The details of IRs and paragraphs issued, settled/ deleted and outstanding as on 31<sup>st</sup> March 2019 are given in **Table-14**:

**Table-14: Outstanding Inspection Reports and Audit Paras**

Sl. No.	Year of issue of Inspection Reports	IRs/ Paras Outstanding as on 31 March 2018		Addition during 2018-19		Total		No. of IRs/ paras settled/ deleted during 2018-19		No. of IRs/ Paras outstanding as on 31 March 2019	
		IRs	Paras	IRs	Para	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras
1.	Upto 2014-15	157	1,013	-	-	157	1,013	-	43	157	970
2.	2015-16	16	134	-	-	16	134	-	12	16	122
3.	2016-17	16	176	-	-	16	176	-	4	16	172
4.	2017-18	12	133	-	-	12	133	-	7	12	126
5.	2018-19	-	-	14	186	14	186	-	-	14	186
<b>Total</b>		<b>201</b>	<b>1,456</b>	<b>14</b>	<b>186</b>	<b>215</b>	<b>1,642</b>	<b>-</b>	<b>66</b>	<b>215</b>	<b>1,576</b>

Correspondence is being undertaken to settle IRs/ Paras, despite this the number of paras pending for settlement has increased which is indicative of lack of required attention and effective action which undermines accountability.



**CHAPTER-4**  
**RESULTS OF AUDIT OF URBAN**  
**LOCAL BODIES**



## CHAPTER-4

### RESULTS OF AUDIT OF URBAN LOCAL BODIES

The deficiencies noticed during audit of Urban Local Bodies in 2017-18 and 2018-19 are discussed in the succeeding paragraphs.

The cases pointed out are based on the test check conducted by Audit. The Department may initiate action to examine similar cases and take necessary corrective action.

#### 4.1 Accounting system

As per instruction of the Director, Urban Development (April 2009) ULBs are required to adopt the double entry system of accounting. As stated by the department (July 2018 and August 2019), 12 ULBs test-checked during 2017-18 and 14 ULBs test-checked during 2018-19 had maintained their accounts in double entry system.

##### 4.1.1 Non-preparation of Accounts

According to Sections 252 and 253 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, accounts of the income and expenditure of the municipality shall be kept in accordance with such rules as may be prescribed. The municipality shall within a period not exceeding three months from the end of the financial year prepare the accounts for that year. The Municipality shall, as soon as the annual accounts have been finally passed by it, transmit this to Director (Urban Development).

During test check of records in 2018-19, it was noticed in four<sup>1</sup> ULBs (Municipal Corporation Shimla, Municipal Councils Sujampur and Nerchowk, and NP Bhuntar) that annual accounts had not been prepared whereas these accounts were required to be prepared and approved by the elected house of the Municipality.

The Executive Officer, MC Sujampur stated (December 2018) that annual accounts would be prepared regularly in future whereas the Secretary, NP Bhuntar stated (February 2019) that due to heavy rush of work annual accounts could not be prepared. The Accounts Officer, MCorp. Shimla stated (November 2018) that due to vacant post of Accountant/Sr. Accountant, annual accounts could not be prepared, but the same would be prepared in future whereas the Executive Officer, MC Nerchowk stated (February 2019) that due to shortage of staff, annual accounts could not be prepared, but the same would be prepared in future.

#### 4.2 Preparation of Budget

##### Preparation of budget without estimating expected expenditure.

The budget estimates of ULBs are to be prepared as per Himachal Pradesh Municipal Accounts Code, 1975, keeping in view the expected income and expenditure for the next financial year, and are placed before the House of the Committee thereafter. After passing of

<sup>1</sup> MCorp. Shimla (for 2017-18); MCs Sujampur (for 2014-15 to 2017-18) and Nerchowk (for 2016-17 to 2017-18); NP Bhuntar (for 2014-15 to 2017-18).

budget by the House of the Committee, budget estimates are submitted to the Director, Urban Development for approval.

(i) The year-wise position of budget provision and expenditure there against in the two Municipal Corporations, six Municipal Councils and four Nagar Panchayats for the years 2014-17 is given in **Table-15(i)** below.

**Table-15 (i): Budget provision vis-a-vis expenditure in 12 test-checked ULBs during 2017-18**  
(₹ in crore)

Year	Budget Provision	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)	Percentage of savings
2014-15	320.62	210.07	110.55 (-)	34
2015-16	265.25	181.68	83.57 (-)	32
2016-17	427.42	245.85	181.57 (-)	42

Note: Unit-wise position is given in **Appendix-24(i)**.

It is evident from **Table-15(i)** that there were persistent savings ranging between 32 and 42 per cent during 2014-17 indicating that the budget estimates were not realistic. The Director, Urban Development Department stated (March 2019) that reasons had been sought from the concerned ULBs.

(ii) The year-wise position of budget provision and expenditure there against in two Municipal Corporations, seven Municipal Councils and five Nagar Panchayats for the years 2015-18 is given in **Table-15(ii)** below.

**Table-15(ii): Budget provision vis-a-vis expenditure in 14 test-checked ULBs during 2018-19**  
(₹ in crore)

Year	Budget Estimates	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)	Percentage of savings
2015-16	417.11	203.68	213.43(-)	51
2016-17	530.19	213.41	321.35(-)	61
2017-18	591.48	225.99	368.90(-)	62

Note: Unit-wise position is given in **Appendix-24(ii)**.

It is evident from **Table-15(ii)** that there were persistent savings ranging between 51 and 62 per cent during 2015-18 indicating that the budget estimates were not realistic. This resulted in blockade of funds as this amount could have been used for other developmental works. The Director, Urban Development Department stated (January 2021) that reasons had been sought from the concerned ULBs.

### 4.3 Purchase of material without inviting quotations

**Four ULBs purchased different materials amounting to ₹9.79 lakh without inviting quotation.**

Rule 97(1) of Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 (revised) provides that goods can be purchased up to monetary value not exceeding ₹3,000/- on each occasion subject to a maximum of ₹50,000 during a financial year without inviting quotations or bids. If the monetary value exceeds ₹3000/- and is up to ₹1,00,000 purchase will be made on the recommendation of a duly constituted Local Purchase Committee as per rule 98. Purchases above ₹1,00,000 will be made through tender system.

During 2018-19, audit noticed that four ULBs (MCorp. Dharamshala, NPs Banjar, Bhuntar and Karsog) had purchased items/materials like cement, furniture, computer etc. worth ₹9.79 lakh<sup>2</sup> during 2014-15 to 2017-18 without inviting quotations. This was in contravention to the rules *ibid*. This might have led to uneconomical purchases by the ULBs.

The Additional Commissioner/the Secretaries concerned stated (December 2018-February 2019) that these items were required to be purchased immediately and hence quotations were not called for. Reply is not tenable as purchase without following due procedure is not permissible in ordinary circumstances except for emergency cases.

#### 4.4 Non-maintenance of records

As per provision of HP Municipal Accounts Code, 1975 read with section 57(3) of Municipal Council Act, 1994 the Municipal Council is required to maintain the register and map of all immovable assets of which it is proprietor or which vests in it or which it holds in trust for the State Government.

(a) During 2017-18, it was noticed in MC Nalagarh that the following registers had not been maintained:

- 1) Immovable properties (including maps and inventory of immovable property vested on in possession of MC).
- 2) Register of securities.
- 3) Register of earnest money.
- 4) Classified abstract.
- 5) Register of medical claims.
- 6) Register of maintenance of vehicle repairs.
- 7) Register of tender forms

It was further noticed that in NPs Sunni and Arki, Pay Bill Register for the establishment was not being maintained in violation of Financial Rules. Non-maintenance of these registers in the above mentioned ULBs indicated lack of control mechanism.

The Executive Officer/the Secretaries of ULBs concerned stated (December 2017-January 2018) that the record would be maintained in future and compliance would be shown to Audit.

(b) During 2018-19, it was noticed in NP Karsog that the following registers had not been maintained:

- 1) Stock & issue register
- 2) House tax (Demand & Collection) register
- 3) MAS register related to works executed
- 4) Shop rent (Demand & Collection) register
- 5) Mobile tower fee register
- 6) Electricity cess and liquor fee register

This is a non-compliance of the provision of the Act *ibid* and can lead to possibility of

<sup>2</sup> NPs Banjar: ₹1.74 lakh, Karsog: ₹1.11 lakh and Bhuntar: ₹1.39 lakh; MCorp. Dharamshala: ₹5.55 lakh.

misappropriation of Government resources. Non-maintenance of these registers also indicated lack of control mechanism.

The Secretary, NP Karsog stated (February 2019) that the records would be maintained in future.

## **4.5 Revenue**

### **4.5.1 Outstanding House Tax**

#### **(a) Due to ineffective monitoring, revenue of ₹11.80 crore on account of house tax in 17 out of 26 test checked ULBs remained unrealised.**

Section 258 (2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 stipulates that sum due to municipality is to be paid within 15 days failing which the sum shall be recovered, with all costs, by distraint and sale of the property of the defaulter.

Audit noticed that in eight out of 12 test-checked ULBs in 2017-18, recovery of house tax of ₹4.47 crore was outstanding as on April 2016 whereas in nine out of 14 test-checked ULBs in 2018-19, recovery of house tax of ₹4.45 crore was outstanding as on 1<sup>st</sup> April 2017. Demand of ₹11.94 crore (₹6.17 crore in 2016-17 and ₹5.77 crore in 2017-18) of house tax was raised during the years 2016-17 and 2017-18. Total demand was ₹20.86 crore (₹10.64 crore up to March 2017 and ₹10.22 crore up to March 2018) against which collection of ₹8.98 crore (₹3.06 crore in 2016-17 and ₹5.92 crore in 2017-18) was made. Rebate of ₹0.08 crore was also allowed in 2018-19 in MC Kullu and NP Nadaun. Thus, total revenue of ₹11.80 crore (₹7.58 crore as of March 2017 and ₹4.22 crore as of March 2018) on account of house tax remained outstanding in these ULBs. This indicated that effective action had not been taken as per rule *ibid* to recover the tax outstanding for long periods. This also deprived the ULBs concerned of revenue amounting to ₹11.80 crore (**Appendix-25**) which could have been utilised for other developmental works in ULBs.

The Executive Officers/the Secretaries of ULBs concerned stated (December 2017-March 2019) that notices had been issued to the defaulters and efforts for recovery of outstanding amount would be made whereas the Executive Officer, MC Hamirpur stated (December 2018) that the outstanding tax was due to land dispute and the Executive Officer, MC Ghumarwin stated (December 2018) that despite being raising bills to the residents multiple times, the residents were not depositing the house tax.

#### **(b) Non- imposing of house tax**

As per Section 65 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and further notification issued by the Govt. of Himachal Pradesh vide no. 1997/24 dated 28/8/1997, directions were issued to MCs/NPs to pass resolution to impose house tax on building and land within their jurisdiction varying from seven and half *per cent* to twelve and half *per cent* on the annual rental value of such buildings and lands.

(a) During 2017-18, audit noticed that MCs Solan and Nalagarh were providing various facilities to households falling within the MC area such as maintenance of roads, paths, streetlights, cleanliness, collection of garbage, etc. but house tax as per the above provision had not been imposed by the MCs.



In the case of Municipal Council Solan, scrutiny further revealed that correspondence made with Director, Urban Development regarding imposition of house tax was discussed in various meetings of the elected House of MC and proposal was rejected by the House with the plea that sanitary/ conservancy tax was already being collected. However, all resolutions passed by the House were rejected by the Director, Urban Development who directed the MC to impose the house tax.

In the case of Municipal Council Nalagarh, it was noticed that the elected house passed the resolution to impose house tax excluding domestic buildings. Despite this, the MC had not imposed house tax on any kind of building (domestic/ commercial). Scrutiny further revealed that MC had not conducted any survey regarding number of households (domestic/ commercial) falling under the jurisdiction of the MC in order to assess the amount of realisable revenue.

The Executive Officer, MC Solan stated (January 2018) that the matter would be placed before the House for reconsideration as the resolution passed by the House had been rejected by the Director, Urban Development whereas the Executive Officer, MC Nalagarh stated (November 2017) that the resolution to impose house tax had been passed and valuation of buildings was being undertaken.

**(b)** During 2018-19, audit noticed that in NPs Jawali and Karsog who were providing various facilities to the households falling within its area, no house tax had been imposed. There were 3,918 houses in these NPs (NP Karsog: 952 houses and NP Jawali: 2,966 houses) on which House Tax had not been imposed thereby resulting in substantial loss of revenue to NPs.

The Secretaries of ULBs concerned stated (January-February 2019) that a survey of newly constructed buildings of the NP area would be conducted and house tax would be imposed in the area covered under jurisdiction of the NPs.

#### **(c) Incorrect opening balances taken in House Tax registers amounting to ₹8.03 lakh**

In three ULBs (MCs Ghumarwin, Hamirpur and Manali) audited during 2018-19, audit noticed that an amount of ₹8.03 lakh<sup>3</sup> was taken less in the opening balances during the period from 2014-15 to 2017-18 in the house tax registers. MCs had taken opening balance ₹13.41 lakh instead of ₹21.44 lakh in these test checked cases. This resulted in suspected misappropriation of MC funds.

The Executive Officers concerned stated (December 2018-March 2019) that house tax register would be scrutinized, and mistakes would be corrected accordingly.

#### **4.5.2 Non-realisation of rent**

##### **Rent due from shops, booths and stalls amounting to ₹14.75 crore remained unrealised in 21 test checked ULBs during 2017-18 and 2018-19.**

Section 258 (1)(b) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides that if any amount due to the municipality remains unpaid for 15 days, the Executive Officer/the Secretary may serve notice of demand upon the persons concerned.

It was noticed that rental charges amounting to ₹7.60 crore (**Appendix-26**) were pending for

<sup>3</sup> MCs Ghumarwin: ₹5.92 lakh; Hamirpur: ₹1.22 lakh and Manali: ₹0.89 lakh.

recovery as of April 2016 in 10 out of 12 test-checked ULBs during 2017-18 whereas rental charges amounting to ₹6.72 crore (**Appendix-26**) were pending for recovery as of March 2017 in 11 out of 14 test-checked ULBs during 2018-19 against tenants and lessees of shops and stalls owned and rented out by these ULBs. Further, demand of ₹9.56 crore (₹4.66 crore during 2016-17 and ₹4.90 crore during 2017-18) was raised. Against the total demand of ₹23.88 crore (₹12.26 crore up to March 2017 and ₹11.62 crore up to March 2018), ₹9.13 crore (₹4.27 crore in 2016-17 and ₹4.86 crore in 2017-18) were recovered leaving recovery of ₹14.75 crore (₹7.99 crore as of March 2017 and ₹6.76 crore as of March 2018) pending in these ULBs. This adversely affected the income of ULBs.

The Executive Officers/the Secretaries of concerned ULBs stated (November 2017-March 2019) that notices had been issued to the defaulters and the amount would be recovered shortly whereas the Executive Officer, MC Kullu stated (February 2019) that in the general meeting of Lok Adalat of Kullu district, the session judge had directed that opportunity of about a year may be granted to the defaulters and recovery be effected in equal instalments.

#### **4.5.3 Non-recovery of installation and renewal fees on mobile towers**

**Failure to realise installation and renewal fees on mobile towers by 18 out of 26 test checked ULBs resulted in loss of revenue of ₹56.69 lakh.**

Himachal Pradesh Government vide notification no. DIT.Dev-(IT) 2005(Misc.) dated 22 August 2006 authorised ULBs to levy duty on installation of mobile communication towers at prescribed rates. Further as per notification no. DIT.Dev-(IT) 2005(Misc.) 96 dated 21 June 2017 rates amended as one time installation fee at the rate of ₹50,000 per tower and annual renewal fee at the rate of ₹25,000 per tower in case of Municipal Corporation area and at the rate of ₹25,000 and ₹12,500 respectively in case of Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Scrutiny of records revealed that in 18 out of 26 test-checked ULBs during 2017-18 and 2018-19 (**Appendix-27**), mobile towers were installed during 2004-17 but the ULBs concerned had not recovered installation and renewal fees of ₹56.69 lakh (₹25.21 lakh as of March 2017 and ₹31.48 lakh as of March 2018). This deprived the ULBs of their due share of revenue.

The ULBs concerned (audited in 2017-18) stated (November 2017-January 2018) that action would be taken shortly to recover the dues. The ULBs concerned (audited in 2018-19) stated (December 2018-March 2019) that notices were being issued to defaulters and recovery would be made shortly.

#### **4.5.4 Outstanding tehbazari fee/ show tax/ trade tax/ hostel's rent**

**Collection of tehbazari fee/ show tax/ trade tax/ hostel's rent remained pending in six ULBs resulting in outstanding amount of ₹55.85 lakh.**

Section 66 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides that municipality is empowered to impose any toll, tax, or fee such as sanitation tax, rehri/ tehbazari fee, trade tax, etc., in its jurisdiction.

(a) During 2018-19, it was noticed that in three ULBs (MCorp. Shimla, MC Sujampur and NP

Bhuntar), an amount of ₹41.35 lakh<sup>4</sup> was outstanding on account of rehri/tehbazari fee from the allottees of 343 sites/ khokhas. No specific effort was made by the ULBs to recover the outstanding amount which adversely affected the revenue of ULBs.

The Executive officers of ULBs concerned stated (December 2018-March 2019) that notices were being issued to the defaulters and recovery would be made shortly.

(b) During 2018-19, it was noticed that in NP Karsog, no resolution was passed by the house of NP for identification of street vendors and collection of rehri/ tehbazari fees for the site allotted.

In reply, the Secretary stated (February 2019) that Town Vending Committee had not been formed and the matter of collection of tehbazari fee had not been decided in the house.

(c) According to Municipal Corporation Shimla house resolution No. 3(21) dated 23/04/12, lump-sum amount of show tax at the rate of ₹72,000/- per year has been approved. Further section 121 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 provides that if the tax or fee is not paid within one month of the due date, an interest at the rate of one per cent per month shall be charged for every calendar month or part thereof.

During 2018-19, it was noticed in MCorp. Shimla that show tax of ₹11.94 lakh (including interest of ₹6.41 lakh) was outstanding from the owners of two cinema halls (Ritz and Shahi) running in MC jurisdiction for the period of 2012-18.

No reply was furnished by the Municipal Corporation, Shimla in this regard.

(d) During 2018-19, it was noticed in MC Dehra that trade tax amounting to ₹1.85 lakh was pending for recovery as of March 2015. Further, demand of ₹0.76 lakh was raised against traders during 2015-18. Out of total demand of ₹2.61 lakh, ₹0.41 lakh were recovered leaving trade tax of ₹2.20 lakh (84.29 per cent of total demand) pending as of March 2018. The detail is shown in the table below:

**Table 16: Details of Trade tax**

Year	Opening Balance (₹)	Current Demand (₹)	Total (₹)	Collection (₹)	Balance Outstanding (₹)
2015-16	1,84,860.00	25,400.00	2,10,260.00	00	2,10,260.00
2016-17	2,10,260.00	25,400.00	2,35,660.00	00	2,35,660.00
2017-18	2,35,660.00	25,400.00	2,61,060.00	40,700.00	2,20,360.00
<b>Total</b>		<b>76,200.00</b>		<b>40,700.00</b>	

The Executive Officer stated (January 2019) that trade tax was not collected due to shortage of staff and the amount would be recovered shortly.

(f) During 2018-19, it was noticed in Municipal Council, Kullu that eight women were living in working women hostel on monthly rent basis (w.e.f. 1992/2003 till date of audit) which was under the jurisdiction of MC. But the hostel rent was neither paid by occupants nor demanded by the MC. Against the total demand on account of rent for hostel of ₹0.43 lakh

<sup>4</sup> MCorp. Shimla: ₹0.40 lakh; MC Sujapur: ₹5.18 lakh and NP Bhuntar: ₹35.77 lakh.

(including opening balance of ₹0.32 lakh as of March 2017), ₹0.08 lakh were recovered during 2017-18 leaving rent amount of ₹0.36 lakh pending from occupants as of March, 2018. The Executive Officer stated (March 2019) that notices had been issued to defaulters and legal action would be taken to recover the outstanding amount of rent.

Thus, non-recovery of various taxes had deprived the ULBs of revenue which could have been utilised for other developmental works.

#### **4.5.5 Non-recovery of lease money**

##### **MCorp. Shimla failed to realise lease money of ₹1.74 crore from shops and stalls.**

Scrutiny of records during 2017-18, it was noticed that Municipal Corporation, Shimla had leased out shops/stalls to 153 parties on rent basis. It was noticed that lease money amounting to ₹0.53 crore was pending for recovery against these 153 shops and stalls as of April 2016. Further, demand of ₹1.63 crore was raised during 2016-17. Against the total demand of ₹2.16 crore, ₹0.42 crore was recovered leaving recovery of ₹1.74 crore pending as of March 2017. Lack of action in recovering the lease money had resulted in loss of revenue.

The Executive Officer stated (December 2017) that the main reason for less recovery of lease money was shortage of staff and efforts were being made to recover the outstanding lease money.

#### **4.5.6 Non-renewal of lease deed**

##### **Non-renewal of lease deed of shops resulting in a loss of revenue of ₹5.35 lakh.**

As per para 5 of notification no. LSG-F (6)-1/85-IV dated 21/12/2001 Govt. of HP, MC shall lease out the stalls/shops constructed by MC for period not exceeding 25 years in the first time and after every five years, the lease rent shall be enhanced by 10 *per cent* of the amount being charged at the time of signing of lease.

During 2018-19, it was noticed that in two Municipal Councils, Hamirpur and Sujapur had leased out 24 shops for five or ten years with the conditions that the premises would be given for a period of five years at first time and after expiry of the period it would be extended by enhancing rent of 5% or 10% of the amount being charged at the time of signing the lease deeds. It was noticed that the validity of lease deeds has elapsed for the period ranging between two months and 108 months. Neither the period of lease deed had been extended nor was the rate of shops enhanced by the MCs. This resulted in a loss of revenue to MCs amounting to ₹5.35 lakh<sup>5</sup>.

In reply, the Executive Officer (MC Hamirpur) stated (December 2018) that the process of renewing the lease would be initiated shortly whereas the Executive Officer (MC Sujapur) stated (December 2018) that rent register would be verified.

---

<sup>5</sup> MCs Hamirpur: ₹0.91 lakh and Sujapur: ₹4.44 lakh.

#### 4.5.7 Non-realisation of rent from the Government offices amounting to ₹13.81 lakh

During 2018-19, it was noticed in two Municipal Councils Kullu and Ner Chowk that seven offices<sup>6</sup> were running in the buildings of the MCs since 2004 and 2017 respectively. MCs had not prepared any rent agreement for running these offices. It was further noticed that MC Kullu had fixed rent at ₹7,500/- per month and 10% increase after every five years. Accordingly, a rent of ₹13.81 lakh (including ₹10.54 lakh as opening balance in April 2015) had not been paid by the office of District Election Officer as of March 2019. Whereas MC, Ner Chowk had neither fixed any rent for the space provided to different offices nor these offices were paying any amount of rent to MC as of February 2019. This resulted in a loss of revenue to MCs to that extent.

The Executive Officer, MC Kullu stated (March 2019) that DC Kullu had directly refused to pay any rent for this premise and the matter for waiving of this outstanding rent would be taken up with the competent authority whereas the Executive Officer, MC Ner Chowk stated (February 2019) that the matter regarding realisation of rent had been discussed in the meeting vide resolution no.14/2018, but due to shortage of staff, the rent could not be realized.

#### 4.5.8 Non-recovery of Electricity Cess

##### ULBs failed to realise electricity cess from HPSEB resulting in loss of revenue.

Section 69 of The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides that electricity cess was recoverable on consumption of electricity at the rate not exceeding 20 paise per unit, consumed by any person for the electricity within the limits of municipal area. The electricity cess was to be collected by the Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) and paid to the municipality concerned.

(a) During 2017-18, it was noticed in Municipal Council (MC) Nalagarh that the MC had not recovered/ collected electricity cess amounting to ₹11.19 lakh from HPSEB for the last four years i.e., 2013-17 as per the above provision.

The Executive Officer stated (December 2017) that the electricity cess could not be collected due to shortage of staff.

(b) During 2018-19, it was noticed in four ULBs<sup>7</sup> that the electricity cess had not been recovered/collected by these ULBs from the HPSEB as per the above provision. In the cases of NPs, the cess was pending from its inception whereas dues were pending for year 2017-18 in MC, Ghumarwin. Thus, due to non-recovery of electricity tax, ULBs suffered a loss of revenue to that extent.

The Executive Officer, MC Ghumarwin stated (December 2018) that matter would be taken up with the Executive Engineer of HPSEBL for recovery of electricity cess. The Secretaries (NPs Karsog and Jawali) stated (January-February 2019) that electricity cess could not be collected due to shortage of staff whereas the Secretary, NP Banjar stated (February 2019) that due to heavy rush of work, the electricity cess could not be collected.

<sup>6</sup> MC Kullu: District Election Officer and MC Ner Chowk: Treasury Office, Election Office, Welfare Office, Veterinary Office, SDM Office and Tehsil Office.

<sup>7</sup> MC Ghumarwin; NPs Banjar, Jawali and Karsog.

#### 4.5.9 Non-collection of water charges by Municipal Council Solan

**Non-collection of water charges deprived the Municipal Council Solan of revenue of ₹63.67 lakh.**

Section 258 (1)(b) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides that if any amount due to the municipality remains unpaid for 15 days, the Executive Officer/ Secretary may serve notice of demand upon the persons concerned.

During 2017-18, test-check of records of Municipal Council, Solan revealed that MC had raised bills for water charges amounting to ₹63.67 lakh for the period 2015-17 but collection of the charges remained pending as of January 2018. Municipal Council, Solan had not initiated any action to recover the water charges in the manner prescribed *ibid*. Thus, MC Solan had not taken any steps for recovery of water charges.

The Executive Officer stated (January 2018) that the water connections of defaulting consumers were being disconnected and the matter would be placed before the General House in the next meeting.

#### 4.5.10 Suspected misappropriation of funds

**Discrepancies in cash book entries of Municipal Council Nalagarh indicated suspected misappropriation of ₹1.59 lakh.**

During 2017-18, scrutiny of cash book and receipt books of Municipal Council Nalagarh revealed that the actual amount as per receipt books had not been entered on the receipt side of the cash book. For the period 2014-16, the entries in the cash book were made for lesser amount (₹14,079) than the actual receipts (₹18,351) resulting in less deposit of amount (₹4,272) in the bank account. It was further noticed that the totals recorded on the receipt side of the cash book was incorrect (pages 7, 32, 35, 36, 39, 47, 59, 77, 110, 170, 179, 189, 190, 196) resulting in less deposit of ₹8,727/- in the bank account.

On the payment side of the cash book for the period 2015-16, more amount (₹17.57 lakh) had been entered whereas actual amount (₹16.11 lakh) was less as per vouchers, resulting in excess withdrawal (₹1.46 lakh) from bank. This shows weak control of the MC over financial transactions.

Admitting the facts, the Executive Officer stated (November 2017) that necessary corrections would be made in the cash book and compliance would be shown to Audit. The reply is not acceptable as the matter needs to be investigated and the possibility of misappropriation of ₹1.59 lakh cannot be ruled out.

#### 4.6 Blocking of funds

##### 4.6.1 Blocking of funds amounting to ₹8.97 crore under AMRUT

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) provides basic services (e.g., water supply, sewerage, urban transport) to households and builds amenities in cities which will improve the quality of life for all, especially the poor and the disadvantaged as a national priority.

During 2018-19, audit noticed that Municipal Council Kullu received funds amounting to ₹12.97 crore for Water supply, Sewerage, Drainage, Urban Transport (Non-Motorized) and

Parks, and ₹0.25 crore for preparation of Service Level Improvement Plan/ Individual Capacity Building under AMRUT Scheme in three instalments (₹6.08 crore in August 2016, ₹0.25 crore in March 2017 and ₹6.89 crore in July 2017). The details of the approved projects are mentioned in table below:

Name of Project approved under AMRUT	Funds received (₹ in crore)	Name of executing agencies/amount released (₹ in crore)	Status of work as on March 2019
Water supply & Sewerage	4.00	IPH Kullu (4.00)	Completed
Urban transport (provision of foot over bridge)	0.25	IPH Kullu (0.25)	Work cancelled and amount refunded to MC Kullu after one-year lapse
Urban transport (Work regarding provision of underpass)	0.25	PWD Kullu (0.25)	Not yet started
Storm water drainage	8.72	Municipal Council, Kullu	Not yet started
Urban transport			Development of footpaths and pedestrian paths (Work awarded)
Green space and park			Development of parks (Work awarded)
<b>Total</b>	<b>13.22</b>		

Thus, non-execution of these projects due to non-approval of DPR/ estimates not only resulted in blockade of funds of ₹8.97 crore (₹8.72 crore with MC + ₹0.25 crore returned after project cancellation) but also deprived the beneficiaries from the intended benefits of the scheme. The Executive Officer, MC Kullu stated (March 2019) that tenders had been invited and works would be started soon.

#### 4.6.2 Blocking of funds amounting to ₹2.67 crore under Pradhan Mantri Awas Yojna

The scheme "Pradhan Mantri Awas Yojna" (PMAY) comes with an aim of constructing more than two crore houses during 2015-2022 to meet the demand posed by urban cities and provides central assistance to Urban Local Bodies and other implementing agencies for providing houses to all eligible families and beneficiaries. A beneficiary family will comprise husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters and the beneficiary family should not own a pucca house either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India to be eligible to receive central assistance under the mission.

During 2018-19, scrutiny of records revealed that Municipal Corporation, Dharamshala and Municipal Council, Kullu had targeted 986 beneficiaries<sup>8</sup> to be covered during 2015-22 and a grant of ₹8.29 crore under PMAY was received during 2016-17 to 2017-18. Out of these funds, only ₹5.11 crore had been disbursed to 420 beneficiaries out of whom 141 beneficiaries had completed their houses and got full benefits of the scheme. 279 beneficiaries have partially completed the construction work to plinth, lintel and roof level. Rest of 566 beneficiaries had not started the construction work due to having pucca house, having not

<sup>8</sup> MCorp. Dharamshala: 895 beneficiaries and MC Kullu: 91 beneficiaries.

enough money to start even foundation work, land dispute etc. Also, as per instruction of Director (UDD), an amount of ₹70.00 lakh had been refunded to the department by MCorp. Dharamshala. Hence, remaining ₹2.67 crore<sup>9</sup> (including interest) was lying undisbursed till the date of audit resulting into blocking of funds with ULBs and deprived the beneficiaries from intended benefits of the scheme. This also shows that the selection of beneficiaries was not done properly by these ULBs as some beneficiaries were already having pucca houses and there is a possibility that eligible beneficiaries being left out.

The Additional Commissioner, MCorp. Dharamshala stated (October 2019) that some beneficiaries had not started the construction work due to financial constraints even after doing earnest efforts to motivate them for the same whereas the Executive Officer, MC Kullu stated (March 2019) that 24 beneficiaries paused the work due to winter season which would be completed soon, and 41 beneficiaries had not started the work due to non interest in construction of new house and financial constraints.

#### **4.6.3 Blocking of funds amounting to ₹1.00 crore under National Urban Livelihood Mission**

As per para 4.10 of the guidelines of Support to Urban Street Vendors under National Urban Livelihood Mission (NULM), financial support will be provided to the ULBs for improvement of infrastructure and providing of basic services in the existing market of street vendors.

During 2018-19, audit noticed that Director, Urban Development Department had released ₹1.00 crore under NULM to Municipal Corporation, Dharamshala for development of vendors' market in August 2016. MC had held these funds in the bank account for a period of more than six months and thereafter the same was released to the Superintendent Engineer, H.P. Housing and Urban Development Authority (HIMUDA), Rakkar, Dharamshala in February 2017 for the development of market for street vendors and construction of prefabricated market. HIMUDA had submitted the preliminary estimate amounting to ₹4.07 crore to MC with the request that necessary administrative approval & expenditure sanction may be arranged, and 50 *per cent* of total estimated cost may be deposited with HIMUDA to start the work. MC had not accorded administrative approval & expenditure sanction from the competent authority and requested HIMUDA to return the amount in October 2018 by stating the reason of non-availability of land. This not only resulted in blockade of fund of ₹1.00 crore with HIMUDA for 21 months from the release of fund till the date of audit (November 2018) but also deprived the public from the intended benefits of the scheme. This showed improper planning on the part of MCorp. Dharamshala.

The Additional Commissioner, MCorp. Dharamshala stated (November 2018) that land at proposed sites was not available and NOC was not received for the vendor market development. The reply is not acceptable as all codal formalities should have been completed before the release of fund.

---

<sup>9</sup> MCorp. Dharamshala: ₹223.85 lakh and MC Kullu: ₹43.25 lakh.



#### 4.6.4 Blocking of funds received under 13<sup>th</sup> & 14<sup>th</sup> Finance Commission and 4<sup>th</sup> State Finance Commission

##### Funds amounting to ₹4.75 crore under 13<sup>th</sup> & 14<sup>th</sup> Finance Commission and 4<sup>th</sup> State Finance Commission remained blocked in three ULBs.

(a) The recommendations of 13<sup>th</sup> Finance Commission for the award period 2010-15 includes, inter-alia, release of grant-in-aid to State Governments for Rural and Urban Local Bodies. The 13<sup>th</sup> Finance Commission was required to recommend measures needed to augment the Consolidated Funds of the States to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities.

During 2018-19, it was noticed that Director, Urban Development, Shimla had released grants amounting to ₹35.09 lakh under 13<sup>th</sup> Finance Commission during the period from 2014-15 to 2015-16 to MC Ghumarwin. Out of total amount, an expenditure of ₹6.49 lakh had been incurred upto March 2018 by the MC. Moreover, the remaining amount was neither utilised by the MC in above duration nor returned to the funding agency as period of the Commission had ended. This not only resulted in blockade of funds amounting to ₹28.60 lakh but also deprived the public from the intended benefits of the grants.

The Executive Officer, MC Ghumarwin stated (December 2018) that the grant was proposed for construction of Gau Sadan for Municipal Council but due to non-availability of land, it could not be constructed. The reply is not acceptable as codal formalities for availability of land should have been completed before making any proposal. If the land was not available in MC area, the said amount should have been transferred to the sanctioning authority without delay. The updated status in this regard has been sought from MC Ghumarwin (January 2021), but no reply was furnished by the MC.

(b) As per guidelines of the 14<sup>th</sup> Finance Commission, grants received by urban local bodies shall be utilised for delivery of basic civic services such as water supply, sanitation, sewage, maintenance of roads, footpath, street lights, etc.

During 2018-19, audit noticed in two (NPs Karsog and Jawali) out of 14 ULBs that funds amounting to ₹1.32 crore<sup>10</sup> were received under 14<sup>th</sup> Finance Commission during 2016-17 to 2017-18 out of which an expenditure of ₹45.17 lakh was incurred. These ULBs, after lapse of one to two years, utilised only 34 *per cent* of total funds received under 14<sup>th</sup> FC. Thus, amount of ₹86.75 lakh<sup>11</sup> was blocked and remained unutilized as of March 2019.

The Secretaries (NPs Karsog and Jawali) stated (January-February 2019) that the work could not be started due to shortage of staff, but the funds would be utilised shortly.

(c) The grants under 4<sup>th</sup> State Finance Commission shall be utilized by the local bodies for maintenance of assets, performance of statutory and delegated functions, and honorarium of the elected representatives.

During 2018-19, audit noticed in two (NPs Karsog and Jawali) out of 14 ULBs that funds amounting to ₹4.95 crore<sup>12</sup> were received under 4<sup>th</sup> State Finance Commission during 2016-17

<sup>10</sup> NPs Karsog: ₹28.91 lakh and Jawali: ₹103.01 lakh.

<sup>11</sup> NPs Karsog: ₹28.37 lakh and Jawali: ₹58.38 lakh.

<sup>12</sup> NPs Karsog: ₹195.43 lakh and Jawali: ₹299.75 lakh.

to 2017-18 out of which an expenditure of ₹1.36 crore was incurred. Thus, amount of ₹3.59 crore<sup>13</sup> (73 per cent of total fund) was blocked and remained unutilized as of March 2019.

The Secretaries (NPs Karsog and Jawali) stated (January-February 2019) that the work could not be started due to shortage of staff, but the funds would be utilised shortly.

#### **4.6.5 Blocking of funds under various schemes**

##### **Funds amounting to ₹14.52 crore remained unspent in twelve out of 26 ULBs due to non-completion/ commencement of works.**

(a) During 2017-18, it was noticed in five out of 12 test checked ULBs that funds amounting to ₹9.46 crore<sup>14</sup> were available during 2014-17 for execution of 32 development works such as construction of retaining walls, boundary walls, shed, repair of paths, sarai bhawan, construction/ restoration of office, parking, parks, etc. These works were to be completed within a period of six months to one year. However, no expenditure had been incurred out of these funds on execution of these works as of January 2018 which resulted in depriving the beneficiaries of intended benefits.

The Executive Officers of the ULBs concerned stated (December 2017-January 2018) that the works could not be started due to non-fulfilment of codal formalities, land disputes, involvement of forest land, non-transfer of possession of land etc. and efforts were being made to start the works at the earliest.

(b) During 2018-19, it was noticed in seven out of 14 ULBs that funds amounting to ₹5.13 crore<sup>15</sup> under schemes such as Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojna (VKVNY), Central Road Funds (CRF), Sectoral Decentralized Planning (SDP), Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), National Urban Livelihood Mission (NULM), Swachh Bharat Mission (SBM), etc. were received during 2012-18 for execution of development works such as construction of roads, parking, parks, shed, retaining walls, pucca path, samshan ghat, sarain, sewerage works, etc. However, no expenditure had been incurred out of the funds on execution of these works due to different reasons<sup>16</sup> as of March 2019 whereas in NP Jawali funds of ₹7.17 lakh was utilised for works under Civic Amenities and NULM as of January 2019 and remaining funds of ₹1.69 crore remained unspent with the NP due to non-completion of work. Non-utilisation of funds for developmental activities resulted in blocking of funds amounting to ₹5.06 crore besides depriving the beneficiaries of the intended benefits from these development works.

The Executive Officers (MCs Ghumarwin and Dehra) stated (December 2018-January 2019) that the works could not be started due to land issue/disputes whereas the Executive Officer, MC Manali stated (March 2019) that tendering process for the work was in progress. The Executive Officer, MC Kullu stated (March 2019) that the works were in progress. The

---

<sup>13</sup> NPs Karsog: ₹146.09 lakh and Jawali: ₹213.66 lakh.

<sup>14</sup> MC Mandi: ₹18.60 lakh (12 works); NPs Bhota: ₹50.00 lakh (01 work); Sunni: ₹20.00 lakh (01 work); Baijnath: ₹2.00 crore (01 work) and MCorp. Dharamshala: ₹6.57 crore (17 works).

<sup>15</sup> MCs Ner Chowk: ₹35.25 lakh, Ghumarwin: ₹1.60 crore, Kullu: ₹25.00 lakh, Manali: ₹60.00 lakh, Dehra: ₹4.00 lakh, and NPs Karsog: ₹38.04 lakh, Jawali: ₹1.91 crore.

<sup>16</sup> Not tendered (25 works), Land issue/disputes (03 works), Work in progress (01 work), Tendering process (05 works), Shortage of fund (01 work) and Shortage of staff (03 works).

Executive Officer/the Secretary (MC Ner Chowk and NP Karsog) stated (February 2019) that the works could not be started due to shortage of staff whereas the Secretary, NP Jawali stated (January 2019) that the works could not be started due to shortage of funds and the other works could not be completed due to shortage of staff.

The replies are not tenable as codal formalities should have been completed before getting the works sanctioned and release of funds.

#### 4.6.6 Blocking of funds received for sewerage schemes

Urban Development Department released funds amounting to ₹4.41 crore to two test checked ULBs<sup>17</sup> for execution of sewerage schemes during 2014-17. These funds were required to be further released to the Irrigation and Public Health (IPH) Department as per their requirement to execute sewerage schemes in respective ULBs.

During 2017-18, audit noticed that the work of sewerage schemes had either not been executed (NP Sunni) or lying incomplete (MC Solan) as of January 2018 and funds amounting to ₹4.41 crore were lying blocked in the bank accounts of respective ULBs and the facility of sewerage schemes could not be provided to the public of the area.

The Executive Officer, MC Solan stated (August 2021) that no funds were released for Sewerage Scheme to IPH Department, and no work was executed by the MC after 2016-17 whereas the Secretary, NP Sunni stated (August 2021) that NP was trying all its efforts such as making verbal request and correspondence with the IPH Deptt., but the sewerage work was still pending. The reply is not acceptable as the funds were lying blocked with the ULBs even after lapse of more than four years from the date of release of fund.

#### 4.6.7 Blocking of funds received for construction of parks

For the improvement of living standard of people residing in urban areas, the State Government framed a policy (2015-16) for establishment of parks in areas falling under the jurisdiction of Urban Local Bodies. Under this policy 60 *per cent* of the total cost of the project was to be provided by the State Government as grant-in-aid and the remaining amount was to be met by the concerned ULB from its own resources.

During 2017-18, it was noticed that the Director, Urban Development released funds amounting to ₹95.00 lakh<sup>18</sup> for the construction of parks in their jurisdiction during 2016-18. It was noticed that more than six months to one year had lapsed from the date of release of funds but both ULBs could not finalize the site for the said works and funds of ₹1.42 crore (₹95.00 lakh + matching share of ₹47.42 lakh) had been deposited in bank accounts. Blocking of funds deprived the public of intended facility of the parks.

The Executive Officer, MCorp. Dharamshala stated (August 2021) that the fund could not be utilised due to unavailability of land in MCorp. Dharamshala. Now fund of ₹31.21 lakh has been transferred on 29.07.2021 to Forest Department for construction of park at their own land while the Secretary, NP Baijnath stated (July 2021) that ₹20.00 lakh had been transferred to HPPWD in August 2018 and construction of two parks were in progress. Release of funds

<sup>17</sup> NP Sunni: ₹99.20 lakh and MC Solan: ₹341.84 lakh.

<sup>18</sup> MCorp. Dharamshala: ₹35.00 lakh and NP Baijnath: ₹60.00 lakh.

without availability of land or submission of proposal had resulted in unnecessary parking of funds.

#### **4.7 Diversion of funds**

##### **Four ULBs diverted grants amounting to ₹10.29 crore during 2014-17.**

(i) During 2017-18, audit noticed that Director, Urban Development released funds amounting to ₹15.24 crore under 4<sup>th</sup> State Finance Commission (SFC) to three ULBs<sup>19</sup> during 2014-17 with the direction to utilize the grant for the purpose for which it had been sanctioned/ provided. The SFC had recommended the grant for maintenance of assets (streets, street lighting, public toilets, parks, office buildings, town halls, drainage, etc.), performance of statutory and delegated functions and honorarium to elected representatives. Scrutiny of records revealed that ULBs had incurred expenditure amounting to ₹9.48 crore on pay and allowances, pension, and gratuity, leave encashment and payment of provident fund which were not covered under the components recommended by the 4<sup>th</sup> SFC.

The Executive Officers/the Secretaries concerned ULBs stated that (December 2017-January 2018) the grants were utilized for the above purposes due to shortage of funds. The replies are not acceptable as utilization of development grants towards payment of pension/ gratuity and pay & allowances was contrary to the terms.

(ii) During 2017-18, test check of records revealed that NP Baijnath received funds amounting to ₹1.00 crore from Director, Urban Development during 2015-16 for construction and creation of infrastructure facilities in new office building. Scrutiny revealed that the NP had not identified the land for construction of office building even though more than two years had elapsed from the date of release of funds. Instead, the NP had incurred expenditure of ₹0.81 crore on salary of staff, sanitation and other office expenses which was irregular.

The Secretary stated (January 2018) that no asset had been handed over to NP Baijnath. The reply is not tenable as funds should have been utilized for the stipulated purpose only.

Above instances of irregular diversion of funds shows poor management of funds. Further provision for salary/ pension/ gratuity should have been made under relevant head of account.

#### **4.8 Unfruitful expenditure and non-realisation of beneficiary share**

##### **Non-allotment of 73 houses in MC Nalagarh resulted in unfruitful expenditure of ₹3.12 crore and non-realisation of beneficiary share of ₹1.36 crore.**

Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) was launched during the year 2005 under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) for holistic slum development and basic infrastructure facilities to slum dwellers of identified urban areas. As per guidelines, total household survey of slums was required to be conducted prior to submission of Detailed Project Report (DPR) to GOI.

During 2017-18, scrutiny of records revealed that MC Nalagarh had prepared a DPR for 128 houses for identified urban poor under the scheme. For the construction of these houses, funds amounting to ₹5.46 crore were released by the Director, Urban Development to the CEO-cum

---

<sup>19</sup> MCs Hamirpur: ₹7.50 crore and Mandi: ₹7.08 crore; NP Bhotia: ₹0.66 crore.

Secretary HIMUDA in two instalments (February 2010: ₹2.57 crore and April 2013: ₹2.89 crore). HIMUDA had completed construction of these houses (construction cost per dwelling unit: ₹4.27 lakh) and handed over the same to MC Nalagarh in February 2016. It was noticed that out of 128 houses, MC Nalagarh had allotted only 55 houses to the beneficiaries of identified urban poor after receiving an amount of ₹1.87 lakh from each beneficiary. Non-allotment of the remaining 73 houses (August 2021) resulted in unfruitful expenditure of ₹3.12 crore (₹4.27 lakh x 73) and non-realisation of beneficiary share of ₹1.36 crore (₹1.87 lakh x 73) to be received from the beneficiaries to whom these houses were to be allotted.

In reply, the Executive Officer stated (August 2021) that the tender had been called for remaining 73 no. of houses. The fact however is that MC failed to allot these houses even after lapse of five years besides resulted in deterioration of the assets with passage of time.

#### **4.9 Unfruitful expenditure amounting to ₹11.55 lakh**

##### **Unfruitful expenditure amounting to ₹11.55 lakh was incurred by NP Bhuntar.**

As per works manual, work taken up for execution should be completed in time in order to avoid cost escalation and to provide benefit of the work to the intended beneficiaries in time.

During 2018-19, it was noticed in NP Bhuntar that the Director, Urban Development had released funds amounting to ₹20.00 lakh for construction of park in July 2017. The work was awarded to a contractor in March 2018 with stipulated period of two months for construction. Out of these funds, ₹11.55 lakh was incurred on the construction of park, but the work was not completed as of July 2021. Thus, non-completion of park resulted not only in unfruitful expenditure of ₹11.55 lakh but also in blocking of funds amounting to ₹8.45 lakh. Besides, public of the area were deprived of the intended benefits of the park.

The Secretary stated (February 2019) that Honourable Supreme Court had stopped the dumping of garbage at dumping site, Pirdi and therefore in absence of any other site, the garbage was being dumped at the other end of park. Remaining work of the park would be completed after finalisation of another dumping site. The reply is not acceptable as NP did not make efforts to finalise another site for dumping of garbage to complete the construction of park.

#### **4.10 Unfruitful expenditure and lapse of GOI grant**

##### **Housing units for Krishna Nagar slum, Shimla under Rajiv Awas Yojna remained incomplete, and grant of ₹23.32 crore was lapsed.**

During 2017-18, audit noticed that Municipal Corporation, Shimla prepared a pilot Detailed Project Report (DPR) for Krishna Nagar slum in Shimla under Rajiv Awas Yojna for ₹33.99 crore (Central share: ₹27.62 crore, State share: ₹4.39 crore, ULB's share: ₹0.50 crore and beneficiaries' share: ₹1.48 crore) which was approved (March 2013) by the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (MoHUPA). The project included three main components- Construction of Housing Complex (300 Dwelling Units of which 224 were beneficiary housing units while 76 were rental housing units) on three sites, Community Centre, and Children Park. The cost per dwelling unit was estimated at ₹10.12 lakh (including cost of infrastructure) and the beneficiary contribution was stipulated at ₹0.66 lakh per unit.

The work was scheduled to be completed during the Twelfth Five Year Plan (2013-17) in Mission Mode.

It was noticed that the work of construction of 296 dwelling units, Community Center and Children Park were awarded to different contractors at a tendered cost of ₹ 32.57 crore against which funds of ₹10.67 crore (Central Share: ₹ 9.21 crore and State Share: ₹1.46 crore) were released (November 2013) by the State Government to MCorp. Shimla with the stipulation to complete the work within two to 24 months. Scrutiny of records revealed that only ₹4.93 crore had been utilized during 2013-18 and the works were left incomplete (except construction of Children Park) by the contractors. It was further noticed that no penal action was initiated against the contractors for incomplete works as required under clause-3 of individual contract agreement. Further scrutiny of records revealed that MCorp. Shimla had requested (August 2017) the Director, Urban Development to take up the matter of release of balance grant of ₹23.32 crore. Thus, the project scheduled to be completed during 2013-17 was still incomplete and the possibility of lapse of balance GOI grant of ₹23.32 crore could not be ruled out. Besides, housing facilities had not been provided to the slum dwellers of Krishna Nagar area as envisaged. There was also the possibility of cost overrun which would entail additional financial burden on the State exchequer and the beneficiaries.

The matter was referred (December 2017) to MCorp. Shimla but no reply was furnished.

#### **4.11 Idle expenditure on salary**

##### **Idle expenditure of ₹15.95 lakh on salary of Library Attendant posted in MC Nagrota Bagwan without existence of library.**

During 2017-18, it was noticed in MC Nagrota Bagwan that Director Urban Development regularised (August 2007) services of a Library Attendant (LA) against a newly created post. LA joined duty on 23.08.2007. An amount of ₹15.95 lakh was paid to LA on account of salary (August 2007 to November 2017). It was noticed that services of the incumbent were not being used as Library Attendant because no library existed in Nagrota Bagwan.

The Executive Officer stated that (December 2017) services of the official were being utilized for various activities. The reply is not tenable as posting of Library Attendant without existence of any library was irregular. The matter may be reviewed by the competent authority.

#### **4.12 Liability for electricity bills along with surcharge amounting to ₹34.09 lakh**

##### **Non-payment of electricity bills in time resulted in unnecessary liability of NP Bhuntar amounting to ₹34.09 lakh with surcharge.**

Rule 2.10 (b) (3) Himachal Pradesh Financial Rules, 1971 provides that all charges incurred are drawn and paid at once and are not held up for want of funds and allowed to stand over to be paid from the grant of another year, that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid; and that all inevitable payments are ascertained and liquidated at the earliest possible date.

During 2018-19, scrutiny of records of NP Bhuntar revealed that electricity bills of street light amounting to ₹37.42 lakh including surcharge for the month of March 2017 (continued from previous outstanding bills) was issued by the Assistant Engineer (AE), HPSEBL, Electrical Sub-Division, Bhuntar. NP had deposited ₹1.00 lakh and ₹7.00 lakh against these bills on dated 17.03.2017 and 24.03.2017 respectively leaving a balance of ₹29.42 lakh. The AE had again issued the electricity bills amounting to ₹34.09 lakh (including surcharge of ₹0.67 lakh) in September 2018, but NP failed to deposit the same as of February 2019. Thus, delay in depositing the electricity bills resulted in not only unnecessary liability of NP but also excess payment of surcharge amounting to ₹0.67 lakh.

The Secretary stated (February 2019/July 2021) that due to non-payment of outstanding electricity cess (pending from approximately last 10 years) by the HPSEBL, electricity bill had not been paid. It was further stated that information regarding outstanding electricity cess was not provided by HPSEBL. If actual amount of cess is intimated by the HPSEBL, rest amount of the bill would be paid at the earliest in instalments.

#### **4.13 Violation of norms-Splitting up of works**

Para 6.44 of PWD Manual of Orders, read with instruction issued in April 2012 provides that splitting up of work/project should not be carried out to avoid e-tendering, publication through press or to avoid approval of the higher authority.

During 2018-19, audit noticed in NP Karsog that four works<sup>20</sup> amounting to ₹14.40 lakh were awarded to three contractors for the period from November 2014 to January 2015. Each of these works was split up in two works to avoid wide publicity and to avoid sanction of the higher authority. Splitting up of works resulted in violation of tendering process of ensuring maximum competition and transparency. Besides, possibility of extension of undue favour to the contractors cannot be ruled out in Audit.

The Secretary stated (February 2019) that the matter would be taken up with the Director, Urban Development for obtaining ex-post-facto sanction.

#### **4.14 Non-obtaining of Utilisation Certificates of ₹3.97 crore**

Financial rules require that Utilization Certificate (UC) should be submitted to the competent authority within the time as prescribed so that it can be ensured that fund had been utilized for the purpose for which it was sanctioned.

During 2018-19, audit noticed that NP Karsog and MC Dehra have received ₹22.41 lakh and ₹3.75 crore from Urban Development Department for construction of road/ toilets and sewerage work respectively during 2014-15 to 2017-18. The funds were released to the executive agencies (HPPWD, BDO office, IPH Department) during 2016-17 to 2018-19. Even after lapse of eight to 32 months, Utilization Certificates of ₹3.97 crore relating to these

<sup>20</sup> 'Drain & Providing & fixing grating from Rest House to Bimla Khad', 'Providing & fixing grating from PNB towards Pawan Studio', 'Providing & lying tile flooring from house of Sh. Hitesh to house of Sh. Mast Ram' and 'Providing & fixing grating from Krishna complex towards Phase 2 & 3'.

works were not obtained by ULBs as of February 2019. Further, physical reports were also not obtained by NP Karsog till the date of audit. In case of MC Dehra, physical report for the work under sewerage scheme were obtained which showed that only 75% of the total work was completed as of January 2019. As a result, public of the area had been deprived of the intended benefits of the schemes.

The Secretary, NP Karsog/the Executive Officer, MC Dehra stated (January-February 2019) that UCs of the released funds would be obtained immediately.

#### **4.15 Irregular expenditure incurred without obtaining technical sanction**

##### **Municipal Council Manali incurred irregular expenditure of ₹37.00 lakh without obtaining technical sanction.**

Rule 4(1) of Himachal Pradesh Municipal Works Rules, 2010 provides that no original/ repair work shall be undertaken by a municipality, if it involves an expenditure exceeding ₹50,000/- unless technical sanction of the Competent Authority has previously been obtained.

During 2018-19, audit noticed that in Municipal Council Manali, an expenditure of ₹37.00 lakh was incurred on three works for repairing road and extension of garbage dumping site during 2017-18. The amount in each case was more than ₹50,000/-, but MC did not obtain technical sanction of the Competent Authority for these expenditures. Thus, expenditure of ₹37.00 lakh without obtaining technical sanction of the Competent Authority was irregular and contrary to the rule *ibid*.

The Executive Officer, MC Manali stated (March 2019) that technical sanction for the work was obtained. The reply is not tenable as technical sanction for the work was obtained from Assistant Engineer, but the Assistant Engineer (municipality) had power to sanction the work up to ₹10 lakh and cost of each work was more than ₹10 lakh.

#### **4.16 Non-adjustment of advances**

##### **Six ULBs sanctioned advances of ₹32.21 crore during 2015-18 without adjustment of previous advances.**

As per rule 189 (1) to (4) of Himachal Pradesh Financial Rules, 2009, Head of the Office is authorised to sanction advances to a Government servant for purchase of goods or for hiring services or for any other special purpose, as may be prescribed. Rule further provides that adjustment bills along with balances, if any, had to be submitted within 15 days of the withdrawal of advance. Second advance shall not be granted until the Government servant concerned has submitted adjustment account of the first advance.

(a) During 2017-18, audit noticed that in two Municipal Councils (Nalagarh and Solan), temporary/contingent advances of ₹1.09 crore sanctioned between 1999-2017 to 20 Government officials/Departments for carrying out development works, establishment expenditure, store purchase, etc. were pending for adjustment for a period of more than one



to 18 years (**Appendix-28**) as of January 2018. Subsequent advances were being given to the officials without adjustment of previous advances. In MC Nalagarh, two officials had retired from service but the adjustment bills for amount of ₹3.33 lakh advanced to them between December 1999 and July 2012 were neither submitted by them nor adjusted by the Department at the time of their retirement.

(b) During 2017-18, it was observed in Municipal Corporation Shimla that ₹31.03 crore sanctioned by the Municipal Corporation during 1963-2017 as contingent advances to various departments for different purposes (under detail heads public works, store material, project, scheme, temporary advances, street light, water supply, etc.) were pending for adjustment (**Appendix-28**) as of December 2017. Subsequent advances were being given to the departments without adjustment of previous advances. It was further noticed that temporary advances amounting to ₹17.68 crore sanctioned during 1963-2017 were pending for adjustment as of December 2017 and record relating to these advances was not available with the Municipal Corporation. This indicated laxity on the part of the Municipal Corporation in enforcing codal provisions regarding adjustment of advances involving substantial amounts.

(c) During 2018-19, audit noticed in three ULBs<sup>21</sup> that temporary /contingent advances of ₹9.42 lakh (**Appendix-28**) had been sanctioned between 2015-16 and 2017-18 to six Government officials. The advances were given for carrying out different purposes such as purchases of stores for development works, establishment expenditure, door to door garbage collection etc. which were pending for adjustment for a period of more than 17 to 43 months from the date of granting of such advances ranging from December 2018 to March 2019. Subsequent advances were given to the officials without adjustment of previous advances. This indicated laxity on the part of these ULBs in enforcing codal provisions regarding adjustment of advances.

The Additional Commissioner, MCorp. Dharamshala and the Executive Officers (MCs Kullu and Manali) stated (December 2018- March 2019) that outstanding advances would be adjusted/recovered immediately.

#### **4.17 Undue Benefits to the firms amounting to ₹6.69 lakh**

Rule 103 of Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 provides that limited tender system may be adopted for purchase of goods up to ₹10 lakh.

During 2018-19, scrutiny of records in two ULBs (MC Dehra and NP Jawali) revealed that NP Jawali had purchased dust bins amounting to ₹3.32 lakh from the firm 'Himalaya Engineering Works, Dehra' during 2016-17. Similarly, Municipal Council, Dehra had hired a firm named 'Plan Foundation, Broadway enclave, Sanjauli, Shimla' for getting services in respect of house tax assessment work, survey, development of software and its renewal and paid ₹3.37 lakh to this firm during 2014-15 to 2016-17.

<sup>21</sup> MCorp. Dharamshala; MCs Kullu and Manali.

In both the cases, amount of the goods purchased/ services obtained were more than ₹1.00 lakh, but tenders were not invited by these ULBs. This was a violation of the provisions of the rule *ibid*. By not inviting tenders, ULBs had been deprived of the benefit of goods and services at competitive prices. Besides, possibility of passing undue favour to the firms cannot be ruled out.

The Executive Officer, MC Dehra stated (January 2019) that due to completion of the work at urgent basis, tender was not called for whereas the Secretary, NP Jawali stated (January 2019) that at time of purchase, facilities like office set-up, computers were not available and due to shortage of staff, NP failed to call for tender. Reply is not tenable as financial procedures of procurement cannot be bypassed unless compelling reasons are there and purchase without following due procedure under such circumstances is permissible as per rules.

#### **4.18 Non-accounting of material**

**Material of ₹1.14 lakh was not accounted for in the stock register by the Municipal Council Hamirpur.**

Rule 135 of HPFR 2009 provides that all the goods received shall be counted, measured, and weighed as the case may be when delivery is being taken by a responsible Government servant who should see that quantity is correct and quality is good. A certificate in token of receipt of material is to be recorded and entry made in an appropriate register.

During 2017-18, scrutiny of records of Municipal Council, Hamirpur showed that cement bags and drain covers purchased at a cost of ₹1.14 lakh were not accounted for in the relevant store and stock register. Hence, the possibility of pilferage or loss cannot be ruled out. This was indicative of poor record maintenance on the part of the MC. In reply, the Executive Officer stated (December 2017) that the relevant entries would be made in the stock registers. Reply is not acceptable as there was absence of proper check over maintenance of records by the MC concerned.

#### **4.19 Non-conducting of Physical Verification of stores/ stock**

Rule 140(2) of Himachal Pradesh Financial Rules, 2009 provides that Head of the Department shall conduct the physical verification of fixed assets, consumable goods and dead stock or unserviceable items or cause it to be conducted through his subordinate officer or through a committee constituted either by him or by the State Government, at least once in a year.

During 2018-19, audit noticed that in four<sup>22</sup> out of 14 ULBs, physical verification of stores/stock had not been conducted for the period ranging between 1999 and 2018. Consequently, physical existence of stores/ stock could not be verified in audit. Moreover,

---

<sup>22</sup> MCorps. Shimla (from 1999) and Dharamshala (from 2016-17), MCs Ghumarwin (from 2011) and Hamirpur (from 2006).

due to non-conducting of physical verification, there is a risk of misuse of store items.

The Municipal Engineer, MCorp. Dharamshala and the Executive officers (MCs Ghumarwin and Hamirpur) stated (December 2018) that due to huge burden of work, physical verification of stores/stock could not be carried out which would be conducted shortly whereas the Commissioner MCorp. Shimla did not furnish any reply in this regard.



**(RITU DHILLON)**

**Principal Accountant General (Audit)  
Himachal Pradesh**

**Shimla**

**Date: 14 March 2022**



# APPENDICES



## APPENDICES

### Appendix-1

(Refer paragraphs 1.1 and 3.1; page 1 and 29)

#### Details of functions listed in 11<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup> Schedules of the Constitution

Sl. No.	Detail of 29 functions listed in 11 <sup>th</sup> Schedule of the Constitution which were devolved to PRIs
1.	Agriculture, including agricultural extension
2.	Land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation
3.	Minor irrigation, water management and watershed development
4.	Animal husbandry, dairying and poultry
5.	Fisheries
6.	Social forestry and farm forestry
7.	Minor forest produce
8.	Small scale industries, including food processing industries
9.	Khadi, village and cottage industries
10.	Rural housing
11.	Drinking water
12.	Fuel and fodder
13.	Roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication
14.	Rural electrification, including distribution of electricity
15.	Non-conventional energy sources
16.	Poverty alleviation programme
17.	Education, including primary and secondary schools
18.	Technical training and vocational education
19.	Adult and non-formal education
20.	Libraries
21.	Cultural activities
22.	Market and fairs
23.	Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries
24.	Family welfare
25.	Women and child development
26.	Social welfare, including welfare of the handicapped and mentally retarded
27.	Welfare of the weaker sections, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes
28.	Public distribution system
29.	Maintenance of community assets
Sl.No.	Detail of 18 functions listed in 12 <sup>th</sup> Schedule of the Constitution which were devolved to ULBs
1.	Urban planning including town planning
2.	Planning of land- use and construction of buildings
3.	Planning for economic and social development
4.	Roads and bridges
5.	Water supply for domestic, industrial and commercial purposes
6.	Public health, sanitation conservancy and solid waste management
7.	Fire services
8.	Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects
9.	Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded
10.	Slum improvement and upgradation
11.	Urban poverty alleviation
12.	Provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds
13.	Promotion of cultural, educational and aesthetic aspects
14.	Burials and burial grounds; cremations, cremation grounds and electric crematoriums
15.	Cattle pounds; prevention of cruelty to animals
16.	Vital statistics including registration of births and deaths
17.	Public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences
18.	Regulation of slaughter houses and tanneries

**Appendix-2**

(Refer paragraph 1.1; page 1)

**Detail of 15-line departments assigned to PRIs**

<b>Sl.No.</b>	<b>Line departments</b>
1.	Agriculture
2.	Animal Husbandry
3.	Ayurveda
4.	Education
5.	Food & Supplies
6.	Forest
7.	Health and Family Welfare
8.	Horticulture
9.	Industries
10.	Irrigation and Public Health
11.	Public Works
12.	Revenue
13.	Rural Development
14.	Social Justice and Empowerment
15.	Fisheries



## Appendix-3(i)

(Refer paragraphs 1.9 and 3.8; pages 8 and 34)

## Audit coverage- Details of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies audited during 2017-18

## Zila Parishads

Sl. No.	Name of Zila Parishad
1.	Mandi
2.	Solan
3.	Kullu

## Panchayat Samitis

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Name of District
1.	Kandaghat	Solan
2.	Anni	Kullu
3.	Nirmand	Kullu
4.	Naggar	Kullu
5.	Dharampur	Mandi
6.	Gopalpur	Mandi
7.	Chauntra	Mandi
8.	Gohar	Mandi
9.	Sundernagar	Mandi

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Chammo	Dharampur	Solan
2.	Bhawguri	Dharampur	Solan
3.	Nalka	Dharampur	Solan
4.	Goyla	Dharampur	Solan
5.	Jadla	Dharampur	Solan
6.	Hinner	Kandaghat	Solan
7.	Sakouri	Kandaghat	Solan
8.	Sayari	Kandaghat	Solan
9.	Wakna	Kandaghat	Solan
10.	Basha	Kandaghat	Solan
11.	Kohila	Anni	Kullu
12.	Karana	Anni	Kullu
13.	Pokhri	Anni	Kullu
14.	Fanauti	Anni	Kullu
15.	Takrasi	Anni	Kullu
16.	Nirmand	Nirmand	Kullu
17.	Kot	Nirmand	Kullu
18.	Sarahan	Nirmand	Kullu
19.	Nor	Nirmand	Kullu
20.	Tunan	Nirmand	Kullu
21.	Devgarh	Naggar	Kullu
22.	Pangan	Naggar	Kullu
23.	Karadsu	Naggar	Kullu
24.	Mandalgarh	Naggar	Kullu
25.	Shirar	Naggar	Kullu
26.	Dhanalag	Gopalpur	Mandi
27.	Darpa	Gopalpur	Mandi
28.	Jamni	Gopalpur	Mandi
29.	Barachwar	Gopalpur	Mandi
30.	Sulpur Jaboth	Gopalpur	Mandi
31.	Pipli	Chauntra	Mandi
32.	Santhal Padain	Chauntra	Mandi
33.	Galun	Chauntra	Mandi
34.	Aihju	Chauntra	Mandi

35.	Utpur	Chauntra	Mandi
36.	Tandi	Gohar	Mandi
37.	Tunna	Gohar	Mandi
38.	Kutahchi	Gohar	Mandi
39.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi
40.	Noun	Gohar	Mandi
41.	Jugahan	Sundernagar	Mandi
42.	Bandli	Sundernagar	Mandi
43.	Kalohad	Sundernagar	Mandi
44.	Dhawal	Sundernagar	Mandi
45.	Khilra	Sundernagar	Mandi

**Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of Municipal Corporation
1.	Shimla
2.	Dharamshala

**Municipal Councils**

Sl. No.	Name of Municipal Council
1.	Nalagarh
2.	Hamirpur
3.	Solan
4.	Jogindernagar
5.	Nagrota Bagwan
6.	Mandi

**Nagar Panchayats**

Sl. No.	Name of Nagar Panchayat
1.	Arki
2.	Sunni
3.	Bhota
4.	Baijnath

## Appendix-3(ii)

(Refer paragraphs 1.9 and 3.8; pages 8 and 34)

## Audit coverage- Details of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies audited during 2018-19

## Zila Parishads

Sl. No.	Name of Zila Parishad
1.	Hamirpur
2.	Kangra at Dharamshala
3.	Shimla

## Panchayat Samitis

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Name of District
1.	Fatehpur	Kangra
2.	Indora	Kangra
3.	Nagrota Surian	Kangra
4.	Lambagaon	Kangra
5.	Nankhari	Shimla
6.	Rohru	Shimla
7.	Theog	Shimla

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Jagothi	Rohru	Shimla
2.	Khangteri	Rohru	Shimla
3.	Katlah	Rohru	Shimla
4.	Pujarli-3	Rohru	Shimla
5.	Jaipidi Mata	Jubbal Kotkhai	Shimla
6.	Kuddu	Jubbal Kotkhai	Shimla
7.	Kotkyana	Jubbal Kotkhai	Shimla
8.	Kyari	Jubbal Kotkhai	Shimla
9.	Ramnagar	Jubbal Kotkhai	Shimla
10.	Thana	Jubbal Kotkhai	Shimla
11.	Bhaloh	Mashobra	Shimla
12.	Dhalli	Mashobra	Shimla
13.	Junga	Mashobra	Shimla
14.	Naldehra	Mashobra	Shimla
15.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla
16.	Khawal	Chohara	Shimla
17.	Dhakgaon	Chohara	Shimla
18.	Tangnu Janglikh	Chohara	Shimla
19.	Diudi Mala	Chohara	Shimla
20.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla
21.	Khamadi	Nankhari	Shimla
22.	Chadoli	Chopal	Shimla
23.	Bawat	Chopal	Shimla
24.	Kanda Banah	Chopal	Shimla
25.	Gorali Madawag	Chopal	Shimla
26.	Kiran	Chopal	Shimla
27.	Manjoli	Chopal	Shimla
28.	Chebri	Basantpur	Shimla
29.	Chalahal	Basantpur	Shimla
30.	Vainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla
31.	Duttanagar	Rampur	Shimla
32.	Sarpara	Rampur	Shimla
33.	Shingla	Rampur	Shimla
34.	Neerath	Rampur	Shimla
35.	Deothi	Rampur	Shimla
36.	Bagain	Theog	Shimla

37.	Ghodna	Theog	Shimla
38.	Ghoond	Theog	Shimla
39.	Dadas	Theog	Shimla
40.	Kuthar	Theog	Shimla
41.	Kyar	Theog	Shimla
42.	Sinhal	Narkanda	Shimla
43.	Malendi	Narkanda	Shimla
44.	Karewthi	Narkanda	Shimla
45.	Mogra	Narkanda	Shimla
46.	Gondhala	Lahaul	Lahaul Spiti
47.	Muling	Lahaul	Lahaul Spiti
48.	Khangsar	Lahaul	Lahaul Spiti
49.	Gosal	Lahaul	Lahaul Spiti
50.	Kardang	Lahaul	Lahaul Spiti
51.	Barbog	Lahaul	Lahaul Spiti
52.	Darcha	Lahaul	Lahaul Spiti
53.	Keylong	Lahaul	Lahaul Spiti
54.	Daimul	Spiti	Lahaul Spiti
55.	Langcha	Spiti	Lahaul Spiti
56.	Lalung	Spiti	Lahaul Spiti
57.	Hal	Spiti	Lahaul Spiti
58.	Khurik	Spiti	Lahaul Spiti
59.	Chalwada-2	Fatehpur	Kangra
60.	Diyana	Fatehpur	Kangra
61.	Rehan	Fatehpur	Kangra
62.	Nerna	Fatehpur	Kangra
63.	Salihar	Dehra Gopipur	Kangra
64.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra
65.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra
66.	Bhapoo	Indora	Kangra
67.	Makdoli	Indora	Kangra
68.	Baleer	Indora	Kangra
69.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra
70.	Milakh	Nurpur	Kangra
71.	Kheriyan	Nurpur	Kangra
72.	Jangal	Nagrota Surian	Kangra
73.	Dol	Nagrota Surian	Kangra
74.	Fariyan	Nagrota Surian	Kangra
75.	Sadoon Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra
76.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra
77.	Ustehad	Nagrota Bagwan	Kangra
78.	Jogipur	Kangra	Kangra
79.	Balol	Kangra	Kangra
80.	Jhikli Ichhi	Kangra	Kangra
81.	Kadoa	Pragpur	Kangra
82.	Gangot	Pragpur	Kangra
83.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra
84.	Badhal	Pragpur	Kangra
85.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra
86.	Barwala	Dharamshala	Kangra
87.	Mandal	Dharamshala	Kangra
88.	Gharoh	Rait	Kangra
89.	Bandi	Rait	Kangra
90.	Dhugiyari	Rait	Kangra
91.	Kothi	Baijnath	Kangra
92.	Sawad	Baijnath	Kangra
93.	Poling	Baijnath	Kangra
94.	Harsi	Lambagaon	Kangra

95.	Kotlu	Lambagaon	Kangra
96.	Upper Theru	Lambagaon	Kangra
97.	Kaloond	Bhawarna	Kangra
98.	Ghadh	Bhawarna	Kangra
99.	Balla	Bhawarna	Kangra
100.	Khaira	Sulah	Kangra
101.	Kakrain	Sulah	Kangra
102.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra
103.	Badehar	Panchrukhi	Kangra

### Municipal Corporations

Sl. No.	Name of Municipal Corporation
1.	Shimla
2.	Dharamshala

### Municipal Councils

Sl. No.	Name of Municipal Council	Name of District
1.	Ghumarwin	Bilaspur
2.	Hamirpur	Hamirpur
3.	Sujanpur	Hamirpur
4.	Dehra	Kangra
5.	Nerchowk	Mandi
6.	Kullu	Kullu
7.	Manali	Kullu

### Nagar Panchayats

Sl. No.	Name of Nagar Panchayat	Name of District
1.	Jawali	Kangra
2.	Nadaun	Hamirpur
3.	Karsog	Mandi
4.	Banjar	Kullu
5.	Bhuntar	Kullu

**Appendix-4**

(Refer paragraph 2.1.1; page 11)

**Non-preparation of cash book in PRIASoft and non-maintenance of assets on National Assets Directory**

**Gram Panchayats**

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Kot	Nirmand	Kullu
2.	Tunan	Nirmand	Kullu
3.	Sarahan	Nirmand	Kullu
4.	Nor	Nirmand	Kullu
5.	Nirmand	Nirmand	Kullu
6.	Takrasi	Anni	Kullu
7.	Fanauti	Anni	Kullu
8.	Karana	Anni	Kullu
9.	Kohila	Anni	Kullu
10.	Mandalgarh	Naggar	Kullu
11.	Karadsu	Naggar	Kullu
12.	Shirar	Naggar	Kullu
13.	Devgarh	Naggar	Kullu
14.	Pangan	Naggar	Kullu
15.	Jadla	Dharampur	Solan
16.	Goyla	Dharampur	Solan
17.	Nalka	Dharampur	Solan
18.	Bhawguri	Dharampur	Solan

**Non-maintenance of three Model Accounting System Registers (Register of annual receipt and payment account, consolidated abstract register, and register of immovable property)**

**Gram Panchayats**

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Basha	Kandaghat	Solan
2.	Wakna	Kandaghat	Solan
3.	Dhanalag	Gopalpur	Mandi
4.	Barachwar	Gopalpur	Mandi
5.	Jamni	Gopalpur	Mandi
6.	Darpa	Gopalpur	Mandi
7.	Sulpur Jaboth	Gopalpur	Mandi
8.	Kutahchi	Gohar	Mandi
9.	Noun	Gohar	Mandi
10.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi
11.	Tunna	Gohar	Mandi
12.	Tandi	Gohar	Mandi
13.	Santhal Padain	Chautra	Mandi
14.	Utpur	Chauntra	Mandi
15.	Galu	Chauntra	Mandi
16.	Pipli	Chauntra	Mandi
17.	Aihju	Chauntra	Mandi
18.	Dhawal	Sundernagar	Mandi
19.	Kalohad	Sundernagar	Mandi
20.	Khilra	Sundernagar	Mandi
21.	Bandli	Sundernagar	Mandi
22.	Jugahan	Sundernagar	Mandi

## Appendix-5(i)

(Refer paragraph 2.1.2; page 12)

## Difference between figures of balance in bank pass book and that of uploaded on PRIASoft during 2016-17

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Name of District	Uploaded on PRIASoft	Balance in bank pass book	Difference	Differences in per cent
1.	Sundernagar	Mandi	120.60	130.90	10.30	7.87
2.	Chauntra	Mandi	210.24	195.03	15.21	7.80
<b>Total (i)</b>					<b>25.51</b>	<b>-</b>

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of District	Uploaded on PRIASoft	Balance in bank pass book	Difference	Differences in per cent
1.	Bandli	Mandi	14.05	6.39	7.66	119.87
2.	Kutahchi	Mandi	6.69	9.11	2.42	26.56
3.	Khilra	Mandi	34.15	36.20	2.05	5.66
4.	Kalohad	Mandi	28.97	25.34	3.63	14.33
5.	Dhawal	Mandi	52.52	52.29	0.23	0.44
6.	Pipli	Mandi	9.84	9.83	0.01	0.10
7.	Galud	Mandi	12.45	12.67	0.22	1.74
8.	Utpur	Mandi	25.50	33.25	7.75	23.31
9.	Jugahan	Mandi	35.81	31.87	3.94	12.36
10.	Tandi	Mandi	23.84	23.90	0.06	0.25
11.	Tunna	Mandi	16.14	19.40	3.26	16.80
12.	Kotla Khanula	Mandi	39.24	19.24	20.00	103.95
13.	Santhal Padain	Mandi	16.22	16.32	0.10	0.61
14.	Sulpur Jaboth	Mandi	37.30	37.33	0.03	0.08
15.	Darpa	Mandi	1.73	3.84	2.11	54.95
16.	Jamni	Mandi	45.88	14.39	31.49	218.83
17.	Aihju	Mandi	28.61	16.00	12.61	78.81
18.	Barachwar	Mandi	38.27	24.86	13.41	53.94
19.	Noun	Mandi	25.95	26.44	0.49	1.85
<b>Total (ii)</b>					<b>111.47</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total (i) &amp; (ii)</b>					<b>136.98</b>	<b>-</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

## Appendix-5(ii)

(Refer paragraph 2.1.2; page 12)

## Difference between figures of receipts and expenditure furnished to audit by test-checked PRIs and that of uploaded on PRIASoft during 2017-18

(₹ in lakh)

## Zila Parishad

Sl. No.	Name of Zila Parishad	Receipt as per manual cashbook	Receipt uploaded on PRIASoft	Difference	Difference in per cent	Expenditure as per manual cash book	Expenditure uploaded on PRIASoft	Difference	Difference in per cent
1.	ZP Shimla	1,700.48	1,847.35	146.87	8.64	1,554.25	1,615.34	61.09	3.93
<b>Total (i)</b>		<b>1,700.48</b>	<b>1,847.35</b>	<b>146.87</b>		<b>1,554.25</b>	<b>1,615.34</b>	<b>61.09</b>	

## Panchayat Samitis

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Receipt as per manual cash book	Receipt uploaded on PRIASoft	Difference	Difference in per cent	Expenditure as per manual cash book	Expenditure uploaded on PRIASoft	Difference	Difference in per cent
1.	Nankhari	59.52	43.75	15.77	26.50	69.83	61.93	07.90	11.31
2.	Rohru	108.92	111.85	02.93	2.69	76.94	83.10	06.17	8.02
3.	Indora	189.58	149.81	39.77	20.98	133.08	121.79	11.29	8.48
4.	Fatehpur	194.19	249.77	55.58	28.62	142.57	182.62	40.05	28.09
5.	Nagrota Surian	128.78	128.18	0.60	0.47	182.48	202.43	19.95	10.93
<b>Total (ii)</b>		<b>680.99</b>	<b>683.36</b>	<b>114.65</b>		<b>604.90</b>	<b>651.87</b>	<b>85.36</b>	

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Receipt as per manual cash book	Receipt uploaded on PRIASoft	Difference	Difference in per cent	Expenditure as per manual cash book	Expenditure uploaded on PRIASoft	Difference	Difference in per cent
1.	Kothi	38.08	30.93	07.15	18.78	30.39	28.60	01.79	5.89
2.	Poling	57.73	32.75	24.98	43.27	31.71	31.67	0.04	0.13
3.	Sawad	67.47	37.70	29.77	44.12	30.52	31.06	0.54	1.77
4.	Ghadh	12.20	12.62	0.42	3.44	16.24	17.69	01.45	8.93
5.	Balla	12.40	11.37	01.03	8.31	11.02	22.24	11.22	101.81
6.	Salihar	53.88	21.95	31.93	59.26	19.53	71.32	51.79	265.18
7.	Jhakled	27.70	29.08	01.38	4.98	11.60	50.54	38.94	335.69
8.	Khundiyan	20.88	45.00	24.12	115.52	26.19	51.29	25.10	95.84
9.	Mandal	45.52	19.61	25.91	56.92	24.37	21.73	02.64	10.83
10.	Barwala	27.14	22.30	04.84	17.83	23.00	29.71	06.71	29.17
11.	Chalwada-2	21.19	23.02	01.83	8.64	17.14	26.81	09.67	56.42
12.	Rehan	52.64	21.74	30.90	58.70	20.05	28.81	08.76	43.69
13.	Diyana	52.02	18.17	33.85	65.07	48.20	26.67	21.53	44.67
14.	Bhapoo	43.15	42.77	0.38	0.88	41.70	42.55	-0.85	2.04
15.	Baleer	43.81	30.46	13.35	30.47	34.42	33.98	0.44	1.28
16.	Makdoli	32.35	26.85	05.50	17.00	24.88	30.18	05.30	21.30
17.	Balol	21.17	25.28	04.11	19.41	07.37	31.64	24.27	329.31



18.	Jhikli Ichhi	76.05	42.18	33.87	44.54	43.26	43.73	0.47	1.09
19.	Jogipur	81.59	55.24	26.35	32.30	41.88	43.80	01.92	4.58
20.	Upper Thehru	15.07	26.76	11.69	77.57	10.44	33.13	22.69	217.34
21.	Kotlu	17.69	38.40	20.71	117.07	14.80	33.42	18.62	125.81
22.	Harsi	48.36	62.16	13.80	28.54	16.09	57.91	41.82	259.91
23.	Kaloond	31.87	31.43	0.44	1.38	12.94	23.91	10.97	84.78
24.	Sadoon Bargran	15.70	09.02	06.68	42.55	08.20	13.63	05.43	66.22
25.	Ustehad	42.53	18.00	24.53	57.68	20.86	22.43	01.57	7.53
26.	Hatwas	49.05	26.28	22.77	46.42	33.87	30.32	03.55	10.48
27.	Dol	46.82	40.02	06.80	14.52	15.51	33.41	17.90	115.41
28.	Jangal	42.03	46.84	04.81	11.44	14.21	51.68	37.47	263.69
29.	Mamu Gurchaal	47.54	32.30	15.24	32.06	34.27	33.07	01.20	3.50
30.	Kheriyan	37.07	14.64	22.43	60.51	27.59	21.51	06.08	22.04
31.	Milakh	39.51	25.18	14.33	36.27	24.35	24.47	0.12	0.49
32.	Ladoh	78.02	30.73	47.29	60.61	58.00	34.08	23.92	41.24
33.	Badehar	53.30	25.51	27.79	52.14	41.22	28.91	12.31	29.86
34.	Gangot	42.03	25.19	16.84	40.07	17.59	30.77	13.18	74.93
35.	Goral Dhar	38.26	23.98	14.28	37.32	25.08	26.56	01.48	5.90
36.	Badhal	93.41	42.82	50.59	54.16	46.36	29.77	16.59	35.79
37.	Kasba Jagir	32.40	20.80	11.60	35.80	24.70	28.29	03.59	14.53
38.	Kadoa	30.75	20.82	09.93	32.29	22.67	32.29	09.62	42.43
39.	Dhugiyari	20.96	20.75	0.21	1.00	13.15	21.85	08.70	66.16
40.	Bandi	32.81	30.28	02.53	7.71	23.11	26.67	03.56	15.40
41.	Gharoh	58.91	30.66	28.25	47.95	30.19	52.38	22.19	73.50
42.	Khaira	54.71	23.19	31.52	57.61	32.93	06.02	26.91	81.72
43.	Kakraim	43.03	22.15	20.88	48.52	41.64	30.05	11.59	27.83
44.	Gosal	27.40	23.49	03.91	14.27	10.01	27.21	17.20	171.83
45.	Gondhala	86.61	66.88	19.93	23.01	54.13	69.95	-15.82	29.23
46.	Langcha	82.40	54.00	28.40	34.47	36.32	35.82	0.50	1.38
47.	Khurik	157.39	86.24	71.15	45.21	99.76	179.22	79.46	79.65
48.	Hal	44.54	81.55	37.01	83.09	22.72	25.66	02.94	12.94
49.	Daimul	103.12	63.44	39.68	38.48	26.11	17.46	08.65	33.13
50.	Lalung	130.57	81.35	49.22	37.70	51.25	43.34	08.16	15.92
51.	Vainsh (Piplidhar)	22.19	16.99	05.20	23.43	10.51	18.10	07.59	72.22
52.	Chebdi	40.03	31.82	08.21	20.51	30.62	42.27	11.65	38.05
53.	Chalahal	47.72	34.95	12.77	26.76	27.13	33.68	06.55	24.14
54.	Khawal	40.65	55.05	14.40	35.42	38.43	63.90	25.47	66.28
55.	Tangnu Janglikh	37.07	51.35	14.28	38.52	32.54	44.05	11.51	35.37
56.	Dhakgaon	75.23	66.14	09.09	12.08	52.74	64.51	11.77	22.32
57.	Bawat	86.80	84.76	02.04	2.35	47.84	73.75	25.91	54.16
58.	Gorali Madawag	64.97	48.02	16.95	26.09	26.87	45.14	18.27	67.99

*Annual Technical Inspection Report on PRIs and ULBs for the years 2017-18 and 2018-19*

59.	Kiran	75.05	56.60	18.45	24.58	32.13	51.68	19.55	60.85
60.	Chadoli	72.11	46.60	25.51	35.38	41.93	47.80	05.87	14.00
61.	Ramnagar	54.45	45.97	08.48	15.57	29.33	35.58	06.25	21.31
62.	Kotkayna	45.93	28.51	17.42	37.93	33.59	34.53	0.94	2.80
63.	Kuddu	65.71	31.63	34.08	51.86	37.80	34.19	03.61	9.55
64.	Kyari	50.88	49.81	01.07	2.10	15.22	33.28	18.06	118.66
65.	Pujarli (Beolia)	85.67	60.98	24.69	28.82	18.61	55.94	37.33	200.59
66.	Naldehra	45.07	39.01	06.06	13.45	26.49	48.72	22.23	83.92
67.	Bhaloh	38.33	22.68	15.65	40.83	25.55	32.49	06.94	27.16
68.	Majoli Tipper	47.31	36.20	11.11	23.48	30.52	31.38	0.86	2.82
69.	Khamadi	46.19	42.16	04.03	8.72	20.18	48.00	27.82	137.86
70.	Mogra	37.04	13.43	23.61	63.74	15.58	16.11	0.53	3.40
71.	Malendi	35.87	20.16	15.71	43.80	26.81	27.94	01.13	4.21
72.	Karewathi	37.65	22.38	15.27	40.56	13.14	20.71	07.57	57.61
73.	Neerath	32.22	47.26	15.24	47.30	12.65	31.04	18.39	145.38
74.	Deothi	38.73	28.56	10.17	26.26	22.85	25.34	02.49	10.90
75.	Duttanagar	63.05	44.94	18.11	28.72	25.84	35.93	10.09	39.05
76.	Shingla	53.52	37.85	15.67	29.28	31.38	35.56	04.18	13.32
77.	Pujarli-3	102.27	46.03	56.24	54.99	83.90	43.65	40.25	47.97
78.	Jagothi	44.00	29.58	14.42	32.77	28.02	32.46	04.44	15.85
79.	Khangtedi	85.73	24.29	61.44	71.67	66.55	28.13	38.42	57.73
80.	Katlaah	68.26	25.69	42.57	62.36	54.10	28.83	25.27	46.71
81.	Ghoond	84.82	58.84	25.98	30.63	54.74	46.27	08.47	15.47
82.	Dadas	47.16	24.67	22.49	47.69	31.22	31.07	0.15	0.48
83.	Kyar	64.62	56.33	08.29	12.83	32.76	31.86	0.90	2.75
84.	Ghodna	67.51	42.47	25.04	37.09	40.70	30.98	30.98	76.12
85.	Bagain	52.39	33.31	19.08	36.42	22.08	35.28	13.20	59.78
86.	Manjholi	75.08	96.75	21.67	28.86	24.54	65.00	40.46	164.87
87.	Kandabana h	107.32	62.02	45.30	42.21	77.85	54.43	23.42	30.08
<b>Total (iii)</b>		<b>4,569.43</b>	<b>3,257.17</b>	<b>1,682.70</b>		<b>2,656.28</b>	<b>3,248.79</b>	<b>1,172.40</b>	
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>6,950.90</b>	<b>5,788.38</b>	<b>2,512.75</b>		<b>4,815.43</b>	<b>5,516.00</b>	<b>1,318.85</b>	

Source: Figures supplied by the test-checked units.

## Appendix-6

(Refer paragraph 2.1.3; page 13)

## Non maintenance of important records

2017-18

## Panchayati Samitis

Sl. No.	Name of Panchayati Samiti	District
1.	Nirmand	Kullu
2.	Anni	Kullu
3.	Chauntra	Mandi

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Nor	Nirmand	Kullu
2.	Tunan	Nirmand	Kullu
3.	Kot	Nirmand	Kullu
4.	Nirmand	Nirmand	Kullu
5.	Sarahan	Nirmand	Kullu
6.	Karadsu	Naggarr	Kullu
7.	Mandalgarh	Naggarr	Kullu
8.	Pangan	Naggarr	Kullu
9.	Devgarh	Naggarr	Kullu
10.	Kohila	Anni	Kullu
11.	Fanauti	Anni	Kullu
12.	Pokhri	Anni	Kullu
13.	Takrasi	Anni	Kullu
14.	Karana	Anni	Kullu
15.	Tandi	Gohar	Mandi
16.	Kotla Khanola	Gohar	Mandi
17.	Noun	Gohar	Mandi
18.	Tunna	Gohar	Mandi
19.	Kutahchi	Gohar	Mandi
20.	Kalohad	Sundernagar	Mandi
21.	Jugahan	Sundernagar	Mandi
22.	Bandli	Sundernagar	Mandi
23.	Khilra	Sundernagar	Mandi
24.	Sulpur Jaboth	Gopalpur	Mandi
25.	Jamni	Gopalpur	Mandi
26.	Dhawal	Gopalpur	Mandi
27.	Barachwar	Gopalpur	Mandi
28.	Dhanalag	Gopalpur	Mandi
29.	Darpa	Gopalpur	Mandi
30.	Pipli	Chauntra	Mandi
31.	Galv	Chauntra	Mandi
32.	Utpur	Chauntra	Mandi
33.	Aihju	Chauntra	Mandi
34.	Santhal Padain	Chauntra	Mandi
35.	Sayari	Kandagahat	Solan

2018-19

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Sawad	Baijnath	Kangra
2.	Poling	Baijnath	Kangra
3.	Kothi	Baijnath	Kangra
4.	Balla	Bhawarna	Kangra
5.	Salihar	Dehra Gopipur	Kangra
6.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra
7.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra
8.	Mandal	Dharamshala	Kangra
9.	Barwala	Dharamshala	Kangra
10.	Chalwada-2	Fatehpur	Kangra
11.	Diyana	Fatehpur	Kangra
12.	Nerna	Fatehpur	Kangra
13.	Balir	Indora	Kangra
14.	Makdoli	Indora	Kangra
15.	Bhapoo	Indora	Kangra
16.	Jogipur	Kangra	Kangra
17.	Balol	Kangra	Kangra
18.	Upper Thehru	Lambagaon	Kangra
19.	Kotlu	Lambagaon	Kangra
20.	Harsi	Lambagaon	Kangra
21.	Kaloond	Bhawarna	Kangra
22.	Ustehad	Nagrota Bagwan	Kangra
23.	Saddu Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra
24.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra
25.	Dol	Nagrota Surian	Kangra
26.	Jangal	Nagrota Surian	Kangra
27.	Fariyan	Nagrota Surian	Kangra
28.	Milakh	Nurpur	Kangra
29.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra
30.	Kheriyan	Nurpur	Kangra
31.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra
32.	Badehar	Panchrukhi	Kangra
33.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra
34.	Kadoa	Pragpur	Kangra
35.	Gangot	Pragpur	Kangra
36.	Badhal	Pragpur	Kangra
37.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra
38.	Dhugiyari	Rait	Kangra
39.	Gharoh	Rait	Kangra
40.	Bandi	Rait	Kangra
41.	Kakrain	Sulah	Kangra
42.	Khaira	Sulah	Kangra
43.	Khangsar	Lahaul	Lahaul Spiti
44.	Muling	Lahaul	Lahaul Spiti
45.	Gondhala	Lahaul	Lahaul Spiti
46.	Gosal	Lahaul	Lahaul Spiti
47.	Keylong	Lahaul	Lahaul Spiti

48.	Darcha	Lahaul	Lahaul Spiti
49.	Kardang	Lahaul	Lahaul Spiti
50.	Khurik	Spiti	Lahaul Spiti
51.	Lalung	Spiti	Lahaul Spiti
52.	Daimul	Spiti	Lahaul Spiti
53.	Langcha	Spiti	Lahaul Spiti
54.	Hal	Spiti	Lahaul Spiti
55.	Chebdi	Basantpur	Shimla
56.	Vainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla
57.	Chalahal	Basantpur	Shimla
58.	Diudi Mala	Chhohara	Shimla
59.	Tangnu Janglikh	Chhohara	Shimla
60.	Dhakgaon	Chhohara	Shimla
61.	Khawal	Chhohara	Shimla
62.	Chadoli	Chopal	Shimla
63.	Gorali Madawag	Chopal	Shimla
64.	Bawat	Chopal	Shimla
65.	Kiran	Chopal	Shimla
66.	Kuddu	Jubbal Kotkhai	Shimla
67.	Kotkayna	Jubbal Kotkhai	Shimla
68.	Jaipidi Mata	Jubbal Kotkhai	Shimla
69.	Ramnaggar	Jubbal Kotkhai	Shimla
70.	Thana	Jubbal Kotkhai	Shimla
71.	Majholi	Kupwi	Shimla
72.	Kanda Banah	Kupwi	Shimla
73.	Bhaloh	Mashobra	Shimla
74.	Naldehra	Mashobra	Shimla
75.	Dhalli	Mashobra	Shimla
76.	Junga	Mashobra	Shimla
77.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla
78.	Khamadi	Nankhari	Shimla
79.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla
80.	Malendi	Narkanda	Shimla
81.	Mogra	Narkanda	Shimla
82.	Karewthi	Narkanda	Shimla
83.	Duttanagar	Rampur	Shimla
84.	Sarpara	Rampur	Shimla
85.	Neerath	Rampur	Shimla
86.	Deothi	Rampur	Shimla
87.	Pujarli-3	Rohru	Shimla
88.	Jagothi	Rohru	Shimla
89.	Ghodna	Theog	Shimla
90.	Ghoond	Theog	Shimla
91.	Kuthar	Theog	Shimla
92.	Dadas	Theog	Shimla
93.	Bagain	Theog	Shimla
94.	Kyar	Theog	Shimla

## Appendix-7

(Refer paragraph 2.1.4; page 13)

## Non-reconciliation of difference between cash books with bank pass books

2017-18

## 1. Cases where cash book shows less balance than bank pass book

(₹ in lakh)

## Panchayat Samitis

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	District	Balance as per Bank Pass Book on 31 March 2017	Balance as per Cash Book on 31 March 2017	Difference
1.	Anni	Kullu	56.76	54.31	2.45
2.	Chauntra	Mandi	195.03	187.39	7.64
<b>Total (i)</b>			<b>251.79</b>	<b>241.70</b>	<b>10.09</b>

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Balance as per Bank Pass Book on 31 March 2017	Balance as per Cash Book on 31 March 2017	Difference
1.	Tunna	Gohar	Mandi	19.40	19.35	0.05
2.	Noun	Gohar	Mandi	26.43	23.86	2.57
3.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi	18.82	9.41	9.41
4.	Tandi	Gohar	Mandi	24.15	17.13	7.02
5.	Utpur	Chauntra	Mandi	33.25	23.62	9.63
6.	Hinner	Kandaghat	Solan	27.41	0.01	27.40
7.	Sayari	Kandaghat	Solan	9.89	0.01	9.88
8.	Sakouri	Kandaghat	Solan	10.53	0	10.53
9.	Wakna	Kandaghat	Solan	33.86	0	33.86
10.	Basha	Kandaghat	Solan	14.43	0	14.43
11.	Nalka	Dharampur	Solan	41.52	0	41.52
12.	Jadla	Dharampur	Solan	37.26	0.01	37.25
13.	Goyla	Dharampur	Solan	38.11	0	38.11
14.	Karana	Hinnar	Kullu	23.56	23.44	0.12
15.	Nirmand	Nirmand	Kullu	39.23	12.72	26.51
16.	Sarahan	Nirmand	Kullu	26.69	26.05	0.64
17.	Nor	Nirmand	Kullu	20.81	16.54	4.27
18.	Takrasi	Anni	Kullu	12.50	10.22	2.28
19.	Kohila	Anni	Kullu	16.70	15.41	1.29
20.	Pokhri	Anni	Kullu	6.07	5.95	0.12
<b>Total (ii)</b>				<b>480.62</b>	<b>203.73</b>	<b>276.89</b>

## Summary of Difference between cash book and bank pass book

(₹ in lakh)

Sl. No.	Kind of Unit	Number of Units	Difference between cash book and bank pass book
1.	Panchayat Samiti	2	10.09
2.	Gram Panchayat	20	276.89
<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>286.98</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

## 2018-19

## 1. Cases where bank pass book shows less balance than cash book

(₹ in lakh)

## Zila Parishads

Sl. No.	Name of Zila Parishad	Balance as per Bank Pass Book as on 31 March 2018	Balance as per Cash Book as on 31 March 2018	Difference
1.	Hamirpur	63.51	77.48	13.97
2.	Kangra at Dharamshala	2,225.17	3,192.79	967.62
<b>Total (i)</b>		<b>2,288.68</b>	<b>3,270.27</b>	<b>981.59</b>

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Balance as per Bank Pass Book as on 31 March 2018	Balance as per Cash Book as on 31 March 2018	Difference
1.	Harsi	Lambagaon	Kangra	32.28	32.65	0.37
2.	Dhankgaon	Chhohara	Shimla	6.51	16.78	10.27
<b>Total (ii)</b>				<b>38.79</b>	<b>49.43</b>	<b>10.64</b>
<b>Grand Total (i) and (ii)</b>				<b>2,327.47</b>	<b>3,319.70</b>	<b>992.23</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

## 2. Cases where bank pass book shows more balance than cash book

(₹ in lakh)

## Zila Parishads

Sl. No.	Name of Zila Parishad	Balance as per Bank Pass Book as on 31 March 2018	Balance as per Cash Book as on 31 March 2018	Difference
1.	Hamirpur	299.61	167.87	131.74
2.	Shimla	772.94	484.95	287.99
<b>Total (i)</b>		<b>1,072.55</b>	<b>652.82</b>	<b>419.73</b>

## Panchayat Samitis

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	District	Balance as per Bank Pass Book as on 31 March 2018	Balance as per Cash Book as on 31 March 2018	Difference
1.	Nagrota Surian	Kangra	181.47	172.29	9.18
2.	Lambagaon	Kangra	107.01	83.53	23.48
3.	Indora	Kangra	352.61	337.19	15.42
4.	Fatehpur	Kangra	166.54	145.10	21.44
5.	Theog	Shimla	109.64	108.51	01.13
<b>Total (ii)</b>			<b>917.27</b>	<b>846.62</b>	<b>70.65</b>

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Balance as per Bank Pass Book as on 31 March 2018	Balance as per Cash Book as on 31 March 2018	Difference
1.	Naldehra	Mashobra	Shimla	18.26	0	18.26
2.	Karewathi	Narkanda	Shimla	24.52	0	24.52
3.	Mogra	Narkanda	Shimla	17.72	0	17.72
4.	Mlandi	Narkanda	Shimla	8.66	0	8.66
5.	Chadoli	Chopal	Shimla	43.22	0	43.22
6.	Gorali Madawag	Chopal	Shimla	39.35	0	39.35
7.	Bawat	Chopal	Shimla	39.75	0	39.75
8.	Kiran	Chopal	Shimla	42.91	0	42.91

9.	Diudi Mala	Chhohara	Shimla	8.14	0	8.14
10.	Dhankgaon	Chhohara	Shimla	17.85	6.58	11.27
11.	Tangu Janglikh	Chhohara	Shimla	17.32	0	17.32
12.	Khawal	Chhohara	Shimla	05.27	0	05.27
13.	Manjholi	Kupwi	Shimla	50.48	0	50.48
14.	Kanda Bnah	Kupwi	Shimla	28.95	0	28.95
15.	Kyari	Jubbal Kotkhai	Shimla	38.15	0	38.15
16.	Kotkayna	Jubbal Kotkhai	Shimla	12.44	0	12.44
17.	Jaipidi Mata	Jubbal Kotkhai	Shimla	27.00	0	27.00
18.	Ramnagar	Jubbal Kotkhai	Shimla	25.12	0	25.12
19.	Thana	Jubbal Kotkhai	Shimla	06.25	0	06.25
20.	Khangtedi	Rohru	Shimla	15.68	0	15.68
21.	Jagothi	Rohru	Shimla	16.87	0	16.87
22.	Katlah	Rohru	Shimla	14.12	0	14.12
23.	Pujarli-3	Rohru	Shimla	17.61	0	17.61
24.	Vainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla	11.68	0	11.68
25.	Chebdi	Basantpur	Shimla	16.39	0	16.39
26.	Chalahal	Basantpur	Shimla	20.84	0	20.84
27.	Khamadi	Nankhari	Shimla	24.74	0	24.74
28.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla	16.79	0	16.79
29.	Shingla	Rampur	Shimla	22.14	0	22.14
30.	Duttanagar	Rampur	Shimla	33.03	0	33.03
31.	Sarpara	Rampur	Shimla	24.74	0	24.74
32.	Neerath	Rampur	Shimla	15.34	0	15.34
33.	Deothi	Rampur	Shimla	15.89	0	15.89
34.	Salihaar	Dehra Gopipur	Kangra	16.58	0	16.58
35.	Khundian	Dehra Gopipur	Kangra	13.57	0	13.57
36.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra	22.42	0	22.42
37.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra	20.02	0	20.02
38.	Badehar	Panchrukhi	Kangra	17.85	0	17.85
39.	Jhikli Ichhi	Kangra	Kangra	32.79	0	32.79
40.	Balol	Kangra	Kangra	13.88	0	13.88
41.	Jogipur	Kangra	Kangra	39.72	0	39.72
42.	Gaahad	Bhawarna	Kangra	7.18	0.01	7.17
43.	Balla	Bhawarna	Kangra	15.21	0	15.21
44.	Kotlu	Lambagaon	Kangra	24.08	22.82	01.26
45.	Kaloond	Bhawarna	Kangra	20.51	0	20.51
46.	Saddu Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra	5.99	0	5.99
47.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra	18.13	0	18.13
48.	Ustehad	Nagrota	Kangra	19.94	0	19.94
49.	Kakrain	Sulah	Kangra	0.90	0	0.90
50.	Khaira	Sulah	Kangra	20.69	0	20.69
51.	Poling	Baijnath	Kangra	26.03	0	26.03
52.	Kothi	Baijnath	Kangra	9.10	0.01	9.09
53.	Gharoh	Rait	Kangra	8.84	0	8.84
54.	Kadoa	Pragpur	Kangra	8.41	0	8.41
55.	Gangot	Pragpur	Kangra	23.96	0	23.96



56.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra	13.18	0	13.18
57.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra	12.97	0	12.97
58.	Mandal	Dharamshala	Kangra	18.56	18.52	0.04
59.	Barwala	Dharamshala	Kangra	04.03	0.01	04.02
60.	Makdoli	Indora	Kangra	7.44	0	7.44
61.	Milakh	Nurpur	Kangra	11.53	0	11.53
62.	Mamu Gurhaal	Nurpur	Kangra	12.70	0	12.70
63.	Kheriyan	Nurpur	Kangra	09.09	0	09.09
64.	Nerna	Fatehpur	Kangra	13.83	0	13.83
<b>Total (iii)</b>				<b>1,226.35</b>	<b>47.95</b>	<b>1,178.40</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>				<b>3,216.17</b>	<b>1,547.40</b>	<b>1,668.78</b>

#### Summary of Difference between cash book and bank pass book

(₹ in lakh)

Sl. No.	Kind of Unit	Number of Units	Difference between cash book and bank pass book
1.	Zila Parishad	3	1,401.32
2.	Panchayat Samiti	5	70.65
3.	Gram Panchayat	65	1,189.04
<b>Total</b>		<b>73</b>	<b>2,661.01</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-8**

(Refer paragraph 2.1.6(ii); page 15)

**Non-depositing of liquor cess in Account 'A'**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Amount of liquor cess
1.	Deothi	Rampur	Shimla	0.29
2.	Duttanagar	Rampur	Shimla	3.37
3.	Malendi	Narkanda	Shimla	0.59
4.	Sinhal	Narkanda	Shimla	0.49
5.	Mogra	Narkanda	Shimla	0.57
6.	Diyana	Fatehpur	Kangra	0.35
7.	Nerna	Fatehpur	Kangra	2.94
8.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra	1.27
9.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra	0.88
10.	Shingla	Rampur	Shimla	1.51
<b>Total</b>				<b>12.26</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

### Appendix-9

(Refer paragraph 2.1.9; page 16)

#### Details of non-accountal of material by the Gram Panchayats during 2017-18

##### Gram Panchayats

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Period of Purchase	Amount
1.	Kohila	Aani	Kullu	2014-17	4.96
2.	Pokhri	Aani	Kullu	2011-16	2.73
3.	Fanauti	Aani	Kullu	2011-14	3.36
4.	Pangan	Nagggar	Kullu	2012-14	2.15
5.	Mandalgarh	Nagggar	Kullu	2012-17	9.43
6.	Devgarh	Nagggar	Kullu	2012-14	2.99
7.	Nor	Nirmand	Kullu	2012-14	2.32
8.	Tunan	Nirmand	Kullu	2015-17	4.07
9.	Nirmand	Nirmand	Kullu	2012-14	5.63
10.	Saharan	Nirmand	Kullu	2012-14	3.08
11.	Kalohad	Sundernagar	Mandi	2015-16	0.11
12.	Darpa	Gopalpur	Mandi	2017	2.91
<b>Total</b>					<b>43.74</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-10**

(Refer paragraph 2.1.10; page 17)

**Non-conducting of Physical Verification**

**2017-18**

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Name of District
1.	Chauntra	Mandi

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Shirar	Naggar	Kullu
2.	Sarahan	Nirmand	Kullu
3.	Pangan	Naggar	Kullu
4.	Nirmand	Nirmand	Kullu
5.	Nor	Nirmand	Kullu
6.	Karadsu	Naggar	Kullu
7.	Tunan	Nirmand	Kullu
8.	Kot	Nirmand	Kullu
9.	Mandalgarh	Naggar	Kullu
10.	Devgarh	Naggar	Kullu
11.	Hinner	Kandaghat	Solan

**2018-19**

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District
1.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra
2.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra
3.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra
4.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra
5.	Saddu Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra
6.	Jhikli Ichhi	Kangra	Kangra
7.	Balol	Kangra	Kangra
8.	Jogipur	Kangra	Kangra
9.	Balir	Indora	Kangra
10.	Makdoli	Indora	Kangra
11.	Chalwada-2	Fatehpur	Kangra
12.	Diyana	Fatehpur	Kangra
13.	Nerna	Fatehpur	Kangra
14.	Rehan	Fatehpur	Kangra
15.	Jangal	Nagrota Surian	Kangra
16.	Fariyan	Nagrota Surian	Kangra
17.	Badehar	Panchrukhi	Kangra
18.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra
19.	Kothi	Baijnath	Kangra
20.	Poling	Baijnath	Kangra
21.	Sawad	Baijnath	Kangra
22.	Khaira	Sulah	Kangra
23.	Kakraim	Sulah	Kangra
24.	Dhugiyari	Rait	Kangra
25.	Bandi	Rait	Kangra
26.	Gharoh	Rait	Kangra
27.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra
28.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra
29.	Ghoond	Theog	Shimla
30.	Dadas	Theog	Shimla

31.	Kuthar	Theog	Shimla
32.	Ghodna	Theog	Shimla
33.	Bagain	Theog	Shimla
34.	Kyar	Theog	Shimla
35.	Sinhal	Narkanda	Shimla
36.	Karewthi	Narkanda	Shimla
37.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla
38.	Dhalli	Mashobra	Shimla
39.	Bhaloh	Mashobra	Shimla
40.	Junga	Mashobra	Shimla
41.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla
42.	Keylong	Lahaul	Lahaul Spiti
43.	Barbog	Lahaul	Lahaul Spiti
44.	Gosal	Lahaul	Lahaul Spiti
45.	Khangsar	Lahaul	Lahaul Spiti
46.	Muling	Lahaul	Lahaul Spiti
47.	Gondhala	Lahaul	Lahaul Spiti

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-11**

(Refer paragraph 2.2.1; page 17)

**Details of non-recovery of house tax by the Gram Panchayat concerned**

(₹ in lakh)

2017-18				
Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Amount
1.	Nor	Nirmand	Kullu	0.39
2.	Kot	Nirmand	Kullu	0.61
3.	Tunan	Nirmand	Kullu	0.40
4.	Sarahan	Nirmand	Kullu	0.27
5.	Nirmand	Nirmand	Kullu	0.46
6.	Karadsu	Naggar	Kullu	0.15
7.	Shirar	Naggar	Kullu	0.09
8.	Pangan	Naggar	Kullu	0.15
9.	Devgarh	Naggar	Kullu	0.28
10.	Pokhri	Anni	Kullu	0.59
11.	Fanauti	Anni	Kullu	0.41
12.	Kohila	Anni	Kullu	0.66
13.	Karana	Anni	Kullu	0.29
14.	Sayari	Kandaghat	Solan	0.64
15.	Hinner	Kandaghat	Solan	0.62
16.	Jadla	Dharampur	Solan	0.42
17.	Bhawguri	Dharampur	Solan	0.23
18.	Nalka	Dharampur	Solan	0.25
19.	Goyla	Dharampur	Solan	0.83
20.	Chammo	Dharampur	Solan	0.15
21.	Bandli	Sundernagar	Mandi	0.15
22.	Khilra	Sundernagar	Mandi	0.20
23.	Kalohad	Sundernagar	Mandi	0.43
24.	Dhawal	Sundernagar	Mandi	0.33
25.	Jugahan	Sundernagar	Mandi	0.28
26.	Jamni	Gopalpur	Mandi	0.85
27.	Barchwar	Gopalpur	Mandi	0.16
28.	Sulpur Jaboth	Gopalpur	Mandi	0.58
29.	Darpa	Gopalpur	Mandi	0.35
30.	Pipli	Chauntra	Mandi	0.63
31.	Aihju	Chauntra	Mandi	0.53
32.	Santhal Padain	Chauntra	Mandi	0.02
33.	Galoo	Chauntra	Mandi	0.42
34.	Utpur	Chauntra	Mandi	0.79
35.	Tandi	Gohar	Mandi	0.54
36.	Kutahchi	Gohar	Mandi	0.30
37.	Tunna	Gohar	Mandi	0.59
38.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi	0.26
39.	Noun	Gohar	Mandi	0.66
<b>Total</b>				<b>15.96</b>

2018-19				
Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Amount
1.	Malendi	Narkanda	Shimla	0.22
2.	Mogra	Narkanda	Shimla	0.06
3.	Karewthi	Narkanda	Shimla	0.58
4.	Kyari	Jubbal Kotkhai	Shimla	1.45
5.	Kuddu	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.85
6.	Jaipidi Mata	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.03
7.	Ramnagar	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.35
8.	Thana	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.24
9.	Kotkayna	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.35
10.	Junga	Mashobra	Shimla	0.10
11.	Naldehra	Mashobra	Shimla	0.28
12.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla	0.15
13.	Dhalli	Mashobra	Shimla	0.32
14.	Ghodna	Theog	Shimla	2.03
15.	Kuthar	Theog	Shimla	1.22
16.	Dadas	Theog	Shimla	0.20
17.	Bagain	Theog	Shimla	0.77
18.	Kyar	Theog	Shimla	0.53
19.	Ghoond	Theog	Shimla	1.36
20.	Majholi	Kupwi	Shimla	0.94
21.	Kanda Banah	Kupwi	Shimla	0.39
22.	Gorali Madawag	Chopal	Shimla	0.84
23.	Sarpara	Rampur	Shimla	1.16
24.	Duttanagar	Rampur	Shimla	0.73
25.	Deothi	Rampur	Shimla	1.16
26.	Neerath	Rampur	Shimla	0.41
27.	Shingla	Rampur	Shimla	0.67
28.	Bawat	Chopal	Shimla	0.52
29.	Kiran	Chopal	Shimla	0.49
30.	Chadoli	Chopal	Shimla	0.56
31.	Khawal	Chhohara	Shimla	0.24
32.	Diudi Mala	Chhohara	Shimla	0.94
33.	Dhakgaon	Chhohara	Shimla	0.56
34.	Tangnu Janglikh	Chhohara	Shimla	1.11
35.	Khangtethi	Rohru	Shimla	0.07
36.	Pujarli-3	Rohru	Shimla	0.06
37.	Jagothi	Rohru	Shimla	0.07
38.	Khamadi	Nankhari	Shimla	0.31
39.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla	0.44
40.	Khamadi	Nankhari	Shimla	0.31
41.	Vainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla	0.15
42.	Chebdi	Basantpur	Shimla	0.44
43.	Chalahal	Basantpur	Shimla	0.03
44.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra	0.01
45.	Jhikli Ichhi	Kangra	Kangra	0.57
46.	Balol	Kangra	Kangra	0.16
47.	Salihar	Dehra Gopipur	Kangra	0.47
48.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra	0.05
49.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra	0.19
50.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra	0.68

51.	Poling	Baijnath	Kangra	0.06
52.	Sawad	Baijnath	Kangra	0.05
53.	Kothi	Baijnath	Kangra	0.14
54.	Saddu Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra	0.94
55.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra	0.86
56.	Ustehad	Nagrota Surian	Kangra	0.52
57.	Jangal	Nagrota Surian	Kangra	0.48
58.	Dol	Nagrota Surian	Kangra	0.78
59.	Fariyan	Nagrota Surian	Kangra	1.06
60.	Kakrain	Sulah	Kangra	0.23
61.	Khaira	Sulah	Kangra	0.27
62.	Dhugiyari	Rait	Kangra	0.22
63.	Gharoh	Rait	Kangra	0.45
64.	Kadoa	Pragpur	Kangra	0.03
65.	Gangot	Pragpur	Kangra	0.09
66.	Badhal	Pragpur	Kangra	0.27
67.	Mandal	Dharamshala	Kangra	0.66
68.	Barwala	Dharamshala	Kangra	1.81
69.	Badehar	Panchrukhi	Kangra	0.38
70.	Makdoli	Indora	Kangra	0.22
71.	Balir	Indora	Kangra	0.49
72.	Bhapoo	Indora	Knagra	0.15
73.	Diyana	Fatehpur	Kangra	0.07
74.	Chalwada-2	Fatehpur	Kangra	0.81
75.	Rehan	Fatehpur	Kangra	1.81
76.	Nerna	Fatehpur	Kangra	0.08
77.	Upper Thehru	Lambagaon	Kangra	0.03
78.	Harsi	Lambagaon	Kangra	0.06
79.	Kotlu	Lambagaon	Kangra	0.04
80.	Kheriyan	Nurpur	Kangra	0.42
81.	Milakh	Nurpur	Kangra	0.23
82.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra	0.31
83.	Ghadh	Bhawarna	Kangra	0.21
84.	Khangsar	Lahaul	Lahaul Spiti	0.43
85.	Muling	Lahaul	Lahaul Spiti	0.12
86.	Gondhala	Lahaul	Lahaul Spiti	0.12
87.	Khurik	Spiti	Lahaul Spiti	0.06
88.	Lalung	Spiti	Lahaul Spiti	0.13
89.	Daimul	Spiti	Lahaul Spiti	0.07
90.	Gosal	Lahaul	Lahaul Spiti	0.22
91.	Keylong	Lahaul	Lahaul Spiti	0.95
92.	Darcha	Lahaul	Lahaul Spiti	0.20
93.	Kardang	Lahaul	Lahaul Spiti	0.04
94.	Barbog	Lahaul	Lahaul Spiti	0.32
<b>Total</b>				<b>42.67</b>

Source: Figures supplied by the test-checked unit.



## Appendix-12

(Refer paragraph 2.2.2; page 18)

## Details of outstanding rent of shops

2017-18

(₹ in lakh)

## Zila Parishads

Sl. No.	Name of Zila Parishad	Period	Number of shops	Amount
1.	Kullu	05/2017 to 07/2017	3	0.17
2.	Mandi	2016-17	8	7.69
<b>Total (i)</b>			<b>11</b>	<b>7.86</b>

## Panchayat Samiti

Sl. No.	Name Panchayat Samiti	District	Period	Number of shops	Amount
1.	Anni	Kullu	2013-17	4	0.16
<b>Total (ii)</b>				<b>4</b>	<b>0.16</b>

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Period	Number of shops	Amount
1.	Nirmand	Nirmand	Kullu	2015-17	4	0.36
2.	Sayari	Kandaghat	Solan	2013 -17	1	0.91
3.	Wakna	Kandaghat	Solan	---	--	0.65
4.	Barachwar	Gopalpur	Mandi	2014-17	5	0.05
<b>Total (iii)</b>					<b>10</b>	<b>1.97</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>					<b>25</b>	<b>9.99</b>

2018-19

(₹ in lakh)

## Zila Parishad

Sl. No.	Name of Zila Parishad	Period	Number of shops	Amount
1.	Kangra at Dharamshala	2014-18	01	01.83
<b>Total (i)</b>			<b>01</b>	<b>01.83</b>

## Gram Panchayats

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Period	Number of shops	Amount
1.	Khangtedi	Rohru	Shimla	2016-18	06	0.07
2.	Junga	Mashobra	Shimla	2008-18	04	1.24
3.	Naldehra	Mashobra	Shimla	2009-18	02	4.11
4.	Shingla	Rampur	Shimla	2017-18	03	0.12
5.	Nerna	Fatehpur	Kangra	2006-18	02	0.13
6.	Rehan	Fatehpur	Kangra	2014-18	14	1.24
7.	Jhikli Ichhi	Kangra	Kangra	2016-18	05	0.46
8.	Badhal	Pragpur	Kangra	-----	05	0.42
9.	Poling	Baijnath	Kangra	2013-18	03	0.19
<b>Total (ii)</b>					<b>44</b>	<b>07.98</b>
<b>Grand Total (i) and (ii)</b>					<b>45</b>	<b>09.81</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-13**

(Refer paragraph 2.2.3; page 18)

**Details of non-recovery of duty for installation/renewal of mobile tower within Gram Panchayat area****2017-18**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Number of Towers	Year of installation	Amount
1.	Jadla	Dharampur	Solan	1	--	0.10
2.	Wakna	Kandaghat	Solan	6	2014-15	0.24
3.	Hinner	Kandaghat	Solan	1	2010-11	0.14
4.	Basha	Kandaghat	Solan	1	2013-14	0.08
5.	Sakouri	Kandaghat	Solan	1	2014-15	0.06
6.	Dhanalag	Gopalpur	Mandi	2	2009-13	0.30
7.	Kalohad	Sundernagar	Mandi	1	--	0.08
8.	Mandalgarh	Naggar	Kullu	3	2005-07	0.94
9.	Karadsu	Naggar	Kullu	2	2010-11	0.13
10.	Tunan	Nirmand	Kullu	1	2009	0.22
11.	Takrasi	Anni	Kullu	2	2010-15	0.15
12.	Karana	Anni	Kullu	1	2004	0.34
<b>Total</b>				<b>22</b>	<b>2004-15</b>	<b>2.78</b>

**2018-19**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Number of Towers	Year of installation	Amount
1.	Krevathi	Narkanda	Shimla	02	2016-18	0.23
2.	Mogra	Narkanda	Shimla	02	2013-18	0.24
3.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla	01	2009-18	0.18
4.	Khamadi	Nankhari	Shimla	-	2013-18	0.03
5.	Deothi	Rampur	Shimla	01	2017-18	0.08
6.	Duttanagar	Rampur	Shimla	02	2008-18	0.38
7.	Sarpara	Rampur	Shimla	01	2008-18	0.32
8.	Chebdi	Basantpur	Shimla	01	2008-18	0.28
9.	Chalahal	Basantpur	Shimla	02	2012-18	0.30
10.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla	03	2008-18	0.42
11.	Junga	Mashobra	Shimla	01	2017-18	0.22
12.	Dadas	Theog	Shimla	04	2009-18	0.20
13.	Ghodna	Theog	Shimla	01	2010-18	0.18
14.	Ghoond	Theog	Shimla	04	2005-18	0.28
15.	Kuthar	Theog	Shimla	01	2013-18	0.08
16.	Thana	Jubbal Kotkhai	Shimla	-	2016-18	0.05
17.	Dhankgaon	Chhohara	Shimla	-	2015-17	0.04
18.	Poling	Baijnath	Kangra	01	2012-18	0.16
19.	Gharoh	Rait	Kangra	01	2016-18	0.03
20.	Salihar	Dehra Gopipur	Kangra	03	2009-17	0.58
21.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra	01	2008-18	0.64
22.	Badehar	Panchrukhi	Kangra	01	2010-18	0.54
23.	Ustehad	Nagroti Bagwan	Kangra	01	2008-18	0.09
24.	Jangal	Nagroti Surian	Kangra	02	2005-18	0.71
25.	Fariyan	Nagroti Surian	Kangra	01	2012-18	0.17
26.	Gangot	Pragpur	Kangra	07	2010-18	1.18
27.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra	01	2014-18	0.07
28.	Badhal	Pragpur	Kangra	03	2009-18	0.75

29.	Khaira	Sulah	Kangra	02	2001-18	0.74
30.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra	02	2009-18	0.42
31.	Bhapoo	Indora	Kangra	01	2014-18	0.10
32.	Balir	Indora	Kangra	01	2013-18	0.15
33.	Rehan	Fatehpur	Kangra	02	2013-18	0.18
34.	Khurik	Spiti	Lahaul Spiti	01	2008-18	0.27
35.	Darcha	Lahaul	Lahaul Spiti	01	2008-09	0.22
36.	Gosal	Lahaul	Lahaul Spiti	01	2008-18	0.22
<b>Total</b>				<b>59</b>		<b>10.73</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-14**

(Refer paragraph 2.2.4; page 19)

**Non-deduction of TDS**

(Amount in ₹)

2017-18					
Sl. No.	Name of Zila Parishad			Amount Paid	TDS required to be deducted @ 2%
1.	Solan			10,05,918	20,118
<b>Total(i)</b>				<b>10,05,918</b>	<b>20,118</b>
Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Amount Paid	TDS required to be deducted @ 2%
1.	Pokhri	Anni	Kullu	6,90,000	13,800
2.	Karana	Anni	Kullu	98,000	1,960
3.	Takrasi	Anni	Kullu	2,18,000	4,360
4.	Fanauti	Anni	Kullu	6,32,000	12,640
5.	Nor	Nirmand	Kullu	1,62,000	3,240
6.	Tunan	Nirmand	Kullu	6,54,050	13,081
7.	Kot	Nirmand	Kullu	2,03,750	4,075
<b>Total(ii)</b>				<b>26,57,800</b>	<b>53,156</b>
<b>Grand Total (i) &amp; (ii)</b>				<b>36,63,718</b>	<b>73,274</b>

2018-19					
Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Amount Paid	TDS required to be deducted (@ 1% or 2%)
1.	Naldehra	Mashobra	Shimla	5,11,550	10,231
2.	Gorali Madawag	Chopal	Shimla	14,31,000	14,310
3.	Chadoli	Chopal	Shimla	6,71,600	13,432
4.	Deothi	Rampur	Shimla	13,05,300	13,053
5.	Chalahal	Basantpur	Shimla	7,16,150	7,162
6.	Vainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla	13,04,742	13,047
7.	Chebdi	Basantpur	Shimla	2,00,000	2,000
8.	Khamadi	Nankhari	Shimla	2,48,500	4,970
9.	Khawal	Chhohara	Shimla	2,53,100	2,531
10.	Diyana	Fatehpur	Kangra	65,000	13,00
<b>Total</b>				<b>6,706,942</b>	<b>82,036</b>
<b>Total TDS (2017-18 &amp; 2018-19) - ₹ 1,55,310</b>					

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-15(i)**

(Refer paragraph 2.3.1; page 19)

**Blocking of funds due to non-commencement of works under various schemes  
2017-18**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of District	Period	Number of works	Receipt	Expenditure	Amount
1.	Nalka	Solan	2016-17	2	2.54	--	2.54
2.	Jadla	Solan	2016-17	3	4.00	--	4.00
3.	Goyla	Solan	2015-16	1	0.50	--	0.50
4.	Bhawguri	Solan	2016-17	5	8.00	--	8.00
5.	Sakouri	Solan	2016-17	3	6.48	--	6.48
6.	Santhal Padain	Mandi	2013-14	2	1.50	--	1.50
7.	Karana	Kullu	2015-16	3	3.00	--	3.00
<b>Total</b>				<b>19</b>	<b>26.02</b>	<b>--</b>	<b>26.02</b>

**Appendix-15(ii)**

(Refer paragraph 2.3.1; page 19)

**Blocking of funds due to non-commencement of works under various schemes  
2018-19**

(₹ in lakh)

**Panchayat Samiti**

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Name of District	Period	Number of works	Receipt	Expenditure	Amount
1.	Rohru	Shimla	2017-19	18	10.25	-	10.25
<b>Total (i)</b>				<b>18</b>	<b>10.25</b>	<b>-</b>	<b>10.25</b>

**Gram Panchayats**

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of District	Period	Number of works	Receipt	Expenditure	Amount
1.	Shingla	Shimla	2011-12	01	1.0	-	1.00
2.	Khamadi	Shimla	2012-13	01	1.29	-	1.29
3.	Vainsh (Piplidhar)	Shimla	2013-16	02	1.30	-	1.30
4.	Khawal	Shimla	2015-17	02	1.35	-	1.35
5.	Mogra	Shimla	2015-16	01	0.77	-	0.77
6.	Ramnagar	Shimla	2017-18	01	5.00	-	5.00
7.	Majoli Tipper	Shimla	2013-17	02	02.49	-	2.49
8.	Pujarli (Beolia)	Shimla	2009-18	07	5.39	-	5.39
9.	Chebdi	Shimla	2016-17	01	2.0	-	2.0
10.	Jaipidi Mata	Shimla	2016-18	02	01.50	-	1.50
11.	Mlendi	Shimla	2016-17	01	1.0	-	1.0
12.	Sarpara	Shimla	2014-15	01	1.0	-	1.0
13.	Junga	Shimla	2009-18	13	11.77	-	11.77
14.	Pujarli-3	Shimla	2017-18	04	3.00	-	3.00
15.	Bhaloh	Shimla	2007-11	01	0.63	-	0.63
16.	Naldehra	Shimla	2009-18	07	05.38	-	5.38
17.	Diudi Mala	Shimla	2016-17	01	0.59	-	0.59
18.	Ghodna	Shimla	2012-18	07	06.50	-	6.50
19.	Karewathi	Shimla	2016-17	01	01.47	-	1.47

20.	Gorali Madawag	Shimla	2015-18	03	02.50	-	2.50
21.	Kyari	Shimla	2012-18	06	07.00	-	7.00
22.	Chadoli	Shimla	2015-16	01	0.39	-	0.39
23.	Kiran	Shimla	2015-18	03	0.84	-	0.84
24.	Deothi	Shimla	2014-17	04	04.50	-	4.50
25.	Jhakled	Kangra	2017-18	01	2.50	-	2.50
26.	Nerna	Kangra	2016-17	01	0.30	-	0.30
27.	Jangal	Kangra	2016-17	01	1.50	-	1.50
28.	Badhal	Kangra	2017-19	04	03.42	-	3.42
29.	Gangot	Kangra	2016-17	01	02.00	-	2.00
30.	Kakrain	Kangra	2017-18	01	5.00	-	5.00
31.	Saddu Baargan	Kangra	2013-14	01	0.60	-	0.60
32.	Khaira	Kangra	2017-18	02	04.50	-	4.50
33.	Mandhal	Kangra	2015-18	05	08.50	-	8.50
34.	Baleer	Kangra	2016-17	01	2.0	-	2.0
35.	Bhapoo	Kangra	2017-18	01	0.40	-	0.40
36.	Balol	Kangra	2016-17	01	0.70	-	0.70
37.	Salihar	Kangra	2017-18	01	0.80	-	0.80
<b>Total (ii)</b>				<b>94</b>	<b>100.88</b>	<b>-</b>	<b>100.88</b>
<b>Grand Total (i) and (ii)</b>				<b>112</b>	<b>111.13</b>	<b>-</b>	<b>111.13</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-16(i)**

(Refer paragraph 2.3.2; page 20)

**Blocking of funds due to non-completion of works under various schemes  
2017-18**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	Name of District	Period	Number of works	Receipt	Expenditure	Amount
1.	Nirmand	Kullu	2016-17	10.00	29.00	12.60	16.40
<b>Total (i)</b>				<b>10.00</b>	<b>29.00</b>	<b>12.60</b>	<b>16.40</b>
Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of District	Period	Number of works	Receipt	Expenditure	Amount
1.	Hinner	Solan	2013-14	4	3.20	03.00	0.20
2.	Chammo	Solan	2011-15	14	21.45	15.15	6.30
3.	Jadla	Solan	2014-16	6	12.75	4.97	7.78
4.	Sayari	Solan	2011-17	14	23.84	11.12	12.72
5.	Goyla	Solan	2014-17	25	20.32	7.96	12.36
6.	Bhawguri	Solan	2013-16	19	28.40	11.96	16.44
7.	Wakna	Solan	2016-17	3	9.00	4.26	4.74
8.	Nalka	Solan	2016-17	10	15.75	6.25	9.50
9.	Sakouri	Solan	-----	1	5.00	4.50	0.50
10.	Basha	Solan	2012-16	5	4.80	2.01	2.79
11.	Karadsu	Kullu	2015-16	2	6.00	4.25	1.75
12.	Pokhri	Kullu	2013-14	1	2.50	2.01	0.49
13.	Mandalgarh	Kullu	2015-16	3	6.00	1.68	4.32
14.	Shirar	Kullu	2015-16	1	2.00	0.91	1.09
<b>Total (ii)</b>				<b>108</b>	<b>161.01</b>	<b>80.03</b>	<b>80.98</b>
<b>Grand Total (i) &amp; (ii)</b>				<b>118</b>	<b>190.01</b>	<b>92.63</b>	<b>97.38</b>

**Appendix-16(ii)**

(Refer paragraph 2.3.2; page 20)

**Blocking of funds due to non-completion of works under various schemes  
2018-19**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of District	Period	Number of works	Receipt	Expenditure	Amount
1.	Daimul	Lahaul Spiti	2016-17	02	11.00	01.69	09.31
2.	Hal	Lahaul Spiti	2016-17	01	0.50	0.25	0.25
3.	Langcha	Lahaul Spiti	2011-12	01	02.50	0.45	02.05
4.	Chebdi	Shimla	2015-17	03	03.50	01.66	01.84
5.	Majoli Tipper	Shimla	2012-18	09	16.49	07.06	09.43
6.	Kanda Banah	Shimla	2016-17	01	03.00	0.90	02.10
7.	Khamadi	Shimla	2015-17	03	03.30	02.43	0.87
8.	Pujarli-3	Shimla	2014-15	01	01.00	0.50	0.50
9.	Chalahal	Shimla	2015-16	01	01.60	01.17	0.43
10.	Shingla	Shimla	2015-17	04	11.90	11.48	0.42

*Annual Technical Inspection Report on PRIs and ULBs for the years 2017-18 and 2018-19*

11.	Gorali Madawag	Shimla	2011-18	05	05.00	02.28	02.72
12.	Kyari	Shimla	2007-08	01	05.00	01.00	04.00
13.	Duttanagar	Shimla	2016-17	02	03.00	02.83	0.17
14.	Deothi	Shimla	2017-18	04	05.60	04.78	0.82
15.	Naldehra	Shimla	2016-18	05	10.00	06.00	04.00
16.	Khangtedi	Shimla	2015-18	02	09.14	07.64	01.50
17.	Kiran	Shimla	2013-18	10	13.25	04.29	08.96
18.	Sarpara	Shimla	2015-16	01	01.50	01.50	00
19.	Neerath	Shimla	2016-17	02	12.65	06.91	05.74
20.	Chadoli	Shimla	2014-17	02	05.50	01.00	04.50
21.	Badhal	Kangra	2017-18	11	20.15	12.07	08.08
22.	Gangot	Kangra	2016-18	03	09.00	04.24	04.76
23.	Khaira	Kangra	2017-18	01	03.00	01.87	01.13
24.	Poling	Kangra	2017-18	01	05.00	03.18	01.82
25.	Dol	Kangra	2017-18	04	05.65	04.78	0.87
26.	Chalwada-2	Kangra	2016-18	02	02.65	01.62	01.03
27.	Kakraim	Kangra	2014-16	03	02.50	01.95	0.55
28.	Balla	Kangra	2015-17	04	08.75	06.68	02.07
29.	Makdoli	Kangra	2017-18	01	0.50	0.30	0.20
30.	Diyana	Kangra	2017-18	03	02.90	01.80	01.10
31.	Milakh	Kangra	2017-18	02	01.20	0.27	0.93
32.	Salihar	Kangra	2015-16	01	0.45	0.12	0.33
33.	Nerna	Kangra	2017-18	02	07.90	07.39	0.51
34.	Guraldhar	Kangra	2017-18	01	0.80	00	0.80
35.	Hatwas	Kangra	2017-18	02	0.70	0.25	0.45
36.	Kothi	Kangra	2011-12	01	01.50	0.90	0.60
37.	Kotlu	Kangra	2014-18	05	04.90	03.10	01.80
38.	Kadoa	Kangra	2014-18	06	06.40	03.63	02.77
39.	Rehan	Kangra	2017-18	02	01.90	01.33	0.57
40.	Sadoon Bargran	Kangra	2014-15	01	10.00	06.50	03.50
41.	Ladoh	Kangra	2013-14	01	0.40	0.20	0.20
42.	Ustehar	Kangra	2014-17	02	03.75	02.27	01.48
43.	Jhikli Ichhi	Kangra	2017-18	01	0.50	0.28	0.22
44.	Sawad	Kangra	2017-18	01	08.00	05.16	02.84
<b>Total</b>				<b>121</b>	<b>233.93</b>	<b>135.70</b>	<b>98.23</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.



### Appendix-17

(Refer paragraph 2.3.3; page 21)

#### Details of blocking of funds under 13<sup>th</sup> Finance Commission

##### Panchayat Samitis

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	District	Period	Number of Works	Amount Sanctioned	Fund released	Balance
1.	Kandaghat	Solan	2014-15	3	11.43	9.60	1.83
2.	Gopalpur	Mandi	2014-16	52	17.36	12.24	5.12
3.	Gohar	Mandi	2012-17	38	18.59	12.53	6.06
4.	Nirmand	Kullu	2014-15	5	12.45	6.20	6.25
5.	Naggar	Kullu	2015-16	30	47.80	16.81	30.99
<b>Total</b>				<b>128</b>	<b>107.63</b>	<b>57.38</b>	<b>50.25</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-18(i)**

(Refer paragraph 2.4.1; page 22)

**Details of blocking of funds under 14<sup>th</sup> Finance Commission due to incomplete work  
2017-18**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Period	Receipt	Expenditure	Balance
1.	Sayari	Kandaghat	Solan	2015-17	13.96	1.77	12.19
2.	Hinner	Kandaghat	Solan	2015-17	20.75	0.16	20.59
3.	Pangan	Naggar	Kullu	2015-17	18.62	0.75	17.87
4.	Shirar	Naggar	Kullu	2015-17	15.80	6.74	9.06
5.	Devgarh	Naggar	Kullu	2016-17	18.68	6.04	12.64
6.	Mandalgarh	Naggar	Kullu	2015-17	23.65	2.83	20.82
7.	Karadsu	Naggar	Kullu	2015-17	31.19	0.58	30.61
8.	Nirmand	Nirmand	Kullu	2015-17	24.68	10.08	14.60
9.	Sarahan	Nirmand	Kullu	2015-17	14.22	3.69	10.53
10.	Nor	Nirmand	Kullu	2015-16	11.21	4.40	6.81
11.	Kot	Nirmand	Kullu	2015-17	24.28	9.39	14.89
12.	Tunan	Nirmand	Kullu	2015-17	15.49	2.67	12.82
13.	Takrasi	Anni	Kullu	2015-17	13.09	4.52	8.57
14.	Pokhri	Anni	Kullu	2015-17	11.21	6.50	4.71
15.	Karana	Anni	Kullu	2015-17	19.55	13.45	6.10
16.	Tunna	Gohar	Mandi	2015-17	13.23	5.82	7.41
17.	Kutahchi	Gohar	Mandi	2015-17	11.65	10.05	1.60
18.	Noun	Gohar	Mandi	2015-17	17.98	4.25	13.73
19.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi	2015-17	14.73	4.37	10.36
20.	Tandi	Gohar	Mandi	2015-17	12.79	2.19	10.60
21.	Dhawal	Sundernagar	Mandi	2015-17	19.73	3.13	16.60
22.	Khilra	Sundernagar	Mandi	2015-17	15.84	7.55	8.29
23.	Kalohad	Sundernagar	Mandi	2015-17	14.60	0.18	14.42
24.	Bandli	Sundernagar	Mandi	2015-17	17.23	15.98	1.25
25.	Jugahan	Sundernagar	Mandi	2015-17	16.33	6.77	9.56
26.	Aihju	Chauntra	Mandi	2016-17	18.42	3.25	15.17
27.	Utpur	Chauntra	Mandi	2016-17	17.66	2.95	14.71
28.	Galu	Chauntra	Mandi	2016-17	13.11	3.23	9.88
<b>Total</b>					<b>479.68</b>	<b>143.29</b>	<b>336.39</b>

**Appendix-18(ii)**

(Refer paragraph 2.4.1; page 23)

**Details of blocking of funds under 14<sup>th</sup> Finance Commission due to incomplete work  
2018-19**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Period	Receipt	Expenditure	Balance
1.	Jogipur	Kangra	Kangra	2015-18	50.36	16.24	34.12
2.	Balol	Kangra	Kangra	2015-18	14.99	4.57	10.42
3.	Ustehad	Nagrota	Kangra	2015-18	27.53	12.01	15.52
4.	Nerna	Fatehpur	Kangra	2015-18	32.36	22.04	10.32
5.	Diyana	Fatehpur	Kangra	2015-18	15.60	09.61	05.99
6.	Chalwada-2	Fatehpur	Kangra	2015-18	15.95	10.96	04.99
7.	Rehan	Fatehpur	Kangra	2015-18	60.94	30.42	30.52
8.	Makdoli	Indora	Kangra	2015-18	17.72	14.27	03.45

9.	Bhapoo	Indora	Kangra	2015-18	36.09	26.78	09.31
10.	Baleer	Indora	Kangra	2015-18	21.12	15.74	05.38
11.	Jhakled	Dehra Gopipur	Kangra	2015-18	15.45	06.95	08.50
12.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra	2015-18	24.86	21.80	03.06
13.	Salihar	Dehra Gopipur	Kangra	2015-18	18.10	13.84	04.26
14.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra	2015-18	37.56	22.98	14.58
15.	Sadoon Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra	2015-18	15.65	09.64	06.01
16.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra	2015-18	38.69	29.98	08.71
17.	Milkh	Nurpur	Kangra	2015-18	18.18	05.16	13.02
18.	Kheriyan	Nurpur	Kangra	2015-18	35.47	27.06	08.41
19.	Khaira	Sulah	Kangra	2015-18	25.85	07.52	18.33
20.	Kakrain	Sulah	Kangra	2015-18	22.59	21.68	0.91
21.	Gharoh	Rait	Kangra	2015-18	41.49	29.43	12.06
22.	Bandi	Rait	Kangra	2015-18	17.15	14.24	02.91
23.	Dhugiyari	Rait	Kangra	2015-18	16.95	07.42	09.53
24.	Balla	Bhawarna	Kangra	----	14.66	04.13	10.53
25.	Dhol	Nagrota Surian	Kangra	2015-18	33.16	10.69	22.47
26.	Jangal	Nagrota Surian	Kangra	2015-18	24.27	04.32	19.95
27.	Fariyan	Nagrota Surian	Kangra	2015-18	32.01	08.47	23.54
28.	Kothi	Baijnath	Kangra	2016-18	10.97	10.65	0.32
29.	Poling	Baijnath	Kangra	2015-18	25.72	13.57	12.15
30.	Sawad	Baijnath	Kangra	2015-18	38.20	17.11	21.09
31.	Harsi	Lambagaon	Kangra	----	28.76	04.19	24.57
32.	Kotlu	Lambagaon	Kangra	----	18.31	04.70	13.61
33.	Upper Thehru	Lambagaon	Kangra	----	14.55	03.62	10.93
34.	Badhal	Pragpur	Kangra	2015-18	41.17	10.37	30.80
35.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra	2015-18	16.04	05.72	10.32
36.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra	2015-18	12.74	05.95	06.79
37.	Khurik	Spiti	Lahaul- Spiti	2016-17	03.96	02.79	01.17
38.	Fariyan	Nagrota Surian	Kangra	2016-17	0.75	0.40	0.35
39.	Kiran	Chopal	Shimla	2016-17	09.00	06.29	02.71
40.	Badhal	Pragpur	Kangra	2017-18	06.10	02.36	03.74
41.	Gangot	Pragpur	Kangra	2017-18	04.00	02.42	01.58
42.	Pujarli-3	Rohru	Shimla	2016-18	22.69	17.16	05.53
43.	Hal	Spiti	Lahaul Spiti	2016-17	01.94	0.43	01.51

44.	Langcha	Spiti	Lahaul Spiti	2016-17	02.64	01.74	0.90
45.	Makdoli	Indora	Kangra	2017-18	01.48	0.92	0.56
46.	Diyana	Fatehpur	Kangra	2017-18	0.60	0.04	0.56
47.	Nerna	Fatehpur	Kangra	2017-18	05.00	04.91	0.09
48.	Khangtedi	Rohru	Shimla	2015-18	25.73	16.90	08.83
49.	Kotlu	Lambagaon	Kangra	2016-17	03.00	0.28	02.72
50.	Kadoa	Pragpur	Kangra	2016-18	05.80	03.79	02.01
<b>Total</b>					<b>1,023.90</b>	<b>544.26</b>	<b>479.64</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-19 (i)**

(Refer paragraph 2.4.2; page 23)

**Details of blocking of funds under 14<sup>th</sup> Finance Commission due to non-start of work  
2017-18**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Period	Receipt	Expenditure	Balance
1.	Sakouri	Kandaghat	Solan	2015-17	7.27	00	7.27
2.	Basha	Kandaghat	Solan	2016-17	6.71	00	6.71
3.	Wakna	Kandaghat	Solan	2015-17	23.95	00	23.95
<b>Total</b>					<b>37.93</b>	<b>00</b>	<b>37.93</b>

**Appendix-19 (ii)**

(Refer paragraph 2.4.2; page 23)

**Details of blocking of funds under 14<sup>th</sup> Finance Commission due to non-start of work  
2018-19**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Period	Receipt	Expenditure	Balance
1.	Khundiyan	Dehra Gopipur	Kangra	2016-18	02.50	00	02.50
2.	Badehar	Panchrukhi	Kangra	2017-18	07.80	00	07.80
3.	Langcha	Spiti	Lahaul Spiti	2016-17	0.76	00	0.76
4.	Hal	Spiti	Lahaul Spiti	2016-17	03.00	00	03.00
5.	Daimul	Spiti	Lahaul Spiti	2016-17	16.51	00	16.51
6.	Jangal	Nagrota Surian	Kangra	2016-18	05.30	00	05.30
7.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla	2015-16	01.25	00	01.25
<b>Total</b>					<b>37.12</b>	<b>00</b>	<b>37.12</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-20**

(Refer paragraph 2.5; page 23)

**Details of funds remained unutilized under NRHM**

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Receipt	Expenditure	Balance
1.	Noun	Gohar	Mandi	0.19	0.13	0.06
2.	Kutahchi	Gohar	Mandi	0.10	0.01	0.09
3.	Tandi	Gohar	Mandi	0.15	-	0.15
4.	Tunna	Gohar	Mandi	0.15	-	0.15
5.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi	0.34	-	0.34
6.	Santhal Padain	Chauntra	Mandi	0.20	0.04	0.16
7.	Galoo	Chauntra	Mandi	0.10	-	0.10
8.	Utpur	Chauntra	Mandi	0.20	-	0.20
9.	Aihju	Chauntra	Mandi	0.20	-	0.20
10.	Barchwar	Gopalpur	Mandi	0.10	-	0.10
11.	Jamni	Gopalpur	Mandi	0.20	-	0.20
12.	Kalohad	Sundernagar	Mandi	0.15	-	0.15
13.	Jugahan	Sundernagar	Mandi	0.14	-	0.14
14.	Karana	Anni	Kullu	0.20	-	0.20
15.	Kohila	Anni	Kullu	0.10	-	0.10
16.	Pokhri	Anni	Kullu	0.20	-	0.20
17.	Takrasi	Anni	Kullu	0.25	-	0.25
18.	Fanauti	Anni	Kullu	0.10	-	0.10
19.	Shirar	Naggar	Kullu	0.20	-	0.20
20.	Pangan	Naggar	Kullu	0.20	-	0.20
21..	Karadsu	Naggar	Kullu	0.10	-	0.10
22.	Mandalgarh	Naggar	Kullu	0.10	-	0.10
23.	Sarahan	Nirmand	Kullu	0.10	-	0.10
24.	Nirmand	Nirmand	Kullu	0.10	-	0.10
25.	Nor	Nirmand	Kullu	0.10	-	0.10
26.	Tunan	Nirmand	Kullu	0.10	-	0.10
27.	Kot	Nirmand	Kullu	0.10	-	0.10
<b>Total</b>				<b>4.17</b>	<b>0.18</b>	<b>3.99</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

### Appendix-21

(Refer paragraph 2.6; page 24)

#### Details of delay in releasing payments under MGNREG Scheme

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Period	Delay in days	Amount
1.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra	-	24 to 120	04.13
2.	Badhal	Pragpur	Kangra	2014-17	16 to 123	09.17
3.	Gharoh	Rait	Kangra	2013-18	16 to 75	01.79
4.	Bandi	Rait	Kangra	2013-18	17 to 217	01.15
5.	Dhugiyari	Rait	Kangra	2013-18	17 to 82	11.70
6.	Kakrain	Sulah	Kangra	2013-18	16 to 122	01.00
7.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra	2013-18	19 to 105	02.30
8.	Badehar	Panchrukhi	Kangra	2013-14	18 to 52	05.42
9.	Kothi	Baijnath	Kangra	2013-14	20 to 44	01.21
10.	Poling	Baijnath	Kangra	2013-18	19 to 90	03.90
11.	Sawad	Baijnath	Kangra	2013-18	18 to 82	03.88
12.	Karewthi	Narkanda	Shimla	2015-18	15 to 64	03.21
13.	Sinhal	Narkanda	Shimla	2015-18	20 to 66	03.63
14.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla	2012-14	66 to 518	04.62
<b>Total</b>						<b>57.11</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-22**

(Refer paragraph 2.10; page 27)

**Irregular purchase of material****2017-18****(₹ in lakh)**

Sl. No.	Name of Zila Parishad	Amount
1.	Mandi	1.05
<b>Total (i)</b>		<b>1.05</b>

Sl. No.	Name of Panchayat Samiti	District	Amount
1.	Gohar	Mandi	0.42
2.	Kandaghat	Solan	11.40
<b>Total (ii)</b>			<b>11.82</b>

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Block	District	Amount
1.	Basha	Kandaghat	Solan	08.48
2.	Sakouri	Kandaghat	Solan	13.32
3.	Wakna	Kandaghat	Solan	03.14
4.	Sayari	Kandaghat	Solan	08.74
5.	Hinner	Kandaghat	Solan	24.65
6.	Goyla	Dharampur	Solan	04.26
7.	Chammo	Dharampur	Solan	09.73
8.	Nalka	Dharampur	Solan	14.99
9.	Bhawguri	Dharampur	Solan	23.73
10.	Jadla	Dharampur	Solan	04.62
11.	Kohila	Anni	Kullu	5.05
12.	Fanauti	Anni	Kullu	03.56
13.	Pokhri	Anni	Kullu	04.31
14.	Takrasi	Anni	Kullu	01.18
15.	Karana	Anni	Kullu	01.02
16.	Kot	Nirmand	Kullu	5.87
17.	Tunan	Nirmand	Kullu	03.06
18.	Sarahan	Nirmand	Kullu	01.95
19.	Nirmand	Nirmand	Kullu	03.79
20.	Karadsu	Naggur	Kullu	02.15
21.	Tunna	Gohar	Mandi	0.90
22.	Tandi	Gohar	Mandi	1.65
23.	Kutahchi	Gohar	Mandi	2.87
24.	Kotla Khanula	Gohar	Mandi	2.29
25.	Noun	Gohar	Mandi	1.98
26.	Jugahan	Sundernagar	Mandi	1.57
27.	Kalohad	Sundernagar	Mandi	2.93
28.	Khilra	Sundernagar	Mandi	2.57
29.	Dhawal	Sundernagar	Mandi	3.39
30.	Santhal Padain	Chauntra	Mandi	0.57
31.	Utpur	Chauntra	Mandi	1.34
32.	Galu	Chauntra	Mandi	1.65
33.	Aihju	Chauntra	Mandi	1.47
34.	Pipli	Chauntra	Mandi	1.55
35.	Sulpur Jaboth	Gopalpur	Mandi	0.39
<b>Total (iii)</b>				<b>174.72</b>
<b>Grand Total (i), (ii) &amp; (iii)</b>				<b>187.59</b>



## 2018-19

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Amount (₹ in lakh)
1.	Karewthi	Narkanda	Shimla	08.40
2.	Sinhal	Narkanda	Shimla	10.55
3.	Malendi	Narkanda	Shimla	06.26
4.	Mogra	Narkanda	Shimla	02.62
5.	Ghoond	Theog	Shimla	24.57
6.	Ghodna	Theog	Shimla	16.21
7.	Dadas	Theog	Shimla	33.50
8.	Kuthar	Theog	Shimla	17.81
9.	Pujarli (Beolia)	Mashobra	Shimla	20.27
10.	Junga	Mashobra	Shimla	08.02
11.	Kotkayna	Jubbal kotkhai	Shimla	07.18
12.	Kyari	Jubbal Kotkhai	Shimla	07.33
13.	Kuddu	Jubbal Kotkhai	Shimla	08.29
14.	Jaipidi Mata	Jubbal-Kotkhai	Shimla	10.12
15.	Ramnagar	Jubbal-Kotkhai	Shimla	07.78
16.	Thana	Jubbal-Kotkhai	Shimla	09.51
17.	Shingla	Rampur	Shimla	05.89
18.	Deothi	Rampur	Shimla	05.97
19.	Neerath	Rampur	Shimla	04.00
20.	Duttanagar	Rampur	Shimla	15.21
21.	Khangtedi	Rohru	Shimla	09.50
22.	Pujarli-3	Rohru	Shimla	16.37
23.	Katlah	Rohru	Shimla	08.88
24.	Jagothi	Rohru	Shimla	04.20
25.	Chalahal	Basantpur	Shimla	03.62
26.	Vainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla	01.52
27.	Chebdi	Basantpur	Shimla	03.26
28.	Majoli Tipper	Nankhari	Shimla	04.88
29.	Diudi Mala	Chhohara	Shimla	03.75
30.	Tangnu Janglikh	Chhohara	Shimla	05.15
31.	Dhakgaon	Chhohara	Shimla	01.71
32.	Khawal	Chhohara	Shimla	05.24
33.	Gorali Madawag	Chopal	Shimla	07.14
34.	Chadoli	Chopal	Shimla	04.90
35.	Kiran	Chopal	Shimla	05.66
36.	Bawat	Chopal	Shimla	08.68
37.	Kanda Banah	Kupwi	Shimla	12.01
38.	Majholi	Kupwi	Shimla	03.01
39.	Sawad	Baijnath	Kangra	06.72
40.	Poling	Baijnath	Kangra	09.61
41.	Kothi	Baijnath	Kangra	07.82
42.	Ladoh	Panchrukhi	Kangra	05.00
43.	Badehar	Panchrukhi	Kangra	05.40
44.	Ghadh	Bhawarna	Kangra	05.80
45.	Kaloond	Bhawarna	Kangra	03.66
46.	Balla	Bhawarna	Kangra	06.47
47.	Harsi	Lambagaon	Kangra	05.70

48.	Upper Thehru	Lambagaon	Kangra	01.28
49.	Khaira	Sulah	Kangra	09.82
50.	Kakrain	Sulah	Kangra	03.90
51.	Bandi	Rait	Kangra	03.80
52.	Gharoh	Rait	Kangra	06.05
53.	Dhugiyari	Rait	Kangra	07.08
54.	Kheriyan	Nurpur	Kangra	01.46
55.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra	02.30
56.	Milakh	Nurpur	Kangra	01.49
57.	Baleer	Indora	Kangra	06.11
58.	Bhapoo	Indora	Kangra	02.63
59.	Makdoli	Indora	Kangra	01.51
60.	Badhal	Pragpur	Kangra	10.67
61.	Goral Dhar	Pragpur	Kangra	07.00
62.	Gangot	Pragpur	Kangra	08.59
63.	Kasba Jagir	Pragpur	Kangra	06.29
64.	Kadoa	Pragpur	Kangra	09.38
65.	Mandal	Dharmshala	Kangra	07.61
66.	Barwala	Dharmshala	Kangra	04.97
67.	Sadoon Bargran	Nagrota Bagwan	Kangra	02.75
68.	Dol	Nagrota Surian	Kangra	02.06
69.	Jhikli Ichhi	Kangra	Kangra	03.46
70.	Balol	Kangra	Kangra	02.61
71.	Rehan	Fatehpur	Kangra	04.53
72.	Diyana	Fatehpur	Kangra	02.76
73.	Khurik	Spiti	Lahaul Spiti	13.57
74.	Lalung	Spiti	Lahaul Spiti	11.21
75.	Langza	Spiti	Lahaul Spiti	07.22
76.	Daimul	Spiti	Lahaul Spiti	09.10
77.	Hal	Spiti	Lahaul Spiti	14.52
78.	Kardang	Lahaul	Lahaul Spiti	17.96
79.	Darcha	Lahaul	Lahaul Spiti	23.46
80.	Keylong	Lahaul	Lahaul Spiti	33.43
81.	Barbog	Lahaul	Lahaul Spiti	19.99
82.	Gondhala	Lahaul	Lahaul Spiti	07.74
83.	Muling	Lahaul	Lahaul Spiti	04.80
84.	Gosal	Lahaul	Lahaul Spiti	08.56
<b>Total</b>				<b>686.82</b>
<b>Grand Total (2017-18 and 2018-19)</b>				<b>874.41</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

## Appendix-23

(Refer paragraph 2.11; page 28)

## Irregular Payment of Government Money

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Block	Name of District	Amount
1.	Karewthi	Narkanda	Shimla	10.42
2.	Kuddu	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.01
3.	Chadoli	Chopal	Shimla	0.01
4.	Diudi Mala	Chhohara	Shimla	01.70
5.	Deothi	Rampur	Shimla	02.51
6.	Khangtethi	Rohru	Shimla	0.02
7.	Duttanagar	Rampur	Shimla	04.55
8.	Kotkayna	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.01
9.	Malendi	Narkanda	Shimla	08.48
10.	Sinhal	Narkanda	Shimla	0.24
11.	Saddu Bargran	Nagrota	Kangra	02.01
12.	Ustehad	Nagrota	Kangra	02.08
13.	Balol	Kangra	Kangra	02.27
14.	Manjholi	Kupwi	Shimla	0.01
15.	Kiran	Chopal	Shimla	0.02
16.	Hatwas	Nagrota Bagwan	Kangra	01.29
17.	Mamu Gurchaal	Nurpur	Kangra	02.13
18.	Pujarli-3	Rohru	Shimla	01.58
19.	Gharoh	Rait	Kangra	0.02
20.	Neerath	Rampur	Shimla	02.19
21.	Langcha	Spiti	Lahaul Spiti	0.02
22.	Jaipidi Mata	Jubbal Kotkhai	Shimla	0.01
23.	Tangnu Janglikh	Chhohara	Shimla	04.78
24.	Kadoa	Pragpur	Kangra	01.65
25.	Ramnagar	Jubbal Kotkhai	Shimla	02.20
26.	Thana	Jubbal Kotkhai	Shimla	05.53
27.	Ghadh	Bhawarna	Kangra	1.84
28.	Mogra	Narkanda	Shimla	04.72
29.	Khawal	Chhohara	Shimla	0.83
30.	Bainsh (Piplidhar)	Basantpur	Shimla	02.22
31.	Jagothi	Rohru	Shimla	0.02
32.	Bawat	Chopal	Shimla	0.01
33.	Milakh	Nurpur	Kangra	02.25
34.	Kanda Banah	Kupwi	Shimla	4.00
35.	Harsi	Lambagaon	Kangra	0.76
<b>Total</b>				<b>72.39</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-24(i)**

(Refer paragraph 4.2; page 38)

**Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs during 2014-17****2014-15**

(₹ in lakh)

**Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings/ Excess
1.	Shimla	15,664.86	7,604.11	8,060.75
2.	Dharamshala	3,477.68	2,776.35	701.33
<b>Total (i)</b>		<b>19,142.54</b>	<b>10,380.46</b>	<b>8,762.08</b>

**Municipal Councils**

1.	Hamirpur	4,342.77	3,886.42	456.35
2.	Mandi	4,524.15	3,631.83	892.32
3.	Nalagarh	603.16	383.58	219.58
4.	Solan	2,076.50	1,619.04	457.46
5.	Jogindernagar	318.72	148.44	170.28
6.	Nagrota Bagwan	782.16	749.68	32.48
<b>Total (ii)</b>		<b>12,647.46</b>	<b>10,418.99</b>	<b>2,228.47</b>

**Nagar Panchayats**

1.	Arki	83.66	90.16	-6.5
2.	Bajjnath Paprola	--	---	---
3.	Bhota	91.88	57.12	34.76
4.	Sunni	96.79	60.45	36.34
<b>Total (iii)</b>		<b>272.33</b>	<b>207.73</b>	<b>64.60</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>32,062.33</b>	<b>21,007.18</b>	<b>11,055.15</b>

**2015-16**

(₹ in lakh)

**Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings/ Excess
1.	Shimla	16,612.30	11,722.43	4,889.87
2.	Dharamshala	2,925.63	1,300.62	1,625.01
<b>Total (i)</b>		<b>19,537.93</b>	<b>13,023.05</b>	<b>6,514.88</b>

**Municipal Councils**

1.	Hamirpur	1,066.33	646.13	420.20
2.	Mandi	1,889.21	1,642.36	246.85
3.	Nalagarh	699.57	432	267.57
4.	Solan	2,362.86	1,680.87	681.99
5.	Jogindernagar	397.12	305.36	91.76
6.	Nagrota Bagwan	238.96	221.66	17.30
<b>Total (ii)</b>		<b>6,654.05</b>	<b>4,928.38</b>	<b>1,725.67</b>

**Nagar Panchayats**

1.	Arki	100.00	99.34	0.66
2.	Bajjnath Paprola	---	----	----
3.	Bhota	76.14	51.19	24.95
4.	Sunni	156.84	65.86	90.98
<b>Total (iii)</b>		<b>332.98</b>	<b>216.39</b>	<b>116.59</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>26,524.96</b>	<b>18,167.82</b>	<b>8,357.14</b>

## 2016-17

(₹ in lakh)

**Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings/ Excess
1.	Shimla	21,517.52	13,388.50	8,129.02
2.	Dharamshala	7,850.82	5,163.80	2,687.02
<b>Total (i)</b>		<b>29,368.34</b>	<b>18,552.3</b>	<b>10,816.04</b>

**Municipal Councils**

1.	Hamirpur	1,202.70	990.71	211.99
2.	Mandi	6,020.30	798.81	5,221.49
3.	Nalagarh	928.00	624.57	303.43
4.	Solan	2,975.43	2,399.04	576.39
5.	Jogindernagar	229.15	145.41	83.74
6.	Nagrota Bagwan	790.61	759.84	30.77
<b>Total (ii)</b>		<b>12,146.19</b>	<b>5,718.38</b>	<b>6,427.81</b>

**Nagar Panchayat**

1.	Arki	141.24	84.83	56.41
2.	Bajinath Paprola	674.22	43.73	630.49
3.	Bhota	219.95	92.80	127.15
4.	Sunni	191.75	92.90	98.85
<b>Total (iii)</b>		<b>1,227.16</b>	<b>314.26</b>	<b>912.90</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>42,741.69</b>	<b>24,584.94</b>	<b>18,156.75</b>

## Appendix-24(ii)

(Refer paragraph 4.2; page 38)

## Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs during 2015-18

## 2015-16

(₹ in lakh)

**Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)
1.	Shimla	28,784.60	11,722.43	17,062.17
2.	Dharamshala	7,900.92	5,163.80	2,737.12
<b>Total (i)</b>		<b>36,685.52</b>	<b>16,886.23</b>	<b>19,799.29</b>

**Municipal Councils**

1.	Dehra	459.44	271.52	187.92
2.	Hamirpur	1,066.33	646.13	420.20
3.	Kullu	1,175.21	921.72	253.49
4.	Manali	788.60	630.96	157.64
5.	Nerchowk	117.50	00	117.50
6.	Sujanpur	329.16	326.93	2.23
7.	Ghumarwin	199.42	168.43	30.99
<b>Total (ii)</b>		<b>4,135.66</b>	<b>2,965.69</b>	<b>1,169.97</b>

**Nagar Panchayats**

1.	Banjar	50.67	38.92	11.75
2.	Karsog	152.67	30.59	122.08
3.	Jawali (newly created)	--	--	--

4.	Nadaun	394.23	167.45	226.78
5.	Bhuntar	292.02	279.32	12.70
<b>Total (iii)</b>		<b>889.59</b>	<b>516.28</b>	<b>373.31</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>41,710.77</b>	<b>20,368.20</b>	<b>21,342.57</b>

**2016-17**

(₹ in lakh)

**Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)
1.	Shimla	39,714.12	13,388.50	26,325.62
2.	Dharamshala	5,130.37	2,670.83	2,459.54
<b>Total (i)</b>		<b>44,844.49</b>	<b>16,059.33</b>	<b>28,785.16</b>

**Municipal Councils**

1.	Dehra	517.50	280.09	237.41
2.	Hamirpur	1,202.70	990.70	212.00
3.	Kullu	3,091.55	1,527.64	1,563.91
4.	Manali	761.14	725.61	35.53
5.	Nerchowk	660.60	232.35	428.25
6.	Sujanpur	333.42	408.52	(+)75.10
7.	Ghumarwin	260.94	293.61	(+)32.67
<b>Total (ii)</b>		<b>6,827.85</b>	<b>4,458.52</b>	<b>2584.87</b>

**Nagar Panchayats**

1.	Banjar	72.85	43.59	29.26
2.	Karsog	210.61	330.99	(+)120.38
3.	Jawali (newly created)	366.94	28.00	338.94
4.	Nadaun	504.82	284.69	220.13
5.	Bhuntar	191.65	135.54	56.11
<b>Total (iii)</b>		<b>1,346.87</b>	<b>822.81</b>	<b>764.82</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>53,019.21</b>	<b>21,340.66</b>	<b>32,134.85</b>

## 2017-18

(₹ in lakh)

## Municipal Corporations

Sl. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings (-)/ Excess (+)
1.	Shimla	47,512.53	14,669.59	32,842.94
2.	Dharamshala	3,543.47	2,475.77	1,067.70
<b>Total (i)</b>		<b>51,056.00</b>	<b>17,145.36</b>	<b>33,910.64</b>

## Municipal Councils

1.	Dehra	381.90	271.52	110.38
2.	Hamirpur	846.30	655.43	190.87
3.	Kullu	2,829.83	2,026.82	803.01
4.	Manali	790.04	726.90	63.14
5.	Nerchowk	900.82	173.59	727.23
6.	Sujanpur	334.38	317.64	16.74
7.	Ghumarwin	299.12	469.50	(+)170.38
<b>Total (ii)</b>		<b>6,382.39</b>	<b>4,641.40</b>	<b>2,081.75</b>

## Nagar Panchayats

1.	Banjar	119.44	61.54	57.90
2.	Karsog	288.22	50.28	237.94
3.	Jawali (newly created)	616.41	141.70	474.71
4.	Nadaun	475.21	378.29	96.92
5.	Bhuntar	211.02	180.69	30.33
<b>Total (iii)</b>		<b>1,710.30</b>	<b>812.50</b>	<b>897.80</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>		<b>59,148.69</b>	<b>22,599.26</b>	<b>36,890.19</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

## Appendix-25

(Refer paragraph 4.5.1(a); page 40)

## Details of outstanding house tax in respect of ULBs

(₹ in lakh)

## 2017-18

Sl. No.	Name of Municipal Corporation	Opening balance as of April 2016	Demand during 2016-17	Total Demand	Collection during 2016-17	Outstanding amount as of March 2017
1.	Dharamshala	86.67	209.67	296.34	63.11	233.23
<b>Total (i)</b>		<b>86.67</b>	<b>209.67</b>	<b>296.34</b>	<b>63.11</b>	<b>233.23</b>
Sl. No.	Name of Municipal Council	Opening balance as of April 2016	Demand during 2016-17	Total Demand	Collection during 2016-17	Outstanding amount as of March 2017
1.	Hamirpur	76.48	98.55	175.03	126.46	48.57
2.	Mandi	124.74	271.98	396.72	77.80	318.92
3.	Nagrota Bagwan	15.23	12.30	27.53	7.89	19.64
4.	Jogindernagar	45.09	4.61	49.70	4.86	44.84
<b>Total (ii)</b>		<b>261.54</b>	<b>387.44</b>	<b>648.98</b>	<b>217.01</b>	<b>431.97</b>
Sl. No.	Name of Nagar Panchayat	Opening balance as of April 2016	Demand during 2016-17	Total Demand	Collection during 2016-17	Outstanding amount as of March 2017
1.	Arki	38.31	8.00	46.31	10.45	35.86
2.	Sunni	50.31	9.81	60.12	9.85	50.27
3.	Bhotta	10.16	1.74	11.90	5.23	6.67
<b>Total (iii)</b>		<b>98.78</b>	<b>19.55</b>	<b>118.33</b>	<b>25.53</b>	<b>92.80</b>
<b>Grand Total (i), (ii) &amp; (iii)</b>		<b>446.99</b>	<b>616.66</b>	<b>1,063.65</b>	<b>305.65</b>	<b>758.00</b>

(₹ in lakh)

## 2018-19

Sl. No.	Name of Municipal Corporation	Opening balance as of April 2017	Demand during 2017-18	Total Demand	Collection during 2017-18	Rebate	Outstanding amount as of March 2018
1.	Dharamshala	233.81	209.04	442.85	227.27	--	215.58
<b>Total (i)</b>		<b>233.81</b>	<b>209.04</b>	<b>442.85</b>	<b>227.27</b>	<b>--</b>	<b>215.58</b>
Sl. No.	Name of Municipal Council	Opening balance as of April 2017	Demand during 2017-18	Total Demand	Collection during 2017-18	Rebate	Outstanding amount as of March 2018
1.	Hamirpur	48.57	122.85	171.43	113.40	--	58.03
2.	Sujanpur	20.72	23.76	44.48	23.95	--	20.53
3.	Dehra	19.17	11.14	30.31	7.09	--	23.21
4.	Manali	15.32	111.05	126.37	94.39	--	31.98
5.	Kullu	30.60	71.59	102.19	81.10	7.50	13.59
6.	Ghumarin	47.52	16.38	63.90	36.45	--	27.45
<b>Total (ii)</b>		<b>181.90</b>	<b>356.77</b>	<b>538.68</b>	<b>356.38</b>	<b>7.50</b>	<b>174.79</b>
Sl. No.	Name of Nagar Panchayat	Opening balance as of April 2017	Demand during 2017-18	Total Demand	Collection during 2017-18	Rebate	Outstanding amount as of March 2018
1.	Nadaun	23.17	8.33	31.50	5.39	0.97	25.14
2.	Banjar	6.34	2.90	9.25	2.63	--	6.61
<b>Total (iii)</b>		<b>29.51</b>	<b>11.23</b>	<b>40.75</b>	<b>8.02</b>	<b>0.97</b>	<b>31.75</b>
<b>Grand Total (i), (ii)&amp;(iii)</b>		<b>445.22</b>	<b>577.04</b>	<b>1,022.28</b>	<b>591.67</b>	<b>8.47</b>	<b>422.12</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.



## Appendix-26

(Refer paragraph 4.5.2; page 41-42)

## Details of non-realization of rent from shops/ booths/ stalls

(₹ in lakh)

## 2017-18

## Municipal Corporation

Sl. No.	Name of Municipal Corporation	Opening balance as on 01 April 2016	Demand raised	Total	Collection as on 31 March 2017	Outstanding amount as on 31 March 2017
1.	Shimla	415.64	228.00	643.64	219.40	424.24
<b>Total (i)</b>		<b>415.64</b>	<b>228.00</b>	<b>643.64</b>	<b>219.40</b>	<b>424.24</b>

## Municipal Councils

1.	Mandi	113.47	75.29	188.76	81.32	107.44
2.	Nagrota Bagwan	13.47	15.80	29.27	13.75	15.52
3.	Nalagarh	60.75	71.66	132.41	55.33	77.08
4.	Hamirpur	40.54	20.40	60.94	19.43	41.51
5.	Jogindernagar	2.87	2.61	5.48	3.04	2.44
6.	Solan	104.04	42.84	146.88	26.69	120.19
<b>Total (ii)</b>		<b>335.14</b>	<b>228.60</b>	<b>563.74</b>	<b>199.56</b>	<b>364.18</b>

## Nagar Panchayats

1.	Sunni	3.58	5.15	8.73	4.40	4.33
2.	Bhotta	3.08	1.19	4.27	1.24	3.03
3.	Arki	2.87	3.00	5.87	3.13	2.74
<b>Total (iii)</b>		<b>9.53</b>	<b>9.34</b>	<b>18.87</b>	<b>8.77</b>	<b>10.10</b>
<b>Grand Total (i), (ii) &amp; (iii)</b>		<b>760.31</b>	<b>465.94</b>	<b>1,226.25</b>	<b>427.73</b>	<b>798.52</b>

(₹ in lakh)

## 2018-19

## Municipal Corporations

Sl. No.	Name of Municipal Corporation	Opening balance as on 01 April 2017	Demand raised during 2017-18	Total Demand	Collection during 2017-18	Outstanding amount as on 31 March 2018
1.	Shimla	424.24	235	659.24	247.46	411.78
2.	Dharamshala	32.47	55.02	87.49	57.30	30.19
<b>Total (i)</b>		<b>456.71</b>	<b>290.02</b>	<b>746.73</b>	<b>304.75</b>	<b>441.97</b>

## Municipal Councils

1.	Ghumarwin	04.38	3.48	7.87	3.45	4.41
2.	Kullu	30.24	45.14	75.38	44.99	30.39
3.	Manali	63.15	96.24	159.39	85.94	73.46
4.	Dehra	20.49	09.56	30.05	12.36	17.69
5.	Ner Chowk	0.30	0.24	0.54	0.19	0.35
6.	Sujanpur	28.45	20.81	49.26	14.69	34.56
<b>Total (ii)</b>		<b>147.01</b>	<b>175.47</b>	<b>322.49</b>	<b>161.62</b>	<b>160.86</b>

## Nagar Panchayats

1.	Bhuntar	43.36	8.99	52.34	8.32	44.03
2.	Nadaun	20.8	13.12	33.92	10.66	23.26
3.	Banjar	4.16	2.33	6.49	0.77	5.72
<b>Total (iii)</b>		<b>68.32</b>	<b>24.44</b>	<b>92.75</b>	<b>19.75</b>	<b>73.01</b>
<b>Grand Total (i), (ii) &amp; (iii)</b>		<b>672.04</b>	<b>489.93</b>	<b>1,161.97</b>	<b>486.12</b>	<b>675.84</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-27**

(Refer paragraph 4.5.3; page 42)

**Details of non-recovery of duty for installation/ renewal of mobile towers within Urban Local Bodies area**

(₹ in lakh)

**2017-18****Municipal Corporation**

Sl. No.	Name of Municipal Corporation	Year of installation	Period for which amount pending	Number of towers	Amount
1.	Dharamshala	2006-15	2006-07 to 2016-17	12	2.55
<b>Total (i)</b>				<b>12</b>	<b>2.55</b>

**Municipal Councils**

Sl. No.	Name of Municipal Council	Year of installation	Period for which amount pending	Number of towers	Amount
1.	Nalagarh	-----	2008-09 to 2016-17	4	1.07
2.	Solan	2006-17	2015-16 to 2016-17	16	1.13
3.	Hamirpur	2006-15	2009-10 to 2016-17	19	2.96
4.	Mandi	-----	Upto 2016-17	7	12.20
5.	Nagrota Bagwan	2005-2014	2005 to 2018	8	1.01
6.	Joginder Nagar	-----	Upto 2016-17	8	2.36
<b>Total (ii)</b>				<b>62</b>	<b>20.73</b>

**Nagar Panchayats**

Sl. No.	Name of Nagar Panchayat	Year of installation	Period for which amount pending	Number of towers	Amount
1.	Sunni	-----	Upto 2016-17	12	1.56
2.	Arki	-----	Upto 2016-17	6	0.37
<b>Total (iii)</b>				<b>18</b>	<b>1.93</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>				<b>92</b>	<b>25.21</b>

(₹ in lakh)

**2018-19****Municipal Corporations**

Sl. No.	Name of Municipal Corporation	Year of installation	Period for which amount pending	Number of towers	Amount
1.	Shimla	-	2017-18	84	12.76
2.	Dharamshala	2008-2012	Upto 03/2018	5	5.26
<b>Total (i)</b>				<b>89</b>	<b>18.02</b>

**Municipal Councils**

Sl. No.	Name of Municipal Council	Year of installation	Period for which amount pending	Number of towers	Amount
1.	Dehra	2004	2009-18	1	0.35
2.	Manali	2006-09	Up to 03/2018	9	3.15
3.	Ghumarwin	2006-09	2010- 18	4	1.11
4.	Hamirpur	2006-17	Up to 03/2018	16	3.56
5.	Kullu	--	Up to 03/2018	16	3.68
<b>Total (ii)</b>				<b>46</b>	<b>11.85</b>

**Nagar Panchayats**

Sl. No.	Name of Nagar Panchayat	Year of installation	Period for which amount pending	Number of towers	Amount
1.	Banjar	--	2014-18	--	0.55
2.	Nadaun	--	Upto 03/2018	--	1.06
<b>Total (iii)</b>				<b>--</b>	<b>1.61</b>
<b>Grand Total (i), (ii) and (iii)</b>				<b>130</b>	<b>31.48</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.

**Appendix-28**

(Refer paragraph 4.16; page 57)

**Statement showing the detail of outstanding advances given to officials/ departments but not adjusted as of December 2017****2017-18****Municipal Council, Nalagarh**

Sl. No.	Name of Employee/ Department	Date on which advance given	Amount (in ₹)
1.	Sh. Hem Raj, JE retired	12/1999 to 2/2014	93,060
2.	Sh. Baljeet Singh, Draftsman	06/2000 to 7/2016	3,07,200
3.	Sh. Dinesh Kumar, Accountant		10,000
4.	Sh. Sanjay Awasthi, JE retired	08/2000 to 10/2006	2,40,463
<b>Total(i)</b>			<b>6,50,723</b>

**Municipal Council, Solan**

Sl. No.	Name of Employee/Department	Purpose of advance	Date on which advance given	Amount (in ₹)
1.	Sh. M.L. Thakur, JE	Nosal for fountain, sand purchase, sample test for water	5/1999 to 04/2001	2,300
2.	Triloki Nath Attri, Sanitary Inspector	Purchase of high security plates	02/2013	1,432
3.	Sh. Kuldeep Gupta, Clerk	Removal of sand	10/1999	500
4.	Sh. Sohan Lal, Mate	Sample test for water	2003-04	1,200
5.	Sh. Karan Chand Verma, SI	Repair of Vehicle	2003-04	500
6.	HP Civil Supply Corporation	Purchase of cement	2005-06 to 2016-17	38,10,807
7.	Sh. Ramshad Ali, Saharanpur	Statue of Ravana	2005-06	15,000
8.	HP State Small Industries Export Cop.	Steel and Bitumen	2006-07 to 2016-17	60,04,554
9.	Executive Engineer, Sub Division HPSEBL Solan	Point of Street light Ward No. 1	06/2017	78,740
10.	Assistant Engineer, Sub Division IPH Solan	Purchase of GI/CI pipes	2006-07 to 2014-15	87,072
11.	Him Udyog Goyal Niwas, Solan	Purchase of RCC pipes	2005-06 to 2007-08	1,85,510
12.	Manager HP Agro Industries Solan	Purchase of cement, steel and dustbin	2006-07 to 2010-2011	1,812
13.	M/s Sabu Tor, Kala Amb, Nahan	Purchase of steel	2011-12 to 2012-13	36
14.	Sh. Vinod Pal, JE	TA advance	04/2012	2,536
15.	Assistant Engineer, Horticulture Sub Division HPPWD Solan	Purchase of Plants	08/2010	2,000
16.	Deputy Director, Animal Husbandry, Solan	Sterilization of dogs	5/2016	80,000
<b>Total (ii)</b>				<b>1,02,73,999</b>
<b>Grand Total (i) &amp; (ii)</b>				<b>1,09,24,722</b>

**Municipal Corporation, Shimla**

Sl. No.	Head of Account	Detail Head Description	Period	Opening balance as on 31.03.2016 (in ₹)	Advance paid during the Year 2016-17 (in ₹)	Total (in ₹)	Advance adjusted during the year 2016-17 (in ₹)	Balance (in ₹)
1.	460-40-01	Public Works	1.4.07 to 31.3.17	11,29,241	1,00,00,000	1,11,29,241	0	1,11,29,241
2.	460-40-02	Store/ material	1.4.07 to 31.3.17	1,68,71,606	1,50,27,511	3,18,99,117	0	3,18,99,117
3.	460-50-01	Permanent Advance	1.4.07 to 31.3.17	31,565	0	31,565	0	31,565
4.	460-50-02	Project	1.4.07 to 31.3.17	91,26,477	0	91,26,477	0	91,26,477
5.	460-50-03	Scheme	1.4.07 to 31.3.17	49,68,820	0	49,68,820	0	49,68,820
6.	460-50-05	Temporary Advance	1.4.63 to 31.3.17	17,25,08,612	1,15,07,163	18,40,15,775	72,18,481	17,67,97,294
7.	460-60-01	Street light	1.4.07 to 31.3.17	4,41,96,218	1,58,43,051	6,00,39,269	0	6,00,39,269
8.	460-60-03	Water Supply	1.4.07 to 31.3.17	1,61,16,827	0	1,61,16,827	0	1,61,16,827
9.	460-33-01	Public lamp post	1.4.07 to 31.3.17	0	1,57,509	1,57,509	0	1,57,509
10.	460-60-05	Others Water	1.4.07 to 31.3.17	0	10,000	10,000	0	10,000
<b>Total</b>				<b>26,49,49,366</b>	<b>5,25,45,234</b>	<b>31,74,94,600</b>	<b>72,18,481</b>	<b>31,02,76,119</b>

**2018-19****Statements showing the detail of outstanding advances given to employee but not adjusted or recouped as of December 2018****Municipal Corporation, Dharamshala**

Sr.No.	Name of employee to whom advance given	Date on which advance given	Amount (in ₹)
1.	Sh. Sarvan Kumar, Driver	4/2017 to 6/2017	20,000
2.	Sh. Sandeep Kumar Bharmouria, Manager	1/2017 to 5/2017	5,28,000
3.	Sh. Manjeet Singh, Driver	6/2017	20,000
4.	Sh. Vidhesh Kumar, Driver	6/2017	15,000
<b>Total(i)</b>			<b>5,83,000</b>

**Municipal Council, Kullu**

Name of Employee to whom advance given	Voucher No./ Date on which advance given	Purpose of advance	Amount (in ₹)
Sh. Niti Bibhash, Sanitary Inspector	49, 8/2015	Door to Door garbage collection	3,26,550
	56, 8/2015	SBM	18,000
	38, 9/2015	NGT care	4,000
<b>Total(ii)</b>			<b>3,48,550</b>

**Municipal Council, Manali**

Name of Employee to whom advance given	Voucher No./ Date on which advance given	Purpose of advance	Amount (in ₹)
Sh. Nathu Ram, Driver	77, 10/2017	Repair of JCB robot	10,000
<b>Total(iii)</b>			<b>10,000</b>
<b>Grand Total (i), (ii) &amp; (iii)</b>			<b>9,41,550</b>

Source: Figures supplied by the test-checked units.



**© COMPTROLLER AND  
AUDITOR GENERAL OF INDIA  
<https://cag.gov.in>**

**<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>**



सत्यमेव जयते

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए  
पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला





31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों के लिए  
पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
हिमाचल प्रदेश, शिमला



## अनुक्रमणिका

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xi
<b>भाग-क</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाएं</b>		
<b>अध्याय-1</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा</b>		
पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1-2
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	2-4
वित्तीय रूपरेखा	1.4	5-8
पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली	1.5	9
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.6	9
पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	1.7	10
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	1.8	10-12
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.9	12
अनुपालना हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद	1.10	12-13
<b>अध्याय-2</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम</b>		
लेखांकन प्रणाली	2.1	15-24
राजस्व	2.2	24-27
निधियों का अवरोधन	2.3	27-32
14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अप्रयुक्त निधियां	2.4	32-34
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियों का अवरोधन	2.5	34
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	2.6	34-37

संदिग्ध व्यय	2.7	38
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करना	2.8	38-39
बजट आंकलन तैयार न करना	2.9	39
सामग्री की अनियमित खरीद	2.10	39-40
सरकारी धन का अनियमित भुगतान	2.11	40-41
अनियमित भुगतान	2.12	41-42
<b>भाग-ख</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकाय</b>		
<b>अध्याय-3</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा</b>		
पृष्ठभूमि	3.1	43
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	43
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	43-45
वित्तीय रूपरेखा	3.4	45-48
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.5	48
शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	3.6	48-49
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	3.7	49-50
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.8	50
अनुपालना हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3.9	51
<b>अध्याय-4</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम</b>		
लेखांकन प्रणाली	4.1	53-54
बजट तैयार न करना	4.2	54-55
कोटेशन आमंत्रित किए बिना सामग्री की खरीद	4.3	55-56
अभिलेखों का अनुरक्षण न करना	4.4	56-57
राजस्व	4.5	57-67
निधियों का अवरोधन	4.6	67-75
निधियों का व्यपवर्तन	4.7	75-76
अलाभकारी व्यय तथा लाभार्थी अंश की वसूली न करना	4.8	76-77
अलाभकारी व्यय	4.9	77

अलाभकारी व्यय एवं भारत सरकार के अनुदान का व्ययगत होना	4.10	78
वेतन पर व्यर्थ व्यय	4.11	79
अधिभार सहित विद्युत के बिलों की देयता	4.12	79-80
नियमों का उल्लंघन - कार्यों का विभाजन	4.13	80
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	4.14	80-81
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना हुआ अनियमित व्यय	4.15	81-82
अग्रिमों का समायोजन न करना	4.16	82-83
फर्मों को अनुचित लाभ	4.17	83-84
सामग्री का लेखांकन न करना	4.18	84
स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना	4.19	84-85
<b>परिशिष्ट</b>		
<b>विवरण</b>	<b>परिशिष्ट</b>	<b>पृष्ठ</b>
संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से सूचीबद्ध कार्यक्रमों का विवरण	1	87-88
पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए 15 लाईन विभागों का ब्यौरा	2	89
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र- 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	3	90-95
पीआरआईएसॉफ्ट में रोकड़ बही तैयार न करना, राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में संपत्ति का अनुरक्षण न करना एवं तीन आदर्श लेखांकन प्रणाली पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना	4	96-97
2016-17 के दौरान बैंक पासबुक एवं पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड की गई शेष राशि के आंकड़ों के मध्य अंतर एवं 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों तथा पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मध्य अंतर	5	98-101
महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना	6	102-105
बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के मध्य अंतर का समाधान न करना	7	106-110
खाता 'क' में शराब उपकर जमा न करना	8	111

2017-18 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री का लेखांकन न करने का विवरण	9	112
भौतिक सत्यापन न करना	10	113-114
संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवास कर की वसूली न करने का विवरण	11	115-118
दुकानों के बकाया किराए का विवरण	12	119-120
ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना/ नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न होने का विवरण	13	121-122
टी.डी.एस. की कटौती न करना	14	123
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रारंभ न करने के कारण निधियों का अवरोधन	15	124-125
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने के कारण निधियों का अवरोधन	16	126-128
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण	17	129
अपूर्ण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण	18	130-132
कार्य प्रारंभ न होने के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण	19	133
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अप्रयुक्त रहे निधियों का विवरण	20	134
मनरेगा योजना के तहत भुगतान जारी करने में विलम्ब का विवरण	21	135
सामग्री की अनियमित खरीद	22	136-139
सरकारी धन का अनियमित भुगतान	23	140-141
2014-17 एवं 2015-18 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय का विवरण	24	142-147
शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में बकाया आवास कर का विवरण	25	148-149
दुकानों/ बूथों/ स्टालों से किराए की वसूली न करने का विवरण	26	150-151
शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में मोबाइल टावरों की स्थापना/ नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न करने का विवरण	27	152-153
अधिकारियों/ विभागों को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जो दिसंबर 2017 एवं दिसंबर 2018 तक समायोजित नहीं किए गए	28	154-156

## प्रस्तावना

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों हेतु यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संबंधित विभागों सहित राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए परन्तु विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।





विहंगावलोकन



यह प्रतिवेदन दो भागों में है जिसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है।

### भाग-क: पंचायती राज संस्थाएं

संविधान (तेहतरवें संशोधन) अधिनियम, 1992 में निहित प्रावधानों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना स्थापित की गयी। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 15-लाईन विभागों से सम्बंधित कार्य सौंपे गये।

### अध्याय-1: पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

➤ पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग (एच.पी. एस.ए.डी) द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सौंपी है (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 1.2)

➤ मार्च 2019 तक राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां एवं 3,226 ग्राम पंचायतें हैं।

(परिच्छेद 1.3)

➤ पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मी हैं। पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2019 तक कुल संस्वीकृत पदों 9465 के प्रति 413 रिक्त पद थे।

(परिच्छेद 1.3.2)

➤ विकास गतिविधियों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के मूल संसाधनों में (क) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान, (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा विकास (घ) राज्य सरकार अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः ₹ 1457.99 करोड़ एवं ₹ 1757.57 करोड़ की निधियां आवंटित की गयी।

(परिच्छेद 1.4.1)

- पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार लेखों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पीआरआईए सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 1.5)

- वर्ष 2017-19 के दौरान 457 पंचायती राज संस्थाओं की हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई जबकि उक्त वर्षों के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा विंग द्वारा 4,843 पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

(परिच्छेद 1.7)

## अध्याय-2: पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः तीन जिला परिषदों, नौ पंचायत समितियों एवं 45 ग्राम पंचायतों तथा तीन जिला परिषदों, सात पंचायत समितियों एवं 103 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के मुख्य बिंदु निम्न हैं:

- प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट में अपलोड किए गए आंकड़ों के बीच अंतर।

(परिच्छेद 2.1.2)

- बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही की शेष राशि का मिलान न होना।

(परिच्छेद 2.1.4)

- खाता- 'क' में ₹ 12.26 लाख की राशि का शराब उपकर जमा न करना।

(परिच्छेद 2.1.6(ii))

- कार्य प्रारंभ न करने के कारण ₹ 1.37 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(परिच्छेद 2.3.1)

- कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹ 1.95 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(परिच्छेद 2.3.2)

- 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 5.12 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न होने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियां जारी न करने के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 2.3.3)

- 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 8.16 करोड़ की निधियां कार्यों के पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(परिच्छेद 2.4.1)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को ₹ 57.11 लाख की मजदूरी के भुगतान में 15 से 518 दिनों के मध्य की अवधि का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

- एक सौ बाईस पंचायती राज संस्थाओं ने कोटेशन/ निविदाएं आमंत्रित किए बिना ₹ 8.74 करोड़ की लागत से सामग्री खरीदी।

(परिच्छेद 2.10)

- 35 ग्राम पंचायतों में ₹ 72.39 लाख के सरकारी धन का अनियमित भुगतान।

(परिच्छेद 2.11)

### भाग-ख: शहरी स्थानीय निकाय

74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं शहरी स्थानीय निकायों को निधियों तथा अधिक कार्यों के हस्तांतरण एवं सुपुर्दगी का मार्ग प्रशस्त किया। शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके अधीन क्षेत्रों की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

### अध्याय-3: शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

- शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी है (मार्च 2011)।

(परिच्छेद 3.2)

- 31 मार्च 2019 तक राज्य में दो नगर निगम, 31 नगर परिषदें एवं 21 नगर पंचायतें हैं।

(परिच्छेद 3.3)

- शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न संवर्गों में मार्च 2019 तक कुल संस्वीकृत पदों 3,749 के प्रति 1,230 रिक्त पद थे।

(परिच्छेद 3.3.2)

- विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में मुख्यतः (क) केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा (घ) राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके

अतिरिक्त करों, किरायों, शुल्कों इत्यादि के रूप में भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व जुटाया जाता है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹ 433.52 करोड़ एवं ₹ 794.91 करोड़ की निधियां आवंटित की गयी।

(परिच्छेद 3.4.1)

- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 26 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई जबकि शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक, शहरी विकास के नियंत्रण में पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है।

(परिच्छेद 3.6)

#### अध्याय-4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान क्रमशः दो नगर निगम, छः नगर परिषदों, चार नगर पंचायतों तथा दो नगर निगम, सात नगर परिषदों, पांच नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी। अन्य बातों के साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के मुख्य बिंदु निम्न हैं:

- अप्रभावी निगरानी के कारण 17 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 11.80 करोड़ के आवास कर राजस्व की वसूली नहीं की गई।

(परिच्छेद 4.5.1 (क))

- 21 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों, बूथों एवं स्टालों से ₹ 14.75 करोड़ के बकाया किराए की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 4.5.2)

- नगर निगम शिमला, दुकानों व स्टालों से ₹ 1.74 करोड़ की लीज राशि की वसूली करने में विफल रहा।

(परिच्छेद 4.5.5)

- अमृत के तहत ₹ 8.97 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹ 2.67 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹ 1.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(परिच्छेद 4.6)

- तीन शहरी स्थानीय निकायों में 13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹ 4.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

(परिच्छेद 4.6.4)

- कार्य पूर्ण/ प्रारंभ न करने के कारण बारह नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 14.52 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

*(परिच्छेद 4.6.5)*

- दो शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त ₹ 4.41 करोड़ की निधियों का अवरोधन जिससे जनता सीवरेज सुविधाओं से वंचित रही।

*(परिच्छेद 4.6.6)*

- नगर परिषद् नालागढ़ में 73 आवास आवंटित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹ 1.36 करोड़ के लाभार्थी अंश की वसूली नहीं हुई।

*(परिच्छेद 4.8)*

- दो शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये।

*(परिच्छेद 4.14)*

- छः शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-18 के दौरान पिछले अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹ 32.21 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किए।

*(परिच्छेद 4.16)*





## **अध्याय-1**

# **पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा**



## भाग-क पंचायती राज संस्थान

### अध्याय-1 पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

#### 1.1 पृष्ठभूमि

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा नियमित चुनावों एवं वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के प्रवाह के साथ ग्रामीण स्तर पर स्व-शासित संस्थाओं का एक ढांचा स्थापित किया। यह अधिनियम अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया तथा इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 तैयार की। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे इन निकायों को निधियां, कार्य तथा पदाधिकारी सौंपें ताकि वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्य (परिशिष्ट-1) को पंचायती राज संस्थाओं को निधियों व पदाधिकारियों के साथ हस्तांतरित किया जाना था। पंचायती राज संस्थाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजना, विशेष रूप से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य के लिए योजनाएं तैयार करना एवं कार्यान्वयन अपेक्षित था।

15 लाईन विभागों के कार्यों, निधियों एवं पदाधिकारियों के हस्तांतरण के लिए गतिविधि मानचित्र को अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (3)/9/2006, दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था। यद्यपि इन 15 लाईन विभागों (परिशिष्ट-2) से संबंधित सभी 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए गए, फिर भी पंचायती राज संस्थाओं<sup>1</sup> को समनुरूप निधियां एवं पदाधिकारी उपलब्ध नहीं करवाए गए।

#### 1.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश


<sup>1</sup> निदेशक पंचायती राज ने बताया (जुलाई 2019)।

राज्य लेखापरीक्षा विभाग (एच.पी एस.ए.डी) द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा सौंपी है (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणामों को वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना होता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 29 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया।

### 1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

मार्च 2019 तक राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां एवं 3,226 ग्राम पंचायतें हैं। नीचे दिया गया चार्ट जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे को दर्शाता है।

#### संगठनात्मक ढांचा



जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा क्रमशः जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के प्रमुख होते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से जिला पंचायतों की मासिक बैठकों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

### 1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व तालिका-1 में दिये गये हैं:

तालिका- 1: स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद्	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	जिला परिषद् के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा योजना का उत्तरदायित्व लेती है।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि से सम्बंधित कार्य निष्पादन करती है तथा जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
ग्राम पंचायत	प्रधान या उप- प्रधान	निर्माण कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक निर्माण कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करती है और इसे सचिव को प्रस्तुत करती है।

स्रोत: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994।

### 1.3.2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मी है जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका: पंचायती राज संस्थाओं के तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मियों का विवरण**

तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मी		2018-19
स्वीकृत पद	कुल	9,465
	नियमित	2,755
	संविदाकर्मी	6,710
स्थिति	कुल	9,052
	नियमित	2,754
	संविदाकर्मी	6,298
रिक्त पद	कुल	413 (मार्च 2019 तक)
	कनिष्ठ अभियंता	30
	सहायक अभियंता	01
	पंचायत चौकीदार	02
	तकनीकी सहायक	86
	पंचायत सचिव	294

वर्ष 2017-19 के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा क्रमशः 685 एवं 103 पंचायत सचिवों/सहायकों को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किया गया।

## 1.4 वित्तीय रूपरेखा

### 1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

**निधि प्रवाह:** पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत एवं निधियों का अभिरक्षण

विकास गतिविधियों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के मूल संसाधनों में (क) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान, (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा विकास (घ) राज्य सरकार अनुदान शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों का विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

**तालिका-2: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	स्व राजस्व	73.08	107.21	119.26	152.43	137.52	
2.	ऋण	10.59	3.23	4.33	2.17	1.86	
3.	केंद्र सरकार से वित्त आयोग अनुदान एवं केंद्र सरकार से	167.03	197.87	306.05	312.60	361.63	
4.	राज्य सरकार से वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य सरकार से	77.70	109.70	133.33	179.83	239.38	
5.	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	केन्द्रीय अंश	511.86	403.36	659.99	720.72	829.09
		राज्यांश	65.21	52.61	76.46	36.62	138.49
6.	राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार अनुदान	17.99	23.64	48.18	53.22	49.07	
7.	अन्य प्राप्तियां	0.46	0.42	0.48	0.40	0.53	
<b>योग</b>		<b>923.92</b>	<b>898.04</b>	<b>1,348.08</b>	<b>1,457.99</b>	<b>1,757.57</b>	

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

**केंद्र सरकार अनुदान:** केंद्र प्रायोजित नौ योजनाएं हैं, यथा (i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ii) स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (iii) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (iv) इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (vi) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (vii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा (ix) एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम। 2017-18 व 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत निधियां जारी न होने के लिए ग्रामीण विकास विभाग जिम्मेदार रहा क्योंकि पूर्ववर्ती निधियां जिलों/ब्लॉकों में अव्ययित पड़ी थी।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति नीचे तालिका-3 में दी गई है:

**तालिका-3: प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
इंदिरा आवास योजना /प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	19.10	34.10	30.47	58.16	20.53	162.36
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	--	1.08	4.79	12.04	18.91	36.82
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	394.33	387.68	440.56	610.55	890.85	2,723.97
स्वच्छ भारत मिशन	151.72	5.75	130.33	--	--	287.80
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	--	5.14	83.91	29.81	26.71	145.57
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	--	--	44.24	46.40	7.70	98.34
<b>योग</b>	<b>565.15</b>	<b>433.75</b>	<b>734.30</b>	<b>756.96</b>	<b>964.70</b>	<b>3,454.86</b>

स्रोत: निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग।

**राज्य सरकार अनुदान:** चार योजनाएं यथा (i) राजीव आवास योजना (ii) मुख्यमंत्री आवास योजना (iii) मातृ शक्ति बीमा योजना एवं (iv) मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना 100 प्रतिशत राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं। 2018-19 के दौरान राजीव आवास योजना के तहत निधियां जारी नहीं की गई क्योंकि इस योजना को 2018-19 में मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ विलय कर दिया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में इन योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति का विवरण नीचे तालिका-4 में दिया गया है:

**तालिका-4: प्रमुख राज्य योजनाओं हेतु पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राजीव आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना	10.00	17.50	36.00	41.00	42.19	146.69
मातृ शक्ति बीमा योजना	--	1.49	1.38	1.42	3.58	7.87
मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना	--	--	--	3.00	3.30	6.30
<b>योग</b>	<b>10.00</b>	<b>18.99</b>	<b>37.38</b>	<b>45.42</b>	<b>49.07</b>	<b>160.86</b>

स्रोत: निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग।



केंद्र एवं राज्य अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जबकि पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं की प्राप्तियों का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है। केंद्र व राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जो पंचायती राज विभाग के नियंत्रण में होते हैं, परन्तु निधियां ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से जारी की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां खंड विकास अधिकारियों को निधियां जारी करती हैं, जो उन्हें विभिन्न गतिविधियों हेतु आगे ग्राम पंचायतों को वितरित करते हैं। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती है।

#### 1.4.2 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संसाधनों के अनुप्रयोग (पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी की गई निधियों एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई निधियों में से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की राशि) का विवरण नीचे तालिका-5 में दिया गया है:

तालिका-5: संसाधनों का क्षेत्रवार अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्व राजस्व	322.85*	313.51*	401.08*	470.31*	525.07*
2.	ऋण					
3.	केंद्र सरकार के वित्तायोग अनुदान एवं केंद्र सरकार से अनुदान से हुआ व्यय	167.03	197.87	306.05	312.60	361.63
4.	केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान से व्यय	562.85	516.11	711.73	702.73	961.17
5.	राज्य सरकार के वित्तायोग अनुदान एवं राज्य सरकार से अनुदान हुआ व्यय	77.70	109.70	133.33	179.83	206.65
6.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार अनुदान से व्यय	17.65	19.01	35.41	32.44	49.07
7.	अन्य प्राप्तियों से व्यय	0.46	0.42	0.48	0.40	0.53
<b>योग</b>		<b>1,148.54</b>	<b>1,156.62</b>	<b>1,588.08</b>	<b>1,698.31</b>	<b>2,104.12</b>

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

\* विभाग के पास अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों में अन्तःशेष भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करवायी गयी समस्त निधियां बुनियादी स्तर पर वास्तविक व्यय के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाई गई है। पंचायती राज विभाग के पास पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा व्यय को नियंत्रित करने/समीक्षा करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की कार्यपद्धति में अनियमितता एवं कमजोर नियंत्रण प्रणाली थी, जिसकी अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 57 पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का वास्तविक उपयोग 64 से 72 प्रतिशत के मध्य था तथा 2015-16 से 2017-18 की अवधि में लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं में यह 57 से 61 प्रतिशत के मध्य रहा जैसा कि नीचे तालिका-6 (i) व (ii) में वर्णित है:

**तालिका-6 (i): 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में 2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु निधियों का उपयोग**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	व्यय की प्रतिशतता
2014-15	55.23	38.26	16.97(-)	69
2015-16	89.40	64.33	25.07(-)	72
2016-17	88.74	56.77	31.97(-)	64

स्रोत: नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

**तालिका-6(ii): 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु निधियों का उपयोग**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	व्यय का प्रतिशतता
2015-16	129.40	73.19	56.21(-)	57
2016-17	131.94	74.85	57.09(-)	57
2017-18	161.44	99.15	62.29(-)	61

स्रोत: नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

### 1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखों का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में करती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखे, निदेशक-सह-विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकास खंडों के लेखाकार लेखे अनुरक्षित करते हैं। जिला परिषदों के लेखे जिला पंचायत अधिकारी-सह-सचिव, जिला परिषद् द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लेखों के अनुरक्षण पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु आदर्श लेखांकन संरचना की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार लेखों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पी०आर०आई०ए० सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (मार्च 2011)। उप-निदेशक (पंचायती राज विभाग) ने बताया (जुलाई 2019) कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा के आधार पर पी०आर०आई०ए० सॉफ्ट पर लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है। पी.आर.आई.ए. सॉफ्ट के कार्यान्वयन से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख अध्याय-2 में किया गया है।

### 1.6 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल तथा प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा गुणवत्ता सुशासन की विशेषताएं हैं। अनुपालना तथा नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है तो पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हित-धारकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक होते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं से निर्धारित अभिलेखे, पंजिकाएं, फार्म एवं लेखों का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई विसंगतियों के परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन/व्यय में हुई अनियमितता की अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

## 1.7 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2017-19 के दौरान 457 पंचायती राज संस्थाओं की हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (i) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण में एक पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अभिकरण होगा।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा विंग द्वारा संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे तालिका-7 में दी गई है:

**तालिका-7: 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति**

संस्था का नाम	कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिए योजना में शामिल इकाइयों की संख्या		लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या		लेखापरीक्षा नहीं की गई इकाइयों की संख्या		कमी (-)/ आधिक्य (+) की प्रतिशतता	
		2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
जिला परिषद्	12	0	08	0	04	0	04	0	(-) 50
पंचायत समिति	78	39	62	36	44	03	18	(-) 8	(-) 29
ग्राम पंचायत	3,226	1,613	2,821	2,140	2,703	--	118	(+) 33	(-) 4

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज विभाग।

यह पाया गया कि 2017-18 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा स्कंध ने जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी।

## 1.8 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा पद्धति एवं क्रियाविधि, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बंध में लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन-2007 की धारा 152-154 के अनुसार

प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु लेखापरीक्षा योजनाएं प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) से प्राप्त की गईं तथा इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना की प्रक्रिया के लिए दर्ज की गईं।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 की धारा 80 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति व लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रियाओं का अनुसरण किया।

वर्ष 2017-19 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में से 45 निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया एवं सुधार व अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशों की गईं। निम्नलिखित सिफारिशों की गईं:

- i. आपत्तियां उठाते समय संदर्भित नियमों को अलग परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।
- ii. लेखापरीक्षिती इकाई को लेखापरीक्षा जापन जारी किया जाए।
- iii. सचिव, ग्राम पंचायत के उत्तर को लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्मिलित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों के दौरान सुधार हेतु कुछ इसी तरह की सिफारिशों की गई थीं परन्तु कमियां बनी रहीं, जो इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग ने इसे दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफ को उनकी आवश्यकतानुसार हर साल दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2017-18 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 24 प्रतिभागियों को 8 एवं 9 फरवरी 2018 को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) वित्त, कराधान एवं दावों की वसूली के संबंध में सांविधिक प्रावधान (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां, उनका संचालन, अनुप्रयोग एवं निवेश (iii) बजट, व्यय व भंडार (iv) लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक निर्माण नियम तथा (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय एवं इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश। 2018-19 के दौरान, 11 और 12 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश राज्य

लेखापरीक्षा विभाग के 25 प्रतिभागियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) पीआरआईए सॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली) (ii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की लेखापरीक्षा; तथा (iii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा मांगों, मुख्य दस्तावेज व लेखापरीक्षा रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।

### 1.9 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017-18 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 57 पंचायती राज संस्थाओं के लेखों एवं अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवेदन जारी किए गए। इसमें आवधिकता एवं व्यय के आधार पर चयनित तीन जिला परिषद् (12 में से), नौ पंचायत समितियां (78 में से) एवं 45 ग्राम पंचायतें (3,226 में से) (परिशिष्ट-3 (i)) शामिल थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान 113 पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं एवं अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवेदन जारी किए गए। इसमें आवधिकता एवं व्यय के आधार पर चयनित तीन जिला परिषद् (12 में से), सात पंचायत समितियां (78 में से) एवं 103 ग्राम पंचायतें (3,226 में से) शामिल थीं (परिशिष्ट-3 (ii))। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

### 1.10 अनुपालना हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के तहत की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा मार्च 2019 तक 16,968 परिच्छेदों से युक्त 2,454 निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए गए थे।

इनमें से मार्च 2019 तक एक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 86 परिच्छेद समायोजित/निरस्त किये गए तथा 2,453 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 16,882 परिच्छेद अनुपालना हेतु लंबित रहे।

विवरण नीचे तालिका-8 में दिया गया है:

**तालिका-8: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद**

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/ परिच्छेद		वर्ष 2018-19 के दौरान योग		कुल		2018-19 के दौरान समायोजित/ निरस्त किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2014-15 तक	1,989	12,754	-	-	1,989	12,754	1	74	1,988	12,680
2.	2015-16	155	1,322	-	-	155	1,322	-	7	155	1,315
3.	2016-17	140	1,019	-	-	140	1,019	-	1	140	1,018
4.	2017-18	57	506	-	-	57	506	-	1	57	505
5.	2018-19	-	-	113	1,367	113	1,367	-	3	113	1,364
<b>योग</b>		<b>2,341</b>	<b>15,601</b>	<b>113</b>	<b>1,367</b>	<b>2,454</b>	<b>16,968</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>2,453</b>	<b>16,882</b>

पंचायती राज संस्थाओं तथा पंचायती राज विभाग के साथ बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों को समायोजित करने हेतु नियमित रूप से पत्राचार किया जा रहा है परन्तु इसके बावजूद बकाया परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुपालना की ओर अपर्याप्त गंभीरता तथा कमजोर नियंत्रण तंत्र का परिचायक है। विभाग को पंचायती राज संस्थाओं में पुनरावर्ती प्रकृति की अनियमितताओं को कम करने के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुपालना/ समायोजन एवं अनुवर्ती कार्रवाई की दिशा में पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।





**अध्याय-2**  
**पंचायती राज संस्थाओं की**  
**लेखापरीक्षा के परिणाम**



## अध्याय-2

### पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संचालित पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच करें तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें।

#### 2.1 लेखांकन प्रणाली

##### 2.1.1 2017-18 के दौरान पीआरआईए सॉफ्ट का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण

(i) आदर्श लेखांकन प्रणाली के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के अनुरक्षण हेतु राज्य सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पीआरआईए सॉफ्ट को अपनाया (मार्च 2011)। निदेशक, पंचायती राज विभाग ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को भी ग्राम पंचायतों में पीआरआईए सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे (जनवरी 2012)। ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को पीआरआईए सॉफ्ट पर प्रशिक्षण दिया गया था।

नमूना-जांचित 45 में से 18 ग्राम पंचायतों (परिशिष्ट-4) में लेखापरीक्षा ने पाया कि पीआरआईए सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली में लेखों का अनुरक्षण आरम्भ किया गया परन्तु अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 की अवधि में लेखों का अनुरक्षण पीआरआईए सॉफ्ट में नहीं किया गया।

सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017-जनवरी 2018) कि ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क की कनेक्टिविटी न होने के कारण लेखे पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित नहीं किए जा सके।

यह भी पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 22 में (परिशिष्ट-4) आठ आदर्श लेखांकन प्रणाली रजिस्ट्रों में से केवल तीन रजिस्टर (वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखा रजिस्टर, समेकित सार रजिस्टर एवं मासिक मिलान विवरणी) पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित किये जा रहे थे जबकि पांच रजिस्ट्रों (प्राप्य एवं देय रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, चल संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एवं मांग, संग्रहण व शेष रजिस्टर)

अनुरक्षित नहीं किये गए। लेखा बहियां जैसे जरनल बही, लेज़र बही एवं चैक प्राप्त रजिस्टर भी इस ग्राम पंचायतों में अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं ने पीआरआईए सॉफ्ट को पूरी तरह ने नहीं अपनाया था जिससे पारदर्शी लेखांकन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2017-जनवरी 2018) कि लेखों को शीघ्र ही पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सृजित, नियंत्रित व अनुरक्षित सभी संपत्तियों का स्टॉक रखना ताकि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। संयुक्त निदेशक-सह-उप सचिव, पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया (जून 2015) कि राज्य में सभी पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण करे एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सृजित सभी संपत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 40 (पांच ग्राम पंचायतों<sup>1</sup> को छोड़कर) में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सृजित सम्पत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्तियों की प्रभावी निगरानी का अभाव था।

उत्तर में, संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-जनवरी 2018) कि राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर प्रविष्टियां शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

### 2.1.2 लेखांकन प्रणाली में पायी गई विसंगतियां

**बैंक पासबुक/ मैनुअल रोकड़ बही में प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के बीच अंतर।**

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान, यह पाया गया कि नमूना-जांचित 21 पंचायती राज संस्थाओं में, वर्ष 2016-17 हेतु बैंक पासबुक में शेष राशि के आंकड़े पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। बैंक पासबुक में शेष आंकड़ों एवं पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड की गई शेष के आंकड़ों में ₹1.37 करोड़ का अंतर था (09 पंचायती राज संस्थाओं में पीआरआईए सॉफ्ट में आंकड़े ₹1.08 करोड़ अधिक तथा 12 पंचायती राज संस्थाओं में

<sup>1</sup> ग्राम पंचायतें सायरीं, सकोड़ी, चम्मां, हिन्नर एवं पोखरी।

₹0.29 करोड़ कम थे) (परिशिष्ट-5(i))। आंकड़ों में विचलन 0.08 व 219 प्रतिशत के मध्य थी। ग्राम पंचायतें जमणी (219 प्रतिशत), बंदली (120 प्रतिशत) तथा कोटला खनोला (104 प्रतिशत) में विचलन विशेष रूप से अधिक था। यह विचलन वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता को बनाए रखने पर सवाल उठाते हैं।

(ii) पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करावायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान 12 जिला परिषदों में से ग्यारह, 78 पंचायत समितियों में से 73 तथा सभी ग्राम पंचायतों (3,226) द्वारा पीआरआईए सॉफ्ट पर उनके लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा था।

नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं (परिशिष्ट-5(ii)) में से 93 (नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं का 82 प्रतिशत) में यह पाया गया कि इन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते। प्राप्ति के आंकड़ों में ₹25.13 करोड़ तथा व्यय के आंकड़ों में ₹13.19 करोड़ का अन्तर था। प्राप्तियों के आंकड़ों में विचलन 0.47 व 117.07 प्रतिशत के बीच था तथा व्यय के आंकड़ों में 0.13 व 335.69 प्रतिशत के बीच था। प्राप्तियों के आंकड़ों में ग्राम पंचायतें कोटलू (117.07 प्रतिशत), खुण्डियां (115.52 प्रतिशत) एवं हल (83.09 प्रतिशत) में विचलन विशेष रूप से अधिक था तथा इसी प्रकार व्यय के मामले में ग्राम पंचायतें झकलेड़ (335.69 प्रतिशत), बलोल (329.31 प्रतिशत) एवं सलिहार (265.18 प्रतिशत) में विचलन विशेष रूप से अधिक था। यह अधिक विचलन पीआरआईए सॉफ्ट में अनुरक्षित की जा रही वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/पंचायत सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि अंतरों को खोजा जाएगा तथा भविष्य में अभिलेख ठीक से अनुरक्षित किए जाएंगे, जबकि ग्राम पंचायतें गोंधला एवं गोशाल के सचिवों ने बताया (अगस्त 2018) कि उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं अन्य तकनीकी सेवाओं के अभाव में प्रविष्टि सुचारु रूप से नहीं की गई, लेकिन प्रविष्टि पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

### 2.1.3 रजिस्ट्रों का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 31 में निर्धारित है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 में वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेखों, रजिस्ट्रों, प्रपत्रों आदि का अनुरक्षण करेगी।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 57 पंचायती राज संस्थाओं में से 35 ग्राम पंचायतों एवं तीन पंचायत समितियों (परिशिष्ट-6) में 2017-18 के दौरान महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों जैसे स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर, आकस्मिक व्यय रजिस्टर, सहायता अनुदान रजिस्टर, चेक जारी करने व रसीद रजिस्टर आदि का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं में से 94 ग्राम पंचायतों (नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं का 82 प्रतिशत) (परिशिष्ट-6) में महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों जैसे स्टॉक रजिस्टर, अचल संपत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर, आकस्मिक व्यय रजिस्टर, सहायता अनुदान रजिस्टर, चेक जारी करने और रसीद रजिस्टर आदि का इन ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों का अनुरक्षण न करने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित वित्तीय लेनदेनों की शुद्धता का पता नहीं लगाया जा सका।

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/पंचायत सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-फरवरी 2019) कि भविष्य में इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाएगा।

#### 2.1.4 बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही की शेष राशि का मिलान न होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 15 (10) (बी) में प्रावधान है कि प्रत्येक माह रोकड़ बही एवं बैंक खातों की शेष राशि का मिलान किया जाना अपेक्षित है। किसी भी अंतर को रोकड़ बही में एक फुटनोट में कारणों सहित व्याख्या की जाएगी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर 22 पंचायती राज संस्थाओं (परिशिष्ट-7) में रोकड़ बहियों व बैंक पासबुकों के शेष में ₹2.87 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर 73 पंचायती राज संस्थाओं (परिशिष्ट-7) में ₹26.61 करोड़ के अंतर का मिलान नहीं किया गया था। 2017-18 में ग्राम पंचायतें नालका एवं गोयला में क्रमशः ₹41.52 लाख व ₹38.11 लाख का महत्वपूर्ण अंतर देखा गया, जबकि 2018-19 में जिला परिषदों हमीरपुर, शिमला एवं कांगड़ा में क्रमशः ₹131.74 लाख, ₹287.99 लाख व ₹967.62 लाख का अंतर देखा गया।

साथ ही वर्ष 2018-19 में यह भी पाया गया कि जिला परिषद् हमीरपुर में बैंक पासबुक की तुलना में सामान्य एवं पंचायत निधि रोकड़ बही में अधिक शेष तथा 13वें वित्त आयोग

रोकड़ बही में कम शेष दर्शाया गया था। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ढांकगांव में बैंक पासबुक की तुलना में सामान्य एवं पंचायत निधि रोकड़ बही में अधिक शेष तथा 14वें वित्त आयोग रोकड़ बही में कम शेष दर्शाया गया। शेष राशि में भारी अंतर को देखते हुए, इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तथा नकद लेनदेन के माध्यम से प्राप्त एवं व्यय किए गए धन के दुरुपयोग या गबन की संभावना हो सकती है।

संबंधित 22 पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 में लेखापरीक्षित) के अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर-दिसंबर 2017) कि अंतरों का शीघ्र ही मिलान कर लिया जाएगा। संबंधित 73 पंचायती राज संस्थाओं (2018-19 में लेखापरीक्षित) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि अंतरों का शीघ्र ही मिलान किया जाएगा, जबकि सचिव, जिला परिषद् कांगड़ा ने बताया (जनवरी 2019) कि स्टाफ की कमी के कारण बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही का मिलान नहीं किया गया।

### 2.1.5 रोकड़ बही में अनियमितताएं एवं रोकड़ बही के माध्यम से लेन-देन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 7 के तहत, ग्राम पंचायत के सचिव सामान्य नियमों के फॉर्म-14 में रोकड़ बही अनुरक्षित करेंगे। रोकड़ बही में प्रविष्टियां लेन-देन की तिथि पर आय व व्यय की प्रत्येक मद के साथ एक साथ की जाएगी। व्यय की प्रत्येक मद हेतु प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित एक रसीद जिसे वाउचर कहा जाएगा, पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण देते हुए प्राप्त की जाए एवं उपयुक्त फाइलों में रखा जाए। ओवर राइटिंग एवं काट-छांट सख्त वर्जित होगी। वाउचर को क्रमांकित किया जाएगा, एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वाउचर की क्रम संख्या बदल दी जाएगी तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए वाउचर की नई क्रम संख्या दी जाएगी। प्रत्येक वाउचर में संकल्प संख्या व तिथि अंकित होनी चाहिए, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा व्यय को अधिकृत किया गया था।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान, ग्राम पंचायत वाकनां (जिला सोलन) में पाया गया कि फरवरी 2013 में जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के बैंक खाता संख्या 100834001002430 से ₹1.00 लाख की निकासी की गई थी। राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही लेनदेन का कोई वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया गया।

उत्तर में, सचिव ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले को बैंक अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा तथा रोकड़ बही व पासबुक के अनुसार शेष राशि का मिलान किया जाएगा। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों का आहरण 2012-13 के दौरान किया गया था तथा सचिव को वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि के साथ बैंक शेष का मिलान करना अपेक्षित था।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान, ग्राम पंचायत सायरी (जिला सोलन) में पाया गया कि दिसंबर 2012 में सामान्य रोकड़ बही से ₹0.59 लाख मनरेगा रोकड़ बही में स्थानांतरित किए गए थे। यह राशि न तो मनरेगा रोकड़ बही में दर्ज की गई न ही इस राशि के व्यय के संबंध में कोई वाउचर लेखापरीक्षा को दिखाया गया।

उत्तर में, सचिव ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मामले की जांच की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था परन्तु राशि को रोकड़ बही में लेकांकित नहीं किया गया था।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि 35 ग्राम पंचायतों<sup>2</sup> में अनियमितताएं जैसे तिथि व वाउचरों की संख्या का उल्लेख न करना, वर्ष के अंत में सभी आय व व्यय की सूची न बनाना, कटिंग/ ओवरराइटिंग, रबड़ व फ्लूइड का उपयोग, वाउचरों का सत्यापन न करना, रोकड़ बही के अंतिम शेष का सत्यापन न करना, चेक द्वारा किए गए भुगतान को कालानुक्रमिक तरीके से दर्ज न करना आदि पाई गई।

संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (सितम्बर 2018 - जनवरी 2019) कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का अनुरक्षण किया जायेगा।

(घ) वर्ष 2018-19 के दौरान तीन ग्राम पंचायतों (लालूंग, फारियां व देवठी) में पाया गया कि क्रमशः वर्ष 2013-14 से 2015-16, 2015-16 एवं 2004-14 में रोकड़ बही व वाउचर अनुरक्षित नहीं किये गए थे।

सचिव, ग्राम पंचायत लालूंग ने बताया (सितंबर 2018) कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि हेतु रोकड़ बही कार्यालय में मौजूद नहीं थी क्योंकि पिछले सचिव ने इसे नहीं सौंपा था। वाउचरों का अनुरक्षण न करने के संबंध में यह कहा गया कि ऑनलाइन वाउचर का अनुरक्षण तकनीकी सहायक द्वारा किया गया था तथा वाउचर बाद में लेखापरीक्षा को दिखाए जाएंगे। सचिव, ग्राम पंचायत फारियां ने बताया (दिसंबर 2018) कि उस वर्ष के लिए रोकड़

---

<sup>2</sup> ग्राम पंचायतें केलांग, घोड़ना, बरवाला, बरबोग, ददास, घूण्ड, ढली, बावत, गोशाल, मुलिंग, जुन्गा, गोंधला, कुठार, किरण, बढल, चौपाल, पुजारली (बियुलिया), बगैण, खंगसर, भलोह, क्यार, क्यारी, खुरिक, दुगियारी, पुजारली-3, बंडी, धरोह, तांगनू जंगलिख, चेबडी, कोटलू, हारसी, सिंहल, खंगटेडी, सालिहार एवं कारदंग।



बही तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा तैयार करावायी जाएगी जबकि सचिव, ग्राम पंचायत देवठी ने बताया (सितंबर 2018) कि ये अभिलेख कार्यालय में नहीं थे क्योंकि तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध विजिलेंस जांच चल रही थी।

### 2.1.6 (i) स्व-संसाधनों, सहायता अनुदानों एवं ऋणों से आय के लेखों का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिनियम (खाता 'क') के तहत अधिरोपित व वसूली गई उसके स्व-संसाधनों जैसे किराया, सभी कर, शुल्क, उपकर तथा सहायता अनुदान से आय, विकास कार्यो या विशेष उद्देश्यों के लिए आवंटित निधियां, ऋण, करों का हिस्सा, शुल्क, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित उपकर व अन्य आय (खाता 'ख') को अलग-अलग लेखों में अनुरक्षित करना अपेक्षित है। साथ ही खाता-‘ख’ में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को हर साल जनवरी एवं जुलाई के महीने में खाता-‘क’ में अंतरित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि 170 नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में से 115 ग्राम पंचायतें<sup>3</sup> एवं 15 पंचायत समितियां<sup>4</sup> ऐसे लेखे निर्धारित प्रारूप में नहीं रख रहे थे तथा सभी लेनदेन एक ही खाते के माध्यम से पूर्वोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए किए गए थे। पृथक खाता 'क' व 'ख' के अभाव में, स्व-संसाधनों, सहायता अनुदानों एवं प्राप्त ऋणों से आय के आंकड़ों की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पंचायत सचिवों ने भविष्य में निर्धारित प्रारूप में पृथक लेखा रखने का आश्वासन दिया (सितम्बर 2017-जनवरी 2019)।

<sup>3</sup> **2017-18: 42 ग्राम पंचायतें:** नोर, गोयला, कराडसू, चम्मों, बन्दली, वाकनां, मंडलगढ़, कुटाहची, खिलड़ा, सुलपुर जबोठ, कलौहड, धवाल, धनालग, दारपा, पिपली, भावगुढी, तुनन, पोखरी, नालका, टकारसी, फनौटी, कोट, सकोड़ी, गलू, ऊटपुर, जुगाहण, तान्दी, तुन्ना, जाडला, ऐहजू, शिरड़, सराहन, पंनगा, निरमंड, जमणी, कोटला खनोला, सायरीं, बरच्छवाड़, बाशा, सैन्थल पडैन, कराणा एवं नौण।

**2018-19: 73 ग्राम पंचायतें:** करेवथी, कुडू, चडौली, देवठी, मंझोली, स्वाड, मलैण्डी, सिंघल, सरपारा, लादोह, दुगियारी, पोलिंग, बंडी, घरोह, खैरा, जयपीडी माता, कडोआ, मंझोली टिप्पर, थाना, मोगडा, वदेहड, कांडा बनाह, गंगोट, गुरलधार, कस्बा जागीर, बरवाला, कोठी, कटलाह, खैरियां, कारदंग, बरबोग, सलिहार, खंगटेडी, घोड़ना, अप्पर ठेहरू, बलोल, कोटलू, भूपू, हारसी, गाहड, बालोर, झिकली इच्छी, उसतेहड, खंगसर, ढली, क्यार, बगैण, भलोह, सद्दू बडगां, पुजारली(3), गोशाल, घूण्ड, मुलिंग, जुन्गा, गंधला, चेबडी, पुजारली (ब्यूलिया), कलुण्ड, बल्ला, मकडोली, दियाणा, जगोठी, मिलख, जांगल, नरेना, कुठार, खुंडियां, हटवास, मंमूह गुरचाल, झकलेड, दारचा, केलांग और ददास।

<sup>4</sup> **2017-18:** आठ पंचायत समितियां धर्मपुर, नग्गर, गोपालपुर, आनी, चौतड़ा, सुंदरनगर, गोहर और निरमंड  
**2018-19:** सात पंचायत समितियां ननखडी, रोहडू, नगराटा सुरियां, लंबागांव, इंदौरा, फतेहपुर और ठियोग।

### 2.1.6 (ii) खाता- 'क' में शराब उपकर जमा न करना

वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि 10 ग्राम पंचायतों में संग्रहित ₹12.26 लाख (परिशिष्ट-8) का शराब उपकर खाता-'क' में जमा नहीं किया गया था। शराब उपकर ग्राम पंचायतों के स्व-राजस्व का हिस्सा था तथा इसे अन्य विकासात्मक गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता था।

संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (अगस्त - नवंबर 2018) कि शराब उपकर की राशि जल्द ही खाता-'क' में जमा कर दी जाएगी।

### 2.1.7 बैंक खाते/ग्राम पंचायत निधि में प्राप्त जमा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की ओर से प्राप्त व खर्च की गई सभी धनराशि ग्राम पंचायत निधि में जमा एवं उसमें से आहरित की जाएगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान ग्राम पंचायत, सायरी (विकास खण्ड कंडाघाट, जिला सोलन) में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत को 2014-17 के दौरान स्वयं की प्राप्तियों के रूप में ₹0.24 लाख प्राप्त हुए। सचिव ने प्राप्तियों को बैंक/ग्राम पंचायत निधि में जमा नहीं किया बल्कि इन प्राप्तियों से ₹0.23 लाख का व्यय कार्यालय व्यय एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के जलपान पर किया। ग्राम पंचायत निधि में जमा किए बिना स्वयं की प्राप्तियों से व्यय करना उक्त नियम के विरुद्ध था।

उत्तर में, सचिव ने बताया (अक्टूबर 2017) कि नियमों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण प्राप्तियों का उपयोग ग्राम पंचायत निधि में जमा किए बिना किया गया था।

### 2.1.8 विकास कार्यो हेतु प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 94 में निर्धारित है कि ₹25,000 से अधिक लेकिन ₹50,000/- से कम लागत वाले सभी कार्यो के लिए प्राक्कलन तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किया जाएगा एवं ₹50,000/- से अधिक लागत वाले कार्यो के लिए प्राक्कलन कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मार्च 2017 में उपरोक्त दरों को संशोधित किया गया कि ₹3,00,000/- तक की लागत वाले सभी कार्यो का प्राक्कलन तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा ₹3,00,000/- से अधिक व ₹5,00,000/- तक की लागत वाले कार्यो का प्राक्कलन कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा। ₹50,000/- से अधिक की लागत वाले सभी कार्य पंचायतों द्वारा तैयार किये गये

प्राक्कलनों पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही पंचायत द्वारा निष्पादन हेतु लिये जायेंगे।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि आठ ग्राम पंचायतों<sup>5</sup> में 2013 से 2018 की अवधि से संबंधित ₹2.28 करोड़ मूल्य के पंचायत घर, सामुदायिक हॉल, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा दीवार, रास्ता, सिंचाई टैंक, कुहल आदि के निर्माण/मरम्मत जैसे विभिन्न कार्यों हेतु प्राक्कलन इसके निष्पादन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं किए थे तथा प्राक्कलनों की प्रतियां नहीं मिली।

संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (सितंबर 2018 - जनवरी 2019) कि प्राक्कलनों की प्रतियां प्रथम किश्त की स्वीकृति के लिए खंड विकास अधिकारियों को भेजी गई थीं तथा भविष्य में इसकी प्रतियां अभिलेखों में रखी जाएंगी।

### 2.1.9 सामग्री का लेखांकन न करना

**₹0.44 करोड़ की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 69 के तहत, प्राप्त होने पर सभी स्टोरों की सुपूर्दगी लेते समय यथास्थिति जांच, गिनती, माप या वजन करना एवं उनकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में तुरंत दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद् जिसके भी द्वारा स्टोर प्रभारी अधिकारी प्राधिकृत किया गया हो, उसे हर एक दिन की प्रविष्टि के अंत में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित है जिसमें बताना होगा कि सामग्री उचित अवस्था में एवं विनिर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई। यदि स्टोर की मर्दे अधिक पाई जाती है तो उन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों में इंगित किया जाए तथा यदि कम पाई जाती है तो लाल स्याही से इंगित किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 70 में निर्धारित है कि स्टोर सामग्रियां उचित मांग के प्रति ही जारी की जाए।

वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 45 में से 12 ग्राम पंचायतों में 2011-17 तक की अवधि के दौरान ₹0.44 करोड़ की लगता से खरीदी गई स्टोरों की मर्दे जैसे स्टील, लकड़ी, फर्नीचर, हार्डवेयर सामग्री, सोलर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, खेलकूद सामग्री, हीटर इत्यादि स्टॉक रजिस्ट्रों में लेखांकित नहीं की गई थीं (परिशिष्ट-9)। यह ग्राम

<sup>5</sup> ग्राम पंचायतें बरबोग: ₹27.88 लाख, दारचा: ₹64.14 लाख, मुलिंग: ₹15.30 लाख, गोशाल: ₹21.32 लाख, खंगसर: ₹7.84 लाख, गोंधला: ₹20.88 लाख, कारदंग: ₹48.75 लाख और बगैण: ₹21.60 लाख ।

पंचायतों के कमजोर अनुरक्षण पक्ष को इंगित करता है तथा इन स्टोरों का लेखांकन न होने की स्थिति में चोरी या हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर में संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्टूबर 2017-जनवरी 2018) कि स्टॉक रजिस्टर में मदों की प्रविष्टियां कर दी जाएंगी। तथापि, तथ्य यह है कि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा स्टोरों के अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी का अभाव था।

### 2.1.10 भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 73 (1) के तहत ग्राम पंचायत के मामले में प्रधान एवं पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के मामले में सम्बंधित सचिव द्वारा छः माह में कम से कम एक बार तथा प्रत्येक वर्ष सदैव अप्रैल में सभी स्टोरों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के परिणाम लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे। अप्रैल में सत्यापन के दौरान प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्टॉक रजिस्टर में उसके सामने अंकित की जायेगी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित) में से 59 (परिशिष्ट-10) में स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। भौतिक सत्यापन न करने के कारण संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्टोर/स्टॉक की वास्तविक स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया।

उत्तर में संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवों ने बताया (अक्टूबर 2017 - मार्च 2019) कि स्टोरो एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन शीघ्र ही किया जायेगा।

## 2.2 राजस्व

### 2.2.1 आवास कर की वसूली न करना

नमूना-जांचित 148 ग्राम पंचायतों में से 133 (2017-18 व 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित) ने ₹ 58.63 लाख के आवास कर की वसूली नहीं की।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के सचिव को यह देखना होगा कि समस्त राजस्व का सही ढंग से, तुरंत एवं नियमित रूप से मूल्यांकन हो, उसकी वसूली हो एवं संबंधित पंचायत के खातों में जमा हो;

तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति किसी भी कर, शुल्क, दर या देय राशि के भुगतान को टालता है, वह अर्थदण्ड का भागीदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 में नमूना-जांचित 45 में से 39 ग्राम पंचायतों में 2016-17 तक ₹15.96 लाख (परिशिष्ट-11) की राशि के आवास कर की वसूली मार्च 2018 तक नहीं की गई तथा 2018-19 में नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से 94 में वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक ₹42.67 लाख (परिशिष्ट-11) की राशि के आवास कर की वसूली मार्च 2019 तक नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 के अनुसार आवास कर का भुगतान न करने पर बकायादारों पर दंड राशि आरोपित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इससे संबंधित ग्राम पंचायतें उनके राजस्व के देय अंश से वंचित रह गईं। राजस्व के संग्रहण में संचित बकाया ग्राम पंचायतों की अकुशलता को दर्शाता है।

संबंधित सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-मार्च 2019) कि बकाया आवास कर की वसूली के प्रयास किए जाएंगे।

### 2.2.2 बकाया किराया

(i) सत्रह पंचायती राज संस्थाएं दुकानों से ₹19.80 लाख के देय किराए की वसूली करने में विफल रहीं।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां तथा ग्राम पंचायतें उनके अधिकार क्षेत्र में दुकानों का रखरखाव करती हैं तथा इन्हें मासिक किराये के आधार पर किराए पर दिया जाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सात पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित) (परिशिष्ट-12) में 25 दुकानों (2013-14 से 2016-17 की अवधि हेतु) से किराए के रूप में ₹9.99 लाख की राशि मार्च 2018 तक बकाया थी तथा 10 पंचायती राज संस्थाओं (2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित) (परिशिष्ट-12) में 45 दुकानों (2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए) से किराए के रूप में ₹9.81 लाख की राशि मार्च 2019 तक बकाया थी। यह दर्शाता है कि इन पंचायती राज संस्थाओं ने दुकान के किराए के समयबद्ध संग्रहण पर उचित ध्यान नहीं दिया था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ सचिवों ने बताया (सितंबर 2017 - मार्च 2019) कि बकाया किराया बकायादारों से वसूल किया जाएगा।

**(ii) दुकान के ₹1.16 लाख के किराए में संशोधन न करने के कारण राजस्व की हानि**

वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि जिला परिषद् कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने मार्च-मई 2014 के दौरान नौ दुकानों को किराए पर दिया था। जिला परिषद् द्वारा दुकानों के किराएदारों से किए गए अनुबंध के खंड संख्या 03 के अनुसार दुकान का किराया 10 प्रतिशत की दर से नहीं बढ़ाया गया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2019 तक ₹1.16 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ।

सचिव, जिला परिषद् कांगड़ा ने बताया (जनवरी 2019) कि किराए की वसूली शीघ्र की जाएगी।

**2.2.3 मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु शुल्क की वसूली न करना**

**नमूना-जांचित 48 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों की स्थापना एवं नवीकरण शुल्क से ₹13.51 लाख के राजस्व की वसूली नहीं की गई।**

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना सं.डीआईटी.डीईवी-(आईटी) 2005(विविध) दिनांक 22 अगस्त 2006 के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल संचार टावरों की स्थापना पर ₹4,000 प्रति टावर की दर से शुल्क उद्ग्रहित करने तथा प्रति टावर ₹2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क का संग्रहण करने के लिए अधिकृत किया। आगे, अधिसूचना संख्या डीआईटी.डीईवी-(आईटी) 2005(विविध) 96 दिनांक 21 जून 2017 के अनुसार स्थापना एवं नवीकरण शुल्क की दर क्रमशः ₹10,000 व ₹5,000 तक बढ़ा दी गई थी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित 148 ग्राम पंचायतों में से 48 में 2001-18 के दौरान 81 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे परन्तु मोबाइल कंपनियों से ₹13.51 लाख (परिशिष्ट-13) की राशि की स्थापना एवं नवीकरण शुल्क वसूल नहीं किया गया (मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में परिच्छेद 2.1.3, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में परिच्छेद 2.2.3 तथा मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में परिच्छेद 2.2.3 के तहत इसी मुद्दे पर प्रकाश डाला गया)। इससे ग्राम पंचायतों राजस्व के उसके देय अंश से वंचित रह गईं।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017 - मार्च 2019) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

## 2.2.4 स्रोत से कर कटौती न करना

अठारह ग्राम पंचायतों ने ₹1.55 लाख की राशि का स्रोत पर कर कटौती किए बिना ठेकेदारों को भुगतान किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 (ग) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ठेकेदारों को किया गया एकमुश्त भुगतान ₹30,000/- से अधिक हो तथा सकल भुगतान ₹1,00,000/- से अधिक हो तो व्यक्तिगत भुगतान पर कुल भुगतान का एक प्रतिशत एवं फर्मों/कंपनियों से दो प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित 18 पंचायती राज संस्थाओं में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों/फर्मों को 2012-18 की अवधि के दौरान जेसीबी एवं पत्थर, रेत आदि जैसी सामग्री की ढुलाई के लिए ₹1.04 करोड़ का भुगतान, ₹1.55 लाख का स्रोत पर कटौती किए बिना किया गया (परिशिष्ट-14)।

उत्तर में संबंधित आठ पंचायती राज संस्थाओं<sup>6</sup> (2017-18 में लेखापरीक्षित) के सचिवों ने बताया (सितम्बर - दिसम्बर 2017) कि आयकर नियमों के विषय में जागरूकता की कमी के कारण स्रोत पर कर नहीं काटा जा सका तथा अब इसे संबंधित ठेकेदारों से वसूल किया जाएगा एवं सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा। आठ ग्राम पंचायतों<sup>7</sup> के सचिवों (2018-19 में लेखापरीक्षित) ने बताया (जुलाई-नवंबर 2018) कि संबंधित ठेकेदारों से स्रोत पर कर की वसूली की जाएगी जबकि ग्राम पंचायतों (चडौली व गोरली मडोग) ने बताया (अगस्त 2018) कि भविष्य में ठेकेदारों के बिलों से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

## 2.3 निधियों का अवरोधन

### 2.3.1 निर्माण-कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण निधियों का अवरोधन।

₹ 1.37 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न करने के कारण अव्ययित रही।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से सात (परिशिष्ट-15(i)) में विभिन्न योजनाओं के तहत 19 विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹26.02 लाख की राशि प्राप्त हुई (2012-17)। तथापि, अक्टूबर 2017 तक इन कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया। विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग

<sup>6</sup> 2017-18: जिला परिषद् सोलन, ग्राम पंचायतें पोखरी, कराणा, टकारसी, फनौटी, नोर, तुनन और कोट।

<sup>7</sup> 2018-19: ग्राम पंचायतें नालदेहरा, देवठी, चलाहल, बेंश(पिपलीधर), चेबड़ी, खमाड़ी, खबल और दियाणा।

न करने के परिणामस्वरूप इन ग्राम पंचायतों में निधियों का अवरोधन हुआ साथ ही लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितम्बर-अक्टूबर 2017) कि भू-हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 113 पंचायती राज संस्थाओं में से 38 में 2012-19 के दौरान विभिन्न योजनाओं अर्थात् 5वां राज्य वित्त आयोग (जिला परिषद्/पंचायत समिति), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, आदि के तहत खेल मैदान, वर्षा आश्रय, महिला मंडल, सड़क, एम्बुलेंस सड़क, सामुदायिक हॉल, सार्वजनिक शौचालय आदि जैसे 112 विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹1.11 करोड़ (परिशिष्ट-15(ii)) की राशि प्राप्त की गई। तथापि, सितंबर 2018 तक इन कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया तथा निधियां संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के पास पड़ी रही। इस प्रकार, विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ इसके अतिरिक्त लाभार्थी योजनाओं के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

सहायक आयुक्त, पंचायत समिति रोहड़ू एवं संबंधित ग्राम पंचायतों<sup>8</sup> के सचिवों ने बताया (जुलाई - दिसंबर 2018) कि भूमि के मुद्दों के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायतों<sup>9</sup> के सचिवों ने बताया (जुलाई 2018 - मार्च 2019) कि शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा तथा निधियों का उपयोग शीघ्र किया जाएगा। सचिव ग्राम पंचायत बलीर ने बताया (नवंबर 2018) कि कार्य प्रारंभ इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि कार्य स्थल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था एवं कार्यस्थल पर कच्चा माल भेजना संभव नहीं था, परन्तु मार्ग पूरा होने के समीप है तथा कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा जबकि सचिव ग्राम पंचायत घोड़ना ने बताया (सितम्बर 2018) कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, उसे प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संहितागत औपचारिकताएं जैसे भू-हस्तांतरण/ उपलब्धता की प्रक्रिया को कार्य स्वीकृत होने से पूर्व पूर्ण किया जाना चाहिए था।

<sup>8</sup> ग्राम पंचायतें शिंगला, खमाड़ी, झकलेड, नरेना, जांगल, बैंश, खाबल, मोगडा, रामनगर, मझोली टिप्पर, मदल, चेबड़ी, पुजारली-3, सद्दू बडगां, सरपारा, भूपू, बलोल, नालदेहरा, सलिहार, दीउदीमा और करेवथी।

<sup>9</sup> ग्राम पंचायतें पुजारली (ब्यूलिया), जयपीडी माता, खैरा, जुन्गा, ककडै, मलैण्डी, भलोह, गोरली मडोग, क्यारी, चड़ौली, किरण, बढल और गंगोट।



### 2.3.2 कार्य पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त निधियां

59 पंचायती राज संस्थाओं में कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹1.95 करोड़ की निधियां अव्ययित रही।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 57 पंचायती राज संस्थाओं में से 15 में 2011-17 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 118 कार्यों (तीन से 12 महीनों के भीतर पूर्ण करने हेतु निर्धारित) के निष्पादन के लिए प्राप्त ₹1.90 करोड़ की राशि में से ₹0.93 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹0.97 करोड़ (51 प्रतिशत) की शेष राशि जनवरी 2018 तक अप्रयुक्त पड़ी रही (परिशिष्ट-16(i))। इसके परिणामस्वरूप जनता को अभीष्ट लाभ नहीं मिल पाया।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने बताया (सितम्बर 2017-जनवरी 2018) कि भू-विवाद एवं मुकदमों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके। कुछ कार्य प्रगति पर थे तथा शीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य स्वीकृति की तिथि से एक से छह वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रहे।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से 44 में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2007-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं अर्थात् विकास में जन सहयोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इत्यादि के तहत महिला मंडल, खेल का मैदान, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक हॉल, पक्का रास्ता, सड़क, एम्बुलेंस सड़क आदि जैसे 121 कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त ₹2.34 करोड़ की राशि (परिशिष्ट-16(ii)) के प्रति ₹1.36 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹0.98 करोड़ (42 प्रतिशत) की शेष राशि लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2018-मार्च 2019) तक अप्रयुक्त पड़ी रही।

39 ग्राम पंचायतों<sup>10</sup> के सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि कार्य प्रगति पर था एवं शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा जबकि सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि भू-विवाद एवं मुकदमों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। सचिव, ग्राम पंचायत पुजारली-3 ने बताया (जुलाई 2018) कि श्रमिकों की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं

<sup>10</sup> ग्राम पंचायतें डेमूल, हल, लांगजा, चेबड़ी, मझोली टिप्पर, कांडा बनाह, खमड़ी, चलाहल, शिंगला, गोरली मडोग, क्यारी, देवठी, नालदेहरा, खंगटेडी, किरण, नीरथ, चडोली, बढल, गंगोट, खैरा, पोलिंग, चलवाड़ा-2, ककडै, बल्ला, मकडोली, दियाणा, मिलख, नरेना, गुरलधार, हटवास, कोठी, कोटलू, कडोआ, रैहन, सद् बडग्रां, लादोह, उसतेहड़, झिकली इच्छी एवं स्वाड ।

हो सका जबकि सचिव, ग्राम पंचायतें, डोल, सरपारा एवं दत्तनगर ने बताया (अगस्त-दिसंबर 2018) कि निधियों की कमी के कारण कार्य अपूर्ण थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य स्वीकृति की तिथि से एक से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थे।

### 2.3.3 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अप्रयुक्त निधियां

**22 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 5.12 करोड़ की निधियां कार्य प्रारंभ न होने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियां जारी न करने के कारण अप्रयुक्त रही।**

13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी अनुदान राज्य के खाते में जमा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना था तथा संस्वीकृत कार्य उनकी स्वीकृत तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण करना था। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

(i) नमूना-जांचित नौ पंचायत समितियों में से पांच में 2012-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत 128 विकास कार्यों हेतु प्राप्त ₹1.07 करोड़ की राशि के प्रति ₹0.57 करोड़ की राशि निष्पादन एजेंसियों (ग्राम पंचायतों) को जारी की गई थी तथा ₹0.50 करोड़ (47 प्रतिशत) की शेष राशि अभी भी पंचायत समितियों के पास दिसम्बर 2017 तक अप्रयुक्त पड़ी थी **(परिशिष्ट-17)**। संबंधित पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर-दिसंबर 2017) कि ये कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष राशि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने के लिए जारी कर दी जायेगी।

(ii) चार पंचायती राज संस्थाओं<sup>11</sup> में 2013-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत 146 विकास कार्यों के लिए ₹2.00 करोड़ प्राप्त हुए जिन्हें जनवरी 2017 तक निष्पादन हेतु नहीं लिया गया। नवंबर 2017 तक सम्पूर्ण राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (सितम्बर-नवम्बर 2017) कि भूमि की अनुपलब्धता एवं न्यायालयीन प्रकरणों के कारण कार्य निष्पादन हेतु नहीं लिया जा सका।

(iii) नमूना-जांचित छः पंचायती राज संस्थाओं ने वर्ष 2006-17 के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹1.02 करोड़ में से ₹0.71 करोड़ विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को जारी किए

<sup>11</sup> जिला परिषद् सोलन : ₹1.87 करोड़; पंचायत समितियां धर्मपुर : ₹0.07 करोड़; गोहर : ₹0.04 करोड़ और ग्राम पंचायत पिपली : ₹0.02 करोड़।

जबकि ₹0.31 करोड़ इन पंचायती राज संस्थाओं के पास अप्रयुक्त<sup>12</sup> रहे। इन संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (सितम्बर-दिसंबर 2017) कि लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए निष्पादन एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(iv) वर्ष 2013-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति चौतडा (जिला मंडी) को विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट लगाने के लिए ₹0.47 करोड़ स्वीकृत किए गए। संवीक्षा में उजागर हुआ कि कार्यालय ने न तो कोई सोलर लाईट खरीदी, न ही ग्राम पंचायतों को कोई राशि जारी की। ₹0.47 करोड़ की सम्पूर्ण राशि अवरुद्ध रही तथा लाभार्थी योजना के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। उत्तर में संबंधित कार्यकारी अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि अप्रयुक्त राशि की अधिकृत रूप से वापस करने का मामला उच्च अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा। उत्तर तर्कसांगत नहीं है क्योंकि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के भीतर राशि का उपयोग किया जाना चाहिए था।

(v) नमूना-जांचित 57 में से छः पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग के तहत 2013-17 के दौरान ₹6.74 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। उक्त अवधि के दौरान ₹4.90 करोड़ की राशि जारी/उपयोग की गई, जबकि ₹1.84 करोड़ इन पंचायती राज संस्थाओं में अप्रयुक्त<sup>13</sup> रहे। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (सितम्बर-अक्टूबर 2018) कि निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मनरेगा के तहत बहुत सारे कार्य एक साथ चलने से श्रमिकों की कमी हो गई थी। उत्तर कमज़ोर कार्य-योजना को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय अवधि के भीतर निधियों का उपयोग नहीं किया गया।

निधियों की अवरुद्धता एवं अप्रयुक्ति के उपरोक्त दृष्टांतों के परिणामस्वरूप कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए तथा बड़े पैमाने पर जनता को अभीष्ट लाभ नहीं मिला। यह पंचायती राज संस्थाओं के कमज़ोर कार्यान्वयन एवं खराब धन प्रबंधन को दर्शाता है।

<sup>12</sup> ग्राम पंचायतें तान्दी: ₹0.87 लाख; बरच्छवाड़: ₹0.23 लाख; जमणी: ₹0.94 लाख; सैन्थल पडैन: ₹0.83 लाख; पंचायत समितियां सुंदरनगर: ₹8.72 लाख और धर्मपुर: ₹19.14 लाख।

<sup>13</sup> पंचायत समितियां चौतडा: ₹40.34 लाख; धर्मपुर: ₹89.54 लाख; कंडाघाट: ₹8.64 लाख; गोपालपुर: ₹34.41 लाख; ग्राम पंचायतें भावगुठी: ₹8.36 लाख एवं चम्मों: ₹3.35 लाख।

### 2.3.4 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का व्यपवर्तन

2012-16 के दौरान तीन पंचायत समितियों ने ₹ 0.15 करोड़ की निधियों का व्यपवर्तन किया।

वर्ष 2017-18 में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नमूना-जांचित नौ में से तीन 14 पंचायत समितियों में 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹14.79 लाख की निधियां 2012-16 के दौरान अन्य निर्माण कार्यों, सीट कवर और पर्दे की धुलाई, वाहन हेतु डीजल पर व्यय जैसे कार्यों में व्यपवर्तित की गई जो कि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं थी।

कार्यकारी अधिकारियों ने बताया कि (नवम्बर-दिसम्बर 2017) पंचायत समिति सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य स्वीकृत किए गए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय उन कार्यों पर किया गया जो 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अनुमत नहीं थे।

### 2.4 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अप्रयुक्त निधियां

#### 2.4.1 कार्य पूर्ण न होने से निधियों का अवरोधन

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं में से 78 में 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹8.16 करोड़ की निधियां कार्यों के पूर्ण न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी अनुदान राज्य के खाते में जमा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जानी थी। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 28 में 14वें वित्त आयोग के तहत 2015-17 के दौरान ₹4.79 करोड़ (परिशिष्ट-18(i)) की राशि प्राप्त हुई। उक्त अवधि के दौरान ₹1.43 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया जबकि वर्ष 2015-16 हेतु जिला पंचायत अधिकारी से के कार्यों की अनुमोदित शेल्व प्राप्त न होने के कारण ₹3.36 करोड़ इन ग्राम पंचायतों के पास अप्रयुक्त रहे।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्टूबर 2017 - जनवरी 2018) कि राशि का शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा। उत्तर खराब कार्य-योजना का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय अवधि के भीतर निधियों का उपयोग नहीं हुआ।

<sup>14</sup> पंचायत समितियां निरमंड: ₹5.84 लाख; गोहर: ₹0.15 लाख और नग्गर: ₹8.80 लाख।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, यह पाया गया कि नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से 50 में 2015-18 के दौरान ₹10.24 करोड़ (परिशिष्ट-18(ii)) 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त हुए। उक्त अवधि के दौरान ₹5.44 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया एवं ₹4.80 करोड़ (47 प्रतिशत) की राशि इन ग्राम पंचायतों के पास अप्रयुक्त रही। अतः यह खराब कार्य-योजना का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित अवधि के भीतर निधियों का उपयोग नहीं हुआ।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2018 - मार्च 2019) कि 14वें वित्त आयोग की शेल्व के विलम्ब से पारित होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका, लेकिन शेष राशि का शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

#### 2.4.2 कार्य प्रारंभ न होने के कारण निधियों का अवरोधन

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 170 नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं में से 10 में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त ₹ 75.05 लाख की निधियां कार्य प्रारंभ न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से तीन (परिशिष्ट-19(i)) में यह पाया गया कि 2015-17 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य हेतु ₹37.93 लाख की राशि प्राप्त हुई थी जिन्हें मार्च 2017 तक निष्पादन हेतु उपयोग नहीं किया गया। जनवरी 2018 तक सम्पूर्ण राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्टूबर-दिसंबर 2017) कि श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्य निष्पादित नहीं किए जा सके एवं कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 103 ग्राम पंचायतों में से सात (ग्राम पंचायतें खुंडियां, वदेहड़, लांगजा, हल, डेमूल, पुजारली (ब्यूलिया) एवं जांगल) में यह पाया गया कि 2015-18 के दौरान विभिन्न विकास कार्य हेतु 14वें वित्त आयोग के तहत ₹37.12 लाख की राशि (परिशिष्ट-19 (ii)) प्राप्त हुई परन्तु इन निधियों का उपयोग मार्च 2018 तक नहीं किया गया। लेखापरीक्षा की तिथि तक समस्त राशि ग्राम पंचायतों के पास अवरुद्ध रही।

संबंधित सचिवों ने बताया (अगस्त 2018 - मार्च 2019) कि निधियों का उपयोग शीघ्र ही किया जाएगा जबकि ग्राम पंचायत खुंडियां के सचिव ने बताया (अक्टूबर 2018) कि भूमि

मुद्दों के कारण कार्यों को निष्पादन के लिए नहीं लिया जा सका। इस प्रकार, 14वें वित्त आयोग के तहत निधियां निर्धारित समयावधि के भीतर उपयोग नहीं की गईं जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं हुईं।

## 2.5 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियों का अवरोधन

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹3.99 लाख की राशि अप्रयुक्त रही।**

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से 27 ग्राम पंचायतों (मंडी में 13 ग्राम पंचायतें व कुल्लू में 14 ग्राम पंचायतें) में 2011-17 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (परिशिष्ट-20) के तहत ₹4.17 लाख की राशि प्राप्त की। 2011-17 के दौरान केवल ₹0.18 लाख का व्यय किया गया जिससे जनवरी 2018 तक संबंधित ग्राम पंचायतों के पास ₹3.99 लाख की शेष राशि अप्रयुक्त रह गई। 24 ग्राम पंचायतों ने बिना किसी कारण को दर्ज किए दो से पांच वर्षों की अवधि में निधियों का उपयोग नहीं किया, जिससे अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017-जनवरी 2018) कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त राशि का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

## 2.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

### 2.6.1 वेतन जारी करने में विलम्ब

**14 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को ₹ 57.11 लाख की मजदूरी के भुगतान में 15 से 518 दिनों के मध्य की अवधि का विलम्ब हुआ।**

मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के परिच्छेद 8.3.1 में संदर्भित है कि श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर तथा किसी भी स्थिति में कार्य किए जाने की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अपेक्षित है। एक पखवाड़े से अधिक के विलम्ब के मामले में, श्रमिक 'मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-18 के दौरान 14 ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को एक पखवाड़े की अनुमेय अवधि से 15 से 518 दिनों के मध्य के विलम्ब के पश्चात् ₹57.11 लाख (परिशिष्ट-21) का भुगतान किया। तथापि विलंबित भुगतान हेतु

श्रमिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस प्रकार, भुगतान में विलम्ब के कारण मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले व्यक्तियों को अनुचित कठिनाई का समान करना पड़ा तथा उस मुआवजे से भी वंचित रह गए जिसके वे कानूनी रूप से प्राप्त करने के हकदार थे।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जनवरी-मार्च 2019) कि श्रमिकों के वेतन के भुगतान में विलम्ब, विकास खंड कार्यालय से निधियां प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुआ, जबकि ग्राम पंचायतों ककडै, पोलिंग एवं स्वाड के सचिवों ने बताया (फरवरी-मार्च 2019) कि भविष्य में भुगतान समय पर किया जाएगा।

### 2.6.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी का संदिग्ध/ दोगुना भुगतान

दस ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों के लिए समान श्रमिकों की तैनाती दिखाई जो ₹ 2.27 लाख के संदिग्ध भुगतान को दर्शाता है।

दो ग्राम पंचायतों (2017-18 में) एवं आठ ग्राम पंचायतों (2018-19 में) में यह पाया गया कि 2010-17 के दौरान एक ही अवधि में समान श्रमिकों को विभिन्न कार्यों एवं विभिन्न मस्टर रोल पर तैनात किया गया, जो संदिग्ध तैनाती तथा मनरेगा के तहत क्रमशः ₹0.59 लाख<sup>15</sup> व ₹1.68 लाख<sup>16</sup> की मजदूरी का दोगुना भुगतान दर्शाता है। एक ही समय में अलग-अलग कार्यों पर समान श्रमिकों की तैनाती अपर्याप्त एवं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र को तथा ग्राम पंचायतों की लापरवाही को दर्शाता है।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर 2017 - सितंबर 2018) कि मामले की जांच की जाएगी।

### 2.6.3 मस्टर रोल पूरा किए बिना/जिला पंचायत अधिकारी से मस्टर रोल प्राप्त किए बिना श्रमिकों के वेतन पर व्यय तथा अन्य अनियमितताएं

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 102(1) और (2) में प्रावधान है कि जब पंचायत के कार्य विभागीय स्तर पर दैनिक मजदूरों द्वारा निष्पादित किए जाने हो तो सचिव या उनके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी/पदाधिकारी को मस्टर रोल बनाना होगा। इस मस्टर रोल का मुद्रण जिला पंचायत अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पंचायत

<sup>15</sup> ग्राम पंचायतें गोयला: ₹0.54 लाख और सायरी: ₹0.05 लाख।

<sup>16</sup> ग्राम पंचायतें कारदंग: ₹0.05 लाख, बरबोग: ₹0.13 लाख, दारचा: ₹1.05 लाख, कुठार: ₹0.24 लाख, घोड़ना: ₹0.05 लाख, क्यार: ₹0.06 लाख, जुंगा: ₹0.06 लाख और पुजारली: ₹0.04 लाख।

आवश्यकतानुसार जिला पंचायत अधिकारी से मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मस्टर रोल फार्म प्राप्त करेगी।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 के दौरान ग्राम पंचायत बाशा, विकास खंड कंडाघाट, जिला सोलन में जल संचयन टैंक के निर्माण पर दस श्रमिकों को तैनात किया गया एवं उनकी मजदूरी पर ₹0.15 लाख का व्यय किया गया। उक्त प्रावधान के विपरीत इस कार्य के लिए जारी मस्टर रोल अधूरा था। जारी किए गए मस्टर रोल में कार्य का नाम तथा श्रमिकों की उपस्थिति अंकित नहीं पाई गई। श्रमिकों की उपस्थिति के अंकन के अभाव में, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (नवंबर 2017) कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 ग्राम पंचायतों<sup>17</sup> में जिला पंचायत अधिकारी से मस्टर रोल प्राप्त नहीं किए जा रहे थे एवं ग्राम पंचायतों द्वारा मुद्रित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन मस्टर रोल पर न तो क्रम संख्या और न ही तारीख व कार्य का विवरण अंकित किया गया था।

ग्राम पंचायतों के सचिवों (लांगजा, लालुंग, डेमूल, खुरिक एवं हल) ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि नियम की अनभिज्ञता के कारण निजी विक्रेताओं से मस्टर रोल खरीदे गए थे जबकि ग्राम पंचायतों<sup>18</sup> के सचिवों ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि भविष्य में नियमानुसार मस्टर रोल एकत्र एवं अनुरक्षित किए जाएंगे।

#### 2.6.4 मस्टर रोल के प्रति ₹0.38 लाख का अतिरिक्त भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच ग्राम पंचायतों<sup>19</sup> में केवल 30 दिनों वाले माह में 31 की तिथि तक उपस्थिति दर्ज करने के कारण दिहाड़ी मजदूरों को ₹0.38 लाख की अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बरबोग के मामले में मस्टर रोल में श्रमिकों के नाम दर्ज किए बिना ₹0.03 लाख का अनियमित भुगतान किया गया,

<sup>17</sup> ग्राम पंचायतें लांगजा, लालुंग, डेमूल, खुरिक, हल, घोड़ना, बगैण, पुजारली, दारचा, खंगसर, गोशाल, मुलिंग, गोंधला, बरबोग और केलांग।

<sup>18</sup> पुजारली, घोड़ना, दारचा, बगैण, खंगसर, गोशाल, मुलिंग, गोंधला, बरबोग और केलांग।

<sup>19</sup> ग्राम पंचायतें खंगसर: ₹0.14 लाख, डेमूल: ₹0.02 लाख, दारचा: ₹0.02 लाख, बरबोग: ₹0.18 लाख और केलांग: ₹0.02 लाख।



जबकि ग्राम पंचायत केलांग के मामले में मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ₹0.01 लाख का भुगतान किया गया।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि मामले की जांच के बाद इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी जबकि सचिव, ग्राम पंचायत डेमलू ने बताया (अगस्त 2018) कि 31 वें दिन मस्टर रोल पर उपस्थिति गलती से हुई थी तथा किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।

### 2.6.5 ग्यारह ग्राम पंचायतों द्वारा बिना दस्तावेजी प्रमाण के श्रमिकों को भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 का नियम 50 निर्धारित करता है कि जहां आवश्यक हो भुगतान करते समय भुगतान लेने वाले व्यक्ति से जहां आवश्यक है अलग पावती जहां आवश्यक हो ली जाए तथा सम्बंधित वाउचर के साथ संलग्न किया जाए।

(i) वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से नौ ग्राम पंचायतों<sup>20</sup> में 2011-15 के दौरान 15 श्रमिकों को मस्टर रोल पर श्रमिकों की पावती रसीद (हस्ताक्षर) लिए बिना ₹5.06 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया। अतः ₹5.06 लाख का भुगतान संदिग्ध था तथा दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अक्टूबर 2017 - जनवरी 2018) कि उचित कार्रवाई की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापेरिक्षित व नमूना-जांचित 45 ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों<sup>21</sup> में बिना पावती रसीद (हस्ताक्षर) लिए ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों को 2011-16 के दौरान मानदेय के रूप में ₹0.50 लाख का भुगतान किया गया।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर-नवंबर 2017) कि मामले की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पावती रसीदों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भुगतान वास्तविक लाभार्थियों/श्रमिकों को ही किया गया था।

<sup>20</sup> ग्राम पंचायतें नौण: ₹0.55 लाख, ऐहजू: ₹0.03 लाख, कोटला खनोला: ₹0.99 लाख, तुन्ना: ₹0.69 लाख, तान्दी: ₹0.17 लाख, कलौहड: ₹0.03 लाख, खिलड़ा: ₹0.19 लाख; कुटाहची: ₹1.28 लाख और बंदली: ₹1.13 लाख।

<sup>21</sup> ग्राम पंचायतें गलू: ₹0.24 लाख और सुलपुर जबोठ: ₹0.26 लाख।

## 2.7 ₹2.89 लाख का संदिग्ध व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 47 के अनुसार किसी भी उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान, जिसमें पंचायत निधि में पहले से रखे धन का पुनः भुगतान भी शामिल है, पंचायत निधि के खाते में दर्ज किया जाएगा जिसमें लेखों का उचित वर्गीकरण एवं पूर्ण व स्पष्ट विवरणों वाला वाउचर संलग्न हो।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 45 ग्राम पंचायतों में से चार ग्राम पंचायतों<sup>22</sup> में 2012-15 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यों एवं बिजली बिल का भुगतान, पंचायत घर का नवीनीकरण, कंप्यूटर की मरम्मत, सोलर लाईट का भुगतान इत्यादि जैसे विभिन्न भुगतान करने के लिए ₹2.89 लाख का व्यय किया गया जबकि लेखापरीक्षा को बिल व वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए। वाउचरों के अभाव में व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितंबर-नवंबर 2017) कि वाउचर का पता लगाकर फाईल में रखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक भुगतान हेतु वाउचर होना चाहिए।

## 2.8 ₹9.24 लाख के अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 189 (1) से (4) के अनुसार विभागाध्यक्ष यथानिर्धारित, किसी सरकारी कर्मचारी को माल की खरीद के लिए या सेवाओं को किराए पर लेने के लिए या किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए अग्रिम स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। नियम में आगे प्रावधान है कि यदि कोई समायोजन बिल के साथ यदि कोई शेष राशि हो, तो उसे अग्रिम की निकासी के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए। जब तक सबद्ध सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रथम अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक द्वितीय अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 1998-99 से 2016-17 की अवधि के मध्य सात ग्राम पंचायतों के प्रधानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ₹9.46 लाख<sup>23</sup> के अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किए गए थे।

<sup>22</sup> ग्राम पंचायतें बाशा: ₹1.66 लाख, सुलपुर जबोठ: ₹0.14 लाख, गोयला: ₹0.42 लाख और सायरी: ₹0.67 लाख।

<sup>23</sup> ग्राम पंचायतें मुलिंग: ₹0.90 लाख (एफ.डी.ए भवन के निर्माण हेतु), गोंधला: ₹4.50 लाख (महिला मंडल के निर्माण हेतु), चडौली: ₹0.92 लाख (खेल उपकरण की खरीद और निर्माण कार्यों हेतु), बगैण: ₹0.90 लाख (विकास कार्य) कुठार: ₹0.37 लाख (विकास कार्य), ददास: ₹0.57 लाख (पंचायत घर के निर्माण हेतु) और जुंगा: ₹1.30 लाख (विभिन्न कार्यों का निष्पादन)।

इन अग्रिमों में से ₹9.24 लाख की राशि दो से 20 वर्षों की अवधि तक समायोजन के लिए लंबित थी। अतः इन अग्रिमों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त-सितंबर 2018) कि अग्रिम का समायोजन सत्यापन के बाद किया जाएगा तथा इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

## 2.9 बजट आकलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 37 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु अपनी प्राप्ति व व्यय का बजट आकलन प्रपत्र-11 में निर्धारित प्रारूप में तैयार करेगी। बजट आकलन पिछले वर्ष के 15 अक्टूबर तक सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा एवं संवीक्षा हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे ग्राम सभा द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 ग्राम पंचायतों<sup>24</sup> ने 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु बजट आकलन तैयार नहीं किया जबकि ग्राम पंचायत बरवाला ने वर्ष 2017-18 हेतु बजट आकलन तैयार नहीं किया।

ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जुलाई 2018 - जनवरी 2019) कि भविष्य में बजट तैयार किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट तैयार न करना पंचायतों द्वारा वित्तीय कार्य-योजना की कमी का परिचायक था।

## 2.10 सामग्री की अनियमित खरीद

**2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं में से 122 ने कोटेशन/ निविदाएं आमंत्रित किए बिना ₹ 8.74 करोड़ की लागत से सामग्री खरीदी।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 67 (5) (ए) व (बी) में प्रावधान है कि ₹50,000 से अधिक का स्टोर क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके खरीदा जाए तथा ₹1,000 से अधिक परन्तु ₹50,000 से कम की खरीद कम से कम तीन व्यक्तियों/फर्मों से कोटेशन आमंत्रित करके किया जाए।

<sup>24</sup> ग्राम पंचायतें कडोआ, गंगोट, थाना, रामनगर, जयपीडी माता, कोट कियाना, क्यारी, कुडू, तांगनु जंगलीख, किरण, चडौली, बावत, गोरली मडोग, खंगटेडी, पुजारली-3, जगोठी, कटलाह, कांडा बनाह, दारचा, कारदंग, केलांग, बरबोग, खुरिक, डेमुल, लालूंग, लांगजा, गोशाल, गोंधला, खंगसर और हल।

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नमूना-जांचित 170 पंचायती राज संस्थाओं में से 122 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹8.74 करोड़ की लागत (परिशिष्ट-22) से निर्माण कार्य हेतु विभिन्न सामग्री, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना खरीदी गईं। चूंकि खरीद निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी, अतः उच्च दरों पर भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

38 पंचायती राज संस्थाओं (2017-18 में लेखापरीक्षित) के संबंधित सचिवों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों<sup>25</sup> ने बताया (सितम्बर 2017 - जनवरी 2018) कि भविष्य में नियमानुसार खरीद की जायेगी। 81 पंचायती राज संस्थाओं (2018-19 में लेखा परीक्षित) के संबंधित सचिवों ने बताया (जुलाई 2018-फरवरी 2019) कि सामग्री की अत्यावश्यकता के कारण कोटेशन/निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी, परन्तु भविष्य में नियमानुसार खरीद की जायेगी जबकि सचिवों, ग्राम पंचायतों (हारसी, अपर थेहरू एवं जगोठी) ने बताया (जून 2018 - मार्च 2019) कि उन्हें उन नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके कारण बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रित किए सामग्री खरीदी गई परन्तु भविष्य में नियम होगा पालन किया जाएगा।

## 2.11 ₹ 72.39 लाख के सरकारी धन का अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 74 में यह प्रावधान है कि पंचायत का प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी परोक्ष रूप से अपनी कार्रवाई या लापरवाही से हुए दर्शाने योग्य अधिकतम नुकसान हेतु न केवल अपनी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही से पंचायत को हुए नुकसान के लिए अपितु किसी अन्य कर्मी द्वारा धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाले नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

यह पाया गया कि 35 ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्यों को मस्टर रोल के अनुसार किए गए कार्य एवं उसी दिन ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति के लिए मानदेय का भुगतान, श्रमिकों/ ठेकेदारों के नाम पर चेक जारी नहीं करना, ₹5000/- से अधिक के बिलों पर राजस्व टिकटों के बिना ठेकेदारों को भुगतान, श्रमिकों को भुगतान की रसीद न प्राप्त करना, वाउचरों

<sup>25</sup> जिला परिषद् मंडी; पंचायत समितियां गोहर और कंडाघाट; ग्राम पंचायतें बाशा, साकोरी, वाकनां, सायरी, हिन्नर, गोयला, चम्मों, नालका, भावगुडी, जाडला, कोहिला, फनौटी, पोखरी, टकारसी, कराणा, कोट, तुन्न, सराहन, निरमंड, कराडसू, तुन्ना, तान्दी, कुटाहची, कोटला खनोला, नौण, जुगाहण, कलौहड, खिलड़ा, धवाल, सैन्थल पडैन, ऊटपुर, गलू, ऐहजू, पिपली और सुलपुर जबोठ।

का सत्यापन न करना आदि जैसे अनियमित तरीके से ₹72.39 लाख (परिशिष्ट-23) का भुगतान किया गया। इस प्रकार, यह ग्राम पंचायतों की लापरवाही को दर्शाता है तथा परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनियमित भुगतान हुआ।

संबंधित सचिवों ने बताया (सितंबर 2018 - जनवरी 2019) कि विसंगतियों पर गौर किया जाएगा एवं नुकसान का जल्द ही समायोजन किया जाएगा। सचिव, ग्राम पंचायत सिंहल ने बताया (मार्च 2019) कि उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार अवकाश वेतन की अनुमति दी गई थी तथा इसका अनुपालन लेखापरीक्षा को दिखाया जाएगा जबकि सचिव, ग्राम पंचायत थाना ने बताया (जुलाई 2018) कि मजदूरों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके भुगतान का चेक ग्राम पंचायत सदस्य को जारी किया गया था। सचिव, ग्राम पंचायत हारसी ने बताया (फरवरी 2019) कि अनियमितता इसलिए हुई क्योंकि उन्हें नियम के बारे में जानकारी नहीं थी तथा मजदूरों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं थे जबकि सचिव, ग्राम पंचायत गाहड़ ने बताया (मार्च 2019) कि भविष्य में सभी भुगतान मजदूरों के खातों में किया जाएगा।

## 2.12 ₹ 5.55 लाख की राशि का अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002 के नियम 49 में प्रावधान है कि जब तक सम्बंधित पंचायत का सचिव तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत का प्रधान भुगतान आदेश के वाउचर पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर नहीं करते या अधोहस्ताक्षर नहीं करते तब तक ग्राम पंचायत न तो केश के माध्यम से न ही चेक के द्वारा कोई भुगतान कर सकेगी। इसके अतिरिक्त नियम 50 में प्रावधान है कि जहां आवश्यक हो, भुगतान करते समय भुगतान लेने वाले व्यक्ति से अलग पावती मुहर लगी यदि आवश्यक हो ली जाए साथ ही सभी भुगतान किए जा चुके वाउचरों पर सचिव द्वारा “भुगतान हुआ” की मोहर, उसके हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित की जाए ताकि वाउचर का दूसरी बार प्रयोग न किया जा सके।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि छः ग्राम पंचायतों<sup>26</sup> द्वारा सामग्री खरीद पर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ₹5.55 लाख के बिल अनियमित प्रकृति के थे। उसमें उल्लेखित बिलों व तिथियों की क्रम संख्या सुसंगत नहीं थी तथा वाउचर पर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित “भुगतान हुआ” की मुहर नहीं थी। भुगतान प्राप्त करने वाले

<sup>26</sup> ग्राम पंचायतें दारपा: ₹1.81 लाख, कोटला खनोला: ₹1.38 लाख, ऐहजू: ₹0.56 लाख, बरच्छवाड़: ₹0.82 लाख, सैन्थल पडैन: ₹0.42 लाख और नौण: ₹0.56 लाख।

व्यक्तियों से अलग पावती नहीं ली गई थी तथा संबंधित वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गए। अतः ₹5.55 लाख का भुगतान अनियमित था तथा लेखापरीक्षा द्वारा इन लेनदेनों की विश्वसनीयता प्रमाणित नहीं की जा सकी।

संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितम्बर 2017) कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भुगतान नियमानुसार किया जाना चाहिए था।

## **अध्याय-3**

# **शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा**





भाग-ख  
शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-3  
शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

**3.1 पृष्ठभूमि**

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं शहरी स्थानीय निकायों को निधियों एवं पदाधिकारियों सहित संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों (परिशिष्ट-1) के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह अधिनियम जून 1993 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य (अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर) हस्तांतरित कर दिए गए हैं; तथापि शहरी स्थानीय निकायों को तदनुसार निधियां एवं पदाधिकारी उपलब्ध कराया जाना अभी शेष है।


**3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश**

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी हैं (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणामों को अध्याय-4 में सम्मिलित किया गया है।

**3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा**

31 मार्च 2019 तक राज्य में दो नगर निगम, 31 नगर परिषदें तथा 21 नगर पंचायतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव (शहरी विकास) के पास है। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :

### संगठनात्मक ढांचा



### 3.3.1 स्थाई समितियां

वित्तीय मामलों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न स्थाई समितियों का विवरण नीचे तालिका-9 में दिया गया है:

तालिका-9: स्थाई समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	स्थापना मामलों, संचार, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत के प्रावधान, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा व प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद्/ नगर पंचायत में अध्यक्ष	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा एवं वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।

स्रोत: हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994

### 3.3.2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु परियोजना अनुभाग में परियोजना अधिकारी का एक तथा सांख्यिकीय सहायक के दो पद स्वीकृत किए हैं। 2017-18 के दौरान सांख्यिकीय सहायक के पद रिक्त थे।

तालिका: शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न संवर्गों के कर्मियों की स्थिति का विवरण

वर्ष	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्तता की प्रतिशतता
2017-18	3,754	1,194	(32 प्रतिशत)
2018-19	3,749	1,230	(33 प्रतिशत)

### 3.4 वित्तीय रूपरेखा

#### 3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों में निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु शहरी स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में मुख्यतः (क) केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान (ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान (ग) केंद्र सरकार अनुदान तथा (घ) राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त करों, किरायों, शुल्कों इत्यादि के रूप में भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व जुटाया जाता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का विवरण नीचे तालिका-10 में दिया गया है:

तालिका-10: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	स्व राजस्व	118.04	128.60	173.20	161.18	288.68	
2.	ऋण	0.03	0.43	0	0	0.01	
3.	केंद्र सरकार से वित्त आयोग अनुदान	22.52	24.55	34.87	30.98	17.92	
4.	राज्य सरकार से वित्त आयोग अनुदान	72.40	85.51	99.45	111.36	120.74	
5.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	केन्द्रीय अंश	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
		राज्यांश	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार अनुदान	34.55	67.15	75.08	76.62	221.94	
<b>योग</b>		<b>339.02</b>	<b>465.87</b>	<b>755.58</b>	<b>433.52</b>	<b>794.91</b>	

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग एवं आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

**केंद्र सरकार अनुदान:** केंद्र प्रायोजित सात योजनाएं हैं: (i) नवीकरण और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (अमृत) (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए घर (शहरी) (iii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (iv) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (v) छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (vi) स्मार्ट सिटी मिशन तथा (vii) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु शहरी स्थानीय निकायों को इन योजनाओं के तहत आवंटित निधियों की स्थिति नीचे तालिका-11 में विवर्णित है:

**तालिका-11: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	90.93	92.07	--	3.97	--	186.97
छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना	0.13	27.75	105.83	--	--	133.71
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	--	6.71	6.58	6.86	2.66	22.81
अमृत	--	22.48	24.06	23.33	36.00	105.87
स्मार्ट सिटी मिशन	--	2.00	208.89	--	78.00	288.89
प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए घर (शहरी)	--	0.73	16.57	19.22	22.06	36.52
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी	--	7.69	11.06	--	6.89	25.64
<b>योग</b>	<b>91.06</b>	<b>159.43</b>	<b>372.99</b>	<b>53.38</b>	<b>145.61</b>	<b>822.47</b>

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग।

**राज्य सरकार अनुदान:** 2014-15 से 2018-19 की अवधि में इन योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति का विवरण नीचे तालिका-12 में दिया गया है:

**तालिका-12: प्रमुख राज्य योजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
विश्व बैंक सहायता प्राप्त बड़ी योजनाएं	--	--	--	--	143.53	143.53
सीवरेज योजनाएं	23.00	24.00	32.50	23.42	25.00	127.92
सीवरेज रखरखाव	5.00	8.40	9.05	20.00	18.21	60.66

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
मर्ज्ड एरिया (विलय क्षेत्र) अनुदान	--	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
पार्किंग	--	15.00	9.38	10.00	10.00	44.38
बगीचों का विकास	--	--	9.30	10.00	10.00	29.30
लक्ष्य योजनाएं	--	--	1.20	1.20	1.20	3.60
<b>योग</b>	<b>28.00</b>	<b>50.40</b>	<b>64.43</b>	<b>67.62</b>	<b>210.94</b>	<b>421.39</b>

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग।

शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न स्रोतों से आवंटित निधियों को बैंकों में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य अनुदान का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जबकि शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की प्राप्तियों का उपयोग प्रशासनिक खर्चों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है।

### 3.4.2 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग नीचे तालिका-13 में दिया गया है:

तालिका-13: संसाधनों का क्षेत्रवार अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	स्व राजस्व	150.78*	167.20*	229.78*	268.17*	370.24*
2.	ऋण					
3.	केंद्र सरकार के वित्तायोग अनुदान से हुआ व्यय एवं केंद्र सरकार से अनुदान	22.52	24.55	34.87	30.98	17.92
4.	केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान से व्यय	91.43	130.47	336.28	48.05	125.08
5.	केंद्रीय अंश से व्यय					
	राज्यांश से व्यय	0.05	29.16	36.70	5.33	20.54
6.	राज्य सरकार के वित्तायोग अनुदान से हुआ व्यय एवं राज्य सरकार से अनुदान	72.40	85.51	99.45	111.36	120.74
7.	राज्य योजनाओं हेतु राज्य सरकार से व्यय	34.55	67.15	75.08	76.62	221.94
	<b>योग</b>	<b>371.73</b>	<b>504.04</b>	<b>812.16</b>	<b>540.51</b>	<b>876.46</b>

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक व सांख्यिकी विभाग।

\* विभाग के पास अलग-अलग आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों में अन्तर्शेष भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवायी गयी समस्त निधियां बुनियादी स्तर पर वास्तविक व्यय के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाई गई है। शहरी विकास विभाग के पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए व्यय के सटीक आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय को नियंत्रित करने/समीक्षा करने के लिए कोई आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति में अनियमितता एवं कमजोर नियंत्रण प्रणाली में थी जिसकी अध्याय-4 में चर्चा की गई है।

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों (2014-15 से 2016-17 की अवधि हेतु) तथा 14 शहरी स्थानीय निकायों (2015-16 से 2018-19 की अवधि हेतु) में वास्तविक व्यय के आंकड़ें अध्याय-4 की तालिका-15 (i) व (ii) में सम्मिलित किये गए हैं।

### 3.5 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता और गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त उनके आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गयी कमजोरियों तथा कमियों का उल्लेख अध्याय-4 में किया गया है।

### 3.6 शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की एक पृथक व स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा की जानी है। शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 26 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई। इन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल हैं जो हिमाचल

प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आय व व्यय पर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक, शहरी विकास के नियंत्रण में पृथक एवं स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी का कोई प्रावधान नहीं है।

### 3.7 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152-154 के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गई है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु लेखापरीक्षा योजना प्राथमिक लेखा परीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) से प्राप्त हुई तथा इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना की प्रक्रिया के लिए दर्ज की गई।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति एवं लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं का पालन किया।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में से पांच निरीक्षण प्रतिवेदनों (प्रत्येक वर्ष में) की समीक्षा की गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया तथा सुधार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशों की गईं। निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय को निम्नलिखित सिफारिशों की गईं:

- (i) लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाते समय संदर्भित नियमों का अलग परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।
- (ii) लेखापरीक्षिती इकाई को लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किया जाए।
- (iii) शहरी स्थानीय निकायों के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी के उत्तर को लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्मिलित किया जाए।
- (iv) गणना को तालिका प्रारूप में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्षों के दौरान सुधार हेतु कुछ इसी तरह की सिफारिशों की गई थीं, लेकिन कमियां बनी रहीं, जो इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग ने इसे दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफ को उनकी आवश्यकतानुसार हर साल दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2017-18 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 24 प्रतिभागियों को 8 व 9 फरवरी 2018 को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) वित्त, कराधान एवं दावों की वसूली के संबंध में सांविधिक प्रावधान (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां, उनका संचालन, अनुप्रयोग एवं निवेश (iii) बजट, व्यय व भंडार (iv) लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक निर्माण नियम तथा (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय एवं इसके संचालन संबंधी दिशानिर्देश। 2018-19 के दौरान, 11 और 12 मार्च 2019 को हिमाचल प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा विभाग के 25 प्रतिभागियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) पीआरआईए सॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन प्रणाली) (ii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की लेखापरीक्षा; तथा (iii) शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा मांगों, मुख्य दस्तावेज व लेखापरीक्षा रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना।

### 3.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 की नमूना जांच की गई तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किया गया। 2017-18 के दौरान दो नगर निगम, छः नगर परिषदों तथा चार नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई (**परिशिष्ट-3(i)**)। वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 14 शहरी स्थानीय निकायों (दो नगर निगमों, सात नगर परिषदों और पांच नगर पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किये गए (**परिशिष्ट-3(ii)**)। उन प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के अध्याय-4 में सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच करे एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करे।



### 3.9 अनुपालना हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां

शहरी स्थानीय निकायों से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों में उजागर दोषों/चूकों को सुधारने एवं आपत्तियों के समायोजन की अनुपालना की सूचना देना अपेक्षित है।

31 मार्च 2019 तक जारी, निपटाए गए/ हटाए गए तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों का विवरण नीचे तालिका-14 में दिया गया है:

**तालिका-14: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा परिच्छेद**

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		वर्ष 2018-19 के दौरान योग		कुल		2018-19 के दौरान समायोजित/निरस्त किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2014-15 तक	157	1,013	-	-	157	1,013	-	43	157	970
2.	2015-16	16	134	-	-	16	134	-	12	16	122
3.	2016-17	16	176	-	-	16	176	-	4	16	172
4.	2017-18	12	133	-	-	12	133	-	7	12	126
5.	2018-19	-	-	14	186	14	186	-	-	14	186
<b>योग</b>		<b>201</b>	<b>1,456</b>	<b>14</b>	<b>186</b>	<b>215</b>	<b>1,642</b>	<b>-</b>	<b>66</b>	<b>215</b>	<b>1,576</b>

निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों के निपटान हेतु पत्राचार किया जा रहा है, इसके बावजूद निपटान के लिए लंबित परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है जो अपेक्षित गंभीरता एवं प्रभावी कार्रवाई के अभाव का परिचायक है जो जवाबदेही को कमज़ोर करता है।



**अध्याय-4**  
**शहरी स्थानीय निकायों की**  
**लेखापरीक्षा के परिणाम**



## अध्याय-4

### शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इंगित किये गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग ऐसे समान मामलों की जांच प्रारंभ करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

#### 4.1 लेखांकन प्रणाली

निदेशक, शहरी विकास के निर्देशानुसार (अप्रैल 2009) शहरी स्थानीय निकायों से लेखांकन की दोहरा लेखन प्रणाली को अपनाया जाना अपेक्षित है। विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2018 एवं अगस्त 2019) की वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना-जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकायों तथा 2018-19 के दौरान नमूना-जांच किये गए 14 शहरी स्थानीय निकायों ने उनके लेखे दोहरा लेखन प्रणाली में अनुरक्षित किए थे।

##### 4.1.1 लेखों को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 252 एवं 253 के अनुसार नगरपालिका की आय व व्यय के लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार रखे जाए। नगरपालिका वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर उस वर्ष के लेखे तैयार करेगी। जैसे ही नगरपालिका द्वारा वार्षिक लेखे अंतिम रूप से पारित हो, वह उन्हें निदेशक (शहरी विकास) को प्रेषित करेगी।

वर्ष 2018-19 में अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान चार<sup>1</sup> शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम शिमला, नगर परिषद् सुजानपुर व नेरचौक तथा नगर पंचायत भुन्तर) में पाया गया कि वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे जबकि उन लेखों को तैयार किया जाना एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुजानपुर ने बताया (दिसंबर 2018) कि भविष्य में वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाएंगे जबकि सचिव, नगर पंचायत भुन्तर ने बताया (फरवरी 2019) कि कार्यभार की अधिकता के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके।

<sup>1</sup> नगर निगम शिमला (2017-18 के लिए), नगर परिषदें सुजानपुर (2014-15 से 2017-18 के लिए) एवं नेरचौक (2016-17 से 2017-18 के लिए), एवं नगर पंचायत भुन्तर (2014-15 से 2017-18 के लिए)।

लेखा अधिकारी, नगर निगम शिमला ने बताया (नवंबर 2018) कि लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके परन्तु इन्हें भविष्य में तैयार किया जाएगा जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक ने बताया (फरवरी 2019) कि स्टाफ की कमी के कारण वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए जा सके परन्तु इन्हें भविष्य में तैयार किया जाएगा।

## 4.2 बजट तैयार करना

### अपेक्षित व्यय का आकलन किए बिना बजट तैयार करना

शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्तीय वर्ष की अपेक्षित आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं तथा तत्पश्चात समिति के सदन के समक्ष रखे जाते हैं। समिति के सदन द्वारा बजट पारित करने के पश्चात बजट आकलन निदेशक, शहरी विकास को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

(i) वर्ष 2014-17 के लिए दो नगर निगमों, छः नगर परिषदों एवं चार नगर पंचायतों में बजट प्रावधान व उसके प्रति हुए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका-15(i) में दी गई है।

### तालिका-15 (i): 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावधान के प्रति व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बजट की प्रतिशतता
2014-15	320.62	210.07	110.55 (-)	34
2015-16	265.25	181.68	83.57 (-)	32
2016-17	427.42	245.85	181.57 (-)	42

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति परिशिष्ट-24(i) में दी गई है।

तालिका-15 (i) से स्पष्ट है कि 2014-17 के दौरान 32 से 42 प्रतिशत तक निरंतर बचत हुई थी जो दर्शाती है कि बजट आकलन यथार्थवादी नहीं थे। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने बताया (मार्च 2019) कि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों से कारण मांगे गए थे।

(ii) वर्ष 2015-18 में दो नगर निगमों, सात नगर परिषदों एवं पांच नगर पंचायतों में बजट प्रावधान की व उसके प्रति हुए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका-15 (ii) में दी गई है।

**तालिका-15 (ii): 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावधान के प्रति व्यय**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	बचत की प्रतिशतता
2015-16	417.11	203.68	213.43(-)	51
2016-17	530.19	213.41	321.35(-)	61
2017-18	591.48	225.99	368.90(-)	62

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति परिशिष्ट-24(ii) में दी गई है।

तालिका-15 (ii) से स्पष्ट है कि 2015-18 के दौरान 51 से 62 प्रतिशत तक की निरंतर बचत हुई जो दर्शाती है कि बजट आकलन यथार्थवादी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप निधियों के अवरोधन हुआ जबकि यह राशि अन्य विकासात्मक कार्यों में उपयोग की जा सकती थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने बताया (जनवरी 2021) कि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों से कारण मांगे गए थे।

#### 4.3 कोटेशन आमंत्रित किए बिना सामग्री की खरीद

चार शहरी स्थानीय निकायों ने कोटेशन आमंत्रित किए बिना ₹ 9.79 लाख की लागत की विविध सामग्रियों की खरीद की।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 (संशोधित) के नियम 97(1) में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोटेशन या बोलियों को आमंत्रित किए बिना प्रत्येक अवसर पर ₹3,000/- से अधिक का मौद्रिक मूल्य न हो, तक का सामान खरीदा जा सकता है, बशर्ते जो अधिकतम ₹50,000 तक हो सकता है। यदि मौद्रिक मूल्य ₹3,000/- से अधिक है और ₹1,00,000 तक है तो नियम 98 के अनुसार विधिवत गठित स्थानीय खरीद समिति की सिफारिश पर खरीद की जाएगी। ₹1,00,000 से अधिक की खरीद निविदा प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया कि चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम धर्मशाला, नगर पंचायतें बंजार, भुन्तर एवं करसोग) ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान कोटेशन आमंत्रित किए बिना ₹9.79 लाख<sup>2</sup> मूल्य की सीमेंट, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि जैसी

<sup>2</sup> नगर पंचायतें बंजार: ₹1.74 लाख, करसोग: ₹1.11 लाख एवं भुन्तर: ₹1.39 लाख; नगर निगम धर्मशाला: ₹5.55 लाख।

मदें/ सामग्री खरीदी। यह उक्त नियमों का उल्लंघन था। इससे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अलाभकारी खरीद की गई।

सम्बंधित अतिरिक्त आयुक्त/ सचिवों ने कहा (दिसम्बर 2018-फरवरी 2019) कि उन मदों को तत्काल खरीदे जाने की आवश्यकता थी और इसलिए कोटेशन नहीं बुलाई गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपातकालीन मामलों के अतिरिक्त साधारण परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना खरीद करने की अनुमति नहीं है।

#### 4.4 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

नगर परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 57(3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के प्रावधान के अनुसार, नगर परिषद् को उन सभी अचल संपत्तियों का रजिस्टर और नक्शा बनाए रखना आवश्यक है, जो उसके स्वामित्व में है या जो उसके अधिकार क्षेत्र में है या जो राज्य सरकार के लिए ट्रस्ट में रखता है।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ में यह पाया गया कि निम्नलिखित रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया गया था:

- 1) अचल संपत्तियां (नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में निहित अचल संपत्ति के नक्शे और सूची सहित)
- 2) प्रतिभूति रजिस्टर।
- 3) अग्रिम राशि रजिस्टर।
- 4) वर्गीकृत सार।
- 5) चिकित्सा दावों का रजिस्टर।
- 6) वाहन मरम्मत के रखरखाव का रजिस्टर।
- 7) निविदा प्रपत्रों का रजिस्टर।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि नगर पंचायतें सुन्नी व अर्की में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थापना के लिए वेतन बिल रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। उपर्युक्त शहरी स्थानीय निकायों में इन रजिस्ट्रों का अनुरक्षण न करना नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है।



संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी/सचिवों ने कहा (दिसम्बर 2017-जनवरी 2018) कि भविष्य में अभिलेख का अनुरक्षण किया जायेगा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा को दिखाई जायेगी।

(ख) 2018-19 के दौरान नगर पंचायत करसोग में यह पाया गया कि निम्नलिखित रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया गया था:

- 1) स्टॉक और जारी करने का रजिस्टर
- 2) आवास कर (मांग और संग्रहण) रजिस्टर
- 3) निष्पादित कार्यों से संबंधित एमएएस रजिस्टर
- 4) दुकान का किराया (मांग और संग्रहण) रजिस्टर
- 5) मोबाइल टावर शुल्क रजिस्टर
- 6) विद्युत उपकरण और शराब शुल्क रजिस्टर

यह पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधान की गैर-अनुपालना है और इससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। इन रजिस्ट्रों का अनुरक्षण न करना भी नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है। सचिव, नगर पंचायत करसोग ने बताया (फरवरी 2019) कि भविष्य में अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

## 4.5 राजस्व

### 4.5.1 बकाया आवास कर

(क) अप्रभावी निगरानी के कारण नमूना-जांचित 26 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 में ₹ 11.80 करोड़ के आवास कर राजस्व की वसूली नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (2) में कहा गया है कि नगरपालिका को देय राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है, ऐसा न करने पर बकायादार की संपत्ति की कुर्की व बिक्री से सभी लागतों के साथ राशि की वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 में नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से आठ में, अप्रैल 2016 तक ₹4.47 करोड़ के आवास कर की वसूली बकाया थी जबकि 2018 19 में नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में से नौ में ₹4.45 करोड़ के आवास कर की वसूली 1 अप्रैल 2017 तक बकाया थी। 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान ₹11.94 करोड़ (2016-17 में ₹6.17 करोड़ व 2017-18 में ₹5.77 करोड़) के आवास कर की मांग उठाई गई थी। कुल मांग ₹20.86 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹10.64 करोड़ एवं मार्च 2018 तक

₹10.22 करोड़) थी, जिसके प्रति ₹8.98 करोड़ (2016-17 में ₹3.06 करोड़ एवं 2017-18 में ₹5.92 करोड़) का संग्रहण किया गया था। नगर परिषद् कुल्लू एवं नगर पंचायत नादौन में 2018-19 में ₹0.08 करोड़ की छूट की अनुमति भी दी गई थी। इस प्रकार, ₹11.80 करोड़ के आवास कर (मार्च 2017 तक ₹7.58 करोड़ व मार्च 2018 तक ₹4.22 करोड़) का कुल राजस्व इन शहरी स्थानीय निकायों में बकाया रहा। यह इंगित करता है कि लंबे समय से बकाया कर की वसूली के लिए पूर्वोक्त नियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे संबंधित शहरी स्थानीय निकाय ₹11.80 करोड़ (परिशिष्ट-25) के राजस्व से भी वंचित रहे जिसका उपयोग शहरी स्थानीय निकायों में अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जा सकता था। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (दिसंबर 2017-मार्च 2019) कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् हमीरपुर ने बताया (दिसंबर 2018) कि बकाया कर भूमि विवाद के कारण था तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसंबर 2018) कि निवासियों को कई बार बिल जारी करने के बावजूद निवासी आवास कर जमा नहीं कर रहे।

#### (ख) आवास कर लागू न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 65 एवं संख्या 1997/24 दिनांक 28/08/1997 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आगे जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर भवन व भूमि पर उन भवनों व भूमि के वार्षिक किराये मूल्य पर साढ़े सात प्रतिशत से साढ़े बारह प्रतिशत तक आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषदें सोलन एवं नालागढ़ नगर परिषद् क्षेत्र के भीतर आने वाले घरों को विभिन्न सुविधाएं जैसे सड़कों, रास्तों, स्ट्रीट लाईट का रखरखाव, सफाई, कचरा संग्रहण आदि प्रदान कर रहे थे परन्तु नगर परिषद् ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आवास कर अधिरोपित नहीं किया था।

नगर परिषद् सोलन के मामले में, संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि आवास कर लगाने के संबंध में निदेशक, शहरी विकास के साथ किए गए पत्राचार पर नगर परिषद् के निर्वाचित सदन की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी तथा प्रस्ताव को सदन द्वारा इस दलील के साथ खारिज कर दिया गया था कि स्वच्छता/संरक्षण कर पहले से ही जमा किया जा रहा था।

हालांकि, सदन द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को निदेशक, शहरी विकास ने खारिज कर दिया, जिन्होंने नगर निगम को आवास कर लगाने का निर्देश दिया।

नगर परिषद् नालागढ़ के मामले में यह पाया गया कि निर्वाचित सदन ने घरेलू भवनों को छोड़कर आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बावजूद नगर परिषद् ने किसी भी प्रकार के भवन (घरेलू/वाणिज्यिक) पर आवास कर नहीं लगाया। संवीक्षा में आगे पता चला कि नगर परिषद् ने वसूली योग्य राजस्व की राशि का आकलन करने के लिए नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में आने वाले घरों (घरेलू/वाणिज्यिक) की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन ने बताया (जनवरी 2018) कि मामला पुनर्विचार के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को निदेशक, शहरी विकास द्वारा खारिज कर दिया गया था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नालागढ़ ने बताया (नवंबर 2017) कि आवास कर लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तथा भवनों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ii) वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायतें ज्वाली एवं करसोग में जो अपने क्षेत्र में आने वाले घरों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, कोई आवास कर नहीं लगाया गया था। इन नगर पंचायतों में 3,918 घर थे (नगर पंचायत करसोग: 952 घर व नगर पंचायत ज्वाली: 2,966 घर) जिन पर आवास कर नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायतों को राजस्व का काफी नुकसान हुआ।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि नगर पंचायत क्षेत्र के नवनिर्मित भवनों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में आवास कर अधिरोपित किया जाएगा।

#### **(ग) आवास कर रजिस्ट्रों में ₹ 8.03 लाख की राशि की गलत प्रारंभिक शेष लेना**

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदें घुमारवीं, हमीरपुर और मनाली) में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान आवास कर रजिस्टर में ₹8.03 लाख<sup>3</sup> की राशि प्रारंभिक शेष में कम ली गई थी। इन नमूना जांचित मामलों में नगर परिषदों ने ₹21.44 लाख के स्थान पर ₹13.41 लाख का प्रारंभिक शेष लिया था। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषद् की निधियों के दुरुपयोग का संदेह होता है।

<sup>3</sup> नगर परिषदें घुमारवीं: ₹5.92 लाख; हमीरपुर: ₹1.22 लाख एवं मनाली: ₹0.89 लाख।

संबंधित कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2018-मार्च 2019) कि आवास कर रजिस्टर की जांच की जाएगी तथा तदनुसार त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।

#### 4.5.2 किराए की वसूली न करना।

2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 21 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों, बूथों एवं स्टालों से ₹14.75 करोड़ के बकाया किराए की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (बी) में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका को देय कोई राशि 15 दिनों तक बकाया रहती है, तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव संबंधित व्यक्तियों को मांग का नोटिस दे सकते हैं।

यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व एवं किराए पर दी गई दुकानों व स्टालों के किरायेदारों एवं पट्टेदारों से नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से 10 में 2017-18 के दौरान अप्रैल 2016 तक ₹7.60 करोड़ (परिशिष्ट-26) का किराया शुल्क वसूली हेतु लंबित था जबकि 2018-19 के दौरान नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 में ₹6.72 करोड़ का किराया शुल्क (परिशिष्ट-26) मार्च 2017 तक वसूली के लिए लंबित था। इसके अलावा, ₹9.56 करोड़ (2016-17 के दौरान ₹4.66 करोड़ और 2017-18 के दौरान ₹4.90 करोड़) की मांग उठाई गई थी। ₹23.88 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹12.26 करोड़ व मार्च 2018 तक ₹11.62 करोड़) की कुल मांग के प्रति इन शहरी स्थानीय निकायों में ₹14.75 करोड़ (मार्च 2017 तक ₹7.99 करोड़ और मार्च 2018 तक ₹6.76 करोड़) की वसूली लंबित छोड़ते हुए ₹9.13 करोड़ (2016-17 में ₹4.27 करोड़ व 2017-18 में ₹4.86 करोड़) की वसूली की गई। इससे शहरी स्थानीय निकायों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (नवंबर 2017-मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है एवं राशि शीघ्र ही वसूल की जाएगी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (फरवरी 2019) कि कुल्लू जिले की लोक अदालत की आम बैठक में सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि बकाएदारों को करीब एक वर्ष का अवसर प्रदान किया जाए तथा समान किशतों में वसूली की जाए।

### 4.5.3 मोबाइल टावरों की स्थापना एवं नवीकरण शुल्कों की वसूली न करना

नमूना जांचित-26 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 द्वारा मोबाइल टावरों पर स्थापना एवं नवीकरण शुल्क की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹56.69 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना सं. डीआईटी.डीईवी-(आईटी) 2005(विविध) दिनांक 22 अगस्त 2006 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित दरों पर मोबाइल संचार टावरों की स्थापना पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त अधिसूचना सं. डीआईटी.डीईवी -(आईटी) 2005 (विविध) 96 दिनांक 21 जून 2017 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के मामले में प्रति टावर ₹50,000 की दर से एक मुश्त स्थापन शुल्क एवं प्रति टावर ₹25,000 की दर से वार्षिक नवीकरण शुल्क तथा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में क्रमशः ₹25,000 व ₹12,500 की दर संशोधित की।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (परिशिष्ट-27) के दौरान नमूना-जांचित 26 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 में 2004-17 के दौरान मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे, परन्तु संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने ₹56.69 लाख (मार्च 2017 तक ₹25.21 लाख व मार्च 2018 तक ₹31.48 लाख) के स्थापन एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं की थी। इससे शहरी स्थानीय निकायों को उनके राजस्व के देय हिस्से से वंचित रहना पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (2017-18 में लेखापरीक्षित) ने बताया (नवंबर 2017-जनवरी 2018) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (2018-19 में लेखापरीक्षित) ने बताया (दिसंबर 2018 - मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली की जाएगी।

### 4.5.4 बकाया तहबाजारी शुल्क/ सिनेमा कर/ व्यापार कर/ छात्रावास का किराया

छ: शहरी स्थानीय निकायों में तहबाजारी शुल्क/ सिनेमा कर/ व्यापार कर/ छात्रावास किराए की वसूली लम्बित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹55.85 लाख की बकाया राशि थी।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 66 में नगरपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता कर, रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क, व्यापार कर आदि जैसा कोई भी टोल, कर या शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

**(क)** वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम शिमला, नगर परिषद् सुजानपुर एवं नगर पंचायत भुंतर) में 343 स्थलों/खोखाओं के आवंटियों से रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹41.35 लाख<sup>4</sup> की राशि बकाया थी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया जिससे शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2018-मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली की जाएगी।

**(ख)** वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत करसोग में, नगर पंचायत के सदन द्वारा पथ विक्रेताओं की पहचान एवं आवंटित स्थल के लिए रेहड़ी/ तहबाजारी शुल्क के संग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

उत्तर में सचिव ने बताया (फरवरी 2019) कि शहरी विक्रेता समिति का गठन नहीं किया गया था तथा तहबाजारी शुल्क के संग्रहण का मामला सदन में तय नहीं किया गया था।

**(ग)** नगर निगम शिमला के सदन के प्रस्ताव सं. 3 (21) दिनांक 23/04/12 के अनुसार ₹72,000/- प्रति वर्ष की दर से सिनेमा कर की एकमुश्त राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 121 में प्रावधान है कि यदि कर या शुल्क का भुगतान नियत तारीख के एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके हिस्से के लिए प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर निगम शिमला में यह पाया गया कि 2012-18 की अवधि के लिए नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में चल रहे दो सिनेमा हॉल (रिट्ज व शाही) के मालिकों से ₹11.94 लाख (₹6.41 लाख के ब्याज सहित) का सिनेमा कर बकाया था।

इस संबंध में नगर निगम शिमला द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

**(घ)** वर्ष 2018-19 के दौरान नगर परिषद् देहरा में यह पाया गया कि मार्च, 2015 तक ₹1.85 लाख का व्यापार कर वसूली के लिए लंबित था। इसके बाद, 2015-18 के दौरान व्यापारियों से ₹0.76 लाख की मांग की गई थी। ₹2.61 लाख की कुल मांग में से मार्च 2018 तक ₹2.20 लाख (कुल मांग का 84.29 प्रतिशत) के व्यापार कर को लंबित छोड़ते हुए

<sup>4</sup> नगर निगम शिमला: ₹0.40 लाख; नगर परिषद् सुजानपुर: ₹5.18 लाख एवं नगर पंचायत भुंतर: ₹35.77 लाख।

₹0.41 लाख की वसूली की गई। विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 16: व्यापार कर का विवरण**

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्तमान मांग (₹)	कुल (₹)	संग्रहण (₹)	बकाया शेष (₹)
2015-16	1,84,860.00	25,400.00	2,10,260.00	0	2,10,260.00
2016-17	2,10,260.00	25,400.00	2,35,660.00	0	2,35,660.00
2017-18	2,35,660.00	25,400.00	2,61,060.00	40,700.00	2,20,360.00
<b>योग</b>		<b>76,200.00</b>		<b>40,700.00</b>	

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण व्यापार कर का संग्रहण नहीं किया गया था तथा राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी।

(इ) 2018-19 के दौरान नगर परिषद्, कुल्लू में यह पाया गया कि आठ महिलाएं मासिक किराए के आधार पर (1992/2003 से प्रभावी होकर लेखापरीक्षा की तिथि तक) कामकाजी महिला छात्रावास में रह रही थीं, जो कि नगर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में था। परन्तु छात्रावास के किराए का न तो रहने वालों द्वारा भुगतान किया गया, न ही नगर परिषद् द्वारा मांग की गई। छात्रावास के किराये की कुल मांग ₹0.43 लाख (मार्च 2017 तक ₹0.32 लाख के प्रारंभिक शेष सहित) के प्रति मार्च, 2018 तक रहने वालों से ₹0.36 लाख की किराया राशि बकाया छोड़ते हुए 2017-18 के दौरान ₹0.08 लाख की वसूली की गई।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (मार्च 2019) कि बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए थे तथा किराए की बकाया राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, विभिन्न करों की वसूली न होने से शहरी स्थानीय निकाय उस राजस्व से वंचित रह गए जिसे अन्य विकासात्मक कार्यों में उपयोग किया जा सकता था।

#### 4.5.5 लीज राशि की वसूली न करना

**नगर निगम शिमला दुकानों व स्टालों से ₹1.74 करोड़ की लीज राशि की वसूली करने में विफल रहा।**

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम शिमला ने 153 पार्टियों को किराए के आधार पर दुकाने/स्टाल पट्टे पर दी थी। यह पाया गया कि अप्रैल 2016 तक ₹0.53 करोड़ की लीज राशि इन 153 दुकानों व स्टालों से वसूली हेतु लंबित थी। इसके बाद 2016-17 के दौरान ₹1.63 करोड़ की मांग उठाई गई थी। मार्च 2017 तक ₹1.74 करोड़ की वसूली को लंबित छोड़ते हुए ₹2.16 करोड़ की कुल मांग के प्रति ₹0.42 करोड़ की वसूली की गई। लीज राशि की वसूली में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसंबर 2017) कि लीज राशि की अल्प वसूली का मुख्य कारण स्टाफ की कमी थी तथा बकाया लीज राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

#### 4.5.6 लीज़ डीड का नवीकरण न करना

**दुकानों के लीज़ डीड का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹5.35 लाख के राजस्व की हानि हुई।**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. एल एस जी-एफ (6)-1/85-IV दिनांक 21/12/2001 के परिच्छेद 5 के अनुसार नगरपालिका पहली बार में नगरपालिका द्वारा बनाए गए स्टालों/दुकानों को 25 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लीज पर नहीं देगा एवं हर पांच वर्ष के बाद लीज किराए में लीज पर हस्ताक्षर के समय ली जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि दो नगर परिषदों हमीरपुर व सुजानपुर में 24 दुकानों को पांच या दस वर्षों के लिए इस शर्त के साथ लीज पर दिया गया कि परिसर पहली बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और अवधि की समाप्ति के बाद लीज डीड पर हस्ताक्षर करने के समय ली जाने वाली राशि का 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत किराया वृद्धि कर इसे बढ़ाया जाएगा। यह पाया गया कि लीज डीड की वैधता दो माह से लेकर 108 माह तक की अवधि के मध्य समाप्त हो गई। लीज डीड की न तो अवधि बढ़ाई गई थी तथा न ही नगर परिषदों द्वारा दुकानों की दरों में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषदों को ₹5.35 लाख<sup>5</sup> के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् हमीरपुर ने बताया (दिसम्बर 2018) कि लीज के नवीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सुजानपुर ने बताया (दिसम्बर 2018) कि किराया रजिस्टर का सत्यापन किया जायेगा।

#### 4.5.7 सरकारी कार्यालयों से ₹13.81 लाख की राशि के किराए की वसूली न करना

दो नगर परिषदों कुल्लू व नेरचौक में 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषदों के भवनों में क्रमशः 2004 एवं 2017 से सात कार्यालय<sup>6</sup> चल रहे थे। नगर परिषदों ने इन कार्यालयों को चलाने के लिए कोई किराया अनुबंध तैयार नहीं किया था। आगे यह भी पाया

<sup>5</sup> नगर परिषदें, हमीरपुर: ₹0.91 लाख एवं सुजानपुर: ₹4.44 लाख।

<sup>6</sup> नगर परिषदें कुल्लू: जिला चुनाव अधिकारी एवं नगर परिषद् नेरचौक: कोषागार कार्यालय, चुनाव कार्यालय, कल्याण कार्यालय, पशु चिकित्सा कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय।



गया कि नगर परिषद् कुल्लू ने ₹7,500/- प्रति माह किराया निर्धारित किया था तथा हर पांच वर्ष के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। तदनुसार, मार्च 2019 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा ₹3.81 लाख (अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक शेष के रूप में ₹10.54 लाख सहित) के किराए का भुगतान नहीं किया गया था। जबकि नगर परिषद्, नेरचौक ने विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध करवाए गए स्थान के लिए न तो कोई किराया निर्धारित किया था एवं न ही ये कार्यालय फरवरी, 2019 तक नगर परिषद् को किसी प्रकार के किराए का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषदों को इतने राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च, 2019) कि उपायुक्त कुल्लू ने इस परिसर के लिए किसी भी किराए का भुगतान करने से सीधे इनकार कर दिया था तथा इस बकाया किराए को माफ करने का मामला सक्षम प्राधिकारी के साथ उठाया जाएगा जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, नेरचौक ने बताया (फरवरी, 2019) कि बैठक में प्रस्ताव संख्या 14/2018 के तहत किराए की वसूली के मामले पर चर्चा की गई थी परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण किराया वसूल नहीं किया जा सका।

#### 4.5.8 विद्युत उपकरण की वसूली न करना

शहरी स्थानीय निकाय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकरण की वसूली करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के नियम 69 में प्रावधान है कि नगर पालिका क्षेत्र की सीमांतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा विद्युत के लिए विद्युत की खपत पर वसूली योग्य विद्युत उपकरण की दर 20 पैसे प्रति ईकाई से अधिक नहीं होगी। विद्युत उपकरण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा संग्रहित किया जाता है तथा सम्बन्धित नगर पालिका को चुकाया जाता है।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ में यह पाया गया कि नगर परिषद् ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पिछले चार वर्षों अर्थात् 2013-17 हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ₹11.19 लाख की राशि का विद्युत उपकरण वसूल संग्रहित नहीं किया था। संबंधित कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि स्टाफ की कमी के कारण विद्युत उपकरण की वसूली नहीं की जा सकी।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान चार शहरी स्थानीय निकायों<sup>7</sup> में यह पाया गया कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकरण की वसूली/ संग्रहण नहीं किया था। नगर पंचायतों के मामले में उपकरण प्रारंभ से ही लम्बित था जबकि नगर परिषद् घुमारवीं में वर्ष 2017-18 हेतु देय बकाया था। इस प्रकार, विद्युत कर की वसूली न होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को इतने राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसंबर 2018) कि विद्युत उपकरण की वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता के साथ मामला उठाया जाएगा। सचिवों (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण विद्युत उपकरण एकत्र नहीं किया जा सका जबकि सचिव, नगर पंचायत बंजार ने बताया (फरवरी 2019) कि कार्य की अधिकता के कारण विद्युत उपकरण एकत्र नहीं किया जा सका।

#### 4.5.9 नगर परिषद् सोलन द्वारा जल प्रभार का संग्रहण न करना

**जल प्रभार का संग्रहण न करने से नगर परिषद् सोलन को ₹63.67 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।**

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (1) (बी) में प्रावधान है कि नगर पालिका को देय कोई राशि 15 दिनों के उपरांत भी चुकाई न गई हो तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बन्धित व्यक्तियों को मांग-नोटिस जारी कर सकते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान नगर परिषद् ने जल प्रभारों के लिए ₹63.67 लाख की राशि के बिल जारी किए थे परन्तु प्रभारों का संग्रहण जनवरी 2018 तक लम्बित था। नगर परिषद् सोलन ने उपर्युक्त निर्धारित तरीके से जल प्रभार की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार नगर परिषद् सोलन ने जल प्रभारों की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2018) कि बकायादार उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं तथा मामले को अगली बैठक में सामान्य सदन के समक्ष रखा जाएगा।

<sup>7</sup> नगर परिषद् घुमारवीं; नगर पंचायतें बंजार, ज्वाली एवं करसोग।

#### 4.5.10 निधियों का संदेहास्पद दुरुपयोग

नगर परिषद् नालागढ़ की रोकड़ बही प्रविष्टियों में विसंगति ₹1.59 लाख के संदेहास्पद दुरुपयोग को दर्शाता था।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नालागढ़ की रोकड़ बहियों एवं रसीद बहियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रोकड़ बही के प्राप्त पृष्ठ पर रसीद बहियों के अनुसार वास्तविक राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी। 2014-16 की अवधि हेतु, रोकड़ बही में वास्तविक प्राप्तियों (₹18,351) से कम राशि (₹14,079) की प्रविष्टि की गई थी गई जिसके परिणामस्वरूप बैंक खाते में कम राशि (₹4,272) जमा हुई। आगे यह पाया गया कि रोकड़ बही के प्राप्त पृष्ठ (पृष्ठ 7, 32, 35, 36, 39, 47, 59, 77, 110, 170, 179, 189, 190, 196) पर योग गलत थे, जिससे बैंक खाते में ₹8,727/- कम जमा हुए।

वर्ष 2015-16 की अवधि हेतु रोकड़ बही के भुगतान पृष्ठ पर अधिक राशि (₹17.57 लाख) की प्रविष्टि की गई, जबकि वाउचरों के अनुसार वास्तविक राशि (₹ 16.11 लाख) कम थी, जिसके परिणामस्वरूप बैंक से अधिक आहरण (₹1.46 लाख) हुआ। यह नगर परिषद् के वित्तीय लेनदेनों पर कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2017) कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किए जाएंगे तथा लेखापरीक्षा को अनुपालना दिखाई जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामले की जांच-पड़ताल की आवश्यक है तथा ₹1.59 लाख के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

#### 4.6 निधियों का अवरोधन

##### 4.6.1 अमृत के तहत ₹8.97 करोड़ की निधियों का अवरोधन

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) घरों को बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करता है तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण करता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सभी के लिए विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार करेगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् कुल्लू को जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास, शहरी परिवहन (गैर मोटर चालित) एवं पार्कों के लिए ₹12.97 करोड़ तथा सेवा स्तर सुधार योजना/व्यक्तिगत क्षमता निर्माण हेतु ₹0.25 करोड़ की राशि तीन किशतों (अगस्त 2016 में ₹6.08 करोड़, मार्च, 2017 में ₹0.25 करोड़ व जुलाई, 2017 में ₹6.89 करोड़)

में अमृत योजना के तहत प्राप्त हुई। अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

अमृत के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का नाम	प्राप्त निधियां (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम/ जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)	मार्च 2019 तक कार्य की स्थिति
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	4.00	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य कुल्लू (4.00)	पूर्ण
शहरी परिवहन (फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान)	0.25	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य कुल्लू (0.25)	कार्य निरस्त किया गया तथा नगर परिषद् कुल्लू को एक वर्ष की अवधि के बाद राशि वापस की गई।
शहरी परिवहन (अंडरपास के प्रावधान से सम्बंधित कार्य)	0.25	लोक निर्माण विभाग कुल्लू (0.25)	अभी तक शुरू नहीं किया।
बरसाती पानी की निकासी	8.72	नगर परिषद्, कुल्लू	अभी तक शुरू नहीं किया।
शहरी परिवहन			फुटपाथों एवं पैदल पथों का विकास (कार्य सौंपा गया)
ग्रीन स्पेस एवं पार्क			पार्कों का विकास (कार्य सौंपा गया)
<b>योग</b>	<b>13.22</b>		

इस प्रकार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ अनुमानों का अनुमोदन न होने के कारण इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 8.97 करोड़ (नगर परिषद् के पास ₹8.72 करोड़ + ₹0.25 करोड़ परियोजना रद्द होने के बाद लौटाए गए) की निधियां अवरुद्ध हुई बल्कि लाभार्थियों को योजना के अभीष्ट लाभों से भी वंचित किया गया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

#### 4.6.2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹2.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन

योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" नगरीय शहरों द्वारा की गई मांग को पूरा करने के लिए 2015-2022 के दौरान दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के उद्देश्य से तथा शहरी स्थानीय निकायों व अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी पात्र परिवारों एवं लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई। मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे एवं/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी तथा लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर निगम, धर्मशाला एवं नगर परिषद्, कुल्लू ने 2015-22 के दौरान 986 लाभार्थियों<sup>8</sup> को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा था तथा 2016-17 से 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹8.29 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इन निधियों में से केवल ₹5.11 करोड़ 420 लाभार्थियों को वितरित किए गए थे, जिनमें से 141 लाभार्थियों ने अपना घर पूरा कर लिया था एवं उन्हें योजना का पूरा लाभ मिला था। 279 लाभार्थियों ने प्लिंथ, लिंटेल और रूफ लेवल तक निर्माण कार्य आंशिक रूप से पूरा किया था। शेष 566 लाभार्थियों ने पक्का घर होने, नींव का कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त धन न होने, भूमि विवाद आदि के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया था। साथ ही, निदेशक (शहरी विकास विभाग) के निर्देशानुसार, नगर निगम धर्मशाला ने विभाग को ₹70.00 लाख की राशि वापस कर दी थी। इसलिए, शेष ₹2.67 करोड़<sup>9</sup> (ब्याज सहित) लेखापरीक्षा की तिथि तक अवितरित रहे जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के पास निधि अवरुद्ध हुई एवं लाभार्थियों को योजना के अभीष्ट लाभों से वंचित रहना पड़ा। इससे यह भी पता चलता है कि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों का चयन ठीक से नहीं किया गया था क्योंकि कुछ लाभार्थियों के पास पहले से ही पक्के घर थे तथा पात्र लाभार्थियों के छूट जाने की संभावना रही।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (अक्टूबर 2019) कि प्रेरित करने के गंभीर प्रयासों के बावजूद कुछ लाभार्थियों ने वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था, जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि 24 लाभार्थियों ने शीतकाल के कारण कार्य को रोक दिया जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा तथा 41 लाभार्थियों ने नये घर के निर्माण में रुचि न होने तथा आर्थिक समस्याओं के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया था।

#### 4.6.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹1.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी सड़क विक्रेताओं को सहायता के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.10 के अनुसार, सड़क विक्रेताओं के विद्यमान बाजार में अवसरचना में सुधार एवं बुनियादी सेवाएं प्रदान करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

<sup>8</sup> नगर निगम धर्मशाला: 895 लाभार्थी एवं नगर परिषद् कुल्लू: 91 लाभार्थी।

<sup>9</sup> नगर निगम धर्मशाला: ₹223.85 लाख एवं नगर परिषद् कुल्लू: ₹43.25 लाख।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग ने अगस्त, 2016 में विक्रेताओं के बाजार के विकास हेतु नगर निगम, धर्मशाला को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ₹1.00 करोड़ जारी किए थे। नगर निगम ने इन निधियों को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बैंक खाते में रखा तथा उसके बाद इसे अधीक्षक अभियंता, हिमाचल प्रदेश आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) रक्कड़, धर्मशाला को फरवरी 2017 में सड़क विक्रेताओं के लिए बाजार के विकास एवं पूर्वनिर्मित बाजार के निर्माण हेतु जारी किया गया। हिमुडा ने ₹4.07 करोड़ की राशि का प्रारंभिक आकलन नगर निगम को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति की व्यवस्था की जाए तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु कुल अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत हिमुडा के पास जमा करावाया जाए। नगर निगम ने सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति नहीं दी तथा भूमि की अनुपलब्धता का कारण बताते हुए अक्टूबर, 2018 में हिमुडा से राशि वापस करने का अनुरोध किया। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹1.00 करोड़ की राशि हिमुडा के पास निधि जारी होने से लेकर लेखापरीक्षा की तिथि (नवंबर 2018) तक 21 महीने के लिए अवरुद्ध रही बल्कि जनता को योजना के अभीष्ट लाभों से भी वंचित रहना पड़ा। यह नगर निगम धर्मशाला की अनुचित कार्य-योजना को दर्शाता है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (नवंबर, 2018) कि प्रस्तावित स्थलों पर भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा विक्रेता बाजार विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी संहितागत औपचारिकताएं निधि जारी करने से पूर्व पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

#### 4.6.4 13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

13वें व 14वें वित्त आयोग एवं चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹4.75 करोड़ की राशि तीन शहरी स्थानीय निकायों में अवरुद्ध रही।

(क) कार्य सौंपने की अवधि 2010-15 हेतु 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करना शामिल है। 13वें वित्त आयोग से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों के पोषण के लिए राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना अपेक्षित था।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास, शिमला ने नगर परिषद् घुमारवीं को 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान 13वें वित्त आयोग के तहत ₹35.09 लाख का अनुदान जारी किया था। कुल राशि में से नगर परिषद् द्वारा मार्च, 2018 तक ₹6.49 लाख का व्यय किया गया था। इसके अलावा, शेष राशि का न तो नगर परिषद् द्वारा उपरोक्त अवधि में उपयोग किया गया एवं न ही निधियन एजेंसी को वापस किया गया जबकि आयोग की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹28.60 लाख की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि जनता भी अनुदान के अभीष्ट लाभों से वंचित रह गई।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं ने बताया (दिसम्बर, 2018) कि नगर परिषद् के लिए गौ सदन के निर्माण हेतु अनुदान प्रस्तावित था परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि की उपलब्धता हेतु संहितागत औपचारिकताएं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले पूर्ण की जानी चाहिए थी। यदि नगर परिषद् क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं थी तो उक्त राशि अविलम्ब स्वीकृति प्राधिकारी को हस्तान्तरित की जानी चाहिए थी। इस संबंध में अद्यतन स्थिति नगर परिषद् घुमारवीं से मांगी गई (जनवरी 2021) परन्तु नगर परिषद् द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।

**(ख)** 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग बुनियादी नागरिक सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, सड़कों के रखरखाव, फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट आदि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान 14 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत ₹1.32 करोड़<sup>10</sup> की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹45.17 लाख का व्यय किया गया था। इन शहरी स्थानीय निकायों ने एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त कुल निधियों का केवल 34 प्रतिशत ही उपयोग किया। इस प्रकार, ₹86.75 लाख<sup>11</sup> की राशि का अवरोधन हुआ एवं मार्च 2019 तक अप्रयुक्त रही।

सचिवों (नगर पंचायतें करसोग एवं ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन शीघ्र ही निधियों का उपयोग किया जाएगा।

<sup>10</sup> नगर पंचायतें करसोग: ₹28.91 लाख एवं ज्वाली: ₹103.01 लाख।

<sup>11</sup> नगर पंचायतें करसोग: ₹28.37 लाख एवं ज्वाली: ₹58.38 लाख।

(ग) चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति के रखरखाव, वैधानिक व प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने 14 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) में पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 के दौरान चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत ₹4.95 करोड़<sup>12</sup> की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से ₹1.36 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार ₹3.59 करोड़<sup>13</sup> (कुल निधि का 73 प्रतिशत) की राशि अवरुद्ध हो गई तथा मार्च 2019 तक अप्रयुक्त रही।

सचिवों (नगर पंचायतें करसोग व ज्वाली) ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, परन्तु शीघ्र ही निधियों का उपयोग किया जाएगा।

#### 4.6.5 विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का अवरोधन

कार्य पूर्ण/प्रारंभ न करने के कारण 26 शहरी स्थानीय निकायों में से बारह में ₹ 14.52 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

(क) 2017-18 के दौरान नमूना-जांचित 12 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच में यह पाया गया कि 2014-17 के दौरान 32 विकास कार्यों जैसे रिटेनिंग वॉल, बाउंड्री वॉल, शेड, रास्तों की मरम्मत, सराय भवन, कार्यालय का निर्माण/पुनर्स्थापन, पार्किंग, पार्क आदि के निर्माण के लिए ₹9.46 करोड़<sup>14</sup> की राशि उपलब्ध थी। इन कार्यों को छः माह से एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। तथापि, जनवरी 2018 तक इन कार्यों के निष्पादन पर इन निधियों से कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (दिसंबर 2017-जनवरी 2018) कि संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न करने, भूमि विवाद, वन भूमि की संलिप्तता, भूमि अधिग्रहण का हस्तांतरण न होने आदि के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका और कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

<sup>12</sup> नगर पंचायतें करसोग: ₹195.43 लाख एवं ज्वाली: ₹299.75 लाख।

<sup>13</sup> नगर पंचायतें करसोग: ₹146.09 लाख एवं ज्वाली: ₹213.66 लाख।

<sup>14</sup> नगर परिषद् मंडी: ₹18.60 लाख (12 कार्य), नगर पंचायतें भोटा: ₹50.00 लाख (01 कार्य), सुन्नी: ₹20.00 लाख (01 कार्य), बैजनाथ: ₹2.00 करोड़ (01 कार्य); एवं नगर निगम धर्मशाला: ₹6.57 करोड़ (17 कार्य)।



(ख) 2018-19 के दौरान 14 शहरी स्थानीय निकायों में से सात में पाया गया कि 2012-18 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, केंद्रीय सड़क निधि, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, पार्किंग, पार्क, शेड, रिटेनिंग वॉल, पक्का रास्ता, श्मशान घाट, सराय, सीवरेज कार्य आदि के निष्पादन हेतु ₹5.13 करोड़<sup>15</sup> की राशि प्राप्त की गई। तथापि, मार्च 2019 तक विभिन्न कारणों<sup>16</sup> से इन कार्यों के निष्पादन पर निधियों में से कोई व्यय नहीं किया गया था जबकि नगर पंचायत ज्वाली में जनवरी 2019 तक नागरिक सुविधाओं एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यों पर ₹7.17 लाख की निधि का उपयोग किया गया था तथा ₹1.69 करोड़ की शेष निधि कार्य पूर्ण न होने के कारण नगर पंचायत के पास अव्ययित रही। विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹5.06 करोड़ की निधियां अवरुद्ध होने के साथ-साथ लाभार्थी इन विकास कार्यों से अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषदें घुमारवीं एवं देहरा) ने बताया (दिसंबर 2018-जनवरी 2019) कि भूमि मामला/विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जबकि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् मनाली ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् कुल्लू ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य प्रगति पर था। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक एवं सचिव, नगर पंचायत करसोग ने बताया (फरवरी 2019) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जबकि सचिव, नगर पंचायत ज्वाली ने बताया (जनवरी 2019) कि निधियों की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका तथा अन्य कार्य स्टाफ की कमी के कारण पूर्ण नहीं किए जा सके। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों की स्वीकृति तथा निधि जारी करने से पूर्व संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

#### 4.6.6 सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का अवरोधन

शहरी विकास विभाग ने नमूना-जांचित दो शहरी स्थानीय निकायों<sup>17</sup> को सीवरेज योजनाओं के निष्पादन के लिए 2014-17 के दौरान ₹4.41 करोड़ की निधियां जारी की। इन निधियों को

<sup>15</sup> नगर परिषदें नेरचौक: ₹35.25 लाख, घुमारवीं: ₹1.60 करोड़, कुल्लू: ₹25.00 लाख, मनाली: ₹60.00 लाख, देहरा: ₹4.00 लाख, एवं नगर पंचायतें करसोग: ₹38.04 लाख एवं ज्वाली: ₹1.91 करोड़।

<sup>16</sup> निविदा नहीं किए गए (25 कार्य), भूमि मामला/विवाद (03 कार्य), कार्य प्रगति पर (01 कार्य), निविदा प्रक्रिया (05 कार्य), निधि की कमी (01 कार्य) एवं कर्मचारियों की कमी (03 कार्य)।

<sup>17</sup> नगर पंचायत सुन्नी: ₹99.20 लाख एवं नगर परिषद् सोलन: ₹341.84 लाख।

आगे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज योजनाओं को निष्पादित करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार जारी किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया गया कि जनवरी 2018 तक सीवरेज योजनाओं का कार्य या तो निष्पादित नहीं किया गया था (नगर पंचायत सुन्नी) अथवा अपूर्ण रहा (नगर परिषद् सोलन) तथा संबंधित नगर परिषदों के बैंक खातों में ₹4.41 करोड़ की राशि अवरुद्ध पड़ी थी एवं क्षेत्र की जनता को सीवरेज योजनाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन ने बताया (अगस्त 2021) कि सीवरेज योजना के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कोई निधियां जारी नहीं की गईं एवं 2016-17 के बाद नगर परिषद् द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था जबकि सचिव, नगर पंचायत सुन्नी ने बताया (अगस्त 2021) कि नगर पंचायत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मौखिक अनुरोध तथा पत्राचार करने जैसे अपने सभी प्रयास कर रहा था, परन्तु सीवरेज कार्य अभी भी लंबित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां जारी होने की तिथि से चार वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी शहरी स्थानीय निकायों के पास निधियां अवरुद्ध पड़ी थीं।

#### 4.6.7 बगीचों के निर्माण के लिए प्राप्त निधियों का अवरोधन

शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करने की दिशा में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में बगीचों की निर्माण हेतु एक नीति (2015-16) बनाई थी। इस नीति के तहत परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना था तथा शेष राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जानी थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने 2016-18 के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में बगीचों के निर्माण के लिए ₹95.00 लाख<sup>18</sup> की राशि जारी की। यह पाया गया कि निधियां जारी करने की तिथि से छः माह से एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया परन्तु दोनों शहरी स्थानीय निकाय उक्त कार्यों के लिए स्थल निश्चित नहीं कर सके तथा ₹1.42 करोड़ (₹95.00 लाख + ₹47.42 लाख के बराबर अंश) की निधियां बैंक खातों में जमा रही। निधियों के अवरोधन ने जनता को बगीचे की अभीष्ट सुविधा से वंचित कर दिया।

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम धर्मशाला ने बताया (अगस्त 2021) कि नगर निगम धर्मशाला में भूमि की अनुपलब्धता के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। अब ₹31.21 लाख

<sup>18</sup> नगर निगम धर्मशाला: ₹35.00 लाख एवं नगर पंचायत बैजनाथ: ₹60.00 लाख।

की राशि वन विभाग को उनकी अपनी भूमि पर बगीचे के निर्माण के लिए हस्तांतरित (29.07.2021) कर दी गई है जबकि सचिव, नगर पंचायत बैजनाथ ने बताया (जुलाई 2021) कि अगस्त 2018 में ₹20.00 लाख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे तथा दो बगीचों का निर्माण प्रगति पर था। भूमि की उपलब्धता के बिना या प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना निधियां जारी करने के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ।

#### 4.7 निधियों का व्यपवर्तन

**चार शहरी स्थानीय निकायों ने 2014-17 के दौरान ₹10.29 करोड़ की राशि के अनुदान का व्यपवर्तन किया।**

(i) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशक, शहरी विकास ने वर्ष 2014-17 के दौरान चौथे राज्य वित्त आयोग के तहत तीन शहरी स्थानीय निकायों<sup>19</sup> को ₹15.24 करोड़ की निधियां इस निर्देश के साथ जारी की, कि जिस प्रयोजन हेतु ये अनुदान संस्वीकृत/प्रदान किया गया था उसी हेतु इनका उपयोग किया जाए। राज्य वित्त आयोग ने इस अनुदान की अनुशंसा परिसम्पत्तियों (सड़कें, सड़क की विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों, बागों, कार्यालय भवनों, टाउन हॉल, नालियों इत्यादि) के रखरखाव, वैधानिक एवं प्रत्यायोजित कार्यों के निष्पादन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय हेतु की थी। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों ने वेतन एवं भत्ते, पेंशन एवं ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं भविष्य निधि के भुगतान पर ₹9.48 करोड़ की राशि का व्यय किया जो कि चौथे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित घटकों में सम्मिलित नहीं थे।

सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2017-जनवरी 2018) कि निधियों की कमी के कारण अनुदानों का उपयोग उक्त प्रयोजनों हेतु किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विकासात्मक अनुदानों का उपयोग पेंशन/ग्रेच्युटी तथा वेतन व भत्तों के भुगतान में करना नियमों के विरुद्ध था।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि नगर पंचायत बैजनाथ ने 2015-16 के दौरान निदेशक, शहरी विकास से नव कार्यालय भवन में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण व संरचना हेतु ₹1.00 करोड़ की निधियां प्राप्त की थी। संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर पंचायत ने निधियां जारी होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत

<sup>19</sup> नगर परिषदें हमीरपुर: ₹7.50 करोड़, मंडी: ₹7.08 करोड़ एवं नगर पंचायत भोटा: ₹0.66 करोड़।

जाने के उपरांत भी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित नहीं की थी। इसके स्थान पर नगर पंचायत ने ₹0.81 करोड़ का व्यय स्टाफ के वेतन, सफाई तथा अन्य कार्यालय के खर्चों पर कर दिया जो कि अनियमित था।

सम्बन्धित सचिव ने बताया (जनवरी 2018) कि नगर पंचायत बैजनाथ को कोई सम्पत्ति सौंपी नहीं गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ ही किया जाना चाहिए था।

निधियों के अनियमित व्यपवर्तन का उक्त दृष्टांत निधियों के खराब प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वेतन/ पेंशन/ग्रेज्युटी का प्रावधान उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत किया जाना चाहिए था।

#### 4.8 अलाभकारी व्यय तथा लाभार्थी अंश की वसूली न करना

नगर परिषद् नालागढ़ में 73 आवास आवंटित न करने के परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹1.36 करोड़ के लाभार्थी अंश की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2005 के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम चिह्नित शहरी क्षेत्रों के झुग्गी बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना एवं स्लम का समग्र विकास करने के लिए शुरू किया गया। दिशा निर्देशानुसार भारत सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व स्लम के प्रत्येक आवासों का सर्वे करना अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि नगर परिषद् नालागढ़ ने योजना के तहत चिह्नित शहरी गरीबों के लिए 128 आवासों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई थी। इन आवासों के निर्माण के लिए निदेशक, शहरी विकास ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह-सचिव, हिमाचल प्रदेश शहर विकास प्राधिकरण को ₹5.46 करोड़ राशि की निधियां दो किशतों में (फरवरी 2010: ₹2.57 करोड़ एवं अप्रैल 2013: ₹2.89 करोड़) जारी की थी। हिमाचल प्रदेश शहर विकास प्राधिकरण ने इन आवासों (प्रति निवास इकाई निर्माण लागत: ₹4.27 लाख) का निर्माण पूर्ण किया तथा फरवरी 2016 में इसे नगर परिषद् नालागढ़ को सौंप दिया। यह पाया गया कि 128 आवासों में से नगर परिषद् नालागढ़ ने चिह्नित शहरी गरीबों के लाभार्थियों को मात्र 55 आवास प्रत्येक लाभार्थी से ₹1.87 लाख की राशि प्राप्त करने के पश्चात् आवंटित किए। शेष 73 आवासों (अगस्त 2021) का आवंटन न करने के परिणामस्वरूप ₹3.12 करोड़

(₹4.27 लाख x 73) का अलाभकारी व्यय हुआ तथा ₹1.36 करोड़ (₹1.87 लाख x 73) का लाभार्थी अंश उन लाभार्थियों से जिन्हें ये आवास आवंटित होने थे वसूले नहीं गए।

कार्यकारी अधिकारी ने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि शेष 73 आवासों के लिए टेंडर मांगा गया था। तथापि तथ्य यह है कि नगर परिषद् पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इन आवासों को आवंटित करने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त समय बीतने के साथ परिसम्पत्तियों का क्षय हुआ।

#### 4.9 ₹ 11.55 लाख का अलाभकारी व्यय

**नगर पंचायत भुंतर द्वारा ₹11.55 लाख की राशि का निष्फल व्यय किया गया।**

कार्य नियमावली के अनुसार, लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं अभीष्ट लाभार्थियों को समय पर कार्य का लाभ प्रदान करने हेतु निष्पादन के लिए लिया गया कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत, भुंतर में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने जुलाई 2017 में पार्क के निर्माण के लिए ₹20.00 लाख की राशि जारी की थी। निर्माण के लिए दो महीने की निर्धारित अवधि के साथ मार्च 2018 में एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था। इन निधियों में से ₹11.55 लाख पार्क के निर्माण पर व्यय किया गया था, परन्तु कार्य जुलाई 2021 तक पूर्ण नहीं किया गया। इस प्रकार, पार्क के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप न केवल ₹11.55 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ बल्कि ₹8.45 लाख की राशि का अवरोधन भी हुआ। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की जनता पार्क के अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।

सचिव ने बताया (फरवरी 2019) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डंपिंग साइट, पिरडी में कचरा डंप करना बंद करवा दिया था तथा इसलिए किसी अन्य स्थल के अभाव में कचरा पार्क के दूसरे छोर पर डंप किया जा रहा था। अन्य डंपिंग साइट को अंतिम रूप देने के बाद पार्क का शेष कार्य पूरा किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत ने पार्क के निर्माण को पूरा करने के लिए कचरा डंप करने हेतु अन्य स्थल को अंतिम रूप देने का प्रयास नहीं किया।

#### 4.10 अलाभकारी व्यय एवं भारत सरकार के अनुदान का व्यपगत होना

राजीव आवास योजना के तहत शिमला के कृष्णा नगर स्लम हेतु आवास इकाइयां अपूर्ण रही तथा ₹23.32 करोड़ का अनुदान व्यपगत हो गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, शिमला ने राजीव आवास योजना के तहत शिमला के कृष्णा नगर स्लम हेतु ₹33.99 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹27.62 करोड़; राज्यांश: ₹4.39 करोड़; शहरी स्थानीय निकाय का अंश: ₹0.50 करोड़ एवं लाभार्थी अंश: ₹1.48 करोड़) के लिए आरंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की, जिसे आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई (मार्च 2013)। परियोजना में तीन मुख्य घटक सम्मिलित थे- तीन कार्य स्थलों पर आवासीय परिसर का निर्माण (300 आवासीय इकाइयां जिसमें से 224 लाभार्थी आवासीय इकाइयां थी जबकि 76 किराए पर दी जाने वाली आवासीय इकाइयां थी), सामुदायिक केन्द्र तथा शिशु पार्क। प्रति आवासीय इकाई की अनुमानित लागत ₹10.12 लाख (बुनियादी ढांचे की लागत सहित) थी एवं लाभार्थी हिस्सेदारी ₹0.66 लाख प्रति इकाई निर्धारित की गई। कार्य को बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013-17) के दौरान मिशन मोड में पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

यह पाया गया कि 296 आवासीय इकाइयों, सामुदायिक केन्द्र व शिशु पार्क के निर्माण कार्य को ₹32.57 करोड़ की टेंडर लागत पर अलग-अलग ठेकेदारों को सौंपा गया जिसके प्रति राज्य सरकार ने यह निर्धारित करते हुए कि कार्य दो से 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाए ₹10.67 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹9.21 करोड़ व राज्यांश: ₹1.46 करोड़ की राशि नगर निगम शिमला को जारी की थी। अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि वर्ष 2013-18 के दौरान मात्र ₹4.93 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ठेकेदारों ने कार्यों को पूर्ण नहीं किया (शिशु पार्क के निर्माण को छोड़कर) आगे यह पाया गया कि अधूरे कार्य के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध व्यक्तिगत ठेका अनुबंध के खण्ड-3 के तहत अपेक्षित कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर निगम शिमला ने निदेशक, शहरी विकास से ₹23.32 करोड़ का शेष अनुदान जारी करने के मामले को उठाने का अनुरोध किया था (अगस्त 2017)। इस प्रकार जो परियोजना वर्ष 2013-17 के दौरान पूर्ण की जानी निर्धारित थी वह अभी भी अपूर्ण थी तथा ₹23.32 करोड़ के भारत सरकार के शेष अनुदान के व्यपगत हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कृष्णा नगर क्षेत्र के स्लम निवासियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान नहीं की गई, जैसी परिकल्पना की गई थी। यहां लम्बे विलम्ब के कारण लागत वृद्धि की भी संभावना थी जो राज्य कोषागार व सम्बन्धित लाभार्थियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी।

मामला नगर निगम को भेजा गया था (दिसम्बर 2017), लेकिन कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

#### 4.11 वेतन पर व्यर्थ व्यय

नगर परिषद् नगरोटा बागवां में पुस्तकालय न होने के बावजूद यहां नियुक्त पुस्तकालय सहायक के वेतन पर ₹15.95 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् नगरोटा बागवां में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास ने नव निर्मित पद पर पुस्तकालय सहायक की सेवाएं नियमित की थी (अगस्त 2007)। पुस्तकालय सहायक ने 23.08.2007 को कार्य ग्रहण किया। पुस्तकालय सहायक को वेतन के एवज में ₹15.95 लाख की राशि का भुगतान किया गया (अगस्त 2007 से नवम्बर 2017)। यह पाया गया कि पदाधिकारी की सेवाएं बतौर पुस्तकालय सहायक नहीं ली जा रही थी क्योंकि नगरोटा बागवां में कोई पुस्तकालय नहीं था।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग अन्य गतिविधियों में लिया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना किसी पुस्तकालय के पुस्तकालय सहायक की नियुक्ति अनियमित थी। सक्षम प्राधिकारी को मामले की समीक्षा करनी चाहिए।

#### 4.12 ₹34.09 लाख अधिभार सहित विद्युत के बिलों की देयता

विद्युत के बिल को समय पर न चुकाने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत भुंतर पर अधिभार सहित ₹34.09 लाख की राशि की अनावश्यक देयता हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 (बी) (3) में प्रावधान है कि किए गए सभी प्रभार हेतु एक ही बार में आहरण एवं भुगतान किया जाए एवं उन्हें निधियों के अभाव में एवं दूसरे वर्ष के अनुदान से चुकाने के लिए रोका न जाए और यह कि यथासंभव निर्विवाद रूप से बकाया राशि के भुगतान के लिए रखा न जाए तथा यह कि सभी अपरिहार्य भुगतानों का पता लगाया जाए एवं यथाशीघ्र संभव तिथि पर परिसमापन किया जाए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत भुंतर के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मार्च 2017 माह हेतु अधिभार सहित ₹37.42 लाख की राशि के स्ट्रीट लाईट के विद्युत बिल (पिछले बकाया बिलों से लगातार) सहायक अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत उपमंडल, भुंतर द्वारा जारी किए गए थे। नगर पंचायत ने इन बिलों के प्रति दिनांक 17.03.2017 एवं 24.03.2017 को क्रमशः ₹1.00 लाख व ₹7.00 लाख जमा किए तथा ₹29.42 लाख की शेष राशि छोड़ दी। सहायक अभियंता ने सितंबर, 2018 में फिर से ₹34.09 लाख (₹0.67 लाख के अधिभार सहित) के विद्युत बिल जारी किए, परन्तु नगर

पंचायत फरवरी 2019 तक इसे जमा करने में विफल रही। इस प्रकार, विद्युत बिलों को जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल नगर पंचायत पर अनावश्यक देयता हुई बल्कि ₹0.67 लाख के अधिभार का अधिक भुगतान भी हुआ।

सचिव ने बताया (फरवरी 2019/ जुलाई 2021) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया विद्युत उपकर (लगभग पिछले 10 वर्षों से लंबित) का भुगतान न करने के कारण विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया विद्युत उपकर के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की गई। यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपकर की वास्तविक राशि की सूचना दी जाती है, तो बिल की शेष राशि का भुगतान यथाशीघ्र किशतों में किया जाएगा।

#### 4.13 नियमों का उल्लंघन - कार्यों का विभाजन

अप्रैल 2012 में जारी निर्देशों के साथ पठित लोक निर्माण विभाग के आदेशों की नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 6.44 में प्रावधान है कि ई-टेंडरिंग, प्रेस के माध्यम से प्रकाशन या उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए कार्य/परियोजना का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान नगर पंचायत करसोग में लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवंबर, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए ₹14.40 लाख की राशि के चार कार्य<sup>20</sup> तीन ठेकेदारों को सौंपे गए थे। इन कार्यों में से प्रत्येक को व्यापक प्रचार से बचने तथा उच्च अधिकारी की अनुमति से बचने के लिए दो कार्यों में विभाजित किया गया। कार्यों का विभाजन के परिणामस्वरूप अधिकतम प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में ठेकेदारों को अनुचित लाभ के देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सचिव ने बताया (फरवरी, 2019) कि कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामले को निदेशक, शहरी विकास के साथ उठाया जाएगा।

#### 4.14 ₹3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न करना

वित्तीय नियमावली में यह अपेक्षित है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

<sup>20</sup> विश्राम गृह से विमला खड्ड तक नाली एवं झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना, पी.एन.बी. से पवन स्टूडियो की ओर झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना, श्री हितेश के घर से श्री मस्तराम के घर तक टाईल फर्श उपलब्ध कराना एवं बिछाना और कृष्णा परिसर से फेस-2 और 3 की ओर झंझरी उपलब्ध कराना एवं लगाना।



वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी विकास विभाग से नगर पंचायत करसोग एवं नगर परिषद् देहरा ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान सड़क/शौचालय के निर्माण व सीवरेज कार्य के लिए क्रमशः ₹22.41 लाख और ₹3.75 करोड़ प्राप्त किए। निधियां 2016 17 से 2018-19 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बीडीओ कार्यालय, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग) को जारी की गईं। आठ से 32 माह बीत जाने के बाद भी फरवरी 2019 तक इन कार्यों से संबंधित ₹3.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र शहरी स्थानीय निकायों ने प्राप्त नहीं किए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की तिथि तक नगर पंचायत करसोग ने भौतिक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की थी। नगर परिषद् देहरा के मामले में, सीवरेज योजना के तहत कार्य के लिए भौतिक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिससे पता चला कि जनवरी 2019 तक कुल कार्य का केवल 75 प्रतिशत ही पूरा किया गया। परिणामतः क्षेत्र की जनता योजनाओं के अभीष्ट लाभों से वंचित रही।

सचिव, नगर पंचायत करसोग तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा ने बताया (जनवरी-फरवरी 2019) कि जारी की गईं निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र तुरंत प्राप्त किए जाएंगे।

#### 4.15 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना हुआ अनियमित व्यय

**नगर परिषद् मनाली ने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ₹37.00 लाख का अनियमित व्यय किया।**

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्माण नियम, 2010 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि कोई भी मूल/मरम्मत कार्य जिसमें ₹50,000/- से अधिक का व्यय हो, नगरपालिका द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् मनाली में 2017-18 के दौरान सड़क की मरम्मत एवं कचरा डंपिंग साइट के विस्तार के तीन कार्यों पर ₹37.00 लाख का व्यय किया गया था। प्रत्येक मामले में राशि ₹50,000/- से अधिक थी, परन्तु नगर परिषद् ने इन व्ययों के लिए सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹37.00 लाख का व्यय अनियमित एवं पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध था।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् मनाली ने बताया (मार्च 2019) कि कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता से प्राप्त की गई थी, परन्तु सहायक अभियंता (नगर पालिका) के पास

₹10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार था एवं प्रत्येक कार्य की लागत ₹10 लाख से अधिक थी।

#### 4.16 अग्रिमों का समायोजन न करना

**छः शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-18 के दौरान पिछले अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹32.21 करोड़ के अग्रिम स्वीकृत किए।**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 (1) से (4) के अनुसार, विभागाध्यक्ष, किसी सरकारी कर्मों को वस्तुओं की खरीद या सेवाओं को लेने या किसी अन्य निर्धारित विशेष प्रयोजन हेतु अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है। आगे इस नियम में प्रावधान है कि समायोजन बिल के साथ यदि कोई शेष है, तो उसे अग्रिम आहरण के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाए। दूसरे अग्रिम को प्रदान करने की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मों पिछले अग्रिम का समायोजन लेखा जमा नहीं कर देता।

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नगर परिषदों (नालागढ़ व सोलन) में, 1999-2017 के मध्य 20 सरकारी कर्मियों/विभागों को विकासात्मक कार्यों, स्थापना व्ययों, स्टोर हेतु खरीद इत्यादि को करने हेतु संस्वीकृत किए गए ₹1.09 करोड़ के अस्थाई/ आकस्मिक अग्रिम जनवरी 2018 तक, एक से 18 वर्षों की अवधि (परिशिष्ट-28) से अधिक समय तक समायोजन हेतु लम्बित थे। आगामी अग्रिम पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना दिए जाते रहे। नगर परिषद् नालागढ़ में दो कर्मों सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए, परन्तु दिसम्बर 1999 से जुलाई 2012 के मध्य उनको प्रदान की गई ₹3.33 लाख की राशि के अग्रिमों के समायोजन बिल न तो उन्होंने उनकी सेवानिवृत्ति के समय जमा किए और न ही विभाग द्वारा समायोजित किए गए।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान नगर निगम शिमला में यह पाया गया कि 1963-2017 के दौरान विभिन्न विभागों को अलग-अलग उद्देश्यों हेतु (लोक निर्माण कार्यों, स्टोर सामग्री, परियोजना, योजना, अस्थाई अग्रिमों, स्ट्रीट लाईट, जल-आपूर्ति इत्यादि विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत) ₹31.03 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम नगर निगम ने संस्वीकृत किए थे, जो दिसम्बर 2017 तक समायोजन (परिशिष्ट-28) हेतु लम्बित थे। पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना विभागों को आगामी अग्रिम दिए जाते रहे। आगे यह पाया गया कि 1963-2017 के दौरान संस्वीकृत की गई ₹17.68 करोड़ की अस्थाई अग्रिम राशि दिसम्बर 2017 तक समायोजन हेतु लम्बित थी तथा नगर निगम के पास इन अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं

थे। पर्याप्त राशि के अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित संहितागत प्रावधानों को लागू करने में नगर निगम की शिथिलता को दर्शाता है।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान तीन शहरी स्थानीय निकायों<sup>21</sup> में लेखापरीक्षा ने पाया कि छः सरकारी कर्मियों को 2015-16 व 2017-18 के मध्य ₹9.42 लाख (परिशिष्ट-28) के अस्थायी/आकस्मिक अग्रिम स्वीकृत किए गए। अग्रिम विकास कार्यों हेतु दुकानों की खरीद, स्थापना व्यय, घर-घर कचरा संग्रहण आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए गए थे जो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक ऐसे अग्रिम प्रदान करने की तिथि से 17 से 43 महीने से अधिक की अवधि के लिए समायोजन के लिए लंबित थे। पिछले अग्रिमों को समायोजित किए बिना कर्मियों को आगामी अग्रिम दिए गए। यह अग्रिमों के समायोजन के संबंध में संहितागत प्रावधानों को लागू करने में इन शहरी स्थानीय निकायों की शिथिलता को दर्शाता है।

अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला एवं कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषदें कुल्लू एवं मनाली) ने बताया (दिसम्बर 2018-मार्च 2019) कि बकाया अग्रिमों को तत्काल समायोजित/वसूल किया जायेगा।

#### 4.17 फर्मों को ₹6.69 लाख की राशि का अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 103 में प्रावधान है कि ₹10 लाख तक की वस्तुओं की खरीद के लिए सीमित निविदा प्रणाली अपनाई जाए।

वर्ष 2018-19 के दौरान दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषद् देहरा व नगर पंचायत ज्वाली) में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नगर पंचायत ज्वाली ने 2016-17 के दौरान फर्म 'हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स, देहरा' से ₹3.32 लाख की राशि के कूड़ेदान खरीदे थे। इसी प्रकार 2014-15 से 2016-17 के दौरान नगर परिषद् देहरा ने 'प्लान फाउंडेशन, ब्रॉडवे एन्क्लेव, संजौली, शिमला' नामक एक फर्म को आवास कर निर्धारण कार्य, सर्वेक्षण, सॉफ्टवेयर के विकास एवं उसके नवीनीकरण के संबंध में सेवाएं प्राप्त करने हेतु कार्य पर लिया तथा इस दौरान इस फर्म को ₹3.37 लाख का भुगतान किया।

दोनों ही मामलों में खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की राशि ₹1.00 लाख से अधिक थी, परन्तु इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थी। यह पूर्वोक्त नियम के

<sup>21</sup> नगर निगम धर्मशाला; नगर परिषदें कुल्लू एवं मनाली।

प्रावधानों का उल्लंघन था। निविदाएं आमंत्रित नहीं करने से शहरी स्थानीय निकाय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लाभ से वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त, विशेष फर्मों को अनुचित लाभ देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा ने बताया (जनवरी 2019) कि तत्काल आधार पर कार्य पूर्ण करने के कारण निविदा नहीं मांगी गई जबकि सचिव, नगर पंचायत जवाली ने बताया (जनवरी 2019) कि खरीद के समय कार्यालय ढांचा, कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तथा स्टाफ की कमी के कारण नगर पंचायत निविदा आमंत्रित करने में विफल रहा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खरीद की वित्तीय प्रक्रियाओं को तब तक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि ठोस कारण न हो तथा ऐसी परिस्थितियों में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना खरीद नियमों के अनुसार अनुमत है।

#### 4.18 सामग्री का लेखांकन न करना

**नगर परिषद्, हमीरपुर ने ₹1.14 लाख की सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया।**

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 135 में प्रावधान है कि सामग्री की सुपर्दगी के समय जिम्मेदार सरकारी कर्मों द्वारा प्राप्त की गई सामग्री की, सामग्री के अनुसार जांच, गणना, माप एवं तौल की जाए तथा उसे यह देखना चाहिए कि सामग्री की मात्रा सही है और गुणवत्ता अच्छी है। सामग्री की प्राप्ति रसीद का प्रमाणपत्र दर्ज किया जाए एवं उचित रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि भरी जाए।

वर्ष 2017-18 के दौरान नगर परिषद् हमीरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ₹1.14 लाख की लागत से खरीदी गई सीमेंट बोरियां व नाली कवर संगत स्टोर व स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किए गए थे। अतः चोरी या हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह नगर परिषद् के खराब अभिलेख अनुरक्षण को दर्शाता है। उत्तर में, कार्यकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि संगत प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्ट्रों में कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित नगर परिषद् द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित जांच नहीं रखी गई थी।


#### 4.19 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140(2) में प्रावधान है कि विभागाध्यक्ष वर्ष में कम से कम एक बार अचल संपत्तियों, उपभोज्य वस्तुओं एवं निष्क्रिय स्टॉक या

अनुपयोगी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से या उसके द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के माध्यम से करवाएगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 14 शहरी स्थानीय निकायों में से चार<sup>22</sup> में 1999 व 2018 के मध्य की अवधि हेतु स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, स्टोर/स्टॉक के भौतिक अस्तित्व को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन न करने के कारण, स्टोर की वस्तुओं के दुरुपयोग की संभावना है।

नगरपालिका अभियंता, नगर निगम धर्मशाला एवं कार्यकारी अधिकारियों (नगर परिषदें घुमारवीं एवं हमीरपुर) ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कार्य की अधिकता के कारण स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका जिसे शीघ्र ही किया जायेगा जबकि आयुक्त, नगर निगम शिमला ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

  
(ऋतु ढल्लों)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),  
हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 10 मार्च 2022

<sup>22</sup> नगर निगम शिमला (1999 से) एवं धर्मशाला (2016-17 से); नगर परिषदें घुमारवीं (2011 से) एवं हमीरपुर (2006 से)।



परिशिष्ट





## परिशिष्ट

### परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 तथा 3.1; पृष्ठ 1 तथा 43)

संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से सूचीबद्ध कार्यक्रमों का विवरण

क्रमांक	संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकसित किए गए 29 कार्यक्रमों का विवरण
1.	कृषि विस्तार सहित कृषि
2.	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन तथा मृदा-संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा वाटरशेड विकास
4.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मुर्गी पालन
5.	मत्स्य पालन
6.	सामाजिक वाणिकी तथा कृषि वाणिकी
7.	लघु वन उत्पादन
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
9.	खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10.	ग्रामीण आवास
11.	पेयजल
12.	ईंधन और चारा
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग तथा यातायात के अन्य साधन
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विद्युत का वितरण
15.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17.	शिक्षा तथा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय
18.	तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा
19.	वयस्क तथा अनौपचारिक शिक्षा
20.	पुस्तकालय
21.	सांस्कृतिक गतिविधियां
22.	बाजार तथा मेले
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, साथ ही चिकित्सालय (अस्पताल) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औषधालय
24.	परिवार कल्याण
25.	महिला तथा बाल विकास
26.	सामाजिक कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांग तथा मंदबुद्धि जनों का कल्याण
27.	कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29.	सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव

क्रमांक	संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकसित किए गए 18 कार्यों का विवरण
1.	शहरी नियोजन तथा नगर योजना
2.	भूमि उपयोग योजना तथा भवनों का निर्माण
3.	सामाजिक तथा आर्थिक विकास योजनाएं
4.	सड़कें तथा पुल
5.	घरेलू, औद्योगिक तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु जल वितरण
6.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक पहलुओं का प्रचार
9.	विकलांगों तथा मंदबुद्धि जनों सहित कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
10.	झुग्गी झोपड़ी तथा उन्नयन
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन
12.	नगर सुविधाओं का प्रावधान तथा पार्क, बगीचे तथा खेल के मैदान जैसी सुविधाएं
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना
14.	कब्रगाह और कब्रिस्तान; श्मशान, श्मशान घाट और विद्युत शवदाह गृह
15.	मवेशी पाउंड; जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम
16.	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
17.	सार्वजनिक सुविधाएं: स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप व सार्वजनिक सुविधाएं
18.	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन

## परिशिष्ट-2

(संदर्भ परिच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

## पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए 15 लाईन विभागों का ब्यौरा

क्रमांक	लाइन विभाग
1.	कृषि
2.	पशुपालन
3.	आयुर्वेद
4.	शिक्षा
5.	खाद्य सामग्री
6.	वन
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
8.	बागवानी
9.	उद्योग
10.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
11.	लोक निर्माण कार्य
12.	राजस्व
13.	ग्रामीण विकास
14.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण
15.	मत्स्य पालन

**परिशिष्ट-3 (i)**

(संदर्भ परिच्छेद 1.9 एवं 3.8; पृष्ठ 12 व 50)

**लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र -2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का विवरण**

**ज़िला परिषद्**

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम
1.	मंडी
2.	सोलन
3.	कुल्लू

**पंचायत समिति**

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम
1.	कंडाघाट	सोलन
2.	आनी	कुल्लू
3.	निरमंड	कुल्लू
4.	नग्गर	कुल्लू
5.	धर्मपुर	मंडी
6.	गोपालपुर	मंडी
7.	चौतड़ा	मंडी
8.	गोहर	मंडी
9.	सुंदरनगर	मंडी

**ग्राम पंचायतें**

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	चम्मों	धर्मपुर	सोलन
2.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन
3.	नालकां	धर्मपुर	सोलन
4.	गोयला	धर्मपुर	सोलन
5.	जाडला	धर्मपुर	सोलन
6.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन
7.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन
8.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन
9.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन
10.	बाशा	कंडाघाट	सोलन
11.	कोहिला	आनी	कुल्लू
12.	कराणा	आनी	कुल्लू
13.	पोखरी	आनी	कुल्लू
14.	फनौटी	आनी	कुल्लू
15.	टकारसी	आनी	कुल्लू
16.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
17.	कोट	निरमंड	कुल्लू

18.	सराहन	निरमंड	कुल्ल्
19.	नोर	निरमंड	कुल्ल्
20.	तुन्न	निरमंड	कुल्ल्
21.	देवगढ़	नग्गर	कुल्ल्
22.	पंनगा	नग्गर	कुल्ल्
23.	कराडस्	नग्गर	कुल्ल्
24.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्ल्
25.	शिरड	नग्गर	कुल्ल्
26.	धनालग	गोपालपुर	मंडी
27.	दारपा	गोपालपुर	मंडी
28.	जमणी	गोपालपुर	मंडी
29.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी
30.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी
31.	पिपली	चौंतड़ा	मंडी
32.	सैन्थल पडैन	चौंतड़ा	मंडी
33.	गल्	चौंतड़ा	मंडी
34.	ऐहजू	चौंतड़ा	मंडी
35.	ऊटपुर	चौंतड़ा	मंडी
36.	तान्दी	गोहर	मंडी
37.	तुन्ना	गोहर	मंडी
38.	कुटाहची	गोहर	मंडी
39.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी
40.	नौण	गोहर	मंडी
41.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी
42.	बंदली	सुंदरनगर	मंडी
43.	कलौहड	सुंदरनगर	मंडी
44.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी
45.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी

## नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला
2.	धर्मशाला

## नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम
1.	नालागढ़
2.	हमीरपुर
3.	सोलन
4.	जोगिन्दर नगर
5.	नगरौटा बांगवां
6.	मंडी

**नगर पंचायत**

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	अर्की
2.	सुन्नी
3.	भोटा
4.	बैजनाथ

**परिशिष्ट-3 (ii)**

(संदर्भ परिच्छेद 1.9 एवं 3.8; पृष्ठ 12 व 50)

**लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र - 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का विवरण**

**ज़िला परिषद्**

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम
1.	हमीरपुर
2.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला
3.	शिमला

**पंचायत समितियां**

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम
1.	फतेहपुर	कांगड़ा
2.	इंदौरा	कांगड़ा
3.	नगरोंटा सूरियां	कांगड़ा
4.	लम्बागांव	कांगड़ा
5.	ननखड़ी	शिमला
6.	रोहडू	शिमला
7.	ठियोग	शिमला

**ग्राम पंचायतें**

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	जगोठी	रोहडू	शिमला
2.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला
3.	कटलाह	रोहडू	शिमला
4.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला
5.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला
6.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला
7.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला
8.	क्यारी	जुब्बल कोटखाई	शिमला
9.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला
10.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला

11.	भलोह	मशोबरा	शिमला
12.	ढली	मशोबरा	शिमला
13.	जुंगा	मशोबरा	शिमला
14.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला
15.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला
16.	खाबल	छोहारा	शिमला
17.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला
18.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला
19.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला
20.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला
21.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला
22.	चडौली	चौपाल	शिमला
23.	बावत	चौपाल	शिमला
24.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला
25.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला
26.	किरण	चौपाल	शिमला
27.	मंझोली	चौपाल	शिमला
28.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला
29.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला
30.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला
31.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला
32.	सरपारा	रामपुर	शिमला
33.	शिंगला	रामपुर	शिमला
34.	नीरथ	रामपुर	शिमला
35.	देवठी	रामपुर	शिमला
36.	बगैण	ठियोग	शिमला
37.	घोइना	ठियोग	शिमला
38.	घूण्ड	ठियोग	शिमला
39.	ददास	ठियोग	शिमला
40.	कुठार	ठियोग	शिमला
41.	क्यार	ठियोग	शिमला
42.	सिंहल	नारकंडा	शिमला
43.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला
44.	करेवथी	नारकंडा	शिमला
45.	मोगडा	नारकंडा	शिमला
46.	गोधला	लाहौल	लाहौल स्पिति
47.	मूलिग	लाहौल	लाहौल स्पिति
48.	खंगसर	लाहौल	लाहौल स्पिति
49.	गोशाल	लाहौल	लाहौल स्पिति
50.	कारदंग	लाहौल	लाहौल स्पिति

51.	बरबोग	लाहौल	लाहौल स्पिति
52.	दारचा	लाहौल	लाहौल स्पिति
53.	केलांग	लाहौल	लाहौल स्पिति
54.	डेमुल	स्पिति	लाहौल स्पिति
55.	लांगजा	स्पिति	लाहौल स्पिति
56.	लालूंग	स्पिति	लाहौल स्पिति
57.	हल	स्पिति	लाहौल स्पिति
58.	खुरीक	स्पिति	लाहौल स्पिति
59.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा
60.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा
61.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा
62.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा
63.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
64.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
65.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
66.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा
67.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा
68.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा
69.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा
70.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा
71.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा
72.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
73.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
74.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
75.	सद्दू बड्यां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
76.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
77.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
78.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
79.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा
80.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा
81.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा
82.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा
83.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा
84.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा
85.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा
86.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा
87.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा
88.	घरोह	रैत	कांगड़ा
89.	बंडी	रैत	कांगड़ा
90.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा



91.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा
92.	स्वाइ	बैजनाथ	कांगड़ा
93.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा
94.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा
95.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा
96.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा
97.	कलुण्ड	भवारना	कांगड़ा
98.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा
99.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा
100.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा
101.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा
102.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा
103.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा

## नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला
2.	धर्मशाला

## नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	जिले का नाम
1.	घुमारवीं	बिलासपुर
2.	हमीरपुर	हमीरपुर
3.	सुजानपुर	हमीरपुर
4.	देहरा	कांगड़ा
5.	नेरचौक	मण्डी
6.	कुल्लू	कुल्लू
7.	मनाली	कुल्लू

## नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	जिले का नाम
1.	ज्वाली	कांगड़ा
2.	नादौन	हमीरपुर
3.	करसोग	मण्डी
4.	बंजार	कुल्लू
5.	भुंत्तर	कुल्लू

**परिशिष्ट-4**

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 15)

**पीआरआईएसॉफ्ट में रोकड़ बही तैयार न करना तथा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में संपत्ति का अनुरक्षण न करना**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	कोट	निरमंड	कुल्लू
2.	तुनन	निरमंड	कुल्लू
3.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
4.	नोर	निरमंड	कुल्लू
5.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
6.	टकारसी	आनी	कुल्लू
7.	फनौटी	आनी	कुल्लू
8.	कराणा	आनी	कुल्लू
9.	कोहिला	आनी	कुल्लू
10.	मंडलगढ़	नगगर	कुल्लू
11.	कराडसू	नगगर	कुल्लू
12.	शिरड	नगगर	कुल्लू
13.	देवगढ़	नगगर	कुल्लू
14.	पंनगा	नगगर	कुल्लू
15.	जाडला	धर्मपुर	सोलन
16.	गोयला	धर्मपुर	सोलन
17.	नालकां	धर्मपुर	सोलन
18.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन

**तीन आदर्श लेखांकन प्रणाली पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना**  
(वार्षिक प्राप्ति व भुगतान लेखा पंजिका, समेकित सार पंजिका तथा अचल संपत्ति पंजिका)

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	बाशा	कंडाघाट	सोलन
2.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन
3.	धनालग	गोपालपुर	मंडी
4.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी
5.	जमणी	गोपालपुर	मंडी
6.	दारपा	गोपालपुर	मंडी
7.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी
8.	कुटाहची	गोहर	मंडी
9.	नौण	गोहर	मंडी
10.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी

11.	तुन्ना	गोहर	मंडी
12.	तान्दी	गोहर	मंडी
13.	सैन्थल पडैन	चौतड़ा	मंडी
14.	ऊटपुर	चौतड़ा	मंडी
15.	गलू	चौतड़ा	मंडी
16.	पिपली	चौतड़ा	मंडी
17.	ऐहजू	चौतड़ा	मंडी
18.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी
19.	कलौहड	सुंदरनगर	मंडी
20.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी
21.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी
22.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी

**परिशिष्ट-5 (i)**

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 17)

**2016-17 के दौरान बैंक पासबुक एवं पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड की गई शेष राशि के आंकड़ों के मध्य अंतर**

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किया गया	बैंक पास बुक में बैलेंस	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	सुंदरनगर	मंडी	120.60	130.90	10.30	7.87
2.	चौतड़ा	मंडी	210.24	195.03	15.21	7.80
<b>योग (i)</b>					<b>25.51</b>	

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किया गया	बैंक पास बुक में बैलेंस	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	बन्दली	मंडी	14.05	6.39	7.66	119.87
2.	कुटाहची	मंडी	6.69	9.11	2.42	26.56
3.	खिलड़ा	मंडी	34.15	36.20	2.05	5.66
4.	कलौहड़	मंडी	28.97	25.34	3.63	14.33
5.	धवाल	मंडी	52.52	52.29	0.23	0.44
6.	पिपली	मंडी	9.84	9.83	0.01	0.10
7.	गलू	मंडी	12.45	12.67	0.22	1.74
8.	ऊटपुर	मंडी	25.50	33.25	7.75	23.31
9.	जुगाहण	मंडी	35.81	31.87	3.94	12.36
10.	तान्दी	मंडी	23.84	23.90	0.06	0.25
11.	तुन्ना	मंडी	16.14	19.40	3.26	16.80
12.	कोटला खनोला	मंडी	39.24	19.24	20.00	103.95
13.	सैन्थल पडैन	मंडी	16.22	16.32	0.10	0.61
14.	सुलपुर जबोठ	मंडी	37.30	37.33	0.03	0.08
15.	दारपा	मंडी	1.73	3.84	2.11	54.95
16.	जमणी	मंडी	45.88	14.39	31.49	218.83
17.	ऐहजू	मंडी	28.61	16.00	12.61	78.81
18.	बरच्छवाड़	मंडी	38.27	24.86	13.41	53.94
19.	नौण	मंडी	25.95	26.44	0.49	1.85
<b>योग (ii)</b>					<b>111.47</b>	
<b>सकल योग (i) व (ii)</b>					<b>136.98</b>	

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।

## परिशिष्ट-5 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 17)

2017-18 के दौरान नमूना-जांचित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों तथा पीआरआईएसॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मध्य अंतर

(₹ लाख में)

## जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति	पीआरआई एसॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राप्ति	अंतर	प्रतिशत में अंतर	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार व्यय	पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किया गया व्यय	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	जिला परिषद् शिमला	1,700.48	1,847.35	146.87	8.64	1,554.25	1,615.34	61.09	3.93
	योग (i)	1,700.48	1,847.35	146.87		1,554.25	1,615.34	61.09	

## पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति	पीआरआई एसॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राप्ति	अंतर	प्रतिशत में अंतर	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार व्यय	पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किया गया व्यय	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	ननखड़ी	59.52	43.75	15.77	26.50	69.83	61.93	07.90	11.31
2.	रोहड़ू	108.92	111.85	02.93	2.69	76.94	83.10	06.17	8.02
3.	इंदौरा	189.58	149.81	39.77	20.98	133.08	121.79	11.29	8.48
4.	फतेहपुर	194.19	249.77	55.58	28.62	142.57	182.62	40.05	28.09
5.	नगरोटा सुरियां	128.78	128.18	0.60	0.47	182.48	202.43	19.95	10.93
	योग (ii)	680.99	683.36	114.65		604.90	651.87	85.36	

## ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति	पीआरआई एसॉफ्ट पर अपलोड की गई प्राप्ति	अंतर	प्रतिशत में अंतर	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार व्यय	पीआरआईए सॉफ्ट पर अपलोड किया गया व्यय	अंतर	अंतर प्रतिशत में
1.	कोठी	38.08	30.93	07.15	18.78	30.39	28.60	01.79	5.89
2.	पोलिंग	57.73	32.75	24.98	43.27	31.71	31.67	0.04	0.13



51.	बैंश (पिपलीधार)	22.19	16.99	05.20	23.43	10.51	18.10	07.59	72.22
52.	चेबडी	40.03	31.82	08.21	20.51	30.62	42.27	11.65	38.05
53.	चलाहल	47.72	34.95	12.77	26.76	27.13	33.68	06.55	24.14
54.	खबाल	40.65	55.05	14.40	35.42	38.43	63.90	25.47	66.28
55.	तांगनू जंगलिख	37.07	51.35	14.28	38.52	32.54	44.05	11.51	35.37
56.	डाकगांव	75.23	66.14	09.09	12.08	52.74	64.51	11.77	22.32
57.	बावत	86.80	84.76	02.04	2.35	47.84	73.75	25.91	54.16
58.	गोरली मडोग	64.97	48.02	16.95	26.09	26.87	45.14	18.27	67.99
59.	किरण	75.05	56.60	18.45	24.58	32.13	51.68	19.55	60.85
60.	चडौली	72.11	46.60	25.51	35.38	41.93	47.80	05.87	14.00
61.	रामनगर	54.45	45.97	08.48	15.57	29.33	35.58	06.25	21.31
62.	कोट कियाना	45.93	28.51	17.42	37.93	33.59	34.53	0.94	2.80
63.	कुडू	65.71	31.63	34.08	51.86	37.80	34.19	03.61	9.55
64.	क्यार	50.88	49.81	01.07	2.10	15.22	33.28	18.06	118.66
65.	पुजारली (बियुलिया)	85.67	60.98	24.69	28.82	18.61	55.94	37.33	200.59
66.	नालदेहरा	45.07	39.01	06.06	13.45	26.49	48.72	22.23	83.92
67.	भलोह	38.33	22.68	15.65	40.83	25.55	32.49	06.94	27.16
68.	मझोली टिप्पर	47.31	36.20	11.11	23.48	30.52	31.38	0.86	2.82
69.	खमाडी	46.19	42.16	04.03	8.72	20.18	48.00	27.82	137.86
70.	मोगडा	37.04	13.43	23.61	63.74	15.58	16.11	0.53	3.40
71.	मलैणडी	35.87	20.16	15.71	43.80	26.81	27.94	01.13	4.21
72.	करेवथी	37.65	22.38	15.27	40.56	13.14	20.71	07.57	57.61
73.	नीरथ	32.22	47.26	15.24	47.30	12.65	31.04	18.39	145.38
74.	देवठी	38.73	28.56	10.17	26.26	22.85	25.34	02.49	10.90
75.	दत्तनगर	63.05	44.94	18.11	28.72	25.84	35.93	10.09	39.05
76.	शिंगला	53.52	37.85	15.67	29.28	31.38	35.56	04.18	13.32
77.	पुजारली-3	102.27	46.03	56.24	54.99	83.90	43.65	40.25	47.97
78.	जगोठी	44.00	29.58	14.42	32.77	28.02	32.46	04.44	15.85
79.	खंगटेडी	85.73	24.29	61.44	71.67	66.55	28.13	38.42	57.73
80.	कटलाह	68.26	25.69	42.57	62.36	54.10	28.83	25.27	46.71
81.	घूण्ड	84.82	58.84	25.98	30.63	54.74	46.27	08.47	15.47
82.	ददास	47.16	24.67	22.49	47.69	31.22	31.07	0.15	0.48
83.	क्यार	64.62	56.33	08.29	12.83	32.76	31.86	0.90	2.75
84.	घोइना	67.51	42.47	25.04	37.09	40.70	30.98	30.98	76.12
85.	बगैण	52.39	33.31	19.08	36.42	22.08	35.28	13.20	59.78
86.	मंझोली	75.08	96.75	21.67	28.86	24.54	65.00	40.46	164.87
87.	कांडा बनाह	107.32	62.02	45.30	42.21	77.85	54.43	23.42	30.08
<b>योग (iii)</b>		<b>4,569.43</b>	<b>3,257.17</b>	<b>1,682.70</b>		<b>2,656.28</b>	<b>3,248.79</b>	<b>1,172.40</b>	
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>6,950.90</b>	<b>5,788.38</b>	<b>2,512.75</b>		<b>4,815.43</b>	<b>5,516.00</b>	<b>1,318.85</b>	

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।

**परिशिष्ट-6**

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.3; पृष्ठ 18)

**महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना**

**2017-18**

**पंचायती समिति**

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला
1.	निरमंड	कुल्लू
2.	आनी	कुल्लू
3.	चौतड़ा	मंडी

**ग्राम पंचायतें**

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	नौर	निरमंड	कुल्लू
2.	तुनन	निरमंड	कुल्लू
3.	कोट	निरमंड	कुल्लू
4.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
5.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
6.	कराडसू	नगगर	कुल्लू
7.	मंडलगढ़	नगगर	कुल्लू
8.	पंनगा	नगगर	कुल्लू
9.	देवगढ़	नगगर	कुल्लू
10.	कोहिला	आनी	कुल्लू
11.	फनौटी	आनी	कुल्लू
12.	पोखरी	आनी	कुल्लू
13.	टकारसी	आनी	कुल्लू
14.	कराणा	आनी	कुल्लू
15.	तान्दी	गोहर	मंडी
16.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी
17.	नौण	गोहर	मंडी
18.	तुन्ना	गोहर	मंडी
19.	कुटाहची	गोहर	मंडी
20.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी
21.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी
22.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी
23.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी
24.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी
25.	जमणी	गोपालपुर	मंडी
26.	धवाल	गोपालपुर	मंडी
27.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी



28.	धनालग	गोपालपुर	मंडी
29.	दारपा	गोपालपुर	मंडी
30.	पिपली	चौतड़ा	मंडी
31.	गलू	चौतड़ा	मंडी
32.	ऊटपुर	चौतड़ा	मंडी
33.	ऐहजू	चौतड़ा	मंडी
34.	सैन्थल पडैन	चौतड़ा	मंडी
35.	सायरी	कंडाघाट	सोलन

## 2018-19

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	स्वाड़	बैजनाथ	कांगड़ा
2.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा
3.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा
4.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा
5.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
6.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
7.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
8.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा
9.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा
10.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा
11.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा
12.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा
13.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा
14.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा
15.	भूपू	इंदौरा	कांगड़ा
16.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
17.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा
18.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा
19.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा
20.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा
21.	कलुण्ड	भवारना	कांगड़ा
22.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
23.	सद्दू बडगां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
24.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
25.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
26.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा

27.	फारियां	नगरौटा सूरियां	कांगड़ा
28.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा
29.	मंमूह-गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा
30.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा
31.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा
32.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा
33.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा
34.	कदोहा	प्रागपुर	कांगड़ा
35.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा
36.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा
37.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा
38.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा
39.	घरोह	रैत	कांगड़ा
40.	बंडी	रैत	कांगड़ा
41.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा
42.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा
43.	खंगसर	लाहौल	लाहौल-स्पति
44.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पति
45.	गोधला	लाहौल	लाहौल-स्पति
46.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पति
47.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पति
48.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पति
49.	कारदंग	लाहौल	लाहौल-स्पति
50.	खुरीक	स्पति	लाहौल-स्पति
51.	लालूंग	स्पति	लाहौल-स्पति
52.	डेमुल	स्पति	लाहौल-स्पति
53.	लांगचा	स्पति	लाहौल-स्पति
54.	हल	स्पति	लाहौल-स्पति
55.	चेबडी	बसंतपुर	शिमला
56.	बैश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला
57.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला
58.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला
59.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला
60.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला
61.	खाबल	छोहारा	शिमला
62.	चडौली	चौपाल	शिमला
63.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला
64.	बावत	चौपाल	शिमला

65.	किरण	चौपाल	शिमला
66.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला
67.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला
68.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला
69.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला
70.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला
71.	मंझोली	चौपाल	शिमला
72.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला
73.	भलोह	मशोबरा	शिमला
74.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला
75.	ढली	मशोबरा	शिमला
76.	जुंगा	मशोबरा	शिमला
77.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला
78.	खमाडी	ननखडी	शिमला
79.	मझोली टिप्पर	ननखडी	शिमला
80.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला
81.	मोगडा	नारकंडा	शिमला
82.	करेवथी	नारकंडा	शिमला
83.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला
84.	सरपारा	रामपुर	शिमला
85.	नीरथ	रामपुर	शिमला
86.	देवठी	रामपुर	शिमला
87.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला
88.	जगोठी	रोहडू	शिमला
89.	घोड़ना	ठियोग	शिमला
90.	घूण्ड	ठियोग	शिमला
91.	कुठार	ठियोग	शिमला
92.	ददास	ठियोग	शिमला
93.	बगौण	ठियोग	शिमला
94.	क्यार	ठियोग	शिमला

**परिशिष्ट-7**

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 18)

**बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के मध्य अंतर का समाधान न करना**

2017-18

1. ऐसे मामले जहां रोकड़ बही में बैंक पासबुक से कम शेष दर्शाया गया

(₹ लाख में)

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	अंतर
1.	आनी	कुल्लू	56.76	54.31	2.45
2.	चौतड़ा	मंडी	195.03	187.39	7.64
<b>योग (i)</b>			<b>251.79</b>	<b>241.70</b>	<b>10.09</b>

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2017	अंतर
1.	तुन्ना	गोहर	मंडी	19.40	19.35	0.05
2.	नौण	गोहर	मंडी	26.43	23.86	2.57
3.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	18.82	9.41	9.41
4.	तान्दी	गोहर	मंडी	24.15	17.13	7.02
5.	ऊटपुर	चौतड़ा	मंडी	33.25	23.62	9.63
6.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	27.41	0.01	27.40
7.	सायरी	कंडाघाट	सोलन	9.89	0.01	9.88
8.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	10.53	0	10.53
9.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	33.86	0	33.86
10.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	14.43	0	14.43
11.	नालकां	धर्मपुर	सोलन	41.52	0	41.52
12.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	37.26	0.01	37.25
13.	गोयला	धर्मपुर	सोलन	38.11	0	38.11
14.	कराणा	आनी	कुल्लू	23.56	23.44	0.12
15.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	39.23	12.72	26.51
16.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	26.69	26.05	0.64
17.	नोर	निरमंड	कुल्लू	20.81	16.54	4.27
18.	टकारसी	आनी	कुल्लू	12.50	10.22	2.28
19.	कोहिला	आनी	कुल्लू	16.70	15.41	1.29
20.	पोखरी	आनी	कुल्लू	6.07	5.95	0.12
<b>योग (ii)</b>				<b>480.62</b>	<b>203.73</b>	<b>276.89</b>

**रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के मध्य अंतर का सारांश**

(₹ लाख में)

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही व बैंक पासबुक में अंतर
1.	पंचायत समिति	2	10.09
2.	ग्राम पंचायत	20	276.89
<b>योग</b>		<b>22</b>	<b>286.98</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**2018-19**

**1. ऐसे मामले जहां बैंक पासबुक में रोकड़ बही की तुलना में कम शेष राशि दर्शाई गई**

(₹ लाख में)

**ज़िला परिषद्**

क्रमांक	ज़िला परिषद् का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	हमीरपुर	63.51	77.48	13.97
2.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2,225.17	3,192.79	967.62
<b>योग (i)</b>		<b>2,288.68</b>	<b>3,270.27</b>	<b>981.59</b>

**ग्राम पंचायतें**

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	ज़िला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	32.28	32.65	0.37
2.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	6.51	16.78	10.27
<b>योग (ii)</b>				<b>38.79</b>	<b>49.43</b>	<b>10.64</b>
<b>सकल योग (i) तथा (ii)</b>				<b>2,327.47</b>	<b>3,319.70</b>	<b>992.23</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**2. ऐसे मामले जहां बैंक पासबुक में रोकड़ बही की तुलना में अधिक शेष राशि दर्शाई गई**

(₹ लाख में)

**ज़िला परिषद्**

क्रमांक	ज़िला परिषद् का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	हमीरपुर	299.61	167.87	131.74
2.	शिमला	772.94	484.95	287.99
<b>योग (i)</b>		<b>1,072.55</b>	<b>652.82</b>	<b>419.73</b>

### पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	181.47	172.29	9.18
2.	लम्बागांव	कांगड़ा	107.01	83.53	23.48
3.	इंदौरा	कांगड़ा	352.61	337.19	15.42
4.	फतेहपुर	कांगड़ा	166.54	145.10	21.44
5.	ठियोग	शिमला	109.64	108.51	01.13
योग (ii)			917.27	846.62	70.65

### ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 31 मार्च 2018	अंतर
1.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	18.26	0	18.26
2.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	24.52	0	24.52
3.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	17.72	0	17.72
4.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	8.66	0	8.66
5.	चडौली	चौपाल	शिमला	43.22	0	43.22
6.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	39.35	0	39.35
7.	बावत	चौपाल	शिमला	39.75	0	39.75
8.	किरण	चौपाल	शिमला	42.91	0	42.91
9.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	8.14	0	8.14
10.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	17.85	6.58	11.27
11.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	17.32	0	17.32
12.	खाबल	छोहारा	शिमला	05.27	0	05.27
13.	मंझोली	चौपाल	शिमला	50.48	0	50.48
14.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	28.95	0	28.95
15.	क्यार	जुब्बल कोटखाई	शिमला	38.15	0	38.15
16.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	12.44	0	12.44
17.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	27.00	0	27.00
18.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	25.12	0	25.12
19.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	06.25	0	06.25
20.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला	15.68	0	15.68
21.	जगोठी	रोहडू	शिमला	16.87	0	16.87
22.	कटलाह	रोहडू	शिमला	14.12	0	14.12
23.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला	17.61	0	17.61

24.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	11.68	0	11.68
25.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	16.39	0	16.39
26.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	20.84	0	20.84
27.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	24.74	0	24.74
28.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	16.79	0	16.79
29.	शिंगला	रामपुर	शिमला	22.14	0	22.14
30.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	33.03	0	33.03
31.	सरपारा	रामपुर	शिमला	24.74	0	24.74
32.	नीरथ	रामपुर	शिमला	15.34	0	15.34
33.	देवठी	रामपुर	शिमला	15.89	0	15.89
34.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	16.58	0	16.58
35.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	13.57	0	13.57
36.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	22.42	0	22.42
37.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	20.02	0	20.02
38.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	17.85	0	17.85
39.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	32.79	0	32.79
40.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	13.88	0	13.88
41.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	39.72	0	39.72
42.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा	7.18	0.01	7.17
43.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा	15.21	0	15.21
44.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	24.08	22.82	01.26
45.	कलुण्ड	भवारना	कांगड़ा	20.51	0	20.51
46.	सद्दू बडगां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	5.99	0	5.99
47.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	18.13	0	18.13
48.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	19.94	0	19.94
49.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	0.90	0	0.90
50.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	20.69	0	20.69
51.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	26.03	0	26.03
52.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	9.10	0.01	9.09
53.	घरोह	रैत	कांगड़ा	8.84	0	8.84
54.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	8.41	0	8.41
55.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	23.96	0	23.96
56.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	13.18	0	13.18
57.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	12.97	0	12.97
58.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा	18.56	18.52	0.04
59.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा	04.03	0.01	04.02
60.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	7.44	0	7.44
61.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	11.53	0	11.53
62.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	12.70	0	12.70

63.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	09.09	0	09.09
64.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	13.83	0	13.83
<b>योग (iii)</b>				<b>1,226.35</b>	<b>47.95</b>	<b>1,178.40</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>				<b>3,216.17</b>	<b>1,547.40</b>	<b>1,668.78</b>

**रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के मध्य अंतर का सारांश**

(₹ लाख में)

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही व बैंक पासबुक में अंतर
1.	जिला परिषद्	3	1,401.32
2.	पंचायत समिति	5	70.65
3.	ग्राम पंचायत	65	1,189.04
<b>योग</b>		<b>73</b>	<b>2,661.01</b>

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।



## परिशिष्ट-8

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.6(ii); पृष्ठ 22)

खाता 'क' में शराब उपकर जमा न करना

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	शराब उपकर की राशि
1.	देवठी	रामपुर	शिमला	0.29
2.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	3.37
3.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	0.59
4.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	0.49
5.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	0.57
6.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.35
7.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2.94
8.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	1.27
9.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.88
10.	शिगला	रामपुर	शिमला	1.51
<b>योग</b>				<b>12.26</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूर्ति किये गए आंकड़ें।

**परिशिष्ट-9**

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.9; पृष्ठ 23)

**2017-18 के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री का लेखांकन न करने का विवरण**

**ग्राम पंचायतें**

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	कोहिला	आनी	कुल्लू	2014-17	4.96
2.	पोखरी	आनी	कुल्लू	2011-16	2.73
3.	फनौटी	आनी	कुल्लू	2011-14	3.36
4.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	2012-14	2.15
5.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	2012-17	9.43
6.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू	2012-14	2.99
7.	नोर	निरमंड	कुल्लू	2012-14	2.32
8.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	2015-17	4.07
9.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	2012-14	5.63
10.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	2012-14	3.08
11.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	2015-16	0.11
12.	दारपा	गोपालपुर	मंडी	2017	2.91
<b>योग</b>					<b>43.74</b>

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।

## परिशिष्ट-10

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.10; पृष्ठ 24)

## भौतिक सत्यापन न करना

2017-18			
क्रमांक	पंचायत समिति का नाम		जिले का नाम
1.	चौतड़ा		मंडी
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	शिरड	नगगर	कुल्लू
2.	सराहन	निरमंड	कुल्लू
3.	पंनगा	नगगर	कुल्लू
4.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू
5.	नोर	निरमंड	कुल्लू
6.	कराडसू	नगगर	कुल्लू
7.	तुन्न	निरमंड	कुल्लू
8.	कोट	निरमंड	कुल्लू
9.	मंडलगढ़	नगगर	कुल्लू
10.	देवगढ़	नगगर	कुल्लू
11.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन

2018-19			
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा
2.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
3.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा
4.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
5.	सद् बडगां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा
6.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा
7.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा
8.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
9.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा
10.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा
11.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा
12.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा
13.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा
14.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा
15.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
16.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा

17.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा
18.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा
19.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा
20.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा
21.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा
22.	खेरा	सुलाह	कांगड़ा
23.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा
24.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा
25.	बंडी	रैत	कांगड़ा
26.	घरोह	रैत	कांगड़ा
27.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा
28.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा
29.	घूण्ड	ठियोग	शिमला
30.	ददास	ठियोग	शिमला
31.	कुठार	ठियोग	शिमला
32.	घोइना	ठियोग	शिमला
33.	बगैण	ठियोग	शिमला
34.	क्यार	ठियोग	शिमला
35.	सिंहल	नारकंडा	शिमला
36.	करेवथी	नारकंडा	शिमला
37.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला
38.	ढली	मशोबरा	शिमला
39.	भलोह	मशोबरा	शिमला
40.	जुंगा	मशोबरा	शिमला
41.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला
42.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पति
43.	बरबोग	लाहौल	लाहौल-स्पति
44.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पति
45.	खंगसर	लाहौल	लाहौल-स्पति
46.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पति
47.	गोधला	लाहौल	लाहौल-स्पति

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

## परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 25)

संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवास कर की वसूली न करने का विवरण

(₹ लाख में)

2017-18				
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	राशि
1.	नोर	निरमंड	कुल्लू	0.39
2.	कोट	निरमंड	कुल्लू	0.61
3.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	0.40
4.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	0.27
5.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	0.46
6.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	0.15
7.	शिरड	नग्गर	कुल्लू	0.09
8.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	0.15
9.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू	0.28
10.	पोखरी	आनी	कुल्लू	0.59
11.	फनौटी	आनी	कुल्लू	0.41
12.	कोहिला	आनी	कुल्लू	0.66
13.	कराणा	आनी	कुल्लू	0.29
14.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	0.64
15.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	0.62
16.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	0.42
17.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन	0.23
18.	नालकां	धर्मपुर	सोलन	0.25
19.	गोयला	धर्मपुर	सोलन	0.83
20.	चम्मों	धर्मपुर	सोलन	0.15
21.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी	0.15
22.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी	0.20
23.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	0.43
24.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी	0.33
25.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	0.28
26.	जमणी	गोपालपुर	मंडी	0.85
27.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी	0.16
28.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी	0.58
29.	दारपा	गोपालपुर	मंडी	0.35
30.	पिपली	चौतड़ा	मंडी	0.63
31.	ऐहजू	चौतड़ा	मंडी	0.53
32.	सैन्थल पडैन	चौतड़ा	मंडी	0.02
33.	गलू	चौतड़ा	मंडी	0.42

34.	ऊटपुर	चौतडा	मंडी	0.79
35.	तान्दी	गोहर	मंडी	0.54
36.	कुटाहची	गोहर	मंडी	0.30
37.	तुन्ना	गोहर	मंडी	0.59
38.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	0.26
39.	नौण	गोहर	मंडी	0.66
<b>योग</b>				<b>15.96</b>
<b>2018-19</b>				
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	राशि
1.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	0.22
2.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	0.06
3.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	0.58
4.	क्यार	जुब्बल कोटखाई	शिमला	1.45
5.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.85
6.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.03
7.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.35
8.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.24
9.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.35
10.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	0.10
11.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	0.28
12.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	0.15
13.	ढली	मशोबरा	शिमला	0.32
14.	घोड़ना	ठियोग	शिमला	2.03
15.	कुठार	ठियोग	शिमला	1.22
16.	ददास	ठियोग	शिमला	0.20
17.	बगैण	ठियोग	शिमला	0.77
18.	क्यार	ठियोग	शिमला	0.53
19.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	1.36
20.	मझोली	चौपाल	शिमला	0.94
21.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	0.39
22.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	0.84
23.	सरपारा	रामपुर	शिमला	1.16
24.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	0.73
25.	देवठी	रामपुर	शिमला	1.16
26.	नीरथ	रामपुर	शिमला	0.41
27.	शिंगला	रामपुर	शिमला	0.67
28.	बावत	चौपाल	शिमला	0.52

29.	किरण	चौपाल	शिमला	0.49
30.	चडौली	चौपाल	शिमला	0.56
31.	खाबल	छोहारा	शिमला	0.24
32.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	0.94
33.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	0.56
34.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	1.11
35.	खंगटेड़ी	रोहडू	शिमला	0.07
36.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला	0.06
37.	जगोठी	रोहडू	शिमला	0.07
38.	खमाडी	ननखडी	शिमला	0.31
39.	मझोली टिप्पर	ननखडी	शिमला	0.44
40.	खमाडी	ननखडी	शिमला	0.31
41.	बैंश(पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	0.15
42.	चेबडी	बसंतपुर	शिमला	0.44
43.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	0.03
44.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	0.01
45.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	0.57
46.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	0.16
47.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.47
48.	झकलेड	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.05
49.	खुण्डिया	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	0.19
50.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	0.68
51.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	0.06
52.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	0.05
53.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	0.14
54.	सद् बड्ग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	0.94
55.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	0.86
56.	उसतेहड	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	0.52
57.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	0.48
58.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	0.78
59.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	1.06
60.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	0.23
61.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	0.27
62.	ढुगियारी	रैंत	कांगड़ा	0.22
63.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	0.45
64.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	0.03
65.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	0.09

66.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	0.27
67.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा	0.66
68.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा	1.81
69.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	0.38
70.	मकड़ौली	इंदौरा	कांगड़ा	0.22
71.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा	0.49
72.	भूपू	इंदौरा	कांगड़ा	0.15
73.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.07
74.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा	0.81
75.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	1.81
76.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	0.08
77.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा	0.03
78.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	0.06
79.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	0.04
80.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	0.42
81.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	0.23
82.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	0.31
83.	गाहढ़	भवारना	कांगड़ा	0.21
84.	खंगसर	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.43
85.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.12
86.	गौंधला	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.12
87.	खुरीक	स्पति	लाहौल-स्पति	0.06
88.	लालूंग	स्पति	लाहौल-स्पति	0.13
89.	डेमुल	स्पति	लाहौल-स्पति	0.07
90.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.22
91.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.95
92.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.20
93.	कारदंग	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.04
94.	बरबोग	लाहौल	लाहौल-स्पति	0.32
<b>योग</b>				<b>42.67</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाई द्वारा आपूरित आंकड़ें।



## परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.2; पृष्ठ 25)

## दुकानों के बकाया किराए का विवरण

(₹ लाख में)

2017-18						
ज़िला परिषद्						
क्रमांक	ज़िला परिषद् का नाम	अवधि			दुकानों की संख्या	राशि
1.	कुल्लू	05/2017 से 07/2017			3	0.17
2.	मंडी	2016-17			8	7.69
योग (i)					11	7.86
पंचायत समिति						
क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	ज़िला	अवधि		दुकानों की संख्या	राशि
1.	आनी	कुल्लू	2013-17		4	0.16
योग (ii)					4	0.16
ग्राम पंचायतें						
क्रमांक	ग्राम पंचायतों के नाम	खण्ड का नाम	ज़िले का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	2015-17	4	0.36
2.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	2013 -17	1	0.91
3.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	---	--	0.65
4.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी	2014-17	5	0.05
योग (iii)					10	1.97
सकल योग (i), (ii) तथा (iii)					25	9.99

2018-19

(₹ लाख में)

ज़िला परिषद्

क्रमांक	ज़िला परिषद् का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2014-18	01	01.83
<b>योग (i)</b>			<b>01</b>	<b>01.83</b>

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतों के नाम	खण्ड का नाम	ज़िले का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	खंगटेडी	रोहड़ू	शिमला	2016-18	06	0.07
2.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	2008-18	04	1.24
3.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	2009-18	02	4.11
4.	शिंगला	रामपुर	शिमला	2017-18	03	0.12
5.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2006-18	02	0.13
6.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	2014-18	14	1.24
7.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	2016-18	05	0.46
8.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	-----	05	0.42
9.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-18	03	0.19
<b>योग (ii)</b>					<b>44</b>	<b>07.98</b>
<b>सकल योग (i) तथा (ii)</b>					<b>45</b>	<b>09.81</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

## परिशिष्ट-13

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.3; पृष्ठ 26)

ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना/ नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न होने का विवरण

2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	टावरों की संख्या	स्थापना वर्ष	राशि
1.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	1	--	0.10
2.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	6	2014-15	0.24
3.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	1	2010-11	0.14
4.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	1	2013-14	0.08
5.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	1	2014-15	0.06
6.	धनालग	गोपालपुर	मंडी	2	2009-13	0.30
7.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	1	--	0.08
8.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	3	2005-07	0.94
9.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	2	2010-11	0.13
10.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	1	2009	0.22
11.	टकारसी	आनी	कुल्लू	2	2010-15	0.15
12.	कराणा	आनी	कुल्लू	1	2004	0.34
योग				22	2004-15	2.78

2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	टावरों की संख्या	स्थापना वर्ष	राशि
1.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	02	2016-18	0.23
2.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	02	2013-18	0.24
3.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	01	2009-18	0.18
4.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	-	2013-18	0.03
5.	देवठी	रामपुर	शिमला	01	2017-18	0.08
6.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	02	2008-18	0.38
7.	सरपारा	रामपुर	शिमला	01	2008-18	0.32
8.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	01	2008-18	0.28
9.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	02	2012-18	0.30
10.	पुजारली(बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	03	2008-18	0.42
11.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	01	2017-18	0.22
12.	ददास	ठियोग	शिमला	04	2009-18	0.20
13.	घोड़ना	ठियोग	शिमला	01	2010-18	0.18
14.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	04	2005-18	0.28

15.	कुठार	ठियोग	शिमला	01	2013-18	0.08
16.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	-	2016-18	0.05
17.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	-	2015-17	0.04
18.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	01	2012-18	0.16
19.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	01	2016-18	0.03
20.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	03	2009-17	0.58
21.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	01	2008-18	0.64
22.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	01	2010-18	0.54
23.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	01	2008-18	0.09
24.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	02	2005-18	0.71
25.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	01	2012-18	0.17
26.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	07	2010-18	1.18
27.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	01	2014-18	0.07
28.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	03	2009-18	0.75
29.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	02	2001-18	0.74
30.	ममूंह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	02	2009-18	0.42
31.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	01	2014-18	0.10
32.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा	01	2013-18	0.15
33.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	02	2013-18	0.18
34.	खुरीक	स्पिति	लाहौल-स्पिति	01	2008-18	0.27
35.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पिति	01	2008-09	0.22
36.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पिति	01	2008-18	0.22
<b>योग</b>				<b>59</b>		<b>10.73</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

## परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.4; पृष्ठ 27)

टी.डी.एस. की कटौती न करना

(राशि ₹ में)

2017-18					
क्रमांक	जिला परिषद् का नाम			भुगतान की गई राशि	कटौती हेतु अपेक्षित टी.डी.एस @ 2%
1.	सोलन			10,05,918	20,118
योग (i)				1,005,918	20,118
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	भुगतान की गई राशि	कटौती हेतु अपेक्षित टी.डी.एस @ 2%
1.	पोखरी	आनी	कुल्लू	6,90,000	13,800
2.	कराणा	आनी	कुल्लू	98,000	1,960
3.	टकारसी	आनी	कुल्लू	2,18,000	4,360
4.	फनौटी	आनी	कुल्लू	6,32,000	12,640
5.	नोर	निरमंड	कुल्लू	1,62,000	3,240
6.	तुन्नन	निरमंड	कुल्लू	6,54,050	13,081
7.	कोट	निरमंड	कुल्लू	2,03,750	4,075
योग(ii)				26,57,800	53,156
सकल योग (i) व (ii)				36,63,718	73,274

2018-19					
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	भुगतान की गई राशि	कटौती हेतु अपेक्षित टी.डी.एस (@ 1% या 2%)
1.	नालदेहरा	मशोबरा	शिमला	5,11,550	10,231
2.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	14,31,000	14,310
3.	चडौली	चौपाल	शिमला	6,71,600	13,432
4.	देवठी	रामपुर	शिमला	13,05,300	13,053
5.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	7,16,150	7,162
6.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	13,04,742	13,047
7.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	2,00,000	2,000
8.	खमाडी	ननखड़ी	शिमला	2,48,500	4,970
9.	खाबल	छोहारा	शिमला	2,53,100	2,531
10.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	65,000	13,00
योग				67,06,942	82,036
कुल टी.डी.एस (2017-18 व 2018-19) - ₹1,55,310					

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-15(i)**

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 27)

**विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रारंभ न करने के कारण निधियों का अवरोधन  
2017-18**

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	नालकां	सोलन	2016-17	2	2.54	--	2.54
2.	जाडला	सोलन	2016-17	3	4.00	--	4.00
3.	गोयला	सोलन	2015-16	1	0.50	--	0.50
4.	भावगुढी	सोलन	2016-17	5	8.00	--	8.00
5.	सकोड़ी	सोलन	2016-17	3	6.48	--	6.48
6.	सैन्थल पडैन	मंडी	2013-14	2	1.50	--	1.50
7.	कराणा	कुल्लू	2015-16	3	3.00	--	3.00
<b>योग</b>				<b>19</b>	<b>26.02</b>	<b>-</b>	<b>26.02</b>

**परिशिष्ट-15 (ii)**

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 28)

**विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रारंभ न करने के कारण निधियों का अवरोधन  
2018-19**

(₹ लाख में)

पंचायत समिति							
क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	रोहडू	शिमला	2017-19	18	10.25	-	10.25
<b>योग (i)</b>				<b>18</b>	<b>10.25</b>	<b>-</b>	<b>10.25</b>
ग्राम पंचायतें							
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	शिंगला	शिमला	2011-12	01	1.0	-	1.00
2.	खमाडी	शिमला	2012-13	01	1.29	-	1.29
3.	बैंश (पिपलीधार)	शिमला	2013-16	02	1.30	-	1.30
4.	खाबल	शिमला	2015-17	02	1.35	-	1.35
5.	मोगडा	शिमला	2015-16	01	0.77	-	0.77
6.	रामनगर	शिमला	2017-18	01	5.00	-	5.00
7.	मझोली टिप्पर	शिमला	2013-17	02	02.49	-	2.49
8.	पुजारली (बियुलिया)	शिमला	2009-18	07	5.39	-	5.39

9.	चेबडी	शिमला	2016-17	01	2.0	-	2.0
10.	जयपीडी माता	शिमला	2016-18	02	01.50	-	1.50
11.	मलैण्डी	शिमला	2016-17	01	1.0	-	1.0
12.	सरपारा	शिमला	2014-15	01	1.0	-	1.0
13.	जुंगा	शिमला	2009-18	13	11.77	-	11.77
14.	पुजारली-3	शिमला	2017-18	04	3.00	-	3.00
15.	भलोह	शिमला	2007-11	01	0.63	-	0.63
16.	नालदेहरा	शिमला	2009-18	07	05.38	-	5.38
17.	दीउदीमा	शिमला	2016-17	01	0.59	-	0.59
18.	घोड़ना	शिमला	2012-18	07	06.50	-	6.50
19.	करेवथी	शिमला	2016-17	01	01.47	-	1.47
20.	गोरली मडोग	शिमला	2015-18	03	02.50	-	2.50
21.	क्यार	शिमला	2012-18	06	07.00	-	7.00
22.	चडौली	शिमला	2015-16	01	0.39	-	0.39
23.	किरण	शिमला	2015-18	03	0.84	-	0.84
24.	देवठी	शिमला	2014-17	04	04.50	-	4.50
25.	झकलेड़	कांगड़ा	2017-18	01	2.50	-	2.50
26.	नरेना	कांगड़ा	2016-17	01	0.30	-	0.30
27.	जांगल	कांगड़ा	2016-17	01	1.50	-	1.50
28.	बढ़ल	कांगड़ा	2017-19	04	03.42	-	3.42
29.	गंगोट	कांगड़ा	2016-17	01	02.00	-	2.00
30.	ककडै	कांगड़ा	2017-18	01	5.00	-	5.00
31.	सद् बडग्रां	कांगड़ा	2013-14	01	0.60	-	0.60
32.	खैरा	कांगड़ा	2017-18	02	04.50	-	4.50
33.	मंदल	कांगड़ा	2015-18	05	08.50	-	8.50
34.	बलोर	कांगड़ा	2016-17	01	2.0	-	2.0
35.	भपू	कांगड़ा	2017-18	01	0.40	-	0.40
36.	बलोल	कांगड़ा	2016-17	01	0.70	-	0.70
37.	सलिहार	कांगड़ा	2017-18	01	0.80	-	0.80
<b>योग (ii)</b>				<b>94</b>	<b>100.88</b>	<b>-</b>	<b>100.88</b>
<b>सकल योग (i) व (ii)</b>				<b>112</b>	<b>111.13</b>	<b>-</b>	<b>111.13</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-16(i)**

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 29)

**विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने के कारण निधियों का अवरोधन  
2017-18**

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	निरमंड	कुल्लू	2016-17	10.00	29.00	12.60	16.40
<b>योग</b>				<b>10.00</b>	<b>29.00</b>	<b>12.60</b>	<b>16.40</b>
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	हिन्नर	सोलन	2013-14	4	3.20	03.00	0.20
2.	चम्मों	सोलन	2011-15	14	21.45	15.15	6.30
3.	जाडला	सोलन	2014-16	6	12.75	4.97	7.78
4.	सायरी	सोलन	2011-17	14	23.84	11.12	12.72
5.	गोयला	सोलन	2014-17	25	20.32	7.96	12.36
6.	भावगुढी	सोलन	2013-16	19	28.40	11.96	16.44
7.	वाकनां	सोलन	2016-17	3	9.00	4.26	4.74
8.	नालकां	सोलन	2016-17	10	15.75	6.25	9.50
9.	सकोड़ी	सोलन	--	1	5.00	4.50	0.50
10.	बाशा	सोलन	2012-16	5	4.80	2.01	2.79
11.	कराडसू	कुल्लू	2015-16	2	6.00	4.25	1.75
12.	पोखरी	कुल्लू	2013-14	1	2.50	2.01	0.49
13.	मंडलगढ़	कुल्लू	2015-16	3	6.00	1.68	4.32
14.	शिरड	कुल्लू	2015-16	1	2.00	0.91	1.09
<b>योग</b>				<b>108</b>	<b>161.01</b>	<b>80.03</b>	<b>80.98</b>
<b>सकल योग (i) व (ii)</b>				<b>118</b>	<b>190.01</b>	<b>92.63</b>	<b>97.38</b>



## परिशिष्ट-16(ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 29)

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण न करने के कारण निधियों का अवरोधन

2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिले का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	डेमुल	लाहौल-स्पति	2016-17	02	11.00	01.69	09.31
2.	हल	लाहौल-स्पति	2016-17	01	0.50	0.25	0.25
3.	लांगजा	लाहौल-स्पति	2011-12	01	02.50	0.45	02.05
4.	चेबड़ी	शिमला	2015-17	03	03.50	01.66	01.84
5.	मझोली टिप्पर	शिमला	2012-18	09	16.49	07.06	09.43
6.	कांडा बनाह	शिमला	2016-17	01	03.00	0.90	02.10
7.	खमाडी	शिमला	2015-17	03	03.30	02.43	0.87
8.	पुजारली-3	शिमला	2014-15	01	01.00	0.50	0.50
9.	चलाहल	शिमला	2015-16	01	01.60	01.17	0.43
10.	शिंगला	शिमला	2015-17	04	11.90	11.48	0.42
11.	गोरली मडोग	शिमला	2011-18	05	05.00	02.28	02.72
12.	क्यार	शिमला	2007-08	01	05.00	01.00	04.00
13.	दत्तनगर	शिमला	2016-17	02	03.00	02.83	0.17
14.	देवठी	शिमला	2017-18	04	05.60	04.78	0.82
15.	नालदेहरा	शिमला	2016-18	05	10.00	06.00	04.00
16.	खंगटेडी	शिमला	2015-18	02	09.14	07.64	01.50
17.	किरण	शिमला	2013-18	10	13.25	04.29	08.96
18.	सरपारा	शिमला	2015-16	01	01.50	01.50	0
19.	नीरथ	शिमला	2016-17	02	12.65	06.91	05.74
20.	चडौली	शिमला	2014-17	02	05.50	01.00	04.50
21.	बढ़ल	कांगड़ा	2017-18	11	20.15	12.07	08.08
22.	गंगोट	कांगड़ा	2016-18	03	09.00	04.24	04.76
23.	खैरा	कांगड़ा	2017-18	01	03.00	01.87	01.13
24.	पोलिंग	कांगड़ा	2017-18	01	05.00	03.18	01.82
25.	डोल	कांगड़ा	2017-18	04	05.65	04.78	0.87

26.	चलबाड़ा-2	कांगड़ा	2016-18	02	02.65	01.62	01.03
27.	ककडै	कांगड़ा	2014-16	03	02.50	01.95	0.55
28.	बल्ला	कांगड़ा	2015-17	04	08.75	06.68	02.07
29.	मकड़ौली	कांगड़ा	2017-18	01	0.50	0.30	0.20
30.	दियाणा	कांगड़ा	2017-18	03	02.90	01.80	01.10
31.	मिलख	कांगड़ा	2017-18	02	01.20	0.27	0.93
32.	सलिहार	कांगड़ा	2015-16	01	0.45	0.12	0.33
33.	नरेना	कांगड़ा	2017-18	02	07.90	07.39	0.51
34.	गुरलधार	कांगड़ा	2017-18	01	0.80	00	0.80
35.	हटवास	कांगड़ा	2017-18	02	0.70	0.25	0.45
36.	कोठी	कांगड़ा	2011-12	01	01.50	0.90	0.60
37.	कोटलू	कांगड़ा	2014-18	05	04.90	03.10	01.80
38.	कड़ोआ	कांगड़ा	2014-18	06	06.40	03.63	02.77
39.	रैहन	कांगड़ा	2017-18	02	01.90	01.33	0.57
40.	सद्दू बडग्रां	कांगड़ा	2014-15	01	10.00	06.50	03.50
41.	लादोह	कांगड़ा	2013-14	01	0.40	0.20	0.20
42.	उसतेहड़	कांगड़ा	2014-17	02	03.75	02.27	01.48
43.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	2017-18	01	0.50	0.28	0.22
44.	स्वाड	कांगड़ा	2017-18	01	08.00	05.16	02.84
<b>योग</b>				<b>121</b>	<b>233.93</b>	<b>135.70</b>	<b>98.23</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

## परिशिष्ट-17

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 30)

## 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण

पंचायत समिति

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी की गई निधियां	शेष राशि
1.	कंडाघाट	सोलन	2014-15	3	11.43	9.60	1.83
2.	गोपालपुर	मंडी	2014-16	52	17.36	12.24	5.12
3.	गोहर	मंडी	2012-17	38	18.59	12.53	6.06
4.	निरमंड	कुल्लू	2014-15	5	12.45	6.20	6.25
5.	नग्गर	कुल्लू	2015-16	30	47.80	16.81	30.99
योग				128	107.63	57.38	50.25

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।

**परिशिष्ट-18 (i)**

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 32)

**अपूर्ण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण**

**2017-18**

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	सायरी	कंडाघाट	सोलन	2015-17	13.96	1.77	12.19
2.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	2015-17	20.75	0.16	20.59
3.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	2015-17	18.62	0.75	17.87
4.	शिरड	नग्गर	कुल्लू	2015-17	15.80	6.74	9.06
5.	देवगढ़	नग्गर	कुल्लू	2016-17	18.68	6.04	12.64
6.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	2015-17	23.65	2.83	20.82
7.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	2015-17	31.19	0.58	30.61
8.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	2015-17	24.68	10.08	14.60
9.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	2015-17	14.22	3.69	10.53
10.	नोर	निरमंड	कुल्लू	2015-16	11.21	4.40	6.81
11.	कोट	निरमंड	कुल्लू	2015-17	24.28	9.39	14.89
12.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	2015-17	15.49	2.67	12.82
13.	टकारसी	आनी	कुल्लू	2015-17	13.09	4.52	8.57
14.	पोखरी	आनी	कुल्लू	2015-17	11.21	6.50	4.71
15.	कराणा	आनी	कुल्लू	2015-17	19.55	13.45	6.10
16.	तुन्ना	गोहर	मंडी	2015-17	13.23	5.82	7.41
17.	कुटाहची	गोहर	मंडी	2015-17	11.65	10.05	1.60
18.	नौण	गोहर	मंडी	2015-17	17.98	4.25	13.73
19.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	2015-17	14.73	4.37	10.36
20.	तान्दी	गोहर	मंडी	2015-17	12.79	2.19	10.60
21.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	19.73	3.13	16.60
22.	खिलड़ा	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	15.84	7.55	8.29
23.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	14.60	0.18	14.42
24.	बन्दली	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	17.23	15.98	1.25
25.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	2015-17	16.33	6.77	9.56
26.	ऐहजू	चौतड़ा	मंडी	2016-17	18.42	3.25	15.17
27.	ऊटपुर	चौतड़ा	मंडी	2016-17	17.66	2.95	14.71
28.	गलू	चौतड़ा	मंडी	2016-17	13.11	3.23	9.88
<b>योग</b>					<b>479.68</b>	<b>143.29</b>	<b>336.39</b>

## परिशिष्ट-18 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 33)

अपूर्ण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण  
2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	2015-18	50.36	16.24	34.12
2.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	2015-18	14.99	4.57	10.42
3.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	2015-18	27.53	12.01	15.52
4.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	32.36	22.04	10.32
5.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	15.60	09.61	05.99
6.	चलबाड़ा-2	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	15.95	10.96	04.99
7.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-18	60.94	30.42	30.52
8.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	2015-18	17.72	14.27	03.45
9.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	2015-18	36.09	26.78	09.31
10.	बलोर	इंदौरा	कांगड़ा	2015-18	21.12	15.74	05.38
11.	झकलेड़	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2015-18	15.45	06.95	08.50
12.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2015-18	24.86	21.80	03.06
13.	सलिहार	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2015-18	18.10	13.84	04.26
14.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	2015-18	37.56	22.98	14.58
15.	सद्दू बडग्रां	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	2015-18	15.65	09.64	06.01
16.	ममूंह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	2015-18	38.69	29.98	08.71
17.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	2015-18	18.18	05.16	13.02
18.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	2015-18	35.47	27.06	08.41
19.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	2015-18	25.85	07.52	18.33
20.	ककड़ै	सुलाह	कांगड़ा	2015-18	22.59	21.68	0.91
21.	घरोह	रैत	कांगड़ा	2015-18	41.49	29.43	12.06
22.	बंडी	रैत	कांगड़ा	2015-18	17.15	14.24	02.91
23.	ढुगियारी	रैत	कांगड़ा	2015-18	16.95	07.42	09.53
24.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा	----	14.66	04.13	10.53
25.	डोल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-18	33.16	10.69	22.47
26.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-18	24.27	04.32	19.95
27.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-18	32.01	08.47	23.54
28.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	2016-18	10.97	10.65	0.32
29.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	2015-18	25.72	13.57	12.15
30.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	2015-18	38.20	17.11	21.09

31.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	----	28.76	04.19	24.57
32.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	----	18.31	04.70	13.61
33.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा	----	14.55	03.62	10.93
34.	बढल	प्रागपुर	कांगड़ा	2015-18	41.17	10.37	30.80
35.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	2015-18	16.04	05.72	10.32
36.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	2015-18	12.74	05.95	06.79
37.	खुरीक	स्पिति	लाहौल- स्पिति	2016-17	03.96	02.79	01.17
38.	फारियां	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2016-17	0.75	0.40	0.35
39.	किरण	चौपाल	शिमला	2016-17	09.00	06.29	02.71
40.	बढल	प्रागपुर	कांगड़ा	2017-18	06.10	02.36	03.74
41.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	2017-18	04.00	02.42	01.58
42.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला	2016-18	22.69	17.16	05.53
43.	हल	स्पिति	लाहौल- स्पिति	2016-17	01.94	0.43	01.51
44.	लांगजा	स्पिति	लाहौल- स्पिति	2016-17	02.64	01.74	0.90
45.	मकडोली	इंदौरा	कांगड़ा	2017-18	01.48	0.92	0.56
46.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	2017-18	0.60	0.04	0.56
47.	नरेना	फतेहपुर	कांगड़ा	2017-18	05.00	04.91	0.09
48.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला	2015-18	25.73	16.90	08.83
49.	कोटलू	लम्बागांव	कांगड़ा	2016-17	03.00	0.28	02.72
50.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	2016-18	05.80	03.79	02.01
<b>योग</b>					<b>1,023.90</b>	<b>544.26</b>	<b>479.64</b>

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।

## परिशिष्ट-19 (i)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 33)

कार्य प्रारंभ न करने के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण  
2017-18

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	2015-17	7.27	--	7.27
2.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	2016-17	6.71	--	6.71
3.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	2015-17	23.95	--	23.95
योग					37.93	--	37.93

## परिशिष्ट-19 (ii)

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 33)

कार्य प्रारंभ न करने के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों के अवरोधन का विवरण  
2018-19

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत के नाम	खंड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	खुण्डियां	देहरा गोपीपुर	कांगड़ा	2016-18	02.50	00	02.50
2.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	2017-18	07.80	00	07.80
3.	लांगजा	स्पति	लाहौल-स्पति	2016-17	0.76	00	0.76
4.	हल	स्पति	लाहौल-स्पति	2016-17	03.00	00	03.00
5.	डेमुल	स्पति	लाहौल-स्पति	2016-17	16.51	00	16.51
6.	जांगल	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2016-18	05.30	00	05.30
7.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	2015-16	01.25	00	01.25
योग					37.12	00	37.12

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-20**

(संदर्भ परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 34)

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अप्रयुक्त रहे निधियों का विवरण**

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	प्राप्ति	व्यय	शेष राशि
1.	नौण	गोहर	मंडी	0.19	0.13	0.06
2.	कुटाहची	गोहर	मंडी	0.10	0.01	0.09
3.	तान्दी	गोहर	मंडी	0.15	-	0.15
4.	तुन्ना	गोहर	मंडी	0.15	-	0.15
5.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	0.34	-	0.34
6.	सैन्थल पडैन	चौतड़ा	मंडी	0.20	0.04	0.16
7.	गलू	चौतड़ा	मंडी	0.10	-	0.10
8.	ऊंटपुर	चौतड़ा	मंडी	0.20	-	0.20
9.	ऐहजू	चौतड़ा	मंडी	0.20	-	0.20
10.	बरच्छवाड़	गोपालपुर	मंडी	0.10	-	0.10
11.	जमणी	गोपालपुर	मंडी	0.20	-	0.20
12.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	0.15	-	0.15
13.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	0.14	-	0.14
14.	कराणा	आनी	कुल्लू	0.20	-	0.20
15.	कोहिला	आनी	कुल्लू	0.10	-	0.10
16.	पोखरी	आनी	कुल्लू	0.20	-	0.20
17.	टकारसी	आनी	कुल्लू	0.25	-	0.25
18.	फनौटी	आनी	कुल्लू	0.10	-	0.10
19.	शिरड़	नग्गर	कुल्लू	0.20	-	0.20
20.	पंनगा	नग्गर	कुल्लू	0.20	-	0.20
21.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	0.10	-	0.10
22.	मंडलगढ़	नग्गर	कुल्लू	0.10	-	0.10
23.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
24.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
25.	नोर	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
26.	तुनन	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
27.	कोट	निरमंड	कुल्लू	0.10	-	0.10
<b>योग</b>				<b>4.17</b>	<b>0.18</b>	<b>3.99</b>

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़े।



## परिशिष्ट-21

(संदर्भ परिच्छेद 2.6; पृष्ठ 34)

मनरेगा योजना के तहत भुगतान जारी करने में विलम्ब का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत के नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	अवधि	विलंबित दिन	राशि
1.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	-	24 से 120	04.13
2.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	2014-17	16 से 123	09.17
3.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	2013-18	16 से 75	01.79
4.	बंडी	रैंत	कांगड़ा	2013-18	17 से 217	01.15
5.	ढुगियारी	रैंत	कांगड़ा	2013-18	17 से 82	11.70
6.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	2013-18	16 से 122	01.00
7.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	2013-18	19 से 105	02.30
8.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	2013-14	18 से 52	05.42
9.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-14	20 से 44	01.21
10.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-18	19 से 90	03.90
11.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	2013-18	18 से 82	03.88
12.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	2015-18	15 से 64	03.21
13.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	2015-18	20 से 66	03.63
14.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	2012-14	66 से 518	04.62
<b>योग</b>						<b>57.11</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-22**

(संदर्भ परिच्छेद 2.10; पृष्ठ 40)

**सामग्री की अनियमित खरीद**

**2017-18**

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम		राशि	
1.	मंडी		1.05	
<b>योग (i)</b>			<b>1.05</b>	
क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	राशि	
1.	गोहर	मंडी	0.42	
2.	कंडाघाट	सोलन	11.40	
<b>योग (ii)</b>			<b>11.82</b>	
क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खंड	जिला	राशि
1.	बाशा	कंडाघाट	सोलन	08.48
2.	सकोड़ी	कंडाघाट	सोलन	13.32
3.	वाकनां	कंडाघाट	सोलन	03.14
4.	सायरीं	कंडाघाट	सोलन	08.74
5.	हिन्नर	कंडाघाट	सोलन	24.65
6.	गोयला	धर्मपुर	सोलन	04.26
7.	चम्मों	धर्मपुर	सोलन	09.73
8.	नालकां	धर्मपुर	सोलन	14.99
9.	भावगुढी	धर्मपुर	सोलन	23.73
10.	जाडला	धर्मपुर	सोलन	04.62
11.	कोहिला	आनी	कुल्लू	5.05
12.	फनौटी	आनी	कुल्लू	03.56
13.	पोखरी	आनी	कुल्लू	04.31
14.	टकारसी	आनी	कुल्लू	01.18
15.	कराणा	आनी	कुल्लू	01.02
16.	कोट	निरमंड	कुल्लू	5.87
17.	तुन्न	निरमंड	कुल्लू	03.06
18.	सराहन	निरमंड	कुल्लू	01.95
19.	निरमंड	निरमंड	कुल्लू	03.79
20.	कराडसू	नग्गर	कुल्लू	02.15
21.	तुन्ना	गोहर	मंडी	0.90
22.	तान्दी	गोहर	मंडी	1.65
23.	कुटाहची	गोहर	मंडी	2.87
24.	कोटला खनोला	गोहर	मंडी	2.29

25.	नौण	गोहर	मंडी	1.98
26.	जुगाहण	सुंदरनगर	मंडी	1.57
27.	कलौहड़	सुंदरनगर	मंडी	2.93
28.	खिलडा	सुंदरनगर	मंडी	2.57
29.	धवाल	सुंदरनगर	मंडी	3.39
30.	सैन्थल पडैन	चौतड़ा	मंडी	0.57
31.	ऊटपुर	चौतड़ा	मंडी	1.34
32.	गलू	चौतड़ा	मंडी	1.65
33.	ऐहजू	चौतड़ा	मंडी	1.47
34.	पिपली	चौतड़ा	मंडी	1.55
35.	सुलपुर जबोठ	गोपालपुर	मंडी	0.39
<b>योग (iii)</b>				<b>174.72</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>				<b>187.59</b>

## 2018-19

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	राशि (₹ लाख में)
1.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	08.40
2.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	10.55
3.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	06.26
4.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	02.62
5.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	24.57
6.	घोड़ना	ठियोग	शिमला	16.21
7.	ददास	ठियोग	शिमला	33.50
8.	कुठार	ठियोग	शिमला	17.81
9.	पुजारली (बियुलिया)	मशोबरा	शिमला	20.27
10.	जुंगा	मशोबरा	शिमला	08.02
11.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	07.18
12.	क्यार	जुब्बल कोटखाई	शिमला	07.33
13.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला	08.29
14.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	10.12
15.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	07.78
16.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	09.51
17.	शिंगला	रामपुर	शिमला	05.89
18.	देवठी	रामपुर	शिमला	05.97
19.	नीरथ	रामपुर	शिमला	04.00
20.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	15.21
21.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला	09.50

22.	पुजारली-3	रोहड़ू	शिमला	16.37
23.	कटलाह	रोहड़ू	शिमला	08.88
24.	जगोठी	रोहड़ू	शिमला	04.20
25.	चलाहल	बसंतपुर	शिमला	03.62
26.	बैंश (पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	01.52
27.	चेबड़ी	बसंतपुर	शिमला	03.26
28.	मझोली टिप्पर	ननखड़ी	शिमला	04.88
29.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	03.75
30.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	05.15
31.	ढाकगांव	छोहारा	शिमला	01.71
32.	खाबल	छोहारा	शिमला	05.24
33.	गोरली मडोग	चौपाल	शिमला	07.14
34.	चडौली	चौपाल	शिमला	04.90
35.	किरण	चौपाल	शिमला	05.66
36.	बावत	चौपाल	शिमला	08.68
37.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	12.01
38.	मझोली	चौपाल	शिमला	03.01
39.	स्वाड	बैजनाथ	कांगड़ा	06.72
40.	पोलिंग	बैजनाथ	कांगड़ा	09.61
41.	कोठी	बैजनाथ	कांगड़ा	07.82
42.	लादोह	पंचरुखी	कांगड़ा	05.00
43.	वदेहड़	पंचरुखी	कांगड़ा	05.40
44.	गाहढ	भवारना	कांगड़ा	05.80
45.	कलुन्द	भवारना	कांगड़ा	03.66
46.	बल्ला	भवारना	कांगड़ा	06.47
47.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	05.70
48.	अप्पर ठेहरू	लम्बागांव	कांगड़ा	01.28
49.	खैरा	सुलाह	कांगड़ा	09.82
50.	ककडै	सुलाह	कांगड़ा	03.90
51.	बंडी	रैंत	कांगड़ा	03.80
52.	घरोह	रैंत	कांगड़ा	06.05
53.	ढुगियारी	रैंत	कांगड़ा	07.08
54.	खैरियां	नूरपुर	कांगड़ा	01.46
55.	मंमूह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	02.30
56.	मितख	नूरपुर	कांगड़ा	01.49
57.	बलीर	इंदौरा	कांगड़ा	06.11
58.	भपू	इंदौरा	कांगड़ा	02.63

59.	मकड़ोली	इंदौरा	कांगड़ा	01.51
60.	बढ़ल	प्रागपुर	कांगड़ा	10.67
61.	गुरलधार	प्रागपुर	कांगड़ा	07.00
62.	गंगोट	प्रागपुर	कांगड़ा	08.59
63.	कस्बा जागीर	प्रागपुर	कांगड़ा	06.29
64.	कडोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	09.38
65.	मंदल	धर्मशाला	कांगड़ा	07.61
66.	बरवाला	धर्मशाला	कांगड़ा	04.97
67.	सद् बडग्यां	नगरुटा बांगवां	कांगड़ा	02.75
68.	डोल	नगरुटा सूरियां	कांगड़ा	02.06
69.	झिकली इच्छी	कांगड़ा	कांगड़ा	03.46
70.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	02.61
71.	रैहन	फतेहपुर	कांगड़ा	04.53
72.	दियाणा	फतेहपुर	कांगड़ा	02.76
73.	खुरीक	स्पति	लाहौल-स्पति	13.57
74.	लालूंग	स्पति	लाहौल-स्पति	11.21
75.	लांगजा	स्पति	लाहौल-स्पति	07.22
76.	डेमुल	स्पति	लाहौल-स्पति	09.10
77.	हल	स्पति	लाहौल-स्पति	14.52
78.	कारदंग	लाहौल	लाहौल-स्पति	17.96
79.	दारचा	लाहौल	लाहौल-स्पति	23.46
80.	केलांग	लाहौल	लाहौल-स्पति	33.43
81.	बरबोग	लाहौल	लाहौल-स्पति	19.99
82.	गोंधला	लाहौल	लाहौल-स्पति	07.74
83.	मूलिंग	लाहौल	लाहौल-स्पति	04.80
84.	गोशाल	लाहौल	लाहौल-स्पति	08.56
<b>योग</b>				<b>686.82</b>
<b>सकल योग (2017-18 व 2018-19)</b>				<b>874.41</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-23**

(संदर्भ परिच्छेद 2.11; पृष्ठ 41)

**सरकारी धन का अनियमित भुगतान**

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	राशि
1.	करेवथी	नारकंडा	शिमला	10.42
2.	कुडू	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.01
3.	चडौली	चौपाल	शिमला	0.01
4.	दीउदीमा	छोहारा	शिमला	01.70
5.	देवठी	रामपुर	शिमला	02.51
6.	खंगटेडी	रोहडू	शिमला	0.02
7.	दत्तनगर	रामपुर	शिमला	04.55
8.	कोट कियाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.01
9.	मलैण्डी	नारकंडा	शिमला	08.48
10.	सिंहल	नारकंडा	शिमला	0.24
11.	सद् बड्ग्रां	नगरोटा	कांगड़ा	02.01
12.	उसतेहड़	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	02.08
13.	बलोल	कांगड़ा	कांगड़ा	02.27
14.	मंझोली	चौपाल	शिमला	0.01
15.	किरण	चौपाल	शिमला	0.02
16.	हटवास	नगरोटा बांगवां	कांगड़ा	01.29
17.	ममूंह गुरचाल	नूरपुर	कांगड़ा	02.13
18.	पुजारली-3	रोहडू	शिमला	01.58
19.	घरोह	रैत	कांगड़ा	0.02
20.	नीरथ	रामपुर	शिमला	02.19
21.	लांगजा	स्पिति	लाहौल-स्पिति	0.02
22.	जयपीडी माता	जुब्बल कोटखाई	शिमला	0.01
23.	तांगनू जंगलिख	छोहारा	शिमला	04.78
24.	कड़ोआ	प्रागपुर	कांगड़ा	01.65
25.	रामनगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	02.20
26.	थाना	जुब्बल कोटखाई	शिमला	05.53
27.	गाहढ	भवारना	कांगड़ा	1.84
28.	मोगडा	नारकंडा	शिमला	04.72
29.	खाबल	छोहारा	शिमला	0.83
30.	बैंश(पिपलीधार)	बसंतपुर	शिमला	02.22
31.	जगोठी	रोहडू	शिमला	0.02

32.	बावत	चौपाल	शिमला	0.01
33.	मिलख	नूरपुर	कांगड़ा	02.25
34.	कांडा बनाह	चौपाल	शिमला	4.00
35.	हारसी	लम्बागांव	कांगड़ा	0.76
<b>योग</b>				<b>72.39</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

**परिशिष्ट-24 (i)**

(संदर्भ परिच्छेद 4.2; पृष्ठ 54)

**2014-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय का विवरण**

**2014-15**

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य
1.	शिमला	15,664.86	7,604.11	8,060.75
2.	धर्मशाला	3,477.68	2,776.35	701.33
<b>योग (i)</b>		<b>19,142.54</b>	<b>10,380.46</b>	<b>8,762.08</b>
नगर परिषद्				
1.	हमीरपुर	4,342.77	3,886.42	456.35
2.	मंडी	4,524.15	3,631.83	892.32
3.	नालागढ़	603.16	383.58	219.58
4.	सोलन	2,076.50	1,619.04	457.46
5.	जोगिन्दर नगर	318.72	148.44	170.28
6.	नगरोटा बांगवां	782.16	749.68	32.48
<b>योग (ii)</b>		<b>12,647.46</b>	<b>10,418.99</b>	<b>2,228.47</b>
नगर पंचायत				
1.	अर्की	83.66	90.16	-6.5
2.	बैजनाथ पपरोला	--	---	---
3.	भोटा	91.88	57.12	34.76
4.	सुन्नी	96.79	60.45	36.34
<b>योग (iii)</b>		<b>272.33</b>	<b>207.73</b>	<b>64.60</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>32,062.33</b>	<b>21,007.18</b>	<b>11,055.15</b>



2015-16

(₹ लाख में)

## नगर निगम

क्रमांक	शहरी स्थानिक निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य
1.	शिमला	16,612.30	11,722.43	4,889.87
2.	धर्मशाला	2,925.63	1,300.62	1,625.01
<b>योग (i)</b>		<b>19,537.93</b>	<b>13023.05</b>	<b>6,514.88</b>

## नगर परिषद्

1.	हमीरपुर	1,066.33	646.13	420.20
2.	मंडी	1,889.21	1,642.36	246.85
3.	नालागढ़	699.57	432	267.57
4.	सोलन	2,362.86	1,680.87	681.99
5.	जोगिन्दर नगर	397.12	305.36	91.76
6.	नगरोटा बांगवां	238.96	221.66	17.30
<b>योग (ii)</b>		<b>6,654.05</b>	<b>4,928.38</b>	<b>1,725.67</b>

## नगर पंचायत

1.	अर्की	100.00	99.34	0.66
2.	बैजनाथ पपरोला	---	----	----
3.	भोटा	76.14	51.19	24.95
4.	सुन्नी	156.84	65.86	90.98
<b>योग (iii)</b>		<b>332.98</b>	<b>216.39</b>	<b>116.59</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>26,524.96</b>	<b>18,167.82</b>	<b>8,357.14</b>

2016-17

(₹ लाख में)

नगर निगम

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य
1.	शिमला	21,517.52	13,388.50	8,129.02
2.	धर्मशाला	7,850.82	5,163.80	2,687.02
<b>योग (i)</b>		<b>29,368.34</b>	<b>18,552.3</b>	<b>10,816.04</b>

नगर परिषद्

1.	हमीरपुर	1,202.70	990.71	211.99
2.	मंडी	6,020.30	798.81	5,221.49
3.	नालागढ़	928.00	624.57	303.43
4.	सोलन	2,975.43	2,399.04	576.39
5.	जोगिन्दर नगर	229.15	145.41	83.74
6.	नगरोटा बांगवां	790.61	759.84	30.77
<b>योग (ii)</b>		<b>12146.19</b>	<b>5718.38</b>	<b>6427.81</b>

नगर पंचायत

1.	अर्की	141.24	84.83	56.41
2.	बैजनाथ पपरोला	674.22	43.73	630.49
3.	भोटा	219.95	92.80	127.15
4.	सुन्नी	191.75	92.90	98.85
<b>योग (iii)</b>		<b>1,227.16</b>	<b>314.26</b>	<b>912.90</b>
<b>सकल योग (i), (ii) तथा (iii)</b>		<b>42,741.69</b>	<b>24,584.94</b>	<b>18,156.75</b>

## परिशिष्ट-24(ii)

(संदर्भ परिच्छेद 4.2; पृष्ठ 55)

2015-18 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय का विवरण

2015-16

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (+)/आधिक्य (-)
1.	शिमला	28,784.6	11,722.43	17,062.17
2.	धर्मशाला	7,900.92	5,163.80	2,737.12
योग (i)		36,685.52	16,886.23	19,799.29
नगर परिषद्				
1.	देहरा	459.44	271.52	187.92
2.	हमीरपुर	1,066.33	646.13	420.2
3.	कुल्लू	1,175.21	921.72	253.49
4.	मनाली	788.60	630.96	157.64
5.	नेरचौक	117.50	0	117.50
6.	सुजानपुर	329.16	326.93	2.23
7.	घुमारवीं	199.42	168.43	30.99
योग (ii)		4,135.66	2,965.69	1,169.97
नगर पंचायत				
1.	बंजार	50.67	38.92	11.75
2.	करसोग	152.67	30.59	122.08
3.	ज्वाली (नवनिर्मित)	--	--	--
4.	नादौन	394.23	167.45	226.78
5.	भुंतर	292.02	279.32	12.7
योग (iii)		889.59	516.28	373.31
सकल योग (i), (ii) व (iii)		41,710.77	20,368.20	21,342.57

2016-17

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत(+)/आधिक्य (-)
1.	शिमला	39,714.12	13,388.50	26,325.62
2.	धर्मशाला	5,130.37	2,670.83	2,459.54
<b>योग (i)</b>		<b>44,844.49</b>	<b>16,059.33</b>	<b>28,785.16</b>
नगर परिषद्				
1.	देहरा	517.50	280.09	237.41
2.	हमीरपुर	1,202.70	990.70	212.00
3.	कुल्लू	3,091.55	1,527.64	1,563.91
4.	मनाली	761.14	725.61	35.53
5.	नैर चौक	660.60	232.35	428.25
6.	सुजानपुर	333.42	408.52	(+)75.1
7.	घुमारवीं	260.94	293.61	(+)32.67
<b>योग (ii)</b>		<b>6,827.85</b>	<b>4,458.52</b>	<b>2584.87</b>
नगर पंचायत				
1.	बंजार	72.85	43.59	29.26
2.	करसोग	210.61	330.99	(+)120.38
3.	जवाली (नवनिर्मित)	366.94	28.00	338.94
4.	नादौन	504.82	284.69	220.13
5.	भुंतर	191.65	135.54	56.11
<b>योग (iii)</b>		<b>1,346.87</b>	<b>822.81</b>	<b>764.82</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>53,019.21</b>	<b>21,340.66</b>	<b>32,134.85</b>

2017-18

(₹ लाख में)

नगर निगम				
क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (+)/आधिक्य (-)
1.	शिमला	47,512.53	14,669.59	32,842.94
2.	धर्मशाला	3,543.47	2,475.77	1,067.7
<b>योग (i)</b>		<b>51,056.00</b>	<b>17,145.36</b>	<b>33,910.64</b>
नगर परिषद्				
1.	देहरा	381.90	271.52	110.38
2.	हमीरपुर	846.30	655.43	190.87
3.	कुल्लू	2,829.83	2,026.82	803.01
4.	मनाली	790.04	726.90	63.14
5.	नेरचौक	900.82	173.59	727.23
6.	सुजानपुर	334.38	317.64	16.74
7.	घुमारवीं	299.12	469.50	(+)170.38
<b>योग (ii)</b>		<b>6,382.39</b>	<b>4,641.40</b>	<b>2,081.75</b>
नगर पंचायत				
1.	बंजार	119.44	61.54	57.9
2.	करसोग	288.22	50.28	237.94
3.	जवाली (नवनिर्मित)	616.41	141.70	474.71
4.	नादौन	475.21	378.29	96.92
5.	भुंतर	211.02	180.69	30.33
<b>योग (iii)</b>		<b>1710.30</b>	<b>812.50</b>	<b>897.80</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>59,148.69</b>	<b>22,599.26</b>	<b>36,890.19</b>

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।

**परिशिष्ट- 25**

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.1 (क); पृष्ठ 58)

**शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में बकाया आवास कर का विवरण**

(₹ लाख में)						
2017-18						
क्रमांक	नगर निगम का नाम	अप्रैल 2016 तक अथशेष	2016-17 के दौरान मांग	कुल मांग	2016-17 के दौरान संग्रहण	मार्च 2017 तक बकाया राशि
1.	धर्मशाला	86.67	209.67	296.34	63.11	233.23
<b>योग (i)</b>		<b>86.67</b>	<b>209.67</b>	<b>296.34</b>	<b>63.11</b>	<b>233.23</b>
क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	अप्रैल 2016 तक अथशेष	2016-17 के दौरान मांग	कुल मांग	2016-17 के दौरान संग्रहण	मार्च 2017 तक बकाया राशि
1.	हमीरपुर	76.48	98.55	175.03	126.46	48.57
2.	मंडी	124.74	271.98	396.72	77.80	318.92
3.	नगरोंटा बांगवां	15.23	12.30	27.53	7.89	19.64
4.	जोगिन्दर नगर	45.09	4.61	49.70	4.86	44.84
<b>योग (ii)</b>		<b>261.54</b>	<b>387.44</b>	<b>648.98</b>	<b>217.01</b>	<b>431.97</b>
क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	अप्रैल 2016 तक अथशेष	2016-17 के दौरान मांग	कुल मांग	2016-17 के दौरान संग्रहण	मार्च 2017 तक बकाया राशि
1.	अर्की	38.31	8.00	46.31	10.45	35.86
2.	सुन्नी	50.31	9.81	60.12	9.85	50.27
3.	भोटा	10.16	1.74	11.90	5.23	6.67
<b>योग (iii)</b>		<b>98.78</b>	<b>19.55</b>	<b>118.33</b>	<b>25.53</b>	<b>92.80</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>446.99</b>	<b>616.66</b>	<b>1,063.65</b>	<b>305.65</b>	<b>758.00</b>

(₹ लाख में)

2018-19							
क्रमांक	नगर निगम का नाम	अप्रैल 2017 तक अथशेष	2017-18 के दौरान मांग	कुल मांग	2017-18 के दौरान संग्रहण	छूट	मार्च 2018 तक बकाया राशि
1.	धर्मशाला	233.81	209.04	442.85	227.27	--	215.58
<b>योग (i)</b>		<b>233.81</b>	<b>209.04</b>	<b>442.85</b>	<b>227.27</b>	<b>--</b>	<b>215.58</b>

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	अप्रैल 2017 तक अथशेष	2017-18 के दौरान मांग	कुल मांग	2017-18 के दौरान संग्रहण	छूट	मार्च 2018 तक बकाया राशि
1.	हमीरपुर	48.57	122.85	171.43	113.40	--	58.03
2.	सुजानपुर	20.72	23.76	44.48	23.95	--	20.53
3.	देहरा	19.17	11.14	30.31	7.09	--	23.21
4.	मनाली	15.32	111.05	126.37	94.39	--	31.98
5.	कुल्लू	30.60	71.59	102.19	81.10	7.50	13.59
6.	घुमारवीं	47.52	16.38	63.90	36.45	--	27.45
<b>योग (ii)</b>		<b>181.90</b>	<b>356.77</b>	<b>538.68</b>	<b>356.38</b>	<b>7.50</b>	<b>174.79</b>
क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	अप्रैल 2017 तक अथशेष	2017-18 के दौरान मांग	कुल मांग	2017-18 के दौरान संग्रहण	छूट	मार्च 2018 तक बकाया राशि
1.	नादौन	23.17	8.33	31.50	5.39	0.97	25.14
2.	बंजार	6.34	2.90	9.25	2.63	--	6.61
<b>योग (iii)</b>		<b>29.51</b>	<b>11.23</b>	<b>40.75</b>	<b>8.02</b>	<b>0.97</b>	<b>31.75</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>445.22</b>	<b>577.04</b>	<b>1,022.28</b>	<b>591.67</b>	<b>8.47</b>	<b>422.12</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-26**

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.2; पृष्ठ 60)

**दुकानों/ बूथों/ स्टालों से किराए की वसूली न करने का विवरण**

**2017-18**

(₹ लाख में)

**नगर निगम**

क्रमांक	नगर निगम का नाम	01 अप्रैल 2016 को अथशेष	उठाई गई मांग	कुल	31 मार्च 2017 तक संग्रहण	31 मार्च 2017 तक बकाया राशि
1.	शिमला	415.64	228.00	643.64	219.40	424.24
<b>योग (i)</b>		<b>415.64</b>	<b>228.00</b>	<b>643.64</b>	<b>219.40</b>	<b>424.24</b>
<b>नगर परिषद्</b>						
1.	मंडी	113.47	75.29	188.76	81.32	107.44
2.	नगरोटा बांगवां	13.47	15.80	29.27	13.75	15.52
3.	नालागढ़	60.75	71.66	132.41	55.33	77.08
4.	हमीरपुर	40.54	20.40	60.94	19.43	41.51
5.	जोगिन्दर नगर	2.87	2.61	5.48	3.04	2.44
6.	सोलन	104.04	42.84	146.88	26.69	120.19
<b>योग (ii)</b>		<b>335.14</b>	<b>228.60</b>	<b>563.74</b>	<b>199.56</b>	<b>364.18</b>
<b>नगर पंचायत</b>						
1.	सुन्नी	3.58	5.15	8.73	4.40	4.33
2.	भोटा	3.08	1.19	4.27	1.24	3.03
3.	अर्की	2.87	3.00	5.87	3.13	2.74
<b>योग (iii)</b>		<b>9.53</b>	<b>9.34</b>	<b>18.87</b>	<b>8.77</b>	<b>10.10</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>		<b>760.31</b>	<b>465.94</b>	<b>1,226.25</b>	<b>427.73</b>	<b>798.52</b>

**2018-19**

(₹ लाख में)

**नगर निगम**

क्रमांक	नगर निगम का नाम	01 अप्रैल 2016 को अथशेष	2017-18 के दौरान उठाई गई मांग	कुल मांग	2017-18 के दौरान संग्रहण	31 मार्च 2018 तक बकाया राशि
1.	शिमला	424.24	235	659.24	247.46	411.78
2.	धर्मशाला	32.47	55.02	87.49	57.30	30.19
<b>योग (i)</b>		<b>456.71</b>	<b>290.02</b>	<b>746.73</b>	<b>304.75</b>	<b>441.97</b>



नगर परिषद्						
1.	धुमारवीं	04.38	3.48	7.87	3.45	4.41
2.	कुल्हू	30.24	45.14	75.38	44.99	30.39
3.	मनाली	63.15	96.24	159.39	85.94	73.46
4.	देहरा	20.49	09.56	30.05	12.36	17.69
5.	नेरचौक	0.30	0.24	0.54	0.19	0.35
6.	सुजानपुर	28.45	20.81	49.26	14.69	34.56
<b>योग (ii)</b>		<b>147.01</b>	<b>175.47</b>	<b>322.49</b>	<b>161.62</b>	<b>160.86</b>
नगर पंचायत						
1.	भुंतर	43.36	8.99	52.34	8.32	44.03
2.	नादौन	20.8	13.12	33.92	10.66	23.26
3.	बंजार	4.16	2.33	6.49	0.77	5.72
<b>योग (iii)</b>		<b>68.32</b>	<b>24.44</b>	<b>92.75</b>	<b>19.75</b>	<b>73.01</b>
<b>सकल योग (i),(ii) व (iii)</b>		<b>672.04</b>	<b>489.93</b>	<b>1,161.97</b>	<b>486.12</b>	<b>675.84</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट- 27**

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.3; पृष्ठ 61)

**शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में मोबाइल टावरों की स्थापना/नवीकरण हेतु शुल्क की वसूली न करने का विवरण**

(₹ लाख में)

**2017-18**

**नगर निगम**

क्रमांक	नगर निगम का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	धर्मशाला	2006-15	2006-07 से 2016-17	12	2.55
<b>योग (i)</b>				<b>12</b>	<b>2.55</b>

**नगर परिषद्**

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	नालागढ़	-----	2008-09 से 2016-17	4	1.07
2.	सोलन	2006-17	2015-16 से 2016-17	16	1.13
3.	हमीरपुर	2006-15	2009-10 से 2016-17	19	2.96
4.	मंडी	-----	2016-17 तक	7	12.20
5.	नगरोटा बांगवां	2005-14	2005 से 2018	8	1.01
6.	जोगिन्दर नगर	-----	2016-17 तक	8	2.36
<b>योग (ii)</b>				<b>62</b>	<b>20.73</b>

**नगर पंचायत**

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	सुन्नी	-----	2016-17 तक	12	1.56
2.	अर्की	-----	2016-17 तक	6	0.37
<b>योग (iii)</b>				<b>18</b>	<b>1.93</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>				<b>92</b>	<b>25.21</b>

(₹ लाख में)

2018-19					
<b>नगर निगम</b>					
क्रमांक	नगर निगम का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	शिमला	-	2017-18	84	12.76
2.	धर्मशाला	2008-2012	03/2018 तक	5	5.26
<b>योग (i)</b>				<b>89</b>	<b>18.02</b>
<b>नगर परिषद्</b>					
क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	देहरा	2004	2009-18	1	0.35
2.	मनाली	2006-09	03/2018 तक	9	3.15
3.	घुमारवीं	2006-09	2010-18	4	1.11
4.	हमीरपुर	2006-17	03/2018 तक	16	3.56
5.	कुल्लू	--	03/2018 तक	16	3.68
<b>योग (ii)</b>				<b>46</b>	<b>11.85</b>
<b>नगर पंचायत</b>					
क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	स्थापन वर्ष	राशि बकाया होने की अवधि	टावरों की संख्या	राशि
1.	बंजार	--	2014-18	--	0.55
2.	नादौन	--	03/2018 तक	--	1.06
<b>योग (iii)</b>				<b>--</b>	<b>1.61</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>				<b>130</b>	<b>31.48</b>

स्रोत: नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़ें।

**परिशिष्ट-28**

(संदर्भ परिच्छेद 4.16; पृष्ठ 82)

अधिकारियों/ विभागों को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जो दिसंबर 2017 तक समायोजित नहीं किए गए

2017-18

नगर परिषद्, नालागढ़				
क्रमांक	कर्मचारी/विभाग का नाम		अग्रिम दिए जाने की तिथि	राशि (₹ में)
1.	श्री हेम राज, जेई सेवानिवृत्त		12/1999 से 2/2014	93,060
2.	श्री बलजीत सिंह, ड्राफ्ट्समैन		06/2000 से 7/2016	3,07,200
3.	श्री दिनेश कुमार, लेखाकार			10,000
4.	श्री संजय अवस्थी, जेई सेवानिवृत्त		08/2000 से 10/2006	2,40,463
<b>योग(i)</b>				<b>6,50,723</b>
नगर परिषद्, सोलन				
क्रमांक	कर्मचारी/विभाग का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	अग्रिम दिए जाने की तिथि	राशि (₹ में)
1.	श्री एमएल ठाकुर, जेई	फव्वारा के लिए नोज़ल, रेत खरीद, पानी के लिए नमूना परीक्षण	5/1999 से 04/2001	2,300
2.	त्रिलोकी नाथ अत्री, स्वच्छता निरीक्षक	उच्च सुरक्षा प्लेटों की खरीद	02/2013	1,432
3.	श्री कुलदीप गुप्ता, लिपिक	रेत हटाना	10/1999	500
4.	श्री सोहन लाल, सहयोगी	पानी के लिए नमूना परीक्षण	2003-04	1,200
5.	श्री करणा चंद वर्मा, एसआई	वाहन की मरम्मत	2003-04	500
6.	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट की खरीद	2005-06 से 2016-17	38,10,807
7.	श्री रामशाद अली, सहारनपुर	रावण की मूर्ति	2005-06	15,000
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम	स्टील और बिटुमेन	2006-07 से 2016-17	60,04,554
9.	अधिकासी अभियंता, उपमंडल एच०पी०एस०ई०बी०एल० सोलन	वार्ड नंबर 1 में स्ट्रीट लाइट हेतु स्थान	06/2017	78,740
10.	सहायक अभियंता, उपमंडल आईपीएच सोलन	जीआई/सीआई पाईप की खरीद	2006-07 से 2014-15	87,072
11.	हिम उद्योग गोयल निवास, सोलन	आरसीसी पाईप की खरीद	2005-06 से 2007-08	1,85,510

12.	प्रबंधक एचपी एगो इंडस्ट्रीज सोलन	सीमेंट, स्टील और कूड़ेदान की खरीद	2006-07 से 2010-2011	1,812
13.	मेसर्स साबू तोर, काला अम्ब, नाहन	स्टील की खरीद	2011-12 से 2012-13	36
14.	श्री विनोद पाल, जेई	यात्रा भत्ता अग्रिम	04/2012	2,536
15.	सहायक अभियंता, उद्यान उपखण्ड हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सोलन	पौधों की खरीद	08/2010	2,000
16.	उप निदेशक, पशुपालन, सोलन	कुत्तों की नसबंदी	5/2016	80,000
<b>योग (ii)</b>				<b>1,02,73,999</b>
<b>सकल योग (i) व (ii)</b>				<b>1,09,24,722</b>

## नगर निगम, शिमला

क्रमांक	लेखा शीर्ष	शीर्ष विवरण	अवधि	31.03.2016 को अथशेष (₹ में)	2016-17 वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम (₹ में)	कुल (₹ में)	वर्ष 2016-17 के दौरान समायोजित अग्रिम (₹ में)	शेष (₹ में)
1.	460-40-01	लोक निर्माण कार्य	1.4.07 to 31.3.17	11,29,241	1,00,00,000	1,11,29,241	0	1,11,29,241
2.	460-40-02	स्टोर / सामग्री	1.4.07 से 31.3.17	1,68,71,606	1,50,27,511	3,18,99,117	0	3,18,99,117
3.	460-50-01	स्थायी अग्रिम	1.4.07 से 31.3.17	31,565	0	31,565	0	31,565
4.	460-50-02	परियोजना	1.4.07 से 31.3.17	91,26,477	0	91,26,477	0	91,26,477
5.	460-50-03	योजना	1.4.07 से 31.3.17	49,68,820	0	49,68,820	0	49,68,820
6.	460-50-05	अस्थायी अग्रिम	1.4.63 से 31.3.17	17,25,08,612	1,15,07,163	18,40,15,775	72,18,481	17,67,97,294
7.	460-60-01	स्ट्रीट लाईट	1.4.07 से 31.3.17	4,41,96,218	1,58,43,051	6,00,39,269	0	6,00,39,269
8.	460-60-03	जल आपूर्ति	1.4.07 से 31.3.17	1,61,16,827	0	1,61,16,827	0	1,61,16,827
9.	460-33-01	सार्वजनिक लैम्प पोस्ट	1.4.07 से 31.3.17	0	1,57,509	1,57,509	0	1,57,509
10.	460-60-05	अन्य जल	1.4.07 से 31.3.17	0	10,000	10,000	0	10,000
<b>योग</b>				<b>26,49,49,366</b>	<b>5,25,45,234</b>	<b>31,74,94,600</b>	<b>72,18,481</b>	<b>31,02,76,119</b>

2018-19

कर्मचारी को दिए गए बकाया अग्रिमों का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा जो दिसंबर 2018 तक समायोजित या प्रतिपूरित नहीं किए गए

नगर निगम, धर्मशाला

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिए जाने की तिथि	राशि (₹ में)
1.	श्री सरवन कुमार, चालक	4/2017 से 6/2017	20,000
2.	श्री संदीप कुमार भरमौरिया, प्रबंधक	1/2017 से 5/2017	5,28,000
3.	श्री मनजीत सिंह, चालक	6/2017	20,000
4.	श्री विधेश कुमार, चालक	6/2017	15,000
<b>योग (i)</b>			<b>5,83,000</b>

नगर परिषद, कुल्लू

कर्मचारी का नाम जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिए जाने की वाउचर संख्या/तिथि	अग्रिम का उद्देश्य	राशि (₹ में)
श्री नीति बिभाष, स्वच्छता निरीक्षक	49, 8/2015	घर-घर कचरा संग्रहण	3,26,550
	56, 8/2015	स्वच्छ भारत मिशन	18,000
	38, 9/2015	एनजीटी केयर	4,000
<b>योग (ii)</b>			<b>3,48,550</b>

नगर परिषद, मनाली

कर्मचारी का नाम जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिए जाने की वाउचर संख्या/तिथि	अग्रिम का उद्देश्य	राशि (₹ में)
श्री नाथू राम, ड्राइवर	77, 10/2017	जेसीबी रोबोट की मरम्मत	10,000
<b>योग (iii)</b>			<b>10,000</b>
<b>सकल योग (i), (ii) व (iii)</b>			<b>9,41,550</b>

स्रोत: नमूना-जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए आंकड़ें।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>